



## विषय अनुक्रमांका

| प्रम-संख्या                                   | विषय   | पृष्ठ |
|---|--|-------|
| <b>(A) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि</b>                 |  |       |
| 1.  | रेग्यलेरिंग एकट एवं 1757 से 1854 तक भारतीय शासन में परिवर्तन | 1     |
| 2.  | 1858 का भारतीय प्रशासन अधिनियम                               | 4     |
| 3.  | 1892 का भारतीय परिपद अधिनियम                                 | 7     |
| 4.  | मिण्टो-माले सुधार योजना एवं भाटेग्यू घोपणा                   | 8     |
| 5.  | 1919 के अधिनियम की विशेषतायें                                | 12    |
| 6.  | 1919 के अधिनियम के अनुसार द्वंध शासन                         | 15    |
| 7.  | 1935 के अधिनियम के लक्षण                                     | 27    |
| 8.  | 1935 के अधिनियम में प्रत्तावित केन्द्रीय सरकार               | 31    |
| 9.  | 1935 के अधिनियम में संघीय कार्यकारिणी                        | 33    |
| 10.   | 1935 के अधिनियम द्वारा प्रान्तीय शासन में परिवर्तन           | 36    |
| 11.   | प्रान्तीय स्वशासन  | 38    |
| 12.   | भारतीय संविधान-सभा का गठन, शक्तियाँ एवं कार्य                | 40    |
| <b>(B) भारतीय राजनीतिक ध्यवस्था का स्वरूप</b> |  |       |
| 13.   | भारतीय संविधान के स्रोत                                      | 45    |
| 14.   | विधि का शासन   | 50    |
| 15.   | भारतीय संघवाद का संद्वान्तिक एवं व्यावहारिक स्वरूप           | 56    |
| 16.   | मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक स्वरूप                          | 62    |
| 17.   | मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में अन्तर            | 66    |
| 18.   | राज्य के नीति निर्देशक तत्व                                  | 68    |
| <b>(C) सरकार का गठन</b>                       |  |       |
| 19.   | भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव, अधिकार कार्य एवं शक्तियाँ        | 73    |
| 20.   | भारतीय संसद का गठन, कार्य एवं शक्तियाँ                       | 81    |
| 21.   | भारतीय मंत्रिमण्डल   | 90    |
| 22.   | सर्वोच्च न्यायालय का गठन तथा न्यायिक पुनरावलोकन              | 92    |
| 23.   | सर्वोच्च न्यायालय संसद की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली             | 95    |
| 24.   | राज्यों के प्रशासन में राज्यपाल की स्थिति एवं भूमिका         | 101   |

25. सोन-सेवा प्रायोग का गठन, कार्य एवं एम० ए० मुतामिल के सुझाव
26. स्थानीय स्वशासन एवं प्रचायनी राज
- (D) भारतीय राजनीति में विभिन्न संस्थाओं का स्थान
27. भारत में दलगत राजनीति एवं राजनीतिक दल
28. भारतीय शासन-ध्यवस्था पर दबाव समूहों का प्रभाव, कार्य-पद्धति
29. भारत की विदेश नीति
30. भारतीय राजनीति में व्याप्त दोष
31. भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या
32. भारतीय जनतांश्चिक ध्यवस्था के सबल व निर्वल तत्व
- (E) भारतीय राजनीति का यत्तमान स्वरूप
33. कांग्रेस-विभाजन एवं प्रधानमंत्री की भूमिका
34. भारत में लोकतंत्र के मध्यावधि चुनाव
35. नई कौशिकी की विजय के कारण
36. प्रिवेपर्स एवं रांविधान में सशोधन
37. बंगला देश-भारत, भारत-रूस संधि तथा शिमला शिखर बार्फ
-

## (A) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रश्न 1—“रेग्युलेटिंग एक्ट ने शासन को संगठित करने की बजाय संग्रह के केन्द्रों को संगठित किया।” यह कथन कहाँ तक सत्य है?

अथवा

कानून विधापन और संहिताकरण के विकास हेतु 1833 एवं 1853 के खार्ड अधिनियमों द्वारा जो भौतिक स्थापित की गई उसका विवेचनात्मक स्पष्टीकरण कीजिए।

अथवा

1757 से 1854 तक भारतीय शासन में हुए परिवर्तनों का उज्ज्वल कीजिए।

उत्तर—वर्तमान की आधारशिला अतीत है। ब्रिटिशकालीन भारत के इतिहास में भारतीय गणराज्य के सविधान के विकास को देखा जा सकता है, जिसका प्रारम्भ 16वीं सदी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना से होता है। एम. बी. पाईली के अनुसार “इसकी कहानी इतिहास की अपेक्षा एक रोमांस अधिक लगती है।” यह कम्पनी एक व्यापारिक संस्था थी परन्तु इसी ने 1757 में ज्ञासी के संग्राम में नवाब सिराजुद्दीला को हारकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नीव डाली। तत्पश्चात् 1857 की क्रान्ति के परिणामस्वरूप 1858 में ‘भारतीय प्रशासन मुघार संवंधी अधिनियम’ द्वारा देश की ज्ञासन-सत्ता ब्रिटिश सरकार के पास चली गई। इससे पूर्व समय-समय पर पारित होने अधिनियमों ने भारतीय सविधान के विकास में अपूर्व योगदान दिया।

### रेग्युलेटिंग एक्ट

उद्देश्य—ईस्ट इण्डिया कम्पनी की राजनीतिक सत्ता पर अंकुश सागाने के लिए संसद ने 1773 में उक्त अधिनियम पारित किया। सार्व नार्य ने कहा था, “मेरे इस विल की प्रत्येक धारा का उद्देश्य कम्पनी के प्रशासन को मुड़ा, अस्थित और मुनिश्चित बनाना है।” इस अधिनियम द्वारा निम्न परिवर्तन किये गये—

1. गवर्नर जनरल की शाखियों में घट्टि—बंगाल की प्रेसीडेंसी को बम्बई एवं मद्रास की प्रेसीडेंसी से उच्चतर बताया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जिसकी मदद के लिये चार सदस्यों को परिषद् बनाई गई। गवर्नर जनरल एवं परिषद् को यह अधिकार दिया कि वह कम्पनी के क्षेत्रों एवं अधीनस्थ

राज्यों की शासन-व्यवस्था के विषय विधम् व सम्पादन जारी करे जो मर्गोच्च व्यापास्य से प्रीत होने के उपरांत ताकू हो। परन्तु दो तर्जं पन्द्रह गालिन् विटिंग मध्याट उन विधमां को यह भी कर दिया गया।

2. सर्वोच्च व्यायामय की इच्छाना—एक सर्वोच्च व्यायामय की इच्छाना कल्पना में की गई किसां प्रौद्योगि, दीवानी, गाँधिक श्रेष्ठों में विटिंग-प्रशा, नानिंग एवं काम्पोंट अमेंचार्टिंगों पर व्यायाम व्यायाम का यूप्र दायिता दिया। यह भारतीय विटिंग व्याया के प्रत्युष-प्रया में व्यवस्थित गुरुर्में भी गुज गवाया गया, यहीं में व्यायाम गम्भाट या व्यायाम वा व्यायामी भी।

3. वित्तीय खालीलों में गुणात्—यह प्रायपाल राजा गवा ने भारत के राजना में सम्बन्धित गारे यापने वालों के गवालों द्वारा विटिंग वित्त-व्यायाम के गम्भ रो जानेंगे तथा निकल एवं गंभित यापने राज्ये निजि के गम्भुग रो जावेंगे। अपरिधि, गवनं गवनं एव लायामीसो दो गेवन-नुटि कर विषयत एवं भेट लेने पर गाक नपाई। लायामी के व मंचार्टिंग पर विक्री व्यायाम करने पर घंकुग लकाया। विटिंग व्यवाहन 12 वित्तिन ए विधिं व्याय नहीं ले सकते थे।

4. कार्यकारी में परिवर्तन—गवाली वा कार्यकारी एक यर्दे में व्यायाम यार एवं कर दिया। गवाला-प्रणाल के 24 गद्यमों में में 6 को हर याप में वा नियून राज वी व्यवस्था की वा लगातार विवरिति नहीं हो गाने थे। विवरिति में 12 गहोंने यहके जो 1000 पोष्ट के हिस्मेटार थे उन्हें ही गवालीर दिया गया।

#### खालीचना—

1. यह एक गम्भाट व्यवस्थित था। 2. यह गुणात् लगाना रठित था कि व्यायविह शासन-मत्ता सम्भाट के पास है या काम्पोंट के पास। काम्पोंट भी कानूनत् यपने गों गुणवत्-गम्भाट भी दीवान कहती थी। 3. परिधि में निर्णय लेने वा तरोका गलत था। 4. इग कारण गपरिधि, गवनं र जनरल के घादेशो का भी कोई गहत्व न रहता था। 5. सर्वोच्च व्यायामय की इच्छाना भी गम्भाट सी थी। 6. परिवर्तन एवं गरण के गवालों “यह व्यवस्थित व्यायामिक था और इसकी रखना करते गम्भ व्यायाल थी ही वरिस्थितिमों को ध्यान में रखा गया था। 7. इसकी वावय-रक्ता भी दोषपूर्ण और गम्भाट थी जिसके कारण इगके द्वारा स्थापित थी गई शासकीय संस्थाओं में भगड़े होना अनिवार्य थे।”

#### संशोधक व्यवस्थिति

**कारण**—रेग्युलेटिंग ऐक्ट के दोपों को दूर करने के लिये 1781 में संशोधक व्यवस्थिति (Amending Act) पारित किया गया।

**परिवर्तन**—1. गपरिधि गवनं र जनरल के कार्यकों में सर्वोच्च व्यायामय से बाहर रखा गया। 2. ऐसा भी भारतीय व्यायालयाधिकारियों के काव्यों के साथ किया

गया । 3. सदर दीवानी अदालत के रूप में मुकदमों की अपीलें सुनने का अधिकार सपरियद गवर्नर जनरल को दिया गया । 4. प्रावेशिक न्यायालय एवं कोसिलों के बारे में नियम बनाने के अधिकार भी इन्हे दिये गये । सदैग में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसके द्वारा कम की गई ।

### पिट्स इण्डिया एक्ट

**भूमिका**—भारतीय प्रशासन में गुधार करने के लिए 1784 विलयम पिट की सरकार ने जो अधिनियम पारित किया वह 'पिट्स इण्डिया एक्ट' कहलाया ।  
**प्रावधान**—1 वगाल के गवर्नर को मद्रास एवं बम्बई के गवर्नरों से उच्च स्थान प्रदान किया गया । 2 कम्पनी के राजनीतिक एवं प्रशासनीय कार्यों हेतु 7 सदस्यीय मण्डल नियुक्त किया गया । 3 कम्पनी के व्यापारिक कार्यों को कम्पनी के सचालकों के पास ही रहने दिया । 4 यद्यपि सबसे पहले दोहरी शासन-प्रणाली की व्यवस्था इसमें की गई परन्तु प्रो० स्पीवट के शब्दों में "यह शासन-प्रदत्त विवाह द्वारा स्वापित होने वाली साधारण संस्थाओं का द्वैष शासन-प्रणाली से सर्वधा भिन्न थी क्योंकि इसमें दोनों शासनीय संस्थाओं का उत्तरदायित्व निविचित और स्पष्ट था ।" 4. भारतीय नरेशों के साथ कम्पनी के सम्बन्धों में निर्वस्तुक्षेप का यह नया सिद्धान्त था ऐसी एम० थी० पापती की पारणा है ।

### चार्टर अधिनियम

**भूमिका**—विटिश सरकार ने कम्पनी पर नसदीय नियन्त्रण दृढ़ करने के लिए चार चार्टर अधिनियम 1883, 1813, 1833 एवं 1853 में पारित किये ।  
**चार्टर एक्ट 1793—1793** का चार्टर एक्ट गुरुमुख निहातसिंह के अनुसार महत्वपूर्ण न था उल्टे इसके द्वारा नियन्त्रण-मण्डल के सदस्यों को भारतीय कोप में वेतन देने की एक ऐसी प्रया का प्रारम्भ हुआ जो सद् 1919 तक चलती रही और जिसके परिणामस्वरूप भारत को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी । इसके द्वारा कम्पनी के व्यावसायिक आधिकार को वीस वर्ष की अवधि प्रदान की गई ।

**चार्टर एक्ट 1783—1783** में द्वितीय चार्टर एक्ट पारित किया गया । भारतीयों के लिए शिक्षा की गई तथा विटिश प्रजा भारत के साथ व्यापार का अधिकार दिया गया । इसपे भारतीय उद्योग-घन्यों को ठेस पहुंची । इताइ घर्म का प्रचार भी किया गया । कम्पनी को 20 वर्ष के लिए व्यापार का अधिकार दिया गया ।

**चार्टर अधिनियम (1833)—1833** में पारित चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया । 'सपरियद गवर्नर जनरल' को विधि-नियमण का अधिकार प्रदान किया गया । कम्पनी की सेवायों के लिए भारतीयों के लिए भी दरवाजे खोले गये । यह केवल सिद्धान्त रूप में था । चार्टर एक्ट 1853—समितियों द्वारा की गई जीवं के आधार पर 1853 का चार्टर एक्ट पारित किया गया । संचालकों की संस्था इसके द्वारा 24 से 31

18 कर दी गई जिनमें से 7 की नियुक्ति सम्माट द्वारा किये जाने का प्रावधान रखा गया। सिविल सेविस में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान रखा जिसका केन्द्र लन्दन था और उसमें भारतीय भी भाग ले सकते थे। इस चार्टर एक्ट के द्वारा "इंग्लिश लों कमीशन की नियुक्ति की गई त्रितीय भारतीय न्याय-सहित और दीवानी तथा कोजदारी कार्यविधियों को सहितावद्ध किया। नियमन्नगा-मण्डल के अध्यक्ष को अधिक महत्व दी गई। शक्ति पृथिव्वरण के आधार पर कानून सम्बन्धी कार्य-व्यवस्थापिका सभा को दिये गये। इतना परिष्कृत रूप होने पर भी इसमें कुछ भौतिक कमियाँ थीं।

तदुपरान्त 1854 के अधिनियम द्वारा सपरियद गवर्नर जनरल को विटिश एह मरकार नी सम्पत्ति से चोक कमिशनर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया।

**प्रश्न 2—** 1858 के भारतीय प्रशासन अधिनियम द्वारा व्या परियतेन किये गये थे ?

### अथवा

1858 के मुख्य प्रावधानों का विस्तृत विवेचन कीजिये। ये कहाँ तक औपचारिक थे ?

### उत्तर— भारतीय प्रशासन सम्बन्धी अधिनियम

**पृष्ठमूर्म—** ईस्ट इण्डिया कम्पनी एक व्यापारिक संस्था थी, अतः मन् 1858 के भारतीय प्रशासन सम्बन्धी अधिनियम द्वारा भारत का शासन विटिश सरकार के हाथ में चला गया। इस अधिनियम के पारित होने के कई कारण थे। प्रथम, विटिश प्रजा एवं सरकार दोनों ही कम्पनी के संचालन से सन्तुष्ट न थे। द्वितीय, कम्पनी एक अनुत्तरदायी संस्था थी जो कि विटिश परम्परा एवं कानून के विवद्ध था। तृतीय, विटिश सरकार का रवेंद्र भारतीय शासन-व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए अनुकूल हो गया था और चतुर्थ विटिश सरकार द्वारा इससे पूर्व पारित किये गये अधिनियमों में इसका आभास था कि वह शीघ्र ही भारतीय प्रशासन अपने हाथ में ले लेगी। यद्यपि भंचालक सभा (Court of Directors) ने कम्पनी की सिफारिश के लिए एक याचिका भी प्रस्तुत की जो रद्द कर दी गई। लाई पार्मस्टन द्वारा रखा गया 'इण्डिया बिल' उनके मंचिभण्डल के पतन होने के कारण पारित न हो सका। तत्पश्चात् दोनों दरों द्वारा तंथार किया गया विन 'भारतीय शासन-मुद्धार अधिनियम' कहानाया जिसमें मुख्य धारायें निम्नलिखित थीं—

1. शासन-हस्तान्तरण—इस अधिनियम द्वारा भारत का शासन 'विटिश आउन' के पास चला गया। इसके साथ ही कम्पनी की जल, धन सेना पर भी शाउन का नियमण हो गया। उनके पद एवं वेतन यथापूर्व रहे।

2. भारत सचिव की शक्ति-वृद्धि—नियंत्रण-मण्डल और संचालक सभा का स्पान भारत सचिव ने ले लिया जो कि विटिश सरकार के गांव राज्य सचिवों में से

एक होता था और ममद के प्रति उत्तरदायी होता था परन्तु वेतन भारतीय राजस्व से देना निषिद्ध हुआ । यह भारतीय शासन का निरीक्षण, निर्देशन व नियन्त्रण करता था ।

3. भारत-परिषद् यी रचना—भारत-नचिव की सहायताधारं एक 15 सदस्यीय 'भारत-परिषद्' की रचना की गई । इसके सदस्यों का वेतन भी भारतीय राजस्व से देना तथा हुआ ।

4. भारत सचिव की हिति—भारत-नचिव को भारत-परिषद् का अध्यक्ष बनाया गया और मपरिमित शक्तियों में सम्पूर्ण किया गया । भारतीय राजस्व व चिनियोग के अनुदान को छोड़कर यह परिषद् के निर्णयों को रद्द कर सकता था । वह गवर्नर जनरल तथा देशी प्रदेशों से गुप्त पत्र-व्यवहार भी कर सकता था ।

5. भारत सचिव प्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि—सपरिषद् भारत-नचिव को एक प्रकार से प्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि बनाया गया जो कि भारत की भौतिक व तंत्रिक उन्नति का लेखा रखता था ।

6. भारतीय राजस्व व संसद की अनुमति—भारतीय सीमाओं के बाहर संनिक क्षायों के लिए भारतीय राजस्व का पन ब्रिटिश-ममद के दोनों सदनों की अनुमति से पूर्व होना तथा हुआ ।

7. परिषद् की बैठक—मप्ताह में एक बार भारत-परिषद् की बैठक होना प्रतिवार्ष था जिसकी गणपूति पौंछ रही गई ।

8. फाउन की शक्ति—गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की नियुक्ति की शक्ति फाउन को दी गई । सपरिषद् भारत सचिव को अनेक परिषदों के सदस्यों की नियुक्ति की शक्ति दी ।

9. ब्रिटिश सरकार का दायित्व—कम्पनी द्वारा लिये गये ऋण व की गई मधियों का दायित्व भी ब्रिटिश सरकार को सौंपा गया ।

10. महारानी की घोषणा—सरकार-परिवर्तन संबंधी घोषणा का दायित्व महारानी को सौंपा गया ।

महारानी की घोषणा—एक नवम्बर 1858 की महारानी की घोषणा में कहा गया कि:—

"हमने उन समस्त भारतीय प्रदेशों को मपने अधिकार में लेने का निर्णय कर लिया है जो इसके पूर्व कम्पनी के पास थे और जिन पर वह हमारी और से कार्य कर रही थी । हम इन प्रदेशों में रहने वाली प्रजा से अपने, अपने वारिसों एवं उत्तराधिकारियों के प्रति राजभक्ति की आशा करते हैं । हम नाई केनिझ को भारतीय प्रदेशों का प्रथम वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त करते हैं । हम समस्त संधियों को जो कम्पनी ने भारतीय राजाओं के साथ की है, . . . स्वीकार करते हैं और उन्हें पूर्ण करने का विश्वास दिलाते हैं । हम दूसरे के

एवं अधिकारों पर द्याया मारने की प्राज्ञा देंगे। हम अपने अधिकारों, प्रतिष्ठा और सम्मान के अनुहृत ही भारतीय नरेन्द्रों के अधिकारों प्रतिष्ठा और सम्मान का आदर करेंगे। हम अपनी प्रजा के किसी भी सदस्य पर अपने धार्मिक विचारों को नहीं दोषित करेंगे और न ही हम प्रजा के धार्मिक जीवन में किसी प्रकार का हस्तदेह करेंगे। सबके साथ समान तथा निष्पक्ष च्याय किया जायेगा। नौकरियों के विषय में भर्ती का आधार एकमात्र धोषिता होगी। जाति तथा मत को किसी प्रकार का महत्व नहीं दिया जायेगा। अपराधियों को एवं उन सब विद्रोहियों को बिना शर्त धमा दी जाती है। हमारी यह प्रबल इच्छा है कि ग्रान्तिश्रद व्यवसायों को प्रोत्साहन दिया जाए, सार्वजनिक उपयोगिता के कार्यों में वृद्धि की जाए और कृषि-प्रदेशों में रहने वाली प्रजा के हिनों को हस्ति में रखकर जाता दिया जाए। प्रजा की समृद्धि में ही हमारी सुधा है और उसकी कृतज्ञता में ही हमारा गौरव है।"

महत्व—महारानी बिंबोरिया की यह धीपणा रात्रि 1917 तक ब्रिटिश नीति या आधार रही। डा. ईश्वरी प्रसाद ने कहा, "यह धोषणा भारतीय जनता के लिए वरदान सिद्ध हुई। इसने भारतीयों को शांति, समृद्धि, स्वतंत्रता, समान व्यवहार और धोषिता के बल पर पद प्रदान करने का वचन दिया।"

1858 के एकट में दोष—1858 के अधिनियम हारा भारतीय प्रशासन में सुधार किये गये किन्तु फिर भी भारत-मन्त्रिव को अपरिमित शक्तियाँ सौंपकर उसे निरकुश बना दिया, भारतीय राजस्व पर बहुत भार आ पड़ा। महारानी की धोषणा भी केवल शास्त्रिक मायाजाल था।

भारतीय परिषद् अधिनियम-कारण—भारतीय शासन-प्रणाली में गुप्तार करने हेतु भारतीय परिषद् अधिनियम 1861 में पारित किया बयोकि कानून निर्माणी सभा में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसकी रचना में ही दोष थे। अंगेर्जों एवं भारतीयों के मध्य आपसी दंड की साई को पाठने के लिए भी कोई न कोई कदम उठाना जल्दी था। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे—

1. परिषद् रचना में परिवर्तन—गवर्नर जनरल की परिषद् में पाच सदस्य कर दिये ग्रीष्म यथाधारण सदस्य बनाने का भी प्रावधान रखा।

2. गवर्नर जनरल की आदेश शक्ति—परिषद् में भली-भांति कार्य करने के लिए गवर्नर जनरल को आदेश एवं नियम बनाने की शक्ति दी जिसके परिणामस्वरूप विभाग-पद्धति का जन्म हुआ।

3. गवर्नर जनरल को अन्य शक्तियाँ—परिषद् की (कानून गम्भीर शक्ति को छोड़जर धारण) शक्तियों का उपभोग केवल गवर्नर जनरल कर सकता था। यह एक अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर सकता था जो उसके अधिकारों का उपभोग कर सकता था।

4. कानून निर्माणी परिषद् का पुनर्गठन—केंद्रीय कानून निर्माणी परिषद् का पुनर्गठन किया गया जिसमें भारतीयों को भी स्थान दिया गया।

5. काउन में अन्तिम शक्ति—परिषद् के कार्यों को निश्चित एवं सीमित किया गया। अन्तिम निर्णय की शक्ति काउन व संसद में रखी गई।

6. प्रान्तीय कानून निर्माणी परिषद्—प्रान्तीय कानून निर्माणी परिषद् की गई। बम्बई व मद्रास सरकार को 1833 के अधिनियम के पूर्व की स्थिति प्रदान की गई। इनके द्वारा बनाये गये कानूनों को निपिछ एवं रद्द करने का अधिकार गवर्नर जनरल एवं काउन को दिया गया।

7. गवर्नर जनरल की प्रान्त बनाने की शक्ति—कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए गवर्नर जनरल को नये प्रान्त एवं उप-गवर्नर बनाने का अधिकार दिया गया।

**दोष**—यद्यपि यह अधिनियम आशाधूरां था किन्तु फिर भी इसमें कुछ मौलिक कमियाँ थीं (1) कानून निर्माणी परिषदी का निर्माण किया गया परन्तु प्रो० कूपलंड के अनुसार “ये परिषदे उन दरवारों के समान थीं जिन्हे भारतीय राजा परम्परागत रूप से अपनी प्रजा का मत जानने के लिए लगाया करते थे।” (2) प्रो० कीय के शब्दों में “इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय जनता को विधान-परिषदों में कोई प्रतिनिधित्व देना नहीं था।” (3) भारत-सचिव चाल्स वुड ने देशी राजाओं, भारतीय सामन्तों और उच्च वर्ग के भारतीयों को ही कानून बनाने के कार्य के साथ मिलाना आवश्यक समझा। (4) भारतीय प्रतिनिधि भी अपने नियोक्ता के जी हुजूर बनकर रहते थे। (5) अतिम शक्ति गवर्नर जनरल तथा राजसत्ता के पास रखना ही सबसे बड़ी कमी थी।”

1861 व 1892 के मध्य-सुधार—इस अधिनियम के पश्चात् 1861 से 1892 के मध्य पारित गये अधिनियमों द्वारा भारतीय शासन-व्यवस्था में यथा-सभ्य सुधार किये गये, (1) इमो बीच न्यायालयों में सुधार किया गया, विधियों और पद्धतियों को सहितावद्ध किया गया, (2) गवर्नर जनरल की शक्तियाँ बढ़ाई गईं, (3) महारानी को परिषद् का सदस्य बनाया गया, (4) वनविधूलर प्रेस अधिनियम, भारतीय शास्त्र अधिनियम एवं इल्वटं बिल इसी बीच पारित हुए, (5) इससे भारतीय जनता में भोपण रोप उत्पन्न हुआ जो अन्ततः भारतीयों को गंगठित करने में सफल हुआ।

**प्रश्न 3—** 1882 के परिषद् अधिनियम द्वारा भारतीय शासन-ध्यवस्था में यथा सुधार किये गये ?

**उत्तर—** भारतीय परिषद् अधिनियम :

**कारण—** मन् 1882 का भारतीय परिषद् अधिनियम भारतीयों के रोप और कांग्रेस की मांगों के कारण पारित किया गया। शिक्षा के प्रसार के कारण भारतीयों में जागृति आई और उन्होंने परिषदों के दोषों को देखा। लाड़ डफरिन ने भी इसके पारित कराने में सहयोग दिया। अधिनियम द्वारा निम्न परिवर्तन किये गये—

1. केन्द्रीय एवं प्रान्तीय विधान-परिषदों में पहले की ग्रांथा सदस्यों की चुनिंदा की गई।

2. अतिरिक्त सदस्यों में ग्रांथे गंगा सरकारी सदस्यों को लेने की घटवस्था की।

3. सपरिषद् गवर्नर जनरल तथा परिषद् राज्य सचिव की अतिरिक्त सदस्य मनोनीत करने के बारे में नियम बनाने की जयिता दी।

4. परोक्ष निर्वाचन-पद्धति को ग्राम्य करने का अधिकार गवर्नर जनरल को मिला।

5. प्रान्तीय परिषदों एवं गवर्नर जनरल की परिषद् को कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने एवं तथा बजट पर वाराह करने का अधिकार दिया।

6. गवर्नर जनरल, गवर्नर और लेपटीनेंट गवर्नर अपनी परिषदों के रिवायत-स्थानों को भर सकते थे।

7. गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति से प्रान्तीय विधान-परिषदें पुराने कानून रद्द करके नये कानून बना सकती थीं।

**मूल्यांकन—**(1) 1892 का अधिनियम अधिक व्यापक व प्रभावशाली नहीं था। (2) परिषदों में सदस्य चुनिंदा कोई खास बात न थी। (3) जनसंख्या की तुलना में प्रान्तीय परिषदों में सदस्य बहुत न्यून थे। (4) विधान-परिषदें बजट पर वहस तो कर सकती थीं पर उन्हें संशोधन एवं मतदान का अधिकार न था। (5) प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्रतिवर्धित था। (6) निर्वाचन व्यवस्था से भी परिषदों में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ। उन्हें 'अपन परिषदें' भी कहा गया वर्णोंकि ये भारतीयों के लिए हितकर न थी किन्तु फिर भी इसने सत्तदीय प्रणाली के विकास में एक कड़ी और जोड़ी।

1892 से 1909 में परिवर्तन—इसके पश्चात् 1892 से 1909 के मध्य कई परिवर्तन हुए। इस बीच लासन का केन्द्रीकरण और अधिकारीकरण हुआ तथा वित्तीय विक्षेपण में सुधार किये गये। भारतीय सेना को पुनर्मण्डित कर एकीकरण किया गया। लाई कर्जन ने सीमा प्रान्त जिलों में दौंध नियंत्रण तोड़ने का फैसला किया तथा अन्य स्थानों में केन्द्रीकरण को हड़ किया। महाराजा विकटोरिया का देहान्त हुआ। भारत परिषद् के विधान में परिवर्तन किये। उनकी नीकरी की शर्तों, अवधि एवं वेतन में कमी हुई। इसी काल में कांग्रेस में संदान्तिक फूट द्वारा विभाजन हुआ और अन्त में उनके स्वराज्य की मांग तुल कर सामने आई।

**प्रश्न 4—**किन परिस्थितियों के कारण मिट्टो-माले सुधार-योजना रखी गई? यह क्या थी? माटेम्बू धोकणा क्यों करनी पड़ी?

#### अथवा

1909 के भारतीय परिषद् अधिनियम ने भारतीय राजनीतिक समस्या का कोई उत्तर नहीं दिया। यह कहाँ तक तक-संगत है?

## उत्तर— भारतीय परिपद् अधिनियम

फारला—गन् 1909 के भारतीय परिपद्-अधिनियम को मिण्टो-लालें गुप्तार्थोजना भी कहा जाता है। भारत का जनसत्र श्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गया था वयोंकि जनता अकाल एवं व्लेग से ब्रह्म होने के कारण झुट हो गई थी। लाउं कर्जन ने जनभावनाओं की अवहेलना की। जापान द्वारा हात को पराजय ने भारतीयों से राष्ट्रीयता और विद्रोह की भावना को उभारा। विदेशों में भारतीयों पर किये गये अत्याचारों से भी आन्ति सुलगी। तब लाउं कर्जन के स्थान पर आये लाउं मिष्टो एवं माले ने मुधार हेतु साक्षिय बदल उठाये। उनके द्वारा प्रस्तुत मुझाय ही 1909 का भारतीय परिपद् अधिनियम बना जिसकी विशेषताएँ निम्नलिखित थी—

1. केन्द्रीय विधान-परिपद में 16 से 60 सदस्य किये गये जिसमें कुल 69 सदस्य हो गये।

2. प्रान्तीय परिपदों में भी सदस्य वृद्धि की गई।

3. विधान-परिपदों के भी सदस्यों, कार्यों व प्रधिकारों को बढ़ाया गया।

4. मताधिकार को सीमित एवं भेदभावालूण बनाया गया। यह सम्पत्ति-कर देयता एवं उपाधियों पर आधारित था।

5. प्रतिनिधित्व के बारे में मुस्लिमों को विशेष छूटे दी गई जिनसे हिन्दुओं को विचित रखा गया।

6. साम्प्रदायिक चुनाव-पद्धति का प्रारम्भ भी यही से होता है। इस पृथक चुनाव प्रणाली से ही देश में साम्प्रदायिकता का बोआरोपण हुआ।

7. परिपदों का सदस्य बनने के लिए ऐसी शर्तें रखी गई जो पूरी करनी कठिन थीं।

8. भारत के कुछ भागों का तो प्रतिनिधित्व ही नहीं होता था। उनके स्थान पर अन्य स्थानों से सदस्य लिये गये।

9. बम्बई एवं मद्रास की परिपदों में सदस्य 2 से अब 4 कर दिये। सपरिपद गवर्नर जनरल वो श्रिटिश-संगम की अनुमति से अन्य प्रान्तों में कार्यालयी परिपद बनाने का अधिकार दिया गया।

मूल्यांकन—(1) इस मिण्टो-मालें गुप्तारों द्वारा भारतीय जनता की आकाशांशों को पूरा न कर सके (2) भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया (3) रावर्ट्स के अनुसार “ये सुधार भारतीयों के लिए अधूरे भवन के समान थे।” मजूमदार ने इन्हें चन्द्रमा की चमक बताया (4) इन्हीं सुधारों द्वारा भारत के विभाजन की भूमिका में साम्प्रदायिकता की नीब रखी गई। राष्ट्रीयता एकता को छिन्न-भिन्न करने का प्रयास किया गया (5) मताधिकार की शर्तें कठोर रखी गईं थीं (6) विधान-परिपदों में विस्तार के बावजूद भी योग्यिक दोष बैसे के बैसे बने रहे (7) सरकारी व गैर सरकारी की स्थिति सुहृद न थी। के. धी. पुर्णिमाह के अनुसार गैर सरकारी \*

के भाषण लाहौ कितने ही प्रभावशाली बयो न हो उनके हारा प्रस्तुत किये गये मुझाद किनने ही तर्क-पूरण बयो न हो, किन्तु मतदान के समय ये सरकारी मरम्मत सदस्य सरकार के पक्ष में और गेर सरकारी सदस्यों के विपक्ष में मत देते थे।” (8) सरकार हारा इन सुधारों को कियान्वित करने हेतु लिये गये कदम इन विधिनियम के एकदम विपरीत थे। (9) रेजे मेशडोनेल्ड के अनुगार “मिष्टो-माले सुधार जनतावाद और नौकरशाही के बीच एक अधूरा तथा अलाकालीन समझौता था।” (10) इन सुधारों ने देश में वह स्थिति ली कि अब में 1909 में मोटेंगू ने यह घोषणा की, कि “विटिश सरकार का उद्देश्य शनः शनः उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। भारतीयों के हृदय में भी इससे आत्म-विषयाम जागृत हुआ।

1909 से 1919 के मध्य विद्यर्थन—सन् 1919 के विधिनियम के पारित होने से गूबं कुछ ऐसी पटनाये थीं जिससे विद्या होकर विटिश सरकार को उत्तरदायी सरकार की स्थापना में कुछ कदम उठाने पड़े। जो एन. सिंह के शब्दों में, “वस्तुतः यह युग व्यवस्था महान्व की पटनाम्भों से परिपूर्ण है। इन युग में विटिश सम्राट ने मग्राजी और एक प्रमुख राजमन्त्री के माध्य भारत-भूमि पर पहली बार पदार्पण किया। साम्राज्ञी ने परियोंदो तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत को पहली बार वरावरी का स्थान दिया। उप-भारत मन्त्री के पद पर पहली बार भारतमानी की नियुक्ति की एई, तथा पहली बार विटिश सरकार ने भारत में अपना लक्ष्य उत्तरदायी राजनीतिक स्थायों की स्थापना करना चाहा और स्वायत्त-स्वशासक प्राप्तों के सघीय भारत का नियंत्रित एवं उठाता हुआ दियाई दिया। इसी समय जनता की इच्छायों के अनुसार बगाल के विभाजन में राजोधन हुआ, भारत की राजधानी कलकत्ता ने दिल्ली के निए स्थानान्तरित की गई और यहाँ एक नया साम्राज्यीय नगर बसाने का नियंत्रण किया गया, और विभिन्न राजनीतिक संस्थायों में राष्ट्रों के नर्स और उप पक्ष और साथ ही मुख्लिय लीग में ऐस्य हुआ और राष्ट्र के वेतायों ने परस्पर गिलकर राजनीतिक प्रयत्न के लिए एक मर्वंसाम्य योजना बनाई।

इसी दशाद्वी में, विटिश राज्यों को बल हारा उखाड़ करने के लिए यह 1857 के बाद सबसे बड़ा प्रत्यन्त रचा गया, होमस्ल (स्वामासन) प्राप्त करने के लिए और अनुचित विधियों को कार्यान्वित होने से रोकने के लिए एक बहुत बड़ा समिति आयोजन किया गया। गिरवर्णों के तीर्थस्थान में एक विटिश जनरल की आत्मनुसार जलियां बाला बाग का भीषण हत्याकाण्ड हुआ, पंजाब में माझनवर्णों की घोषणा की गई और शामन का काम फौजी विधिकारियों को सौप दिया गया और दमन की अत्यन्त कठोर तथा अत्यन्त व्यापक नीति अपनाई गई। सन् 1914-18 के पूरोगीय महायुद्ध का भारत पर भी प्रभाव पड़ा और देश को घन और जन की बहुत बड़ी बल देनी पड़ी। इसी समय इफलुएंजा का भी भीषण प्रकोप हुआ और खोमों के कष्ट कई गुना बढ़ गये। इस महामारी के कारण कुछ सप्ताहों में कई साल आइमी

मर गये। इन मरते वालों की सम्या विभिन्न आकड़ों के अनुसार 60 लाख से एक करोड़ तक थी। इन वालों के अतिरिक्त प्रशासनीय एवं संविधानीय महत्व के किंतु ही परिवर्तन हुए, जिन्हें द्विकरण की नीति का विळास हुआ, सन् 1911 में भारतीय उच्च न्यायालय एकट बना, सन् 1912 में भारतीय शासन एकट बना, लोकसेवा ग्रामीण की नियुक्ति हुई और उमकी रिपोर्ट गामने आयी। माण्डेग्रू और विटिश शिष्ट-मण्डल के अन्य सदस्य भारत आये, सन् 1918 में भारत के वैधानिक गुप्तारों पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई और सन् 1915, 1916 तथा 1919 में भारतीय शासन एकट बनाये गये।<sup>1</sup>

शनि, शनि, 1919 के अधिनियम की गृष्ठ-भूमि बनती गई। 1909 का अधिनियम भारतीयों को सन्तुष्ट न कर सका। विटिश सरकार ग्रामीण दमनकारी नीति में जरा भी परिवर्तन नहीं कर रही थी। टर्ने का गमर्थन न करने और बंगाल-विभाजन इड़ करने से मुस्लिम भी विटिश चिरोंही हो गये। महायुद्ध में भारतीयों ने गतिय सहयोग दिया उमका भी यशोंजों हर प्रभाव पड़ा। महायुद्ध जूँ कि लोकतन के लिए लड़ा जा रहा था इसमें राष्ट्रीय आन्दोलन मशक्त हुआ। मुस्लिम सीम व काश्मीर में भी आपसी सहयोग की भावना का उदय हुआ। कार्पोर के नमं तथा गमं दन में भेज हो गया। लिलक तगा श्रीमनी एवीबीमेन्ट द्वारा चलाया गया होमर्लन आदोलन भी 1919 के अधिनियम को पारित करने में सहायक रहा। माण्डेग्रू ने भी भारतीयों को शासनाधिकार देने पर जोर दिया। उन्होंने भारत-मन्त्रिय बनते ही ग्रामीण महत्वपूर्ण घोषणा की।

**माण्डेग्रू घोषणा-विशेषताएँ**—20 अगस्त, 1917 को की गई माण्डेग्रू घोषणा में मुख्य विचार या—भारतीयों को शनि, शनि; प्रशासन के हरेक भाग में अधिकाधिक सत्या में शामिल किया जायेगा, विटिश राज्याज्य के एक भाग के रूप में भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जायेगी। इसके लिए स्वप्रशासनिक मस्थानों को अमिक रूप से विकसित किया जायेगा। इसके लिए उठायें जाने वाले कदमों के समय का निर्णय विटिश सरकार करेगी।

इस घोषणा के तीन बास बाद माण्डेग्रू मिशन भारत आया। तदोपरान्त विचार-विमर्श के बाद वायसराय चेसफोर्ड के साथ माण्डेग्रू ने योजना प्रस्तुत की कि—जनता का नियन्त्रण स्थानीय संस्थाओं पर हो। प्रान्तों में द्वैध शासन की स्थापना हो, भारत-सचिव का नियन्त्रण भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारों पर कम हो, और सरकार को विना उत्तरदायित्व दिये अधिकाधिक प्रभावित करने की सुविधाएँ प्रदान की जायें। 1919 के अधिनियम का आधार ये गुभाव ही थे।

माण्डेग्रू घोषणा भारतीय इतिहास अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विटिश सरकार अब अधिक दिनों तक प्रयत्ने वायदों से नहीं मुकर सकती थी। यद्यपि माण्डेग्रू घोषणा भी अस्पष्ट थी। इसमें यह नहीं बताया गया कि भारत में किम

मार्क्स भारत ने समय में उत्तरदायी शासन को स्थापना होगी किन्तु फिर भी यह मारतीयों की राष्ट्रीय एकता को सुरक्षा करने में सहायक हुई।

प्रश्न 5—1919 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ क्या थीं ? इसका विस्तृत विवेचन कीजिये।

#### अथवा

भारत के राजनीतिक इतिहास में 1919 का अधिनियम अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्या आप कथन से सहमत हैं ?

#### अथवा

1919 के अधिनियम द्वारा वहाँ तक भारत में ब्रिटिश सरकार ने उत्तरदायी शासन की स्थापना की ?

उत्तर—मूल्मिका —9 फरवरी भन्न 1932 का लाइं लेम्सफोर्ड में 1919 के एकट के विषय में कहा था, “इतिहास अभिक विकास की एक धारा है। प्रकृति के समान मानव के कार्यों का भी मूल उदाहरण नहीं है, किन्तु उसके स्वरूप को ही परिवर्तित कर देने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन उनमें होते हैं और यह उन्हीं में से एक है। यह अधिनियम 20 अगस्त 1917 को की गई इस पोपला पर प्रार्थारित था कि “ब्रिटिश सरकार की नीति जिससे भारत सरकार पूर्ण रूप से सहमत है, मह है कि भारतवासियों को शासन के प्रत्येक विभाग में अधिक में अधिक भाग दिया जाय जिससे भारत में धीरे-धीरे एक उत्तरदायी शासन की नीति रखी जा सके और वह ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर रहकर स्वतंत्र रूप से काम कर सके।” इस प्रकार ये ग्रेजों का कहना था कि यह ‘भारत सरकार को उत्तम तथा श्रेष्ठ बनाने और वहाँ की जनता को अधिक सहुष्ट करने के लिए’ पास किए गए हैं।

कारण—किन्तु माझाज्ञवाद कभी उदार नहीं हो सकता, कभी उपहार नहीं दे सकता कभी दानशील नहीं हो सकता। यह परिवर्तन कुछ अंश में मालेंमिन्टो मुद्धार की प्रतिक्रिया स्वरूप, कुछ अंश में प्रथम महायुद्ध के कारण स्वरूप तथा मुख्यतः भारतवासियों के राष्ट्रीय मानदोनन और उसके बलिदान के कलस्वरूप ही दिए गए थे। पर कारण चाहे कुछ भी रहे हो, वास्तव में 1919 के एकट द्वारा कूपलेण्ट के खबरों में, “सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों प्रकार से आति का सा प्रभाव हुआ। संवितत शासन (Parliamentary Government) के परिवर्तन को ही अस्वीकार कर दिया गया।” इस अधिनियम में कुछ विशेषताएँ विशेष रूप से परिलक्षित हुई, जो निम्नलिखित थीं—

1. दूध शासन—ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य धीरे-धीरे अभिक विकास के अधार पर उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। इसकी प्राप्ति के लिए क्या कार्य किए जाय, इसे किस प्रकार आमे बढ़ाया जाय यह निश्चय करना एक जटिल समस्या हो गई थी। इस समस्या का हल द्वाध शासन में मिला। शासन के द्वेष को

विभाजित करना उचित समझा गया। इस राजनेतिक दैत्यता की व्यावहारिक आधार यह अनुमान था कि यदि भारतवासी एक प्रान्त के समरत कार्यों को नहीं संभाल सकते थे तो कुछ को तो सभाल सकते हैं। और इस प्रकार अनुभव प्राप्त करके भविष्य में अधिक कार्य सभालने योग्य हो सकेंगे। इसलिए इस एकट के अनुसार प्रत्येक प्रान्त की व्यवस्थापिका सभा में से कुछ मन्त्री चुने गए और कुछ विशेष विषयों का भार उनके हाथों में सौंप दिया गया। यह मन्त्री अपने प्रान्त की व्यवस्थापिका सभा के बहुमत के प्रति उत्तरदायी थे। इन विषयों के सम्बन्ध में यह निश्चित कर दिया गया कि गवर्नर सन्नियों की सम्पत्ति से ही कार्य करेगा। शेष अन्य विषय गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी समिति के लिए मुरक्खित रखे गए। इम समिति (Executive Council) के सदस्य अब भी मण्डागी ही होते थे जो व्यवस्थापिका सभा के माथ अपनी नीति पर विचार-विमर्श करते हुए भी पहुँचे के मामान भारत-सचिव के प्रति उत्तरदायी थे। दूर्ध शामन 1919 के एकट की मुराय परन्तु माथ ही अपूर्व एक विलक्षण विशेषता थी।

2. उत्तरदायी निरंकुश शामन—इसमें प्रान्तों में मुरक्खित विषयों के सम्बन्ध में फिर भी निरंकुश शामन स्थिर रहा। हमतांतरित विषयों के सम्बन्ध में अब यही आंशिक हप में उत्तरदायी शामन स्थापित हुआ। परन्तु प्रान्तीय मुरक्खित शेष में अब भी गवर्नर ही सबैसर्वा रहा उसके अधिकार इसमें विस्तृत थे कि यदि यह नाहता तो हस्तांतरित शेष पर भी अपना पूर्ण प्रभाव ढाल सकता था। अपने मुरक्खित शेष के सम्बन्ध में वह बेवल पानियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी था।

केन्द्रीय वायों के गवर्नर में यह यात और गच थी। गंयुक्त रिपोर्ट के लेखकों ने अपना यह यह मत दिया था कि प्रान्तों में उत्तरदायी मरकार के अतिरिक्त केन्द्र में अब भी निरंकुश शामन ही रहना चाहिये। मैदानिक हप में भारत मरकार बेवल पानियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी रहे। परन्तु व्यावहारिक हप में प्रतिनिधात्वक सभा के साथ मण्डार यनाए रखकर भारतीय जन-सम्पत्ति के प्रति यह उत्तरदायी रहे, इसलिए मैदानिक हप में केन्द्र में निरंकुश शामन वा ही प्रभाव पड़ा। इस प्रकार यह संभव था कि माझाज्य जाही के हित के लिए प्रतिनिधात्वक गभा के प्रति उत्तरदायी रहने का, शब्दाङ्कनर में परिपूर्ण पाश्वागत वदाचिरू मगाल हो जाए।

3. निश्चित एवं अनल स्वभाव—मन् 1919 के एकट द्वारा जो भारतीय विधान प्रस्तावित किया गया था वह मुक्त रूप में निश्चित और प्रभावित था उसारा आपार विटिश पानियामेन्ट द्वारा प्रस्तावित किया दृष्टा एक प्रमाण था।

इस एकट की एक विशेषता थी इसका बठोर (rigid) रूप। ये कि यह जोन सेरियट ने कहा है, “धर्म विधान यह है तो बेवल एक विशेष, अनिवार्य एवं व्यवस्थित कार्य-प्रणाली द्वारा, जो माधारणा वालून निर्माण की कार्य-प्रणाली से भिन्न हो, परिवर्तित ये मनोधिन किया जा सके।” भारतीय विधान की दृष्टा इसी

तत्व में अन्त-निहित थी कि कुछ विषयों के अतिरिक्त, भारतीय ध्यवस्थापिका सभा तथा प्रान्तीय ध्यवस्थापिका सभाएँ इसमें किसी प्रकार का वैधानिक परिवर्तन नहीं कर सकती थीं, केवल डिटिश पालियामेन्ट के एकट द्वारा ही इस एकट का खण्डन किया जा सकता था।

**4 भारतीय ध्यवस्थापिका-सभा का सत्ताहीन स्वरूप :**—इस एकट द्वारा जिन भारतीय ध्यवस्थापिका-सभाओं का निर्माण किया गया था वे प्रोफेशर डायरी के शब्दों में, “कानून निर्माण करने वाली सत्तारहित मंस्थाएँ” थीं। उनकी शक्ति और उनके अधिकार का नोत गवर्नरमेन्ट थोक इंडिया एकट या जो देश का गवर्नरच्च एवं मर्वर्योष्ठ नियम था। भारतीय ध्यवस्थापिका-सभाओं के नियम तथा कानून उनी ममत तक वैध माने जा सकते थे जब सर्वोच्च नियम से उनका हिस्सी प्रकार का विरोध नहीं होता था। नवीन एकट की यह एक अन्य विशेषता थी।

**5 एकात्मक स्वरूप :**—इसके अतिरिक्त विधान संघात्मक न होकर अभी तक एकात्मक था। “सत्र का तात्पर्य” जैसा कि प्रोफेशर डायरी ने लिखा है, “राजप की शक्ति का कुछ समान इकाइयों के वितरण, जिनका मूल विधान ही और जिन पर विधान का ही नियन्त्रण हो।” भारतवर्ष के वैधानिक नाम के लिए यह परिभाषा अभी उपयुक्त नहीं थी। छिवडजरलेण्ड और स राज्य ग्रमरीका के समान यहाँ को ट्रायाइप और प्रान्तीय ध्यवस्थापिका-सभाएँ स्वतंत्र और समान स्थिति की नहीं थी। इसके विपरीत वे केन्द्र के अधीन थे। गवर्नर जनरल जिनमें शासन तथा ध्यवस्थापन क्षेत्र के गम्भीर अधिकार अन्तर्निहित थे, उनके लिए भी मर्वर्योष्ठ था। एकात्मकता का ग्रन्थ यही है कि शासन ममत्वात्री अधिकार केन्द्रीय जिला में निर्निहित रहे।

**6. द्विपालिक ध्यवस्था :**—जिस ममत इस एकट का जन्म हुआ था उस समय भारतवर्ष में तीन प्रकार के व्यवित थे जिन्हें संतुष्ट करना था। प्रथम प्रकार के व्यवित वे थे जो अपने देश वा शासन तथा देश के भाग्य-निर्णाय में भारतीयों का अधिक प्रभुत्व चाहने थे। द्वितीय प्रकार के व्यवित कुछ विशेष प्रकार के हिस्सों के प्रतिनिधि थे तथा तृतीय प्रकार के लोग थे जो भारतीय राजनीतिक सम्पाद्यों को अधिक उदार स्वरूप देने के लिए शीघ्रता करते थे गंकट का अनुभव करते थे। 1919 के एकट इस इन तीनों प्रकार के बीचों को, जिनके हाटिकोण और विचारों में योग्यता प्रत्यक्ष था, संतुष्ट करने की जिल्डा की गई। इन्हिएं स्वभावतः ही यह एकट प्रयत्नि तथा बाधा में एक प्रकार का गद्य है था। तत्कालीन जागृत राष्ट्रीय भावना को तथा उन पश्चात्-पूर्ण ध्यवितयों को जो सिद्धान्त में कहीं अधिक प्रभुत्व को स्थान देते थे और इन्हिए निर्मी भी नवीन तथा न परमी हुई वस्तुओं को स्वीकार करते के पक्ष में न थी, इस एकट द्वारा जांत करने की जिल्डा की गई थी। और ‘इन्हा परिणाम था’ जैसा कि देवेन्द्रनाथ घटर्जी ने कहा है, “निरंकुश शासन और और लोकप्रिय शासन के मध्य द्विपालिक ध्यवस्था का जन्म।”

**7. सामाजिक लचीला :**—इस एकट की अंतिम दो महत्वपूर्ण विशेषताएँ थीं—इसका सामाजिक स्वरूप और लचीलापन। इस एकट द्वारा प्रस्तावित शासन प्रणाली भारतवर्ष के वैधानिक नाटक की कथा को अंतिम घटना न थी। भविष्य में आने वाले उत्तराधिकारी एकट के पूर्व का यह बेवल एक हृष्यमाला था जो निसंदेह अत्यधिक महत्वपूर्ण था। नौकरशाही से उत्तरदायी सरकार की ओर अप्रसर होने वाले इस मुग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही इस एकट का निर्माण किया गया था, वयोंकि भारतवर्ष में ये श्रेणी की नीति का लक्ष्य अब उत्तरदायी सरकार ही था। जैसा कि भारतीय ने कहा था, “1919 के सुधार भारत को एक स्थाई विधान नहीं देते हैं। ये सुधार अस्थाई हैं। ये सुधार विटिंग पालियामैण्ट द्वारा संचालित सरकार तथा भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलने वाली सरकार के बीच में एक पुल है।”

**भारतीयोजना :**—इस एकट द्वारा यह निश्चय किया गया कि भविष्य में लिए जाने वाले सुधारों के लिए दम बर्प बाद फिर एक समिति कानूनी व्यवस्था द्वारा स्थापित की जायेगी। उस समिति की रिपोर्ट का आधार भारत की वह योग्यता और कार्य-कुशलता होगी जिसका प्रमाण वे मन् 1919 के एकट के ग्रन्तुमार गोंदे गए उत्तर-दावित्य के सम्बन्ध में देंगे। आगे कार्य में भारतीय जितने अधिक योग्य और कुशल गिर्द हीमे उत्तने ही अधिक अधिकार कार्य और उतना अधिक उत्तरदावित्य उन्हे सौंजा जायेगा। इस नवीन सूधार से अमतुरा भारतीयों के लिए इस एकट का यह सामाजिक स्वरूप ही धैर्य का आश्रय था। उनकी आशा कुछ समझ के लिए दब सी गई, परन्तु वह नष्ट न हुई। विधान की इसी धारा में हमें भानी साइमन कमीशन के चिह्न भी अन्तिनिहित मिलते हैं। जहाँ तक विधान के नवीलेगन का प्रश्न है आवश्यकता पड़ने पर गवर्नर्सेण्ट योंग टटिया एकट के ग्रन्तर्गत बने हुए नियमों द्वारा विधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा सकते थे, इसके लिए पालियामैण्ट के किसी भी प्रस्ताव की आवश्यकता न थी। इस एकट में वैधानिक परिवर्तनों को मुख्य विशेषताओं को उद्भूत कर दिया गया था, जिन्हें नियमों द्वारा व्यावहारिक तथा विस्तृत हप प्रदान किया जा सकता था।

**प्रश्न 6—“1919 के भारत सरकार अधिनियम में निहित है व शासन व्यवस्था यिद्वान्तः सोल्लो व रूपव्याहार में न घलने योग्य थी।” ध्यात्या को जिए।**

उत्तर—

है व शासन

**मूलिका—**के. बी. पुतियाह के ग्रन्तुमार “है व शासन प्रणाली एक अनोखा प्रयोग था। इसका मुख्य प्रयोजन व उद्देश्य भारतीयों को उत्तरदायी शासन की कला में प्रशिद्धगण देना था। निसंदेह इसके निर्माता इस प्रणाली के दोषों और कमियों से परिचित थे परन्तु वे सोचते थे कि तत्कालीन परिस्थितियों में उसमें प्रधिग्रन्थ द्वारा कोई अत्यधिकल्प (चारा) न था।”

लिनु 1919 के दूसरा द्वारा प्रस्तावित द्वंध-शासन प्रणाली संदर्भित, जिसमें एवं ध्यावहारिक रूप में इतने विषयक दोषों में पूर्ण थी कि सभी ने एक स्वर से इन प्रणाली की निरापत्ति की। अर्ल ऑफ विनियम हैड ने साड़े शाम में द्वंध शासन के संबंध में कहा था : “द्वंध शासन के सिद्धांत के प्रति मैं स्वयं सदृश बहुत मंत्रित था। मुझे तो यह एक प्रकार के पाठिय का मिथ्या प्रदर्शन करने याचा एवं मतिरोधक विषय का आम्बाद मा प्रतीत होता है।”

लॉर्ड विनियम हैड का समर्थन साड़े वर्जन ने इन घटों में किया कि “मुझे द्वंध शासन में पूर्णा है।” विनियम मंत्रिम या भत या कि “द्वंध शासन स्पष्ट रूप में एक दुर्बोध, अगाध एवं जटिल प्रणाली है, जिसका कोई तार्किक आधार नहीं है, जिसका उद्गम प्रनुष्ठिता या समझीता ही है, प्रोर जो परिवर्तन घथया प्रवस्थान के एक उपकरण मात्र ही रक्खणीय है।”

लक्ष्य—भारतवर्ष में द्वंध शासन धार्मिक दान-प्रणाली का परिणाम था—  
अर्थात् शनैः-शनैः उत्तरदायी सरकार प्रदान करने की प्रणाली ही, जिसका आधार 20 अगस्त सन् 1917 की साम्राट की घोषणा थी, इसका उद्गम था।

इस प्रकार कुछ सुध्य विषयों के संबंध में उत्तरदायित्व प्रदान करना, तथा हस्तांतरित क्षेत्र के शासन के गच्छन और नियंत्रण वा अविकार व्यवस्थापिका सभा को देना ही द्वंध शासन का उद्देश्य था। इस सुधार के पूर्व समस्त शासन के तिए गवर्नर और उसकी समिति गवर्नर जनरल और उसकी समिति के प्रति प्रत्यक्ष रूप से और उसके द्वारा विटिश पालियामेंट के प्रति उत्तरदायी थे। “यदि प्रान्तों का ऊपर के नियंत्रण ने निम्नार करना था,” जैसा कि किरल पुत्र ने कहा है, “तो वह भी समझ या जब ऊपर नीचे से नियंत्रण रखा जाए।” कार्य-कारिणी द्वारा नियंत्रण का विकल्प अथवा अधातर जनमत द्वारा नियंत्रण ही है।” इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हस्तांतरित क्षेत्र का नियंत्रण व्यवस्थापिका सभा को सौप दिया गया, और हस्तांतरित विषयों का शासन निर्वाचित सदस्यों अथवा मन्त्रियों को सौप दिया गया।

प्रांतीय विभागों का विभाजन सुरक्षित विभागों और हस्तांतरित विभागों के रूप में कर दिया गया था। सुरक्षित विभागों के शासन का संचालन गवर्नर अपनी कार्य-कारिणी समिति की सहायता से करता था, और इसका निरीक्षण व नियंत्रण गवर्नर जनरल तथा भारत-सचिव करते थे। हस्तांतरित विषयों का शासन-प्रबन्ध गवर्नर अपने मन्त्रियों की सहायता से करता था, और उसके लिए वे प्रात की निर्वाचित व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी थे। आय, कानून का अर्थ विभाग जो महत्व-पूर्ण थे वे सुरक्षित विषय रखे गए।

इस प्रकार दो ऐसे पदाधिकारियों द्वारा, जिनके स्वरूप और उत्तरदायित्व में ही विभिन्नता हो, द्विविध-शासन की इस नवीन प्रणाली का नाम ही द्वंध शासन

है। श्री. यो. के ठाकुर ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, “शासन की यह नवीन प्रणाली द्वैघ शासन की प्रणाली है जिसका अर्थ है दो शासक अथवा दो सत्ताधारियों के अन्तर्गत शासन का संचालन। इम स्थान पर ये सत्ताधारी हैं। ब्रिटिश जनता और प्रान्तीय जन और इस शक्ति का यही मूल अर्थ भी है, परन्तु, क्योंकि शासक का अर्थ उस व्यक्ति अथवा समिति से भी हो सकता है जो उच्चतम शासनाधिकारी के निमित्त वास्तविक रूप से कार्यकारिणी के अधिकार का प्रयोग कर रही हो, इसलिए द्वैघ शासन इस प्रणाली की ओर भी संकेत करता है जिसमें—

(अ) गवर्नर और उसकी समिति।

(ब) गवर्नर और मंत्रिगण दोनों समानान्तर रूप से शासन करते हैं।

प्रथम का अधिकार गुरक्षित विषयों और कार्यों से सम्बन्धित है, और द्वितीय का सम्बन्ध हस्तान्तरित विषयों और कार्यों से है, और जिसमें प्रथम उस समय तक प्रधान है जब तक कि द्वितीय स्वर्य को विकसित कर उस पर छा जाए।”

द्वैघ शासन का यह रूप तीनों ही हृषियों से दोषपूरण था जो निम्न हैं—

(1) संदान्तिक हृषि से।

(2) निर्माण की विधि या योजना की दृष्टि से।

(3) व्यावहारिक दृष्टि से।

1. संदान्तिक हृषिकोण—द्वैघ शासन का मूलाधार ही दोषपूरण है। द्वैघ शासन के अन्तर्गत जिस सिद्धान्त की कल्पना की गई है वह कदाचित् यही है कि विचार मात्र से ही एक सरकार का विभाजन सभव है और यह भी सभव है कि इस प्रकार से विभाजित प्रत्येक भाग अथवा भागों के समूह को पृथक् रूप से एक से अधिक वार्यकारिणी इकाइयों के नियन्त्रण में रख दिया जाए, जो पृथक् रूप से विभिन्न अंगों के प्रति उत्तरदायी हो। सचिन्द्र सिन्हा ने उचित ही कहा है कि, “उन राष्ट्रों के राजनीतिक अनुभव द्वारा जिसमें लोकप्रिय अथवा उत्तरदायी सरकार की स्थापना है अथवा इतिहास द्वारा इस प्रकार की घारणा अथवा कल्पना को प्रभावित स्वीकार नहीं किया गया है।”

वास्तविकता तो यही है कि एक सरकार का, चाहे वह निरंकुश हो अथवा उत्तरदायी, अस्तित्व अथवा उसकी सत्ता मानव-शरीर के अवयवों के समान एक अथवा समग्र होनी चाहिए। शासन-विभागों का स्वरूप ही ऐसा है कि मानव-शरीर के अवयवों के समान वे भी अन्योन्याधित होते हैं। ये उसी समय तक योग्यतापूर्वक कार्य कर सकते हैं जबकि विभिन्न विभागों में एक दूसरे को सहायता करने की प्रवृत्ति अथवा सहयोग की प्रवृत्ति हो। इस प्रकार परस्पर वे एक अविभाजित संस्था का रूप धारण कर लेते हैं। उनके भाग करके उन्हें विभिन्न प्रतिनिधियों के नियन्त्रण में उस समय तक नहीं रखा जा सकता। जब तक कि शासन की कार्य-प्रणाली की है। कार्य के अयोग्य करना ही लक्ष्य न हो। सर रेजी थांड थॉडक ने इस सत्य का प्रतिपादन

निम्नलिखित शब्दों में किया था, "द्वैष शासन एक प्रकार की बर्णसंकर (Hybrid) व्यवस्था है जो कभी स्थाई नहीं रहे। राजती, क्योंकि किसी देश भव्यता प्रौढ़ के शासन का संचालन दो पृथक् अधिकार स्वतंत्र मन्त्रिमंडलों द्वारा गठिता पूर्वक नहीं किया जा सकता।"

2. निर्माण की विषय या योजना की दृष्टि से—संघान्तिक दृष्टिकोण से दोपूर्ण होते के शाय साध, द्वैष शासन का निर्माण भी दुष्ट बुद्धि और अपकार की से किया गया था। इसके निर्माण के कुछ दोष निम्न थे—

(1) हस्तांतरित विषयों का दोपूर्ण बर्णकरण—गुरक्षित और हस्तांतरित विषयों का विभाजन शासन की व्यानहारिक दृष्टि से निरकृत, राजनीतिज्ञता के असहज था। द्वैष शासन का निर्माण इस रूप में हुआ था। कि मन्त्रिगण, जिनके हाथों में हस्तांतरित विषयों का शासन-प्रयत्न था, कभी भी एक विभाग के पूर्ण अधिकार न हो सके। हस्तांतरित विभागों को उनके स्वर्य के ही क्षेत्रों में भी स्वरज्य नहीं था। भद्रास के एक मंत्री सार के० यो० रेहो ने इस रम्य वैधानिक व्यवस्था का बर्णन इस प्रकार किया था—

"मैं बन रहित उन्नति व प्रगति का मित्र हूँ, और आप यह जानते ही हैं कि प्रगति एव उन्नति अधिकार स्वप से बनों पर ही ग्राहारित है। मैं व्यवसाय और व्यापार का मंत्री हूँ परन्तु फैक्टरी पर मेरा कोई नियन्त्रण नहीं क्योंकि वह एक गुरक्षित विषय है और विना फैक्टरी के व्यवसाय और व्यापार की कल्पना ही व्यर्थ है। मैं कृपि मन्त्री हूँ परन्तु सिंचाई पर मेरा नियन्त्रण नहीं। आप समझ सकते हैं कि इसका सात्पर्य क्या है—मैं व्यवसाय और व्यापार का मंत्री हूँ, परन्तु विचुत शक्ति पर भी मेरा अधिकार नहीं।" जो कॉलेज और स्कूल भारतीय राजाधों और नवायों के बच्चों के लिए खोले गए थे या यूरोपियन, एलो-इंडियन, सैनिक अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए खोले गए थे, उन पर शिक्षा-मंत्री का कोई नियन्त्रण न था और वे रक्षित विषयों में रख दिए गए थे।

इस प्रकार 1919 के एक द्वारा प्रस्तावित द्वैष शासन के अन्तर्गत भी एक अन्य द्वैष शासन की व्यवस्था की गई थी और परिणामस्वरूप शासन रूपी देह के अस्थिपञ्जरों में इस अन्वाभाविक एवं अवास्तविक विभाजन के कारण इन्होंने सधर्य हुया कि इस देह पर आधात कर उन्होंने शासन के समस्त स्वरूप को ही नष्ट कर दिया।

(2) हस्तांतरित क्षेत्र का हीन एवं अनुत्तम स्वरूप—इससे भी अधिक दुर्भाग्य को बात यह थी कि द्वैषशासन के अन्तर्गत हस्तांतरित क्षेत्र को निम्न थेणों की तुच्छ दण तक पहुँचा दिया गया था क्योंकि—

1. गवर्नर और कार्यकारिणी समिति के समान मन्त्रिगण सभ्राट के कर्मचारी नहीं जाते थे, जो अपनी उदार एवं अद्वितीय कार्यहीनता के लिए प्रसिद्ध हैं। इन

मन्त्रियों की नियुक्ति गवर्नर करता था, जिसे संयुक्त प्रबर समिति ने भी अशक्त और नवजन्मित लोक-प्रिय सरकार की योजना में अध्यक्ष पद पर रहने का आदेश दिया था। इस प्रकार वे एक ऐसे ध्यक्ति के अधीन थे जो स्वयं किसी अन्य शक्ति के अधीन था।

2. कार्यकारिणी समिति में अपने सहयोगियों की तुलना में मन्त्रिगण अन्य विद्यों में भी हीन समझ जाते थे। समिति के सदस्यों को मन्त्रियों की अपेक्षा सदैव ही प्राथमिकता प्राप्त होती थी। “इस प्रकार कार्यकारिणी का नवीनतम सदस्य भी अनुभवी मंत्री से अधिक योग समझा जाता था”—सचिन्द्र सिंहा।

3. उप-सभापति का पद कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के लिए कानून द्वारा यह निश्चित कर दिया गया था कि उप-सभापति के पद पर गवर्नर मन्त्रियों को नियुक्त नहीं कर सकता था। इस प्रकार गवर्नर का पद पर आसीन नहीं हो सकते थे।

4. इसी प्रकार मन्त्रिगण में से कोई भी अर्थविभाग का अध्यक्ष नहीं हो सकता था। “इन वापायों तथा प्रतिवन्धों ने मन्त्रिमण्डल को, भारतवर्ष की आम जनता की सम्मति में, प्रान्तीय सरकार के निम्न भाग के रूप में रखा। इस प्रकार भारतवर्ष में दृष्ट शासन राष्ट्रीय भावनाओं की तुच्छ पूर्ति न होकर भारतीय राष्ट्रीयता की स्थिरता के लिए एक उत्तोती के समान था।”

(स) सुरक्षित क्षेत्र का विलक्षण स्वरूप—एक द्वारा यह निश्चित कर दिया गया था कि गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी समिति का कार्य या अपने अधिकार के विभागों का शासन-प्रबन्ध करना, कानून बनाना और व्यवस्थापिका सभा में बजट उपस्थित करना। इस प्रकार के कार्य करते समय उन्हें बहुमत पर आधित न रहकर सदैव ही निवाचित सदस्यों के सद्व्यवहार पर आधित रहना पड़ता था, जो वास्तविक कार्य-व्यवहार में विरोधी दल का स्वरूप धारण कर सकते थे। जहाँ तक हस्तांतरित क्षेत्र से सम्बन्धित शासन-प्रबन्ध और कानून निर्माण का प्रश्न था, यह सिद्धान्त स्पष्ट हूँ तो ही हृढ़ था। मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापिका सभा में से ही नियमित किया जाता था, इसलिए भवन में उन्हे अपने हल से यथेष्ट राहपाता प्राप्त हो सकती थी। परन्तु उसके प्रति उत्तरदायी ही थे। इसलिए वे गवर्नर द्वारा नियुक्त किये गये सदस्यों के अतिरिक्त अन्य किसी दल पर अवलम्बित नहीं करते के लिए जब तक गैर सरकारी उसकी समिति से कार्य और नीति का समर्थन करते हो, किसी कार्य का होना असम्भव सदस्यों की अधिकांश सत्या का बहुमत प्राप्त न हो, किसी कार्य का होना असम्भव सा ही था। इसलिए जैसा कि थी सिंहा का कथन है, “विधान में इस प्रकार के भयंकर दोष होने के कारण, गवर्नर और उसकी समिति को स्वभावतः ही ऐसे उपायों का आवश्य लेना पड़ता था जिनसे वह गैर सरकारी सदस्यों के मत प्राप्त कर सके,

जो आलोचना के योग्य होते थे और जिनका दूषित प्रभाव सुरक्षित देश में सरकार तथा उनकी सहायता करने के अभ्यासी और गैर सरकारी सदस्यों—दोनों पर ही पड़ता है।

इस प्रकार गैर सरकारी सदस्यों को चतुराई से अपने पक्ष में किया जाता था और उनकी नीतिकता पर प्रलोभन द्वारा विजय पाई जानी थी। संघेप में वैधशासन का निर्माण ही इस प्रकार किया गया था कि भविष्य में वह पतन के गतं की ओर आमुख होता चला जाये।

(द) गवर्नर का स्थान—केवल इतना ही नहीं, दैर्घ शासन के निर्माण को एक अति उच्च स्थान प्रदान किया गया है जिसका स्वरूप बड़ा ही विचित्र था। उसका स्वरूप केवल एक वैधानिक अध्यक्ष का स्वरूप नहीं था। उसे अनेक निरकुश अधिकार प्राप्त थे जिनका प्रयोग भी वह करता था। वस्तुतः प्रान्तीय शासन का केन्द्र विन्दु वही था। उस प्रकार की प्रभुत्वपूर्ण स्थिति के होते हुए भी प्रत्येक प्रकार से अत्यधिक रूप में उसकी रक्षा का प्रबन्ध किया गया था। एकट द्वारा यह निश्चित कर दिया गया था कि व्यवस्थापिका सभा में कोई भी सदस्य उसकी आलोचना नहीं कर सकता था। सरकारी रूप से भवत में उसके नाम की ओर भी संकेत नहीं किया जा सकता था। यह सब उचित ही होता यदि वह केवल वैधानिक अध्यक्ष ही होता और केवल अपने मन्त्रियों की इच्छानुसार ही कार्य करता। परन्तु भारतवर्ष में इस विचारधारा को स्थान प्रदान नहीं किया था, यहीं तो गवर्नर को उत्तरदायी मन्त्रियों के अध्यक्ष के रूप में निरकुश कार्य करने का अधिकार था। सारांश यह है कि उत्तरदायी सरकार की दैर्घ शासन-प्रणाली में गवर्नर अनुत्तरदायित्व का अवतरण ही था।

3 व्यावहारिक हृष्टिकोण से—दैर्घ शासन की व्यवस्था केवल सिद्धान्त और निर्माण के कारण ही असफल नहीं हुई वरन् उसका व्यावहारिक रूप भी दोष-पूर्ण था—

(अ) संयुक्त उत्तरदायित्व की अनुपस्थिति—संयुक्त उत्तरदायित्व प्रत्येक उत्तरदायी सरकार का स्वीकृत एवं महत्वपूर्ण तत्व है। परन्तु मन् 1929 के एकट के अन्तर्गत गवर्नरों ने इस सिद्धान्त का प्रयोग नहीं किया। किसी भी प्रान्त में इस सिद्धान्त को ग्रहण नहीं किया गया। यह सत्य है कि एकट में संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का निम्न प्रकार से प्रतिपादन किया था “हस्तान्तरित विषयों के सम्बन्ध में गवर्नर अपने मन्त्रियों की सम्मति से कार्य करेगा,” जब तक कि उनसे मतभेद होने के यथेष्ट कारण न हो। ‘मन्त्रियो’ शब्द का स्पष्ट संकेत संयुक्त उत्तरदायित्व की ही ओर है। परन्तु एकट की एक अन्य धारा को व्यावहारिक रूप प्रदान कर इस महत्व-पूर्ण धारा को एक प्रकार से समाप्त सा कर दिया गया था। कार्यकारिणी ममिति और .<sup>1</sup> मन्त्रि-मण्डल की कार्यप्रणाली के सुगम सचालन हेतु नियम बनाने तथा

भादेश देने का प्रधिकार केवल गवर्नर को ही था। इस प्रकार बनाए गए नियमों के अन्तर्गत समुत्तर उत्तरदायित्व को मूल रूप में नष्ट कर दिया गया। नियम इस प्रकार के बनाए गए कि गवर्नर के लिए यह सम्भव हो सके कि वह प्रत्येक मन्त्री से पृथक रूप में विज्ञास के ग्रोर घण्टे व्यक्तित्व के प्रभाव से उसे भुग्ता सके। संयुक्त उत्तर-दायित्व रहना मन्त्रिमण्डल को मन्त्रिमण्डल कहना ही उस शब्द को नियंत्रक बनाना है, दोनों तरफ को टटिंगत रूपते हुए सर मन्त्री द्वारा ने उचित ही कहा था कि दोनों शासन की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रजातन्त्र का प्रत्येक भाव एवं सम्भावना होते हुए भी वह आत्मा रहित शरीर के समान ही था।

(v) गवर्नर की प्रधिकार अपहरण की नीति—व्यावहारिक रूप में गवर्नर का इसने प्रधिकार प्राप्त हो गये, जितने इस गुदार के पूर्व करायित कभी नहीं थे। किरल पुर के निम्न विस्तेयण ने यह भग्नी प्रकार स्पष्ट हो जाएगा—

(i) कांग-मण्डादन की सुगमता के लिए गवर्नर को नियम बनाने तथा आदेश देने का प्रधिकार था। गवर्नर इन नियमों का निर्माण इस प्रकार से करते थे कि प्रधिक से प्रधिक प्रधिकार एवं शासन की सत्ता उनके हाथों में केन्द्रित हो जाये।

(ii) इसके प्रतिरिक्त गवर्नर मन्त्रियों से व्यक्तिगत रूप से सम्मति को करते थे। इस प्रकार सम्मति में मतभेद होने के बाधार पर मन्त्रियों को सम्मति को अस्वीकृत करना सम्भव हो गया, यद्यपि एकट में यह स्पष्ट कर दिया गया कि मूल एवं मौनिक मतभेद के प्रतिरिक्त गवर्नर अपने मन्त्रियों को सम्मति से ही कार्य करेगा। समुक्त-प्रदेश के प्रथम शिक्षा-मन्त्री श्री चिन्तामणि ने मुहूर्मेन कमेटी को अपने एक पत्र में लिखा था कि एक पुस्तकालय समिति की नियुक्ति में भी गवर्नर ने उन की सम्मति को अस्वीकृत कर दिया था।

(iii) इसके प्रतिरिक्त प्रातों में गवर्नरों ने यह समन्वित सिद्धान्त प्रचलित किया कि मन्त्रियों का कक्षांश के बत्ते उसे सम्मति प्रदान करना था। एकट के अन्तर्गत भारतीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा यह विचारधारा प्रचलित की गई कि नई समिति आदि की उपस्थिति का उद्देश्य गवर्नर की सम्मति के द्वेष में वृद्धि करना ही था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मन्त्रियों की सम्मति को स्वीकृत घ्रयवा अस्वीकृत करने की पूर्ण स्वतन्त्रता गवर्नर को मिल गई, वस्तुतः मद्रास सरकार के कानून सम्बन्धी सरकारी पदाधिकारी तो इस सीमा तक पहुंच गये कि व्यवस्थापिका सभा द्वारा हस्तान्तरित दोनों में कुछ नियुक्ति किये जाने पर उन्होंने इसका विरोध इस आधार पर किया कि नियुक्ति करने का उत्तरदायित्व केवल गवर्नर का ही था।

(iv) इसके प्रतिरिक्त गवर्नर को प्रदान किए गए 'आदेश-पत्र' में यह प्रतिपादित किया गया था कि "सर्वित के समस्त सदस्यों की उनके स्वीकृत कार्यों और स्वीकृत अधिकारों के उपयोग में सुरक्षा का" उत्तर-दायित्व गवर्नर का ही था। यह आदेश इसलिए प्रदान किया गया था कि संकट के समय सर्वित के सदस्यों के हित की

सुरक्षा की जा सके। किन्तु इसकी प्रशंसा व्याप्ति इस प्रकार को गई कि मंत्रियों के विभागों से संयुक्त संविधान के सदस्यों गो नियुक्ति, उनका पद दत्त्यादि मव कुद्य पूर्ण रूप से गवर्नर के नियन्त्रण में छोड़ दिया जाए। इससे गवर्नर के कार्य-क्षेत्र का और भी अधिक विस्तार हुआ।

(v) नियमों के अनुगार यह निश्चित कर दिया था कि सुरक्षित और हस्तांतरित रूप से संविधित विषयों के पारस्परिक वर्तमनस्य और भागड़ों के नियंत्रण के मर्याद में अंतिम अधिकार गवर्नर का था। यह नियम गवर्नर को और भी अधिक अधिकार प्रदान करने वाला सिद्ध हुआ। इस सुधार के पूर्व विभागों में किसी प्रकार का भागड़ा होने पर उसका नियंत्रण उस कौंसिल के बहुमत द्वारा किया जाता था, जिसमें इस प्रभाव के नियंत्रण के लिए प्रार्थना की जानी थी। परन्तु अब यह अधिकार गवर्नर को प्राप्त हो गया इससे गवर्नर की कार्य-कारिणी समिति और उसके मंत्रि-मंडल के अधिकार कम हुए और गवर्नर का अधिकार-क्षेत्र और भी व्यापक हो गया।

सन् 1919 के एकट द्वारा यह निश्चित कर दिया गया था कि हस्तांतरित क्षेत्र से संविधित विषयों के मंवध में गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी नहीं रहेगा और वह अपने इस उत्तरदायित्व का भार लोकप्रिय मंत्रियों को सौष देगा, जो निर्वाचित व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। परन्तु गवर्नर होंगे ने ऐसा नहीं किया और किसी के प्रति उत्तरदायी न रहकर स्वयं इस अधिकार का उपयोग किया। इस व्यवस्था का यही परिणाम हुआ कि सरकार के हस्तांतरित पथ की शक्ति और भी क्षीण होती गई। सारांश में किरण पुत्र का कथन है कि, “इस प्रकार प्रान्तीय स्वराज्य का अर्थ गवर्नर के अधिकारों में वृद्धि और समानान्तर रूप से व्यवस्थापिका सभा के प्रति उसके उत्तरदायित्व में कोई वृद्धि न होना ही था। गवर्नर के निरंकुश शासन के कारण 1919 के एकट द्वारा प्रदान किए गए पारिक्षक उत्तर-दायित्व की पूर्णता एक स्वप्न के समान ही रही।

(s) मंत्रिगण-व्यावहारिक रूप में कार्य-कारिणी समिति के परिशिष्ट मात्र—ज्वाइट सेलेक्ट समिति का कथन सर्वथा उचित ही था कि सुरक्षित और हस्तांतरित क्षेत्र में किसी विषय पर भी संयुक्त रूप से विचार-विमर्श होना मुक्ति-संगत था। ‘राजकीय आदेश-पत्र’ में भी गवर्नर को इस प्रकार के आदेश प्रदान किए गए थे। सोकसभा में स्वयं मोटेंगू ने कहा था।

“यह प्रत्येत अवश्यक है कि अवस्थान अथवा परिवर्तन के इस काल में इस प्रकार के अवसर अवश्य होने चाहिए जब दोनों पथ परस्पर विचार कर सकें तथा एक दूसरे को प्रभावित कर सके।”

पारस्परिक विचार-विमर्श की यह प्रणाली अधिकाश प्रान्तों में प्रचलित नहीं की गई। यदि कभी विचारों के आदान-प्रदान के अवसर आए भी तो वे केवल नाम के लिए ही थे। उदाहरण स्वरूप वंबई में पारस्परिक विचार के अवसर पर सुरक्षित

(प्र) व्यवस्थापिका सभा में उपस्थित जनता के उन प्रतिनिधियों के मत द्वारा मन्त्रि-मडल को हटाया जा सकता हो, जिनमा विश्वास प्राप्त करना उनके लिए प्रत्यायमयक है।

(प) मनियों को अपने विभागों पर पूर्ण प्रधिकार होता चाहिए जिससे उन विभागों के सबध में निर्धारित की गई नीति ये यदि किसी प्रहार की परिस्थिति का जन्म हो वे सकता के साथ उसका पथ ग्रहण कर सकें।

(स) मनियों के प्रत्येक कार्य की मालांचना करने तथा उसे स्वीकृत एवं ग्रस्ती-कृत करने के प्रवासर व्यवस्थापिका सभा को प्राप्त होने चाहिए।

उपर्युक्त तत्वों के आधार पर द्वैथ शासन की परीक्षा की जानी चाहिए—

(ग्र) भवन का निर्माण ही ऐसा किया गया था कि व्यवस्थापिका मना के प्रति मन्त्रि-मडल का उत्तरदायित्व एक पाखड़ के ल्ला में रह गया। सरकारी और नियुक्ति किए गए सदस्यों की उपस्थिति मदा ही एक दीवाल के समान थी जिससे मन्त्रि-मडल की स्थिति नाम मात्र के लिए भी महत्वपूर्ण नहीं रहती थी। यद्यपि निर्वाचित सदस्यों के कुछ मठ उन्हें प्राप्त हो जाते थे इसके प्रतिरिक्त 70 प्रतिशत निर्वाचित सदस्यों में से ग्रिकांश सदस्य विशेष हितों के प्रतिनिधि होते थे जैसे धूरोपियन चेम्बर्स ग्रांफ कॉमर्स, जमीदार आदि। इन हितों के प्रतिनिधियों के मत चाहें वे किसी नियम पर लिए जाएं सदैव ही सरकार के पथ में रहते थे जो इनके लिए जीवन-दाता के समान थे।

उस सबध में मद्रास का उदाहरण दिया जा सकता है। वहाँ के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 86 थी जिनमें हिन्दू, मुसलमान और ईसाई सभी के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इसके विपरीत सरकार का बहुमत स्पष्ट रूप से 41 था। इस प्रकार यदि कोई सदस्य निर्वाचित सदस्यों के मत 23 मत प्राप्त कर सकता तो वह मन्त्री का पद प्राप्त कर सकता था जो संदीनिक रूप से व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होता था। वास्तव में वह जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी न था अपितु वह विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले और सरकारी तथा नियुक्त किए गए गंगे सरकारी सदस्यों के प्रति उत्तरदायी था। इस कथन की पुष्टि सर चाल्स टॉड हन्टर की स्वीकृति से हो जाती है कि सरकारी और गंगे सरकारी सदस्यों को यह आदेश प्रदान किया गया था कि वे सरकार की सहायता करें।

‘उत्तरदायी मन्त्रि-मडल’ के अदृष्ट का अनुत्तरदायी पथ से समीकरण अथवा एक हपता किसी अन्य प्रकार की अपेक्षा इस बात को प्रधिक स्पष्ट कर देती है कि, जैसा कि किरल पुत्र ने कहा है, “एकट का उद्देश्य कुछ भी रहा हो, मन्त्रि-मडल व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, और वह जन सम्मति से स्वतंत्र रूप में ही अपना कार्य करता है।”

(व) द्वितीय तत्व के आधार पर परीक्षा करने से ज्ञात होता है कि मंत्री को अपने विभाग पर तनिक सा भी नियंत्रण नहीं प्राप्त था, जिसे उसे शासन प्रबन्ध

करना था। प्रत्येक प्रकार के निर्णय का अधिकार गवर्नर को था। प्रत्येक विभाग पर उसी का नियंत्रण था। मन्त्रियों को केवल सम्मति देने का अधिकार था, जिसे कभी तो नम्रता के साथ अस्वीकार किया जा सकता था और कभी उसके बिना भी। मंत्री की तुच्छ स्थिति का निर्देशन करते हुए नवाब ग्रली चौधरी ने कहा था, “इसका यह परिणाम हुआ कि यद्यपि अपने शासन-प्रबन्ध के सर्वांग में मंत्री व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी था, परन्तु लगभग समस्त विषयों के सर्वांग के अतिम निर्णय गवर्नर का ही होता था, यद्यपि कौसिल से उसका अत्यत कम सम्पर्क था।” यह तत् इसके दो भयंकर परिणाम थे—

(i) जब एक विभाग पर एक मंत्री का अधिकार न होकर, एक गवर्नर का पूर्ण प्रभुत्व था, इस समय स्वयं मंत्रि-मडलीय उत्तरदायित्व का स्वरूप ही पाखण्ड-पूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त नियमों द्वारा यह निश्चित कर दिया गया था कि गवर्नर के कार्य और उसके निर्णयों पर व्यवस्थापिका सभा किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर सकती थी।

(ii) निकट भविष्य में यह भ्रमपूर्ण वैधानिक सिद्धात प्रचलित हो गया कि मंत्रिगण कौसिल के प्रति उत्तरदायी न रहकर एक गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे। बगाल के राजा ने, जो मद्रास के प्रधानमंत्री भी थे, यह घोषित किया क्योंकि उनकी नियुक्ति गवर्नर द्वारा हुई थी, इसीलिए वह केवल उसी के लिए उत्तर-दायी थे।

इस प्रकार एकट के निर्धारित उद्देश्य को पूर्ण रूप से विकृत कर दिया गया था। मन्त्री की स्थिति भवन के एक नेता से गिरकर एक निम्न पदाधिकारी के समान ही हो गई थी। दूध शासन प्रणाली में मन्त्रिवद स्वीकार करने का अर्थ यात्तरव में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होकर उनकी सेवा न कर के सरकार के हाथों की कठपुतली मात्र बन जाना था।

(स) तीसरे तत्व के आधार पर परीक्षा करने से ज्ञात होता है कि किसी प्रात की व्यवस्थापिका प्रणाली के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था कही नहीं थी कि व्यवस्थापिका सभाओं को मन्त्रियों के कार्य को अस्वीकृत करने की सुविधा प्रदान की गई हो। आलोचना का गला घोट दिया गया था। विरोध को मूल रूप से नष्ट कर दिया गया था। अधिकांशतः अविश्वास प्रस्तावों को अवैध घोषित कर दिया जाता था, जैसा एक बार बगाल व्यवस्थापिका सभा के सभापतियों ने किया था।

इस प्रकार पाक्षिक रूप में भी उत्तरदायी सरकार, जो इस मुद्धार एकट का मुख्य लक्ष्य था, सेव में किसी भी हृष्टि से प्राप्त न की जा सकी।

दूध प्रणाली के अन्तर्गत आधिक समस्या—दूध शासन की व्यवस्था के अन्तर्गत आधिक कठिनाइयों ने उत्तरदायी शासन का स्वरूप और भी भंग कर दिया। सन् 1919 के एकट से सवधित जो बात भारतीयों ने सबसे आधिक पसन्द की वह थी कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई आदि जैसे विभाग, जिनसे राष्ट्र निर्माण संभव होता है, लोकप्रिय मन्त्रियों के हाथों में सौंप दिए गए थे। इसनिए भव इस बात की आशा

करना स्वाभाविक ही था कि राष्ट्रीय उन्नति की जिन योजनाओं के लिए पिछली कीसिस व्यर्थ ही चिल्लाती रही थी, अब प्रयोग में लाई जाएंगी। परन्तु शीघ्र ही यह प्रकट हो गया कि इन योजनाओं को जन्म इसलिए दिया गया था कि कालान्तर में इनका गला पोट दिया जाए। सुधार करने के लिए इन विभागों को धन नहीं दिया जाता। केन्द्रीय अर्थ विभाग को दी जाने वाली प्रातीय भेट का धन लाडे मेस्टन ने पहले ही निश्चित कर दिया था।

मद्रास 348 लाख; बंगलादेश 46 लाख; बगाल 63 लाख; संयुक्त-प्रदेश 280 लाख; पंजाब 175 लाख, मध्यप्रदेश 22 लाख और आसाम 15 लाख।

इस प्रकार यह स्पष्ट ही है कि भारतीय प्रान्तों पर पथेट मात्रा में भार डाल दिया गया था। मेस्टन निर्णय ने, जैसा कि किरल पुत्र ने कहा है, “उत्तरदायी सरकार के शिशु को उमके जन्म लेने से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था।”

प्रान्तों के आधिक प्रबन्ध के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई। जवाइन्ट सेलेक्ट कमेटी ने विभाजित धन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। आय का विषय विशेष रूप से एकीभूत क्षेत्र ( Concurrent Jurisdiction ) के विषय के रूप में छोड़ दिया गया। कालातर में आय का विषय सुरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत रख दिया गया। अर्थ-विभाग का स्वरूप ही ऐसा होता है कि विश्व के समस्त क्षेत्रों में यह विभाग अन्य विभागों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। भारत वर्ष में अर्थ-विभाग की स्थिति को विशेष रूप से ढह बनाया गया था। अन्य विभागों के समस्त प्रस्तावों और योजनाओं पर इस विभाग के प्रतिनियेत्र का अधिकार प्रयोग करने की स्वतन्त्रता थी। नवीन व्यवसाय सम्बन्धों समस्त विषयों का निरीक्षण करने और उन पर अपनी सम्पत्ति प्रदान करने का अधिकार भी अर्थ-विभाग को था। इस प्रकार निरोधित योजनाओं पर धन प्रदान करने का जिनका निरीक्षण न किया गया हो। अधिकार भी अर्थ-विभाग को था। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा व्यवसाय संबंधी विभागों में ही नवीन प्रकार की योजनाएँ विशेष रूप से तैयार की जा सकती थीं। इस प्रकार इन विषयों से संबंधित हस्तांतरित विभाग प्रत्यक्ष रूप से कार्यकारिणी समिति के एक सदस्य के नियन्त्रण में रख दिया गया और यह स्पष्ट ही था कि यह सदस्य लोकप्रिय भवियों की भावनाओं से सहानुभूति प्रदर्शित करने में प्रसन्न रूप से सिद्ध होगा। बास्तव में आधिक प्रबन्ध के कारण मनियों की दशा बड़ी दयनीय हो गई थी। इस सम्बन्ध में गर मोहम्मद फखरहुर्रीन का कथन उल्लेखनीय है कि “विना धन के मुझे योजना तैयार करने वाले एक गांधारण कर्मचारी के समान ही समझिए और जब वह ( योजना ) तैयार हो जाती तो अर्थ-विभाग को वह अधिकार होता था कि धन के आवार पर वह इसे समाप्त कर दे।”

इसके प्रतिरक्त सर के० बी० रेडी का कथन भी उल्लेखनीय है, “सुरक्षित क्षेत्र में अर्थ-विभाग की सुदृढ़ स्थिति ने मनियों की स्थिति में भी और इसके द्वारा एक

अन्य प्रकार से व्यवस्थापिका सभाओं के कार्यक्रम में भी एक विशेष प्रकार की बाधा अथवा असुविधा उत्पन्न कर दी थी। कार्यकारिणी समिति हस्तातरित विभागों की प्रत्येक योजना से परिचित रहती थी, जबकि सुरक्षित क्षेत्र का कार्यक्रम गुप्त रहता था। इसलिए धन के सवध में पूर्णतः परिचित होने के कारण और धन प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रत्येक प्रकार की स्थिति का ज्ञान होने के कारण कार्यकारिणी समिति के सदस्य कुछ समय पूर्व ही धन की प्राप्ति के लिए प्रारंभना पत्र देते हैं। इस प्रकार कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को फिर से यथेष्ट धन मिल जाता है और इससे वे अपनी योजनाओं को पूरा करने में सफल होते हैं।"

इस प्रकार व्यावहारिक दृष्टि से द्वंध शासन को नष्ट करने में आधिक प्रबन्ध का भी यथेष्ट हाथ था।

**निष्कर्षः** जिस द्वंध शासन प्रणाली द्वारा उत्तरदायी सरकार प्रदान की जाने वाली, व्यावहारिक रूप में वही अत्यन्त अनुत्तरदायी सिद्ध हुई। प्रारम्भ से ही मन्त्रिमण्डल के उत्तरदायित्व का निषेध किया गया। प्रभावपूर्ण व्यवस्थापक नियन्त्रण की आशाओं को कली रूप में ही नष्ट कर दिया गया। अर्थ-विभाग की विचित्र एवं महत्वपूर्ण स्थिति और सिविल सर्विस के अनत एव व्यापक प्रभुत्व के कारण व्यवस्थापिका सभा बास्तव में माले-मिन्टो मुधार एकट के अन्तर्गत स्थापित की गई व्यवस्थापिका सभायों का ही दूसरा स्वरूप थी। सारांश रूप में किरल पुत्र का कथन उल्लेखनीय है—“द्वंध शासन रूपी पश्च में जो माले-मिन्टो छग की अनुत्तरदायी सलाहकार समिति और उत्तरदायी मन्त्रिमण्डलीय सरकार का सम्मिश्रण था, प्रथम की विशेषता आयु के साथ-साथ ग्राधिक स्पष्ट होती जाती है, यद्यपि वर्ण और स्वरूप द्वितीय का ही रहता है।”

**प्रश्न 7—** 1935 के भारत सरकार ग्राधिनियम के मुख्य सक्षणों का परीक्षण कीजिए।

#### अथवा

1935 के भारत सरकार ग्राधिनियम की मुख्य विशेषतायें क्या थीं ?

#### अथवा

1935 के भारत सरकार ग्राधिनियम द्वारा प्रस्तावित भारतीय संघ के सक्षणों की आलोचनात्मक व्याख्या करिये।

**उत्तर—भूमिका—**भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के उद्देश्य से विटिंग सरकार ने 1935 का भारतीय शासन ग्राधिनियम बनाया। यह 1935 का जो सविधान बना वह एक बहुत लम्बा और जटिल सविधान था; जिसमें 451 घाराएं और 15 सूचियाँ सम्मिलित थी। इस ग्राधिनियम के अन्तर्गत भारतीयों को प्रान्तीय क्षेत्र में स्वायत्त-शासन, केन्द्रीय क्षेत्र में आधिक उत्तरदायी शासन एवं ग्राधिल भारतीय संघ देने की व्यवस्था की गई।

तन् 1935 का अधिनियम अपनी विशेषताओं के कारण एक रहस्यपूर्ण अधिनियम कहा जा सकता है। इसके लागू होने के कुछ ही दिनों पहले नेहरू ने इसकी हपरेक्सा देवकर इसे 'शासन का विधान' कहा था। उन्होंने आगे कहा था कि इस विधान के अन्तर्गत "प्रान्तीय स्वशासन की स्थापना की जाने वाली थी परन्तु हमें अनुशासन में रखने के लिए वहाँ एक सर्वजनिकान् और तानाशाह गवर्नर होगा। सबसे ऊच्च पद पर सर्वोच्च तानाशाह वायसराय पदारेंगे जिनके हाथों में इस बात के सम्पूर्ण अधिकार होंगे कि इच्छानुसार कार्य करें तथा जब चाहें तब प्रतिवध उपस्थित करें। औपनिवेशिक सरकार के सबध में अंग्रेजों के शासक वर्ग की बुद्धिमत्ता वास्तव में इन्हीं कभी स्पष्ट नहीं हुई होनी और यह सम्भव है कि हिटलर और मुमोलिनो जैसे धृक्ति भी उनकी प्रगति करे और भारतवर्ष के वायसराय को ईर्ष्या की हाथिय से देखे।"

यह अधिनियम भारतवर्ष में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की दिशा में दूसरा कदम था। इसका मूलाधार सन् 1919 का अधिनियम था। इसकी प्रमुख विशेषताओं को निम्नांकित ढंग से व्यक्त किया जा सकता है—

1. संघीय-शासन को स्थापना—1935 के अधिनियम के प्रनुमार विदेश भारत के प्रान्तों और भारतीय रियासतों को मिलाकर एक संघ की स्थापना की गई। यह संघ II विदेश प्रान्तों, 6 चीफ कमिशनर के द्वेषी और उन देशी रियासतों से मिलाकर बना था, जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। अधिनियम के प्रनुसार प्रान्तों के लिए संघ में सम्मिलित होना प्रतिवाय था, परन्तु देशी रियासतों के लिए ऐंचियक था। संघ में सम्मिलित होने वाली प्रत्येक इच्छुक देशी रियासत को एक "प्रवेश-प्रपत्त (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर करने होते थे। इस प्रपत्त में उन शर्तों का उल्लेख किया जाता था, जिन पर वह संघ में शामिल होना चाहती थी। संघ की इकाइयों को अपने आतंरिक मामलों में स्वशासन प्राप्त था। अधिनियम के अन्तर्गत एक संघ न्यायालय स्थापित किए जाने को था।

2. केन्द्र में दूध-शासन की स्थापना—1935 के अधिनियम ने प्रान्तों में दूध शासन समाप्त करके उसे केन्द्र में आरभ कर दिया। संघ के अन्तर्गत प्रशासन के विषय दो भागों में विभक्त थे—(क) राधित (व) हस्तातरित। राधित विषयों में प्रतिरक्षा, यिंदशीय सम्बन्ध, वैदेशिक कार्य, धार्मिक विषय और जन-जाति दीन सम्मिलित थे। इन विषयों का प्रशासन अपने तीन परामर्श दातायों की सलाह से, जिनकी वह स्वयं नियुक्त करता था रीधे गवर्नर जनरल के प्राधिकार के अन्तर्गत था। हस्तातरित विषयों के प्रशासन के सम्बन्ध में महाराज्यपाल (गवर्नर जनरल) को एक मन्त्रि-गवर्नर नियुक्त करनी थी जिसमें मन्त्रियों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती थी। इन मन्त्रियों की नियुक्त उन लोगों में से की जानी थी जिन्हें केन्द्रीय विधान-नियंत्रण का बहुमत प्राप्त हो। संघीय मन्त्रिमण्डल को उक्त सुरक्षित विभागों के

**8. शक्तियों का विभाजन—** 1935 के अधिनियम के प्रत्यंगत विषयों के विभाजन के लिए तीन सूचियाँ बनाई गईं—सभ सूची, प्रान्तीय सूची तथा समवर्ती सूची। सभ सूची में 59 विषय, प्रान्तीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। संसद सेनाएँ, मुद्रा व नोट, डाक व तार, रेल केन्द्रीय सेवाएँ, विदेशी मामले, वायरलेस, रेडियो आदि विषय संघ सूची में रखे गए। प्रान्तीय सूची में विधाया, भू-राजस्व, स्थानीय स्वायत्त-शासन सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, नहरें, जंगल, खाने, प्रान्त के अन्दर व्यापार और उद्योग घन्थे आदि। समवर्ती सूची में वे विषय रखे गए जिन पर सधीय और प्रान्तीय दोनों विधान-मण्डल के कानून में किसी प्रकार का विरोध थे। यदि प्रान्तीय और केन्द्रीय विधान-मण्डल के कानून को मान्य समझा जाने की उत्पत्ति हो जाता तो केन्द्रीय विधान-मण्डल के कानून वनाने की यक्षित प्राप्त थी। अवधिकार विषयों पर प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं को कानून बनाने की यक्षित प्राप्त थी।

**9. भारतीय परियद को समाप्ति—** इस अधिनियम द्वारा भारत परियद का अन्त कर दिया गया। भारत मंत्री के लिए कुछ परामर्शदाता गियुक्त किए गए, जिन में परामर्श लेना अवश्य न लेना उसकी इच्छा पर निर्भर था परन्तु सेवाओं के सम्बन्ध में भारत मंत्री के लिए इन परामर्शदाताओं का परामर्श मानना आवश्यक था।

**10. साम्प्रदायिक निवधिन पद्धति का विस्तार—** इस अधिनियम ने साम्प्रदायिक निवधिक वर्ग को केवल उसमें विस्तार भी कर दिया। मुगलमानों को सभ के विधान-मण्डल में 33 प्रतिशत स्थान दिए गए व्यवधि चनकी सस्या भारत की कुल जनसंख्या का  $\frac{1}{2}$  भाग न थी। मजहूरों एवं स्त्रियों को भी अनग्र अधिकार दिए गए। सधीय एवं प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं में आंगन भारतीयों, भारतीय ईसाईयों, योरोपियों और हरिकनों के लिए भी इस पद्धति का विस्तार किया गया।

**11. क्रिटिश संसद की सर्वोपरिता—** अधिनियम के द्वारा भारतीय शासन के संबंध में क्रिटिश-संसद की सर्वोपरिता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार प्रान्तीय विधान-मण्डलों और संघीय व्यवस्थापिका को नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में यक्षित संसद के पास बनी रही। प्रान्तीय तथा केन्द्रीय व्यवस्थापिकाएँ कुछ विशेष सीमाओं में रहते हुए अधिनियम में संशोधन की सिफारिश कर सकती थीं।

**12. अर्थ, व्यापार और अदान—** इस अधिनियम के द्वारा वर्षा को भारत से पृथक् कर दिया गया और प्रदान को भारत सरकार के नियन्त्रण से मुक्त करके। प्रत्यंत 1936 को इफ्लैंड के अधिनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। पर्याप्त व्यापार के कारण विजाम हैदराबाद को नाममान सत्ता स्वीकार कर ली गई, परन्तु उसको शासन की हाफ्ट से मध्यप्रातः का भग बना दिया गया।

13. प्रस्तावना का अध्याय—इस अधिनियम में प्रस्तावना नहीं जोड़ी गई थी क्योंकि अधिनियम के रचयिता किसी नई नीति की घोषणा नहीं करना चाहते थे।

### अधिनियम का मूल्याङ्कन

1935 का शामन अधिनियम भारत को उत्तरदायी शासन सौंपने के उद्देश्य से बनाया गया था किन्तु अधिनियम की धाराओं को यौर से देखने पर मानूम होता है कि यह एक ऐसा अधिनियम था जिसने भारतीयों को शक्ति देने के बदले शक्ति अंग्रेजों के हाथ में ही रखी और भारतीयों की प्रशासन करने की शक्ति का उसी प्रकार परीक्षण किया था, जिस प्रकार एक हाथ पांव वंधे हुए व्यक्ति को नदी में फेंक कर उसकी तंरने की योग्यता का परीक्षण किया जाता है।

यद्यपि कूपलैण्ड के अनुसार 1935 का अधिनियम रचनात्मक राजनीतिक विचार की एक महान् सफलता थी जिसने भारत के भाग्य की अंग्रेजों के हाथों से भारतीयों के हाथ में बदल दिया। इसके विपरीत एटल का कथन सत्य प्रतीत होता है कि इस अधिनियम में अधिराज्य स्थिति या औपनिवेशिक स्वराज्य की चर्चा तक न थी। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद जिमा ने कहा “तथा संविधान एक प्रतिव्रियावादी, हानिकारक और हृदिवादी पग है जो स्वीकार किए जाने के सर्वथा अद्योग्य है।” प० नेहरू ने इसे “दासता का चाटर” बताया। मदन मोहन भास्कर ने धाहर से लोकतात्रिक और अन्दर से खोलता“ कहकर इसकी निदा की।

सारांश यह है कि 1935 का संविधान भारत की अधिकांश जनता को पसंद न आया और लगभग सभी भारतीय दलों ने इसका विरोध किया।

प्रश्न 8—1935 के भारत सरकार अधिनियम में केन्द्रीय सरकार का क्या स्वरूप था?

उत्तर—

केन्द्रीय सरकार

1. अधिल भारतीय संघ—1935 के अधिनियम द्वारा अधिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। किन्तु अधिनियम द्वारा प्रस्तावित अधिल भारतीय संघ संविधान असंतोषजनक और निराशाप्रद था। इस योजना के अनुसार यथापि लिखित संविधान की व्यवस्था की गई, संघ-सरकार और इकाई की सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया तथा संघ-सरकार व स्थानीय सरकारों को अपने-अपने वार्ष-क्षेत्रों में स्वतन्त्र व सीमित रखने के लिए संघीय व्यायालय की स्थापना भी की गई, तथापि अधिनियम के अनुमार स्थापित होने वाला यह संघ वास्तव में सच्चा मंथ न था। इस योजना के मुख्य दोष निम्नलिखित थे:—

2. आरोपित संघ—प्रस्तावित संघ भारतीयों की अपनी स्वतंत्र इच्छा के फलस्वरूप नहीं बना था बरन् व्रिटिश-सरकार द्वारा भारत-पर लादा गया था। व्रिटिश-प्रान्तों के निए नव मंत्र में सम्मिलित होना अनिवार्य था जबकि भारतीय राज्यों

के लिए नहीं। संघ का निर्माण करने वाली इकाइयों की अपने संविधान के निर्माण का कोई अधिकार नहीं दिया गया था और न ही उन्हें संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई थी।

3. असमान इकाइयों का मिथ्या—प्रस्तावित संघ का निर्माण जिन इकाइयों द्वारा किया जाना था, वे राजनीतिक, सामाजिक और धार्यिक हॉटिं से निरान्त असमान थी। विभिन्न इकाइयों में क्षेत्र और जनसंख्या की हॉटिं से भी अत्यन्त असमानता थी। इसका निर्माण एक दर्जन पालतू साडो, कई सीं जंगली मेडियों, लकड़बग्धों और सियारों से होने को था।

4. देशी रियासतों को अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व—प्रस्तावित संघ में देशी रियासतों को सधीय व्यवस्थापिका में अत्यधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। इन रियासतों की जनसंख्या भारत की समस्त जनसंख्या की लगभग  $\frac{1}{4}$  थी, किन्तु इनको राज्य-परिषद में 260 से 104 और सधीय सभा में 365 से 125 स्वान प्रदान किए गए थे।

5. द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व नहीं—साधारणतया व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, जैसा है, जैसा कि अमेरिका की सीनेट में किया गया है। लेकिन प्रस्तावित संघ की व्यवस्थापिका के उच्च सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया था।

6. संविधान में संशोधन की शक्ति भारतीयों के पास नहीं—साधारणक व्यवस्था में देश का संविधान जनता की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक होता है तथा उसमें जनता ही संशोधन करती है, लेकिन 1935 के विधान के अनुसार विधान में संशोधन भी शक्ति भारतीयों के पास नहीं थी। विधान में विटिंग-सासद के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता था।

7. अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान असंगत—अधिनियम द्वारा अवशिष्ट निहित थी जो अपने विवेक के अनुसार किसी भी सूची में उल्लेख किए गए विषय पर बातून बनाने का अधिकार सधीय या प्रातीय विसी भी व्यवस्थापिका को दे सकता था। देशी रियासतों के सम्बन्ध में अवशिष्ट शक्तियाँ उनके शासकों के पास रखी गई थीं।

8. सधीय सभा के लिए परोक्ष निवाचन—प्रस्तावित संघ में सधीय व्यवस्थापिका के निम्न सदन सधीय सभा के लिए निवाचन परोक्ष रोति से होने थे। यह एक अपूर्व बात थी जिसके द्वारा भारतीयों को सोक्रिय सदन के निर्माण से विचित कर दिया जाता है।

9. भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित नहो—प्रस्तावित संघीय योजना के द्वारा भारतीयों को कोई वास्तविक सत्ता हस्तांतरण नहीं किया जाता था। संघीय सरकार के महत्वपूर्ण कार्य एक मात्र गवर्नर जनरल के नियन्त्रण में रखे गए। केन्द्रीय सरकार में लोकप्रिय मंत्रियों को मुद्रा और विनियम, बैंडेशिक सचिव और प्रतिरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों से कुछ भी लेना देना नहीं था। संघीय व्यय का 80% उनके नियन्त्रण से बाहर था।

10. रियासतों के प्रतिनिधियों की नरेशों द्वारा नियुक्ति—विटिश प्रान्तों के प्रतिनिधियों का तो जनता द्वारा चुनाव किया जाता था, लेकिन रियासतों के प्रतिनिधियों को गम्भीर नरेशों द्वारा नियुक्त किया जाता था। वे प्रतिनिधि अपने उन स्वेच्छाचारी स्वामियों की इच्छानुमार कार्य करने के लिए बाह्य थे, वायसराय और विटिश सभापाठ के अनुशासित दास थे।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रस्तावित संघीय योजना अत्यधिक प्रतिक्रियावादी प्रगति विरोधी और भारतीय राज्यों की तुलना में विटिश भारत के मौलिक हितों के लिए हानिकारक तथा घातक सिद्ध होती थी। प्रस्तावित संघीय ढाँचा इस तरह बनाया गया था कि कोई भी वास्तविक प्रगति असम्भव हो जाए और अंग्रेजों द्वारा नियन्त्रित शासन-पद्धति में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के हस्तक्षेप या परिवर्तन के लिए कोई मुंजाइश न रह जाय।

सध के निर्माण की शर्त पूरी न होने के कारण 1 अप्रैल 1936 को जबकि अधिनियम का प्रांतीय अंश लागू किया गया, संघीय योजना को भविष्य में लागू होने के लिए छोड़ दिया गया। 1939 में युद्ध प्रारम्भ हो जाने पर गवर्नर जनरल द्वारा अपने 11 दितम्बर 1939 के भाषण में अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघीय योजना को समाप्त घोषित कर दिया गया।

प्रश्न 9—1935 के भारत सरकार द्वारा केन्द्र में किस प्रकार हैं शासन का आरोपण किया गया?

**उत्तर— संघीय कार्यकारिणी**

केन्द्र में हैं शासन की स्थापना—विटिश-शासन द्वारा भारत सरकार के केन्द्रीय क्षेत्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना उचित न समझे जाने के कारण केन्द्र में हैं शासन के रूप में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना उचित न समझे जाने के कारण केन्द्र में हैं शासन के रूप में अंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। इस उद्देश्य से संघीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया—रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। प्रतिरक्षा और बैंडेशिक मामले, धार्मिक मामले और कबाइली क्षेत्रों के प्रशासन को रक्षित विषय रखा गया और अन्य सभी विषयों को हस्तान्तरित की थी ऐसी में रखा गया।

अधिनियम द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित इस हैं शासन के अन्तर्गत संघीय कार्यपालिका के निम्नलिखित तीन भाग थे—

### 1. गवर्नर जनरल

2. राजित विषयों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी गवर्नर जनरल को कायं-कायरिणी के सदस्य ।

3. हस्तान्तरित विषयों के प्रशासन के लिये उत्तरदायी संघीय मन्त्रिपरिषद् ।

1. गवर्नर जनरल—गवर्नर जनरल 1935 के अधिनियम के अन्तर्गत संघीय कायंकायरिणी का केन्द्र बिन्दु था । गंप की ममूरण शक्ति उसमें निहित रही गई थी और विटिश मस्टाइट के प्रतिनिधि के रूप में इस शक्ति का प्रयोग करता था । भारत के ममूरण प्रशासन के लिए अनितम हृषि से यही उत्तरदायी था । मस्तुकः 1935 के अधिनियम द्वारा उसे इतनी शक्तिशाली प्रदान की गई थी कि उसका इच्छा ऐसा “विद्यान देवत” जैसा हो गया था । गवर्नर जनरल को नियुक्ति 5 वर्षों के लिये की जाती थी और भारतीय मजाने से 2,51,800 रुपये प्रति वर्ष उसे भित्ता था । इसके प्रतिरिक्त उसे अनेक भत्ते व उपलब्धियाँ दाता थी । कूल मिलाकर गवर्नर जनरल पर 18 लाख रुपये प्रतिवर्ष दाता होते थे ।

2. सभासद ( Councillors )—अधिनियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि गवर्नर जनरल को गदायता के लिये एक कायंकायरिणी परिषद् होगी जिसमें तीन से अधिक सदस्य नहीं होगे । ये सदस्य गवर्नर जनरल को राजित विभागों का शासन चलाने में सहायता देंगे थे । सभासद के दोनों सदनों के पदेन सदस्य होते थे किन्तु उन्हें मतदान का कोई प्रधिकार न दिया गया था और न ही वे संघीय विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी थे । इनकी नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा होती थी और प्रत्यक्ष रूप में उसी के प्रति उत्तरदायी थे । उनका कायं केवल परामर्श देना था जिसे मानता था न मानता गवर्नर जनरल की इच्छा पर निर्भर करता था ।

3. मन्त्रिपरिषद्—हस्तान्तरित विषयों वा शासन चलाने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् की व्यवस्था की गई थी जो संघीय विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी रूपी गई थी । मन्त्रियों की संख्या अधिक ने अधिक 10 नियत की गई थी जिनकी नियुक्ति वैधानिक हृषि से गवर्नर के हाथ में थी और यही उन्हें पदच्युत भी कर सकता था । बाहर से किमी व्यक्ति को मन्त्री नियुक्त कर लेने पर उसे 7 महीने में या तो सदन का सदस्य बनना पड़ता था या त्यागपत्र देना पड़ता था । मन्त्रियों की जनित्यों पर विभिन्न प्रतिवन्ध था और गवर्नर जनरल की स्वेच्छाचारी शक्तियों तथा व्यक्तिगत निर्णयों की शक्तियों के सम्मुल मन्त्री-वर्ग का शासन-कायं पर प्रभाव होना असम्भव था ।

### संघीय विधान-मण्डल

1935 के अधिनियम के अनुमार संघीय विधान-मण्डल द्विसदनात्मक बनाया गया था । राज्य-सभा ( Council of States ) एवं संघीय सभा ( Federal Assembly )

**1. राज्य-सभा—संघीय विधानमण्डल के उच्च सदन राज्य-सभा के सदस्यों की संख्या 260 रखी गई। इनमें 156 प्रतिनिधि (150 निर्वाचित और 6 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत) ब्रिटिश-भारत का प्रतिनिधित्व करने को थे। शेष 104 सदस्यों को देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के रूप में, रियासितों के शासकों द्वारा मनोनीत किया जाता था। राज्य-सभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा साम्प्रदायिक आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन के तरीके से किया जाना था और इसमें इकाईयों का प्रतिनिधित्व असमान था। मताधिकार संकुचित तथा सम्पत्ति सम्बन्धीय योग्यताओं पर आधारित था। सम्पूर्ण ब्रिटिश-भारत में मतदाताओं की संख्या केवल 1 लाख के लगभग थी।**

राज्य-सभा एक स्थाई सदन था जिसका विधटन नहीं हो सकता था। सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष था तथापि एक तिहाई सदस्य प्रति तीन वर्ष बाद हट जाने की थे।

**2. संघीय सभा—संघीय विधटन-मण्डल के निम्न सदन का नाम संघीय-सभा रखा गया। इसके कुल 375 स्थानों में 250 ब्रिटिश-भारत के लिए नियत किये गए थे। ब्रिटिश-भारत के 250 स्थानों से से 4 गैर प्रान्तीय स्थान थे जिन्हें व्यापार वाणिज्य और थम में वाँट दिया गया था।**

संघीय सभा के चुनाव अप्रत्यक्ष होने की व्यवस्था थी। सभा के ब्रिटिश भारत के सदस्यों को निर्वाचन के लिए प्रान्तों में विधानमण्डलों के निम्न सदनों के निर्वाचक मण्डल बनाए गए थे जो अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा उक्त सदस्यों का निर्वाचन करते थे। संघीय सभा का कार्यकाल 5 वर्ष किया गया था किन्तु गवर्नर जनरल उसे अवधि से पूर्व भी भंग कर सकता था।

**3. संघीय न्यायालय—प्रस्तावित संघ में संघीय इकाईयों के आपसी भगड़ों और इनका केन्द्र के साथ भगड़ों का निपटारा करने के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालयों में एक मुख्य न्यायाधीश और अधिक से अधिक 6 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किये जा सकते थे किन्तु उस समय केवल एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश ही नियुक्त किये गये। ये सब न्यायाधीश ब्रिटिश-सम्भाट द्वारा अति उच्च योग्यतामी के आधार पर नियुक्त होते थे और इनकी मृत्या में केवल तभी वृद्धि की जा सकती थी जब संघीय विधान-मण्डल इस हेतु एक प्रायंक-पत्र गवर्नर जनरल के माध्यम से ब्रिटिश-सम्भाट को भेजे।**

न्यायाधीश सदाचार पर्यंत 65 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर रह सकते थे और इसके पूर्व इन्हें सदाचार अधिका मन, शरीर की दुर्बलता के आधार पर ही सम्भाट द्वारा अपदस्थ किया जा सकता था। प्रधान न्यायाधीश का वेतन 7000 रुपया तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 5,500 रुपया गासिक था। यह वेतन केन्द्रीय राजस्व के मत नियेक भाग में से दिया जाता था और न्यायाधीशों के कार्यकाल में वेतन में कटौती नहीं की जा सकती थी।

प्रश्न 10—1935 के अधिनियम द्वारा प्रान्तीय शासन-व्यवस्था में क्या परिवर्तन किये गये ?

### ध्यया

1935 के अधिनियम में प्रान्तीय शासन का क्या प्रावधान था ?

उत्तर-प्रान्तीय शासन—सन् 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रान्तों में जिम हैं शासन-प्रणाली का सुन्दरात किया गया था, वह विभिन्न बुटियों के कारण समाप्त कर दी गई और 1935 के अधिनियम के अन्तर्गत हैं ध प्रणाली के स्थान पर प्रान्तों को स्वायत्त-शासन प्रदान किया गया । इस अधिनियम ने प्रान्तीय प्रशासन को एक नई स्थिति प्रदान की । 1935 के अधिनियम के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया कि प्रान्तों को पहली बार पृथक वैधानिक सत्ता प्रदान की गई । अब प्रान्तीय सरकार भारत सरकार की अभिकर्त्ता मात्र नहीं रहे, बरन् उन्हें एक पृथक अस्तित्व और सत्ता प्राप्त हो गई । यद्यपि केन्द्र में सध की स्थापना नहीं हुई लेकिन । अप्रैल 1936 से प्रान्तों को कम या अधिक रूप में स्वायत्तता प्राप्त हो गई और प्रान्तों के साथ मंधीय आधार पर व्यवहार किया जाने लगा ।

प्रान्तीय कार्यपालिका—1935 के अधिनियम के अनुसार प्रान्तीय कार्यपालिका के निम्न ग्रन्थ थे—

1. गवर्नर

2. मंत्रिपरिषद्

1. गवर्नर—गवर्नर कार्यपालिका का अध्यक्ष था जिसकी नियुक्ति भारत के राज्य-भूमि के परामर्श से ब्रिटिश सराइट करता था । गवर्नर मन्त्रिमण्डल का प्रमुख होता था । उसकी स्थिति अधिकारी में गवर्नर जनरल के समान थी, अन्तर के बीच यह था कि मंत्रियों के नियन्त्रण से रक्षित शासन के कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं थे । प्रान्त के आर्थिक स्थापित्व का उत्तरदायित्व भी उस पर नहीं था । गवर्नर की कार्यपालक शक्ति का विस्तार ऐसे सब विषयों तक था जिन पर प्रान्त विधि बना सकता था । गवर्नर को 1,20,000 वार्षिक वेतन मिलता था । विधान-सभाएँ गवर्नरों के वेतन और भत्ते में परिवर्तन कर सकती थी । गवर्नर प्रायः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते थे ।

2. मंत्रि-परिषद् (Council of Ministers)—सन् 1935 का अधिनियम गवर्नर को अपनी कार्यपालक शक्तियों के प्रयोग में महायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् की सूचिका उपबन्ध करता था । गवर्नर ही मंत्रियों परों नियुक्त करेगा और जब चाहे तब पद्युक्त कर सकेगा । किन्तु गवर्नर के निदेंश-पत्र में कहा गया था कि गवर्नर के द्वारा उसी व्यक्ति के परामर्श से मंत्रियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिसके बीचे व्यवस्थापिका का बहुमत हो । मंत्री विधान-मण्डल के विश्वास पर्यन्त ही अपने पद पर रहते थे । मंत्रियों को प्रान्तीय विधान-मण्डलों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया ।

अधिनियम के अनुसार मत्रियों के लिए कोई विशेष योग्यताएं नहीं रखी गईं। केवल आवश्यक योग्यता थी कि प्रान्तीय विधान-मण्डल की दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य मत्री तो अवश्य होना चाहिए। यदि विधान-मण्डल के बाहर से किसी व्यक्ति को मत्री नियुक्त कर दिया जाता था तो उसे 6 महीने के भीतर सदस्य बनना पड़ता था।

अधिनियम में मत्रियों के वेतन निर्धारित नहीं किए गए थे किन्तु यह व्यवस्था थी कि उनके वेतन प्रान्तीय विधान-मण्डल द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा निर्धारित कर दिया जाए। फिर भी मत्रियों के कार्यकाल में उनके वेतन न्यूनाधिक नहीं हो सकते थे। गवर्नर अपने विवेक से मत्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता कर सकता था।

मत्रियों की सत्या भी निश्चित नहीं थी। प्रत्येक प्रान्त आवश्यकतानुसार योड़े या अधिक मन्त्री रख सकता था। प्रान्तों के मत्रिमण्डल विभाग-पद्धति (Portfolio System) पर काम कर रहे थे। एक या एक से अधिक विभाग मत्रियों को सौंप दिए गए थे और मत्री ही उनके सफल सचालन के लिए उत्तरदायी थे। किन्तु अनु. 93 में बालित गवर्नर के दुर्जेय अधिकारों ने वास्तविक उत्तरदायी सरकार की स्थापना निश्चित रूप से सदिग्द बना दी थी।

### प्रान्तीय विधान-मण्डल

1935 के अधिनियम द्वारा विटिश भारत के 11 प्रान्तों में से 6 के विधान-मण्डल द्वि सदनात्मक बनाए गए—अथवा आसाम, बगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास और सयुक्त प्रांत में ऐसा हुआ। ये पाँच प्रान्तों—पंजाब, मध्यप्रांत, बरार, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उड़ीसा और सिन्ध में केवल एक ही सदन रखा गया। द्विसदनीय विधान-मण्डल में उच्च सदन का नाम विधान-परिषद् और निम्न सदन का नाम विधान-सभा रखा गया। एक सदनीय विधानमण्डल में सदन का नाम विधान-सभा ही रहा। विधान-सभा के सब सदस्य निर्वाचित होते थे, किन्तु विधान-परिषद् में निर्वाचित सदस्यों के साथ कुछ नामजद सदस्य भी होते थे।

विधान-सभा का संगठन—प्रान्तीय विधान-सभा के सदस्यों की सत्या हर प्रांत में अलग-अलग थी। मद्रास में 215, बम्बई में 175, पंजाब में 175, बगाल में 250, सयुक्त-प्रांत में 228, बिहार में 152, मध्यप्रांत और बरार में 112, आसाम में 108, उड़ीसा और सिन्ध में से प्रत्येक में 60 और उत्तरी-पश्चिमी सीमा-प्रांत में 50 थी। विभिन्न प्रान्तों में पूना समझौते द्वारा सशोधित साम्राज्यिक निर्णय के अनुसार ये स्थान बटे हुए थे। सामान्य स्थानों में से कुछ स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित थे। मुसलमानों, सिखों, आगर भारतीयों, यूरोपीयों व भारतीय ईसाइयों को साम्राज्यिक आधार पर और बालिज्य, उचोग व खान तथा बाग, जमीदार, मजदूर और विश्वविद्यालयों के लिए वर्गीय आधार पर स्थान सुरक्षित थे। स्त्रियों के लिए सुरक्षित स्थान भी हिन्दू, मुसलमानों, सिखों, आंग्ल भारतीय व ईसाइयों में बाट दिए गए थे।

विधान-परिषदों का संगठन—विधान-परिषदों का उपवन्धु 6 प्रान्तों के लिए था। विधान-परिषद की सदस्य-संख्या बंगाल में 65, मद्रास में 56, संयुक्तशास्त्र में 60, बम्बई और बिहार में 30 और मासाम में 22 थी। मताधिकार एवं प्रत्याशियों को अहताई—प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं का निर्वाचन सब वयस्क नागरिकों द्वारा नहीं होता था, बरन् समस्त जनसंख्या के लगभग 14 प्रतिशत को ही मताधिकार प्राप्त था। इसके लिए शिक्षा, सम्पत्ति या कर की योग्यता रखी गई थी।

प्रान्तीय विधान-सभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष और प्रान्तीय विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु ही को आवश्यक थी। कोई व्यक्ति विधान-मण्डल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता था। उम्मीदवार के लिए निर्वाचन क्षेत्र में कुछ दिन प्राप्त 180 या 120 दिन का निवास आवश्यक था। विधान-सभा का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया था और उसे इसके पूर्व भी विधिटि किया जा सकता था और कार्यकाल आगे भी बढ़ाया जा सकता था। प्रान्तीय विधान-परिषद एक स्थाई परिषद थी। इसके सदस्यों की पदावधि 9 वर्ष थी पर उनमें से एक तिहाई सदस्य प्रति तीन वर्ष बाद अलग हो जाते थे।

**प्रश्न 11—1935 के अधिनियम द्वारा प्रान्तीय स्वशासन किस प्रकार लागू किया गया?**

प्रान्तीय स्वशासन क्या था? 1935 के एकट में इसका पाया प्रावधान था?  
उत्तर—  
**प्रान्तीय स्वशासन  
( Provincial Autonomy )**

सन् 1919 के अधिनियम द्वारा प्रान्तीय क्षेत्र में जिस शासन की स्थापना की गई थी, 1935 के अधिनियम द्वारा उसका अन्त कर दिया गया। अब रक्षित और हस्तान्तरित का कोई भेद न रहा। इस अधिनियम द्वारा प्रान्तों को एक नवीन वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। उन्हें स्वशासित राजनीतिक इकाई का हृष प्रदान किया गया और उन्हें अपने निश्चित क्षेत्र में केन्द्रीय हस्तक्षेप से स्वतन्त्र हृष में सत्ता प्रदान की गई। उन्हे प्रान्तीय सूची के 54 विषयों पर विधायी, प्रशासकीय और वित्तीय क्षेत्र में एकमेव सत्ता प्रदान की गई। इस 1935 के अधिनियम द्वारा प्रान्तीय क्षेत्र में प्रान्तीय स्वशासन की स्थापना की गई।

प्रान्तीय स्वशासन का अर्थ—प्रान्तीय स्वशासन के दो अर्थ लिये जा सकते हैं—इसका प्रथम अर्थ यह है कि प्रान्तों को अपने एक निश्चित क्षेत्र में स्वतन्त्रापूर्वक कार्य करने का अधिकार होना चाहिये, भर्यांद प्रपने निश्चित क्षेत्र में वे केन्द्रीय नियन्त्रण अपना वाल्य नियन्त्रण से स्वतन्त्र होने चाहिये। प्रान्तीय स्वशासन का हुमरा अर्थ प्रान्त में उत्तरदायी शासन को स्थापना से है भर्यांद प्रान्त में शासन की

सत्ता ऐसे लोकप्रिय मन्त्रियों के हाथ में होनी चाहिए, जो व्यवस्थापिका के प्रति और व्यवस्थापिका के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी हों।

**प्रान्तीय शासन पर बाहु नियन्त्रण—**अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार के किसी विधेयक को प्रान्तीय विधान-मण्डल के पास पुनर्विचार के लिये भी भेज सकता था।

5. अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के कुछ विशेष उत्तरदायित्व निश्चित किए गये थे, जिनके आधार पर गवर्नर जनरल प्रान्तीय क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता था। अपने विशेष उत्तरदायित्व के पालन के लिए मन्त्री को कोई आदेश दिया जा सकता था।

**आन्तरिक क्षेत्र में प्रतिबन्ध—**अधिनियम के अनुसार प्रान्तीय शासन आन्तरिक क्षेत्र में भी पूर्ण न था—

1. अधिनियम के द्वारा गवर्नर को एक सर्वेधानिक अध्यक्ष न बनाकर वास्तविक अध्यक्ष बना दिया गया था। उसे सभूर्ण प्रान्तीय-शासन को नियन्त्रण करने की शक्ति प्राप्त थी। वह किसी भी विधेयक को अस्वीकृत या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता था। उसे अध्यादेश जारी करने और अधिनियम बनाने की शक्ति प्राप्त थी।

2. अधिनियम के अनुसार सारां बजट उसकी देखरेख में तंयार होता था और वह ऐसी किसी मांग को यथापूर्व कर सकता था, जिसे प्रान्तीय व्यवस्थापिका द्वारा कम पा अस्वीकृत कर दिया गया हो।

3. मन्त्रियों की नियुक्ति एव पदच्युति की शक्ति भी उस के पास थी। वही मन्त्रियों में विभागों का वटवारा करता और उनकी धैठकें बुलाता था।

4. सर्वेधानिक रूप से सार्वजनिक सेवाओं पर मन्त्रियों का कोई नियन्त्रण न था और सचिवों को सीधे गवर्नर से मिलने की आज्ञा थी।

**प्रान्तीय शासन पर बाहु एव आन्तरिक प्रतिबन्धों के आधार पर विना किसी प्रान्तीय शासन में केन्द्रीय हस्तक्षेप की प्रमुख व्यवस्थाएँ** निम्नलिखित थी—

1. अधिनियम की धारा 102 में कहा गया था कि गवर्नर जनरल के द्वारा गम्भीर आन्तरिक अव्यवस्था या अशान्ति अथवा युद्ध के वास्तविक या सम्भावित खतरे के कारण सकटकालीन स्थिति की घोषणा की जा सकती थी और इस प्रकार की घोषणा हो जाने पर संघीय विधान-मण्डल को प्रान्तीय सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता था।

2. अधिनियम की धारा 126 के अनुसार गवर्नर जनरल प्रान्तीय सरकारों को भारतीय शान्ति एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकता था कि सर्वेधानिक तंत्र विफल हो गया है और उसके अनुसार सरकार नहीं चलाई जा सकती, तो प्रान्तीय शासन के सारे ढाँचे का अन्त हो जाता था और प्रान्तीय शासन का सारा भार स्वयं गवर्नर सम्भाल लेता था।

3. प्रान्तीय कानूनी क्षेत्र में भी गवर्नर जनरल का नियन्त्रण एक वास्तविकता

थो। मुद्द विषेष प्रकार के विधेयक अयवा संशोधन गवर्नर जनरल की पूर्व मात्रा के बिना प्रान्तीय विधान-मण्डन में पेंग नहीं किये जा सकते थे।

4. प्रान्तीय विधान-मण्डलों द्वारा पारित विधेयकों को गवर्नर द्वारा गवर्नर जनरल की अनुमति के लिए भुक्तित रखा जा सकता था। इन विधेयकों पर स्वीकृति देना या न देना गवर्नर जनरल की इच्छा पर निर्भर था। गवर्नर जनरल यदि चाहता तो इन विधेयकों को विश्व-समाट की स्वीकृति के सिये रिजर्व कर सकता था। गवर्नर जनरल के द्वारा अतिशयोक्ति कहा जा सकता है कि प्रान्तीय स्वशासन केवल एक धोरा था।

इन कमियों और वाधाओं के बावजूद प्रान्तीय शासन में नवीन योजना पुरानी व्यवस्था पर एक निश्चित गुप्तार थी। इसी कारण कांग्रेस और भारत के दूसरे राजनीतिक दलों द्वारा सधीय योजना को अस्वीकार करते हुए भी 1935 के प्रधिनियम के प्रान्तीय अश को स्वीकार कर उसके अनुसार कार्य करना मन्त्रु कर लिया था।

**प्रश्न 12—भारत की संविधान-सभा के गठन और कार्य-प्रणाली का विस्तार से वर्णन कीजिए।**

#### अध्ययन

भारतीय संविधान-सभा के प्रतिनिध्यात्मक चरित्र को विवेचना कीजिए। वया यह कहना उचित है कि भारतीय संविधान का निर्माण कांग्रेस दल द्वारा हुआ था और उसी के द्वारा भारतीय जनता को दिया गया।

उत्तर—कांग्रेस ने 1933 के 'इवेत-पत्र' को अस्वीकार करते हुए एक संविधान-निर्माणी-सभा की माँग की थी। तदोपरान्त कई प्रान्तीय व्यवस्थापिक सभाओं में एवं 1937 की केन्द्रीय धारा-सभा में कांग्रेस ने पुनः इस माँग को दोहराया कि भारत ऐसे संविधान को स्वीकार करेगा जो भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बास्तु सत्ता के हस्तक्षेप के बिना बनाया गया हो।

द्वितीय महायुद्ध के मध्य भारतीयों में राष्ट्रीयता, स्वाभिमान एवं आत्माभिष्ठक्ति की भावना ने जोर पकड़ा। स्वतन्त्रता प्राप्ति एक स्वयं सिद्ध लक्ष्य बना गया। ऐसी स्थिति में केवल भारतीयों द्वारा बनाया गया संविधान ही उन्हे मान्य हो सकता था। फलस्वरूप दिसम्बर 1946 में एक संविधान-निर्माणी-सभा को बुलाया गया जिसके द्वारा निर्मित संविधान के आधार पर आज भी भारतीय शासन अवलम्बित है।

**संगठन—संविधान-निर्माणी-सभा का संगठन निम्न आधार पर हुआ—**

1. उम समय के प्रान्तों के प्रतिनिधि जिनका चुनाव तत्कालीन प्रान्तीय विधान-सभाओं द्वारा हुआ था। प्रान्तों के प्रतिनिधि वहाँ की जातियों के बीच उनकी आनुपातिक शक्ति पर विभक्त कर दिये गये थे।

2. राज्यों के प्रतिनिधियों का आधार भी जनसंख्या का दस लाख पर एक प्रतिनिधि चुना जाता था। इनके चयन की विधि देशी नरेशों की गई वार्ता थी।

## आलोचना—

संविधान-सभा के सगठन विधि की भी आलोचना निम्न आधार पर की गई—

१. इसके प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधि न थे एवं प्रान्तीय विधान-सभाओं ने जिन्होंने इन्हें चुनकर भेजा था स्वयं सार्वजनिक मत का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। इसलिए इनके द्वारा चुनी गई संविधान-सभा और उनके द्वारा निर्मित संविधान लेशमान भी जनप्रतिनिधित्व नहीं कर सकता।

२. संविधान-सभा के सगठन का आधार साम्प्रदायबाद था। इसका लक्ष्य देश को विभक्त होने से बचाना था, पर यह असफल रहा क्योंकि इस सभा में एक और तो साम्प्रदायिकता का पुट विद्यमान रहा और दूसरी ओर देश का विभाजन भी हो गया।

३. जिस आधार पर राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान-सभा में शामिल किया उससे यह साफ जाहिर होता था कि 'थ्रेट्ट्वा (Paramountcy) के सिद्धान्त को अपनाया गया था। यह वह स्थिति थी जिसे संविधान-निर्माणी-सभा के सगठन के लिए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये था क्योंकि इससे राज्यों को भारतीय सरकार से सीदा करके मनचाहे प्रतिनिधि जो संविधान-सभा में भाग लेने के लिए आये थे वहाँ की जनता के प्रतिनिधि न होकर वहाँ के राजाओं के प्रतिनिधि थे इसलिए संविधान-सभा न तो जनता का प्रतीक थी और न ही राष्ट्र का। वह तो केवल देशी रियासतों और इनें गिने असीरों और शिक्षितों की सभा थी।

## संविधान-सभा का उद्भव व विकास

स्टेफँड क्रिस्ट की माँग—द्वितीय महासंमर की समाप्ति के बाद भारत संविधान निर्माणी-सभा के लिए पूरी तरह उद्यत था। राजनीतिक नेता (डा अम्बेडकर व व मोहम्मद-प्रती जिन्हा को छोड़कर) भी इसकी माँग जोरो से कर रहे थे। 1842 में सर स्टेफँड क्रिस्ट द्वारा रखे गये प्रस्तावों में भी प्रथम-बार इसको स्वीकार किया गया।

मजदूर दल की घोषणा—सितम्बर 1945 में ब्रिटिश मजदूर-दल ने घोषणा की कि वह भारत में संविधान-निर्माणी-सभा के सगठन पर विचार कर रही है। इसके लिए ही प्रान्तीय विधान-सभाओं के नये आम-चुनाव करवाये गये। तत्पश्चात् जनवरी 1946 में ब्रिटिश का एक संसदीय प्रतिनिधि-मण्डल भारत आया तिगने बताया कि भारत को स्वतंत्रता मिलने में अब देर नहीं है। मार्च में ही उसी हेतु बाससराय की सहायता के लिए केबीनेट मिशन भारत आया तिगंक मार्च में भारतीयों को अपना संविधान बनाना था।

जिन्हा द्वारा एक और संविधान-निर्माणी-सभा की माँग—गृहिन  
कांग्रेस के परस्पर विरोधी होने के कारण संविधानन्मिर्णी-सभा के २२ असफल होने निश्चित थे। कांग्रेस भारतीयों के लिए अन्धनारांग थे

संविधान-निर्माणी-गभा की स्थापना पर जोर दे रही थी तो जिन्हा भाँग्रेजी के भारत में बने रहने के पथ में थे। तत्पश्चात् 1945 में जिन्हा ने दो संविधान निर्माणी-गभाओं की माग की—एक भारत के लिए और दूसरी पाकिस्तान के लिए। दोनों राष्ट्रों और संविधानों के बनने पर ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिये।

कांग्रेस का देश की अटांडता में विश्वास—इसके विपरीत कांग्रेस राष्ट्रीय एकता में विश्वास रखती थी। एक मणक राष्ट्र का निर्माण इनका घ्येय था। एक ही संविधान के अन्तर्गत सभी समुद्दो के अधिकारों की रक्षा और अधिकाधिक स्वाधीन तत्त्व प्रदान की जाये। भारत में रामाज़िन कानून लाने के लिए सरकार पर्याप्त दृढ़ होनी चाहिये। केबीनेट-मिशन ने दोनों विचार-धाराओं को मिलाने के लिए एक समन्वयात्मक योजना रखी। इसके अनुगार भारत को एक राष्ट्र रहना था पर केंद्रीय सरकार की शक्ति विदेशी मामलों, प्रातायात और प्रतीक्षा तक ही सीमित रहनी थी। ग्राम्तों को तीन भौगोलिक छेत्रों के स्पष्ट में बाटा जाना था जिनमें एक छेत्र में मुस्लिम बहुत्व, दूसरे में हिन्दू बहुत्व एवं तीसरे में लगभग समान संख्या हो। बार्ता के पश्चात् कुछ आपत्तियों सहित इसे दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। जिन्हा ने इसमें पाकिस्तान के निर्माण की भलक देखी और भाँग्रेजी व लोग द्वारा स्वीकार करने पर कांग्रेस ने भी इसे स्वीकार कर लिया।

लीग व कांग्रेस में सक्रिय मतभेद—केबीनेट-मिशन योजना ने सार्वजनिक मताधिकार को जटिल और धीमा बताकर यह प्रस्ताव रखा कि प्रान्तीय-प्रान्तीय व्यवस्थापिकाये संविधान-सभा का चुनाव करेंगी। कांग्रेस ने इसके सामने अपनी सार्वजनिक मताधिकार की माग को स्थाय दिया। इस योजना के अन्तर्गत ही लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराने और अन्तरिम सरकार की स्थापना के प्रयास जारी रहे। कांग्रेस ने सभा के आहान में प्रयत्न किया और मूलाधिकारों के प्रारंभ की बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया। वायसराय के आमन्त्रण पर कांग्रेस ने भी नेहरू के प्रधान-मंत्रित्व में अन्तरिम-सरकार का गठन किया। लीग ने भुरु में ही गभा के प्रति उपेक्षा की पर बाद में अन्तरिम सरकार को गिराने के लिए उसमें भाग लेना प्रारंभ किया। लीग व कांग्रेस में मतभेद होने के कारण सभा का अधिवेशन बुलाने की तिथि 2 दिसम्बर रखी। लीग ने सभा का बहिकार किया और लोगों ने तब आपत्ति उठाई कि यह प्रभुसत्ताधारी सभा नहीं है। गांधी, मौलाना याजाद, नेहरू एवं राजेन्द्र-प्रसाद ने इसे सम्प्रभु माना। 20 जुलाई 1946 को सभा ने निर्णय किया कि सदन  $\frac{1}{3}$  सदस्यों के बहुमत के बिना सभा भंग नहीं की जा सकेगी। लीग के विरोधी रवेंगे के कारण अन्त में सभा में मूलाधिकार, संघ-व्यवस्था और रियासती राज्यों से बातों को प्रारंभ करने के लिए समितियों का गठन किया गया।

भारत का विभाजन—भारत के विभाजन की माग के जोर पकड़ने के कारण 3 जून 1947 को लाइंग माउन्टेन ने घोषणा करदी कि 15 अगस्त को भारत व

पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य होंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा कथित तिथि को भारत स्वतंत्र हुआ और संविधान-सभा को वैधानिक रूप प्रदान किया गया।

### भारत में संविधान-सभा

**कांग्रेस का योगदान—संविधान-निर्मात्री-सभा** में मुख्यतः एक ही दल था। सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इस कठोर चिकित्सा को पूरा सरकार ने किया और कांग्रेस सरकार भी थी। सभा, कांग्रेस और सरकार तीन पृथक बिन्दु होने पर भी मिली-जुली सदस्यता के कारण परस्पर सबधित थे। भारत के लिए उन्होंने एक ग्रंथ-पूर्ण स्वरूप प्रहरण किया। संविधान-सभा द्वारा प्रतिक्रियावादी और कान्तिकारी विचार खुलकर व्यक्त किये जाते थे। इसमें तिथम जनतात्रिक प्रक्रिया से बनाये जाते थे। संथानम के अनुसार “शायद ही जनमत का कोई ऐसा दृष्टिकोण बचा हो जिसे कि सभा में प्रतिनिवित्व न मिला हो।

संविधान-सभा के राष्ट्रपति—गैहूल, पन्त और राजगोपालाचारी कांग्रेस के गणमान्य नेता थे। अव्यर, कु जल, आयगर, अम्बेडकर, सुदानम, जयकर, सच्चिदानन्द सिन्हा एवं के। एम मुंशी भी प्रशासन व कानून के क्षेत्र में सुविळ्यात थे। सभा में अल्प सख्यकों के प्रतिनिवित्व के लिए एक नेपाली, 5 शिख, 3 पारसी, 7 हिंदौर, 3 एंग्लो इंडियन, 5 विछड़ी-जातियों के, 31 मुस्लिम और 33 सराणी-जातियों के थे। साम्यवादी दल, समाजवादी दल और हिन्दू महासभा को इसमें कोई प्रतिनिवित्व न दिया गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ व अन्य हिन्दू साम्राज्यिक संगठनों को भी इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया। आस्ट्रिन का मत है कि “उनकी अनुपस्थिति का सम्मान उनके साम्राज्यिक विचारों का सभा के सदस्यों पर प्रभाव न पड़ा क्योंकि उनके साम्राज्यिक विचारों का सभा के सदस्यों पर प्रभाव न पड़ा निश्चित था। इसके अतिरिक्त पुरुषोत्तमदास-टण्डन जयकर और श्यामा-प्रसाद-मुखर्जी जैसे हिन्दू रुदिवादी-सभा में उपस्थित ही थे।”

**सदस्यों की दोहरी भूमिका—संविधान-निर्मात्री-सभा** से 12 केबीनेट स्तर के, 3 राज्य-स्तर के मंत्री एवं एक उपमंत्री थे। डा० राजेन्द्र-प्रसाद और मावलकर को छोड़कर सभी सदस्य दोहरी-भूमिका निभाते थे। शासन चलाने वाले और संविधान चलाने वालों के एक हीने के कारण संविधान में व्यावहारिकता अधिक आई।

**नेतृत्व व नीति-निर्माण—संविधान-सभा** का नेतृत्व व सधीय-शासन का स्वरूप उनके आन्तरिक सम्बन्धों का परिणाम थी। नेहरू-पटेन-प्रसाद और आजाद राष्ट्रीय आन्दोलन के बाद भी महत्वपूर्ण-भूमिका निभाते थे। सब के सब कांग्रेस की सबोच्च-परिपद-कार्य-समिति के सदस्य थे और कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर काम कर चुके थे एवं अन्तरिम सरकार में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या उप-प्रधानमंत्री आदि थे। निम्न-तालिका से संविधान-सभा, कांग्रेस और सरकार तीनों में उनकी उपस्थिति से एक-रूपता का आभास मिलता है—

| नाम              |   | समितियों की संख्या    | कांग्रेस में उनकी स्थिति       |
|------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| राजेन्द्र-प्रसाद | 2 | कार्य-समिति के सदस्य, | संविधान-निर्माणी-सभा के प्रधान |
| मोताना आजाद      | 4 | —                     | मंत्री                         |
| सरदार पटेल       | 4 | —                     | उप-प्रधान-मंत्री               |
| धौ. नेहरू        | 3 | —                     | प्रधान-मंत्री                  |
| पत्त             | 3 | —                     | यू. पी. के मुख्य-मंत्री        |
| रोतारमंया        | 4 | —                     | —                              |
| मथ्यर            | 5 | —                     | —                              |
| आयगर             | 5 | —                     | —                              |
| के. एम. मुंशी    | 6 | —                     | —                              |
| अम्बेडकर         | 3 | —                     | मंत्री                         |
| सत्यनारायण सिंहा | 2 | —                     | मंत्री व मुख्य-सचिव            |

सदस्यों की योग्यता—

कुल मिलाकर संविधान-सभा में 20 महत्वपूर्ण सदस्य थे जिनमें व्यक्तित्व, योग्यता और पृष्ठभूमि का मौलिक ग्रन्तर था। सभी स्नातक थे, नेहरू, पटेल, अम्बेडकर और आजाद बाहर के विश्व-विद्यालय से डिप्लो प्राप्त थे। 12 वर्गीय थे 2 उनके पास कानून की डिप्ली थी। एक विकित्सक, दो शिक्षक, तीन सिविल शासन के उच्च-पदाधिकारी, एक व्यवसायी था। अम्बेडकर को नेहरू ने मंत्री-पद के लिए नियमित किया और उन्होंने सभी सदस्यों की मरणों के लिये इसे स्वीकार कर लिया। वी. एन. राव भी सभा के कुछ व्यक्तियों में संवेदानिक उल्लंघनों को सुलभाने का अधिक ज्ञान रखते थे। सभा के कुछ व्यक्तियों ने 1935 के अधिनियम के निर्माण में विशेष सहयोग दिया था। धौ. नेहरू अधिक व्यावहारिक थे, उन्होंने सभा को मानवतावादी मस्तिष्क और राजनीतिक सिद्धान्तों का अध्ययन दिया। सभी सदस्य राष्ट्रीय आदर्शों की ग्राहित के लिए एकता की आवाजना और राष्ट्रीय-सजगता से श्रोत-प्रोत थे।

सभा में निर्णय सर्वसम्मति से लिये जाते थे। मतभेद होने पर डा० राजेन्द्र-प्रसाद विना मतदान के उसे स्वीकार करवाने की चेष्टा करते थे। संविधान-निर्माण में कुछ विरोध होने पर भी यह अन्त में जनकल्पणा हेतु बना।

### संविधान-सभा का योगदान—

1. 26 नवम्बर 1946 को संविधान-सभा द्वारा पारित वर्तमान संविधान द्वारा विश्व के सबसे बड़े जनतंत्र भारत की स्थापना हुई।

2. संविधान सभा की दूसरी विशेषता सर्वसम्मति थी। इससे सभा की एकता, आदर्शवाद और राष्ट्रीय सहयोग का परिचय मिलता है। विभिन्नता में एकता के सफल प्रयास किये गये।

3. सौमनस्य, सद्भाव और समन्वय की भावना ने एक अद्भुत परिचय दिया। रियासतों, अल्पसंख्यकों एवं भाषा की समस्या को जिस रूप में मुलभाषा वे इस भावना के सफल परिचायक थे।

4. विदेशी संविधानों की नकल करने पर भी उसका मौलिक स्वरूप भारतीय था। संविधान के अपने अलग भारतीय सिद्धान्त थे।

5. संविधान द्वारा अपनाई गई संशोधन-प्रक्रिया भी अभिन्न है। इससे एक और संघवाद और दूसरी ओर विटिश संसदीय जनतंत्र को अपनाया गया।

6. संविधान-सभा ने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विदेशी के साधनों को अपनाया।

अन्त में एक जनतंत्रात्मक संविधान का निर्माण किया गया जो कि विश्व के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है।

## (B) भारतीय राजनीतिक द्यवस्था का स्वरूप

प्रश्न 13—"भारतीय संविधान उधार का थैला है। इसी कारण यह येचीदा, जटिल तथा अस्पष्ट हो गया।" विवेचना कीजिए।

अथवा

भारतीय-संविधान के स्रोतों के स्वरूप की ध्याक्षण कीजिये। साथ ही संशोधन की प्रक्रिया, ध्याविक पुनर्विधार और अप्रेजी राजनीतिक द्यवस्था के भारत के संविधान के स्रोतों के रूप में योगदान बताइये।

अथवा

"प्रस्तावना, जो संविधान की भूमिका है, संविधान के स्रोत, अनुशंशित, ढाँचा, उद्देश्य तथा विषय-पत्र की चर्चा करता है।" समीक्षा कीजिए।

अथवा

"जेनिस का यह विचार है कि भारतीय-संविधान न केवल अपने संशोधन की प्रक्रिया के कारण विकिंग उसके विस्तार के कारण भी अचल है, और उसका विस्तार अधिकांशतः 1935 के संविधान के प्रभाव के कारण है।" तर्क सहित ध्याह्या कीजिए।

**उत्तर—पृष्ठभूमि—**भारतीय-संविधान के स्रोतों की पृष्ठभूमि अधिकानर विदेशी संविधान ही है। यद्यपि संविधान में अनेक मौलिक स्रोतों का भी उल्लेखनीय स्थान रहा है। यही कारण है कि स्रोतों के स्वरूप के सम्बन्ध में विभिन्न मत रहे हैं। कुछ विद्वानों ने केवल विदेशी तत्वों को ही स्रोत मानकर, संविधान की आलोचना स्वरूप, इसे मानुमती के कुनवे की भाँति गड़वड़ (Hotch-potch) अथवा बरांसकर (Hybrid) कहा है। एक अन्य आलोचक ने कहा है कि “यह उधार ली गई वस्तुओं का सकलन मात्र है। इसी कारण यह भद्दा, जटिल और येमेल हो गया है।” इसके विपरीत कुछ विचारकों का कहना है कि यद्यपि भारतीय संविधान के स्रोत हैं तो विदेशी संविधान ही किन्तु उन स्रोतों के स्वरूप में भारतीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर दिया गया है। उन्हें यहाँ की भूमि अथवा वातावरण के अनुरूप ढाला गया है। यही विभिन्न देशों का अनुभव भी उन व्यवस्थाओं को उपयोगी ठहरा डुका है। जैसा कि B. N Rao ने “Indian's constitution in the making” में कहा है, “Undoubtedly it is true that the (draft) constitution has borrowed from other constitutions and not only from the Act of 1935. But so long as the borrowings have been adopted to India's peculiar circumstances, they can not in themselves be said to constitute a defect. Most modern constitutions do make full use of the experience of other countries, borrow whatever is good from them and reject whatever is unsuitable. To profit from the experiences of one's own is the path of wisdom.”

**बहुतुत:** हमारा संविधान बहुत ही विद्या सार-सप्रहवाद का परिचायक है। यथह करने में हमारे संविधान-नियमिताओं को कोई सकोप भी नहीं है। यहाँ योंकि ‘हमारे संविधान-नियमिताओं का उद्देश्य कोई मौलिक या अद्भुत संविधान तंयार करना नहीं या। वे तो केवल ऐसा संविधान चाहते थे कि जो अच्छा हो और जिससे काम चलता रह सके।” (टॉ एम यो० शम्प॒)

1935 के एक दिन प्रकार संविधान के स्रोतों के स्वरूप के अधिक निकट है। जैसे कि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत 1935 का अधिनियम है। पंजाबराव देश मुख्य पा तो यहीं तक कहना है कि “यह संविधान सारत 1935 का गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक ही है।” इसमें केवल व्यापक मताधिकार और जोड़ दिया गया है। लेकिन यात्नय में इन दोनों की अधिनियम का एक मानदार संस्करण है। 1935 का अधिनियम एक विदेशी ग्रन्द की कृति गा भावना में बहुत धन्तव है। 1935 का अधिनियम एक विदेशी ग्रन्द की कृति गा भी और उसे ‘‘पूर्ण स्वराज्य’’ के निम् घोर मवाती ही जनता पर उसके न चाहते हुए भ लगभग घोप गा दिया गया था किन्तु यत्नमान भारतीय संविधान इसके विपरीत

जनता के प्रतिनिधियों की भावाज का घोतक है। 1935 के अधिनियम में 'पृथक निर्वाचन प्रणाली' की जो गंदी ध्यवस्था थी उसे भारत में वास्तविक लोकतन्त्र की वृद्धि में बाधक होने के कारण उसके स्थान पर 'समुक्त निर्वाचन प्रणाली' रखी गई। गाय ही यहाँ की द्यल्प-मंडपक जातियों के लिए गुरुदित स्थानों की ध्यवस्था की गई। 1935 के अधिनियम में महाराज्य पाल (Governor General) और राजपाल को धनेक विशेष अधिकार व ध्यतिगत निर्णय से कार्य करने की शक्ति प्राप्त थी किन्तु वर्तमान संविधान में राष्ट्रपति व राजपालों को गवेंगानिक शक्तियों को ही स्थिति प्रदान की गई है।

**अमरीकी संविधान का अनुदाय—**अमरीकी संविधान में प्रतावना, मौलिक उच्चतम न्यायालय द्वारा की ध्यान्या, उपराष्ट्रपति का स्थान एवं कृत्य तथा सशोधन-प्रक्रिया आदि सभी गई हैं। नेविन सभी को अमरीकी दण से न अपना बार उसका एक प्रकार में 'भारतीय-करण' कर लिया गया है। उदाहरण के लिए सशोधन प्रक्रिया में ही कुछ नम्य बनाया गया है। अमरीका में जहाँ कम से कम तीन चौथाई राज्यों द्वारा अनुमत्यन दोषित है वहाँ भारत में आधे राज्यों की स्वीकृति ही पर्याप्त है।

**संशोधन-प्रक्रिया—**सशोधन-प्रक्रिया का संविधान के स्रोत की हृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वर्तमान काल के अधिकाश संविधानों लासकर लिखित एवं संघातक संविधानों के विकास का सर्वप्रमुख स्रोत सशोधन की प्रक्रिया है। इसीलिए संशोधन-प्रक्रिया को प्रत्येक लिखित संविधान का अनिवार्य या या माना जाने लगा है। गान्हर ने भी संविधान के लिए इसके महत्व को इस प्रकार व्यक्त किया है कि "कोई भी लिखित संविधान-सशोधन की विधि के उपबंधों के बिना पूर्ण नहीं है। मानव समाजों को समय बीतने के साथ-साथ उच्चत और विकसित होना चाहिए, और यदि उनके आतंरिक विकास की आवश्यकता के अनुमार ऐसे सर्वधानिक समन्वय करने की धारा नहीं बनाई जाती तो वे गतिहीन या अप्रगतिकारी हो जायें।" भारतीय संविधान के निर्माता भी सशोधन की प्रतिवार्यता में परिचित थे। किन्तु वे चाहते थे कि सशोधन-प्रक्रिया इतनी जटिल भी न हो कि संविधान समयानुसार परिवर्तित न हो सके और न ही इतनी मरन हो कि संविधान शासक दल के हाथों का खिलोना बन जाये। अत. उन्होंने भव्य मार्ग अपनाया और सशोधन के लिए तीन प्रणालियों को अपनाया—(क) साधारण विधि संशोधन की प्रक्रिया (ख) संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया (ग) राज्य विधान-मंडलों की स्वीकृति से संशोधन प्रक्रिया।

तीनों विधियों के अपनाने से लिटिश संशोधन प्रक्रिया की नम्यता के साथ अमरीकी संशोधन-प्रक्रिया की जटिलता की त्रुटियों से भी वह मुक्त हो गया है और साथ ही उसमें मौलिकता का समावेश भी हुआ। जैसे (1) संसद के अन्य संघातक

संविधानों के विवरीत, भारत के संविधान में संशोधन के लिए किसी पृष्ठ निराम की व्यवस्था नहीं की गई। संविधान के निर्माण की शक्ति संघ के सामान्य विधान-मण्डलों को अनुच्छेद 305 को प्रदान की गई (2) ऐसे उपचान जो राज्यों के विधान-मण्डलों को संशोधन सम्बन्धी विधेयकों को वो भी आवश्यक समझा गया। (3) संविधान के संशोधन सम्बन्धी विधेयकों को ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

शब्द तक हुए विभिन्न संशोधनों द्वारा संविधान में घनें कर्ने वाले व्यवस्थाओं को समिग्नित किया गया। उदाहरणार्थ जीवे संशोधन द्वारा जीवीदारी उन्मूलन कावृत्ति 31, 31 के घोर 305 में से गम्भीर व्यवस्था की गई। इसके द्वारा अनुच्छेद 31 (2) के संशोधन में यह व्यवस्था की गई कि जब जब राज्य किसी निजी सरकार कार्य के लिए अनिवार्य स्पष्ट से गम्भीर व्यवस्था की गई। इसके द्वारा अनुच्छेद 31 (2) के संशोधन में यह व्यवस्था की गई कि जब अभियान किये गये। अनुच्छेद 31 (2) के संशोधन के मात्र को कियो गया विधिक विधान द्वारा निर्धारित मुमाले के मांगार पर संतर अन्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी। अनु 305 के संशोधन के मांगार पर संतर को प्रभावित करता है, तब अधिकृत विधान द्वारा विधान करने के लिए कावृत्त बना सकते हैं। अनुच्छेद 31 (2) के संशोधन में राज्य-विधान-मण्डलों को यह अधिकार शुल्क करने के लिए कावृत्त हुए। 1956 के किसी विशेष क्षेत्र में राज्य का एकाधिकार शुल्क अधिकार प्राप्त हुए। यथार्थी की इनसे राज्य को समाज-कल्याण के कार्यों में व्यापक अधिकार प्राप्त हुई। यथार्थी की सातवें संशोधन द्वारा राज्यों के उपर्युक्त सम्बन्धी कुछ व्यवस्थाएँ की गईं। यथार्थी की संयुक्त वंडक की आवश्यकता समाप्त कर दी गई। इस प्रकार संशोधन प्रक्रिया के क्षेत्र में भी संविधान-निर्माण में योग दान दिया है।

न्यायिक पुनरावलोकन—इसी प्रकार एक अन्य व्यवस्था न्यायिक पुनर्विचार की है जिसने कि स्त्रीों को हट्टि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यह व्यवस्था अमरीकी संविधान से ली गई है किन्तु भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बल उन्ही कावृत्तों को अवैध घोषित कर सकता है जो कि संविधान के उपचानों के अनुच्छेद न हो जब कि अमरीका में सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कावृत्त को अनुचित प्रतीत होने पर अवैध घोषित कर सकता है। इसीलिए अमरीकी संविधान के सम्बन्ध में न्यायालय एक व्योकि न्यायिक पुनर्विचार की विधित हूँस ने कहा था, "हम एक संविधान के अधीन तो है, किन्तु वह संविधान है, जो कि न्यायाधीज बताते हैं कि वह यह है।" व्योकि न्यायिक पुनर्विचार की विधित कारण अमरीका का सर्वोच्च न्यायालय इन शक्ति के कारण अमरीका का सर्वोच्च कावृत्त सकता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय इन किये विना ही पूर्ण कावृत्त को बदल सकता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की सीमा तक तो संविधान का निर्माण नहीं है किन्तु कुछ भी तक उसके योग-दान को भी अस्वीकार नहीं होता है। असंविधानिक होने पर वह कावृत्तों को तो भी अस्वीकार ही होता है, साथ ही मूल अधिकारों पर भी 'युक्ति-युक्त' प्रतिवध लगा

सकता है। इस प्रकार संसद द्वारा बनाये गये विभिन्न कानून जो कि संविधान के निर्माण का स्रोत है, उनकी उपयुक्तता की जाँच करके न्यायिक पुनर्विवार का भी खोतो के लिए महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। इस सम्बन्ध में दिये गये अनेक न्यायिक निर्णय संविधान के अन्यतम अग बन जाते हैं।

**ब्रिटिश संविधान का अनुदाय—ब्रिटिश संविधान से भी अनेक चीजें ली गई हैं।** इनमें ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था प्रमुख है। इसका प्रमुख कारण या कि ब्रिटिश सरकार ने अधिनियमों द्वारा क्रमशः संसदीय मस्थाओं की स्थापना की थी और नये संविधान के निर्माण-काल तक उनकी जड़े जम चुकी थी। ब्रिटिश-पद्धति के आधार पर ही भारत में भी विधान-मण्डल को जो जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, कार्यपालिका के ऊपर सर्वोपरिता प्राप्त है, क्योंकि मन्त्रिमण्डल विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय व्यवस्था से सम्बन्धित अनेक बातों के लिए ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया गया है। इस प्रकार यह स्वयं अपने आप में भारतीय संविधान का एक स्रोत है। निर्देश के लिये भी इसी का अनुसरण किया जाता है। धारा 105 (3) में लिखा है कि जब तक भारतीय संसदीय विशेषाधिकार के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बनाये तब तक ब्रिटिश संसद के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार लागू समझे जायेंगे। कभी-कभी ब्रिटिश संविधान के सिद्धांत स्वतः गम्भीर ( Implied ) होंगे, जैसे व्यायामयों द्वारा जारी किये गये लेख ( Writs ) से सम्बन्धित नियम। ब्रिटेन में प्रधान-मन्त्री को अभियमयों द्वारा जो अधिकार व कर्तव्य प्राप्त है वे ही परम्पराएँ भारत में भी व्यवहृत हैं। डॉ० एम. पी. शर्मा ने भी इस सम्बन्ध में कहा है, “सच तो यह है कि मंत्रिमण्डलीय या संसदीय-शासन कुछ ऐसी संवैधानिक परम्पराओं या प्रथाओं पर आधारित होता है, जो सामान्यता, मान्यता प्राप्त होती है और जिनकी चर्चा संविधान में अनुच्छेदों के रूप में करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती। इसलिये संविधान की मन्त्रि-परिषद् सम्बन्धी धाराओं या व्यवस्थाओं की अन्य देशों के संविधानों में प्रचलित प्रथाओं के आधार पर व्याख्या करनी पड़ी है, विशेष रूप से ब्रिटेन की प्रथाओं के अनुसार जो कि संसदीय शासन का परम्परागत धर है।” इस प्रकार ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था भारतीय संविधान का एक निरन्तर स्रोत है।

किन्तु अन्य स्रोतों की भाँति इस व्यवस्था को भी कुछ परिवर्तित स्वरूप में अपनाया गया है। जैसे ब्रिटेन का प्रधान-मन्त्री अपने सहयोगियों को चुनता है और उन्हें विभाग सीपता है, परन्तु भारत में ( अनु० 75 के अनुसार ) इस प्रकार की नियुक्तियाँ करने और सरकार के काम को सुविधापूर्वक चलाने के लिये और इस प्रकार के काम-काज का मंत्रियों में बैट्टवारा करने के लिये नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। ( यद्यपि वास्तव में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मलाह से ऐसा करता है। इसके अलावा ब्रिटेन की केविनेट के सदस्य वहाँ की नियम-

गे जुने जाने हैं और केविनेट के रिमी भी गदर्य को उम सदन में बैठने का प्रधिकार नहीं है, जिसका नि वह सदस्य न हो। लेइन भारत में प्रतियों को संसद-सदस्यों के प्रस्तों का उत्तर देने के लिये दोनों सदनों में जाना पड़ता है। याथ ही यह प्रावश्यक नहीं है कि कोई मनो भवनी नियुक्ति के गम्य गदर का सदस्य प्रवर्ष ही हो, वह ए' महीने तक गम्य का गदर्य यन भवना है। उनके प्रतिरक्त और भी प्रनेत्र गिरनारा' विदिश व भारतीय गम्यीय पदति में पाई जानी है।

आपरेण्ट व कानाडा के सविधान का योग—प्रापरेण्ट के संविधान में राज्य के नीति-निर्देशक तत्व, गट्टपति के नियंत्रित में नियंत्रित-मण्डल की व्यवस्था और उनीय सदन में साहित्य, अला और विज्ञान प्राप्त थें दोनों में प्रसिद्ध प्राप्त व्यक्तियों के नामांकन की प्रगाती आदि की गई है। संविधान के गम्यीय सदस्य पर बनाडा के सविधान का प्रभाव है। किन्तु उपर्युक्त नभी सविधानों के विभिन्न प्रावश्यकों वो सम्पूर्ण रूप में या ऊरी रूप में नहीं भवनाया गया है वरन् भारत के घनुकूल तत्वों को ही उनमें से लिया गया है और याथ ही उनके प्रावश्यक, दोपूर्ण तर्गा घनुपुकूर तत्वों को ग्रहण नहीं किया गया है।

यह निष्ठार्थ रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय सविधान के स्रोतों का मूल तो विदेशी संविधान है, लेकिन उन्हे मौत्तिक स्वरूप में प्रहण किया गया है।  
प्रश्न 14—भारतीय सविधान द्वारा किस प्रकार विधि के शासन की स्थापना की गई?

भारत में विधि का शासन विटिश-शासन-व्यवस्था की कहीं तक नक्ल है?

‘कानून के समक्ष समता’ विधि के शासन की देन है। व्याख्या कीजिये। उत्तर—भूमिका-विधि का शासन यंगेजी संविधान की एक व्यापारभूत विशेषता है। अमरीका और भारत की भाँति इंग्लैण्ड में सविधान नागरिकों को विभिन्न अधिकार नहीं देता। वहाँ ऐसा कोई संसदीय अधिनियम भी नहीं है जो जनता के मूल अधिकारों को निर्धारित करता हो। किन्तु वहाँ नागरिकों के भविकारों की रक्षा-विधि के शासन द्वारा की गई है।

भारतीय संविधान में भी यद्यपि ‘विधि का शासन’ शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, किन्तु व्यवहार में, मूल भविकारों द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अर्थ—लाडै हीवर्ट के अनुसार, विधि के शासन का अर्थ, “व्यक्तियों के कारों का निवारण या निवेदन करने के लिए विधि की प्रयातता या राजनीचत्ता है।” यह उल्लेखनीय है कि जब शासन की यह स्वेच्छाचार या अन्य किसी पदति से निम है।” यह उल्लेखनीय है कि जब शासन की अनुसार प्रयुक्त होती है, तब कहा जाता है कि उस शासन की प्रजा विधि के शासन के तरह रह रही है। जीवन में ये-दशा ए केवल वही प्राप्त की जा सकती है, जहा

विधि के सम्मुख समानता हो और विधि की सर्वोच्च, एक रूप तथा सार्वभौम माना जाता हो। दूसरे शब्दों में “विधि के शासन के अन्तर्गत विधि के स्वीकृत सिद्धान्तों और वैधानिक हृष्टि से सधम अधिकारियों की कायंदाही के प्रतिरिक्ष अन्य किसी प्रकार से न तो राज्य द्वारा मनमाने दियित्वे का आरोप हो गया है, न सपति में हस्तक्षेप हो सकता है और न वैयक्तिक स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है।” विधि के शासन की व्यवस्था फ्रास की प्रशासनिक कानून की व्यवस्था का नियेध करती है जिसके मनुमार दो प्रकार के कानून लागू होते हैं।

भारतीय संविधान में विधि का शासन--भारतीय संविधान के अनु. 14 में कहा गया है कि “भारत के राज्य-क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता अथवा कानून के समान सरकारण से बचित नहीं करेगा।”

‘कानून समक्ष समानता’ विधि के शासन की ही देन है। इसका अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। इससे राज्य पर यह वधन लगाया गया है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। कानून छोटा-बड़ा, ऊँच-नीच या छूट-प्रछूट किसी प्रकार भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, जाति, कुल, लिंग तथा जन्म-स्थान के आधार पर कानून किसी व्यक्ति को प्रथम नहीं देगा। पश्चिमी वंगाल बनाम अनवर अली के मुकद्दमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा कि “समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक सा होता चाहिए।” इस प्रकार अनु. 14 ऐसी परिस्थितियों की स्थापना करना चाहता है जिसके अन्तर्गत स्वेच्छाचारी एवं भेदभावपूर्ण कानूनों की रचना नहीं हो पाएगी, न कानूनों के प्रयोग में ही भेदभाव घरता जा सकेगा। भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को यह अधिकार समान रूप में प्राप्त है।

लेकिन कानून के समक्ष समता का यह अर्थ नहीं है कि राज्य किसी विशेष उद्देश्य से नागरिकों का उचित तथा तक-संगत वर्गीकरण नहीं करेगा। न्यायाधीश दीक्षित के शब्दों में “कानून के समक्ष समता का अर्थ व्यक्तियों की पूर्ण समानता नहीं है वल्कि इसका अर्थ यह है कि जन्म, जाति या अन्य समान कांतरणों के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। समान संरक्षण का अर्थ यह है कि स्वयं कानूनों के प्रणाली में मनमाना भेदभाव नहीं किया जाएगा।” चिरंजीव माल चौधरी बनाम भारत सर्व नामक मुकद्दमा, इस संबंध में उल्लेखनीय है। इस मुकद्दमे में सरकार पर यह आरोग लगाया गया कि शोलापुर कताई एवं बुनाई अधिनियम 1950 द्वारा सिर्फ एक कम्पनी के नियन्त्रण एवं व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर सरकार ने भेदभाव का बताव किया है जो संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत है। लेकिन ‘सर्वोच्च न्यायालय ने यहूमत से यह निर्णय दिया कि आवेदा द्वारा प्रस्तुत एवं तथ्य यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं कि विधायिका में कानून बनाए।’

इस वास कम्पनी को पुनरकर श्रमिक सगत भेदभाव किया है। केन्द्रराजपत्रनाम पश्चिमी बगात मरकार नामक गुफदमें में भी गवोच्च न्यायालय ने प्रपत्रना विवार घटक किया कि "यह प्राणितया निश्चित हो गया है कि अनु० 14 द्वारा प्रदत्त कानून के अन्यान सरकार का भर्थ यह कदापि नहीं है कि सभी कानून सामग्री प्रकृति के हों तथा उनका प्रभाव मर्यादाएँ हों तथा विधि-नियमिति के हेतु राज्य को गवितयों या बस्तुओं में भेदभाव तथा वर्गीकरण करने का परिकार नहीं है।"

परन्तु किसी प्रकार का भेदभाव धर्यवा वर्गीकरण मनमाना तथा श्रमित गगत नहीं होना चाहिए तथा उसका किसी व्यक्ति के ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

विधि-शासन की द्वारी विभेदता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को कायम रखना है। अनु० 19, 20, 21 और 22 में उल्लिखित स्वतन्त्रता के अधिकार द्वारा इसकी पूर्ति की गई है। इन्हें 'व्यक्ति स्वतन्त्र' कहा गया है। इनमें अनु० 19 सबसे महत्वपूर्ण है जिसके उपर (1) द्वारा निम्न सात स्वतन्त्रताएँ प्रदान की गई है—

- (क) वाक् स्वातंत्र्य एव अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य ।
- (ख) शात्वर्ण एवं तिरारप रामेश्वरन ।
- (ग) संस्था या संघ बनाना ।
- (घ) भारतीय राज्य-सेवा में धर्यवा गवरण की स्वतन्त्रता ।
- (इ) भारतीय राज्य-सेवा के किसी भी भाग में निवास करने वाले वसने की स्वतन्त्रता ।

(च) सम्पत्ति के अजंत, धारणा एवं व्यय करने की स्वतन्त्रता ।  
(छ) कोई वृत्ति, व्यापार, उपजीविका या कारोबार करने की स्वतन्त्रता ।

लेकिन स्वतन्त्रताओं के उपर्युक्त अधिकार नहीं हैं। अनु० 19 के (2) से (6) तक कुछ अपवादों का उल्लेख किया गया है। ये अपवाद इन अधिकारों को सीमित कर देते हैं। लेकिन केवल वैध कानून द्वारा ही इन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। बिना कानूनी अधिकारों के कार्यपालिका इन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती है।

जैसे वाक् स्वातन्त्र्य को और अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य को अपमान लेख, अपमान वचन, न्यायालय अपमान, गिटचार एवं सदाचार के विरुद्ध होने तथा राज्य की सुरक्षा के हित में सार्वजनिक सुरक्षा के हित में और अपराधों को उत्साहित न करने के हित में राज्य द्वारा सीमित किया जा सकता है। किन्तु ये सभी 'युक्ति-युक्त नियन्त्रन' होने चाहिए। अतः जो विधि स्वेच्छाचारी हैं गे स्थवरा अत्यधिक मात्रा में अधिकार पर अतिक्रमण करें, वह 'युक्ति-युक्त' नहीं हो सकती। अनु० 20 में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के सन्तर्गत अपराधों के लिए दोष-सिद्धि के य में संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनु० 20 (1) के अनुसार 'कोई व्यक्ति

किसी अपराध के लिए दोष-सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने अपराध करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो और कोई व्यक्ति उससे अधिक दण्ड का पात्र होगा जो उस अपराध के करते समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा सकता था।

2. कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दण्डित और अभियोजित नहीं किया जाएगा।

3. किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं ग्राने विहृद साक्षी होने के लिए वाय्य न किया जाएगा।

यह खण्ड विटिश सामान्य विधि के इस तथ्य पर आधारित है कि कोई व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कि उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता। फारा तथा अन्य यूरोपीय देशों में यह सिद्धान्त प्रचलित नहीं है।

अनुच्छेद 21 जीवन तथा दैहिक स्वातंश्य को सरक्षण प्रदान करता है। इसके अनुसार "किसी व्यक्ति को अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा पुरस्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार भी वंचित नहीं किया जाएगा।" दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ है "शारीरिक कष्ट, नजरबन्दी तथा कैद से मुरक्खा। इता अनुच्छेद में प्रयुक्त 'विधि सम्मत प्रक्रिया' का अर्थ है कि जब विधान-पालिका जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अपहरण के सम्बन्ध में कोई कानून बना देता है तो न्यायालय उसे अवैध नहीं ठहरा सकता। अत. ये निर्धारा नहीं हैं, विधि सम्मत प्रक्रिया (Procedure established by law) द्वारा इस अधिकार को छोना जा सकता है किंतु भी कानून की हड्डि से इस अधिकार को पर्याप्त संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 22 में नजरबन्दी तथा बदीकरण से सरक्षण प्रदान किया गया है।

विधि-शासन की तीसरी विशेषता सम्पत्ति को स्वतंत्रता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 31, 31 (1) और 31 (2) में किया गया है। अनुच्छेद 31 खण्ड (1) के अनुसार कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायगा।

केवल कानून के प्राधिकार द्वारा, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए तथा कानून द्वारा निर्धारित क्षतिपूति की व्यवस्था-पर ही किसी निजी सम्पत्ति को राज्य भरपित या अधिकृत कर सकता है। क्षतिपूति की मात्रा विधान-मण्डल द्वारा निर्धारित की जाती है तथा उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

निष्कर्ष स्पष्ट में उत्तरुंकत अधिकारों द्वारा विधि-शासन की सम्पूर्ण भवस्थाप्तों को प्रदान करते का प्रयत्न किया गया है। माय ही इनकी रक्षा के लिए गंवानिका उपचारों का अधिकार भी दिया गया है।

लेकिन निवारक निरोप कानून और राष्ट्रपति की संटकारातीन घटियों, गे दो व्यवस्थाएं विधि-शासन के लिए यात्रा मात्री जाती हैं।

यद्यपि प्रिटेन में संसद को शान्तिकाल में भी निवारक निरोध सम्बन्धी विविधिमित करने की शक्ति प्राप्त है, तोकिन उसने इस शक्ति का कभी प्रयोग नहीं किया। केवल युद्धकाल में प्रथम और द्वितीय महायुद्ध के समय में—संसद ने ऐसे कानून बनाए, जिसे गांधीजनिक सुरक्षा तथा देश की रक्षा के हितार्थ राज्य-सचिव लोगों ने न्यायालय की सज्जा के बिना केंद्र में रख सकता था। लेकिन भारतीय संविधान पुढ़ और शान्ति दोनों समयों के लिए निवारक निरोध की व्यवस्था करता है। जो एत जोशी के शब्दों में “भारत में निवारक निरोध एक संकटकालीन उपचार है, लेकिन यह संकटकाल तक ही सीमित नहीं है। इसी आधार पर इसे व्यवितरण स्वतंत्रता का विरोधी माना गया है।

निवारक निरोध अधिनियम, 1950 द्वारा केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि उन्हें संतोष भयवा विश्वास हो जाय कि किसी व्यक्तिके कार्ये (1) भारत की सुरक्षा, अन्य देशों के साथ भारत के सम्बन्ध तथा भारत की शान्तिपूर्ण स्थिति या (2) राज्य की शांति एवं सुरक्षा या (3) देश के लिए आवश्यक पूर्ति तथा रोकाए बनाए रखने के बिल्ड हैं तो ये उसे निवारक निरोध में रख सकती है।

संविधान सभा में इसके उपचारों की बड़ी कड़ी भालोचना की गई थी। अनेक सदस्यों ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक गमीर लतरा बतलाया। बड़ी टेक्चर्चन ने इन्हे ‘दमन तथा स्वतंत्रता हनन का पत्र कहा। न्यायाधीश महाजन ने कहा था “निवारक निरोध कानून प्रजातात्त्विक संविधानों के प्रतिकूल है एवं विश्व के अन्य किसी भी प्रजातात्त्विक राज्य में वे नहीं पाये जाते हैं.....यह आश्चर्य की बात है कि इसे भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों के अध्याय में स्थान दिया है।”

किन्तु वास्तव में, जितना भय भालोचकों ने दियालया है उतना खतरा उम्मेद नहीं है। “इस भयानक उपकरण, जिसका प्रजातात्त्विक संविधान में कोई स्थान नहीं है, जो मौलिक अधिकार की पवित्रता के प्रतिकूल है और जो प्रस्तावना में विहित प्रतीकाओं के बिल्ड है, का व्यवधान उन समाज-विरोधी तथा विवर्णसंकारी तर्कों के बिल्ड किया गया है जिनसे नवजात प्रजातंत्र के राष्ट्रीय हित को घतता है। व्यवितरण स्वतंत्रता पर और इस तरह विधि-शासन पर इससे कुछ अंशों में तो प्रतिबन्ध लगता ही है।

राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियों की विधि शासन की दृष्टि है। इसलिए भालोचन की जाती है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को यह बिल्ड कर देती है। राष्ट्रपति द्वारा संकटकाल की उद्योगणी करने पर अनुच्छेद 19 में विलित सात स्वतंत्रताएँ स्वतः निलम्बित हों जानी हैं तथा संवैधानिक उपचारों के प्रधिकार में नागरिकों को विशेष अध्यादेश द्वारा विचित किया जा सकता है।

यद्यपि सं. रा. प्रमरीका में भी कांग्रेस तथा राष्ट्रपति को मौलिक प्रधिकारों को निलम्बित करने की शक्ति दी गई है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति तथा

काप्रीत के काव्यों को, घगर उचित समझें, अर्वद पायित कर रहे कर सकता है। बन्दी प्रत्यधीकरण के प्रादेश का अधिकार तब तक निलम्बित नहीं किया जा सकता जब तक कि युद्धकाल में मध्या विद्रोह की स्थिति में ऐसा करना अत्यावश्यक न हो जाये। यहाँ तक कि एक न्यायालय ने एक गुकदमें में यह निर्णय दिया था कि ‘‘युद्धकाल में भी संवैधानिक मौलिक स्वतंत्रताम्रों का हनन नहीं किया जा सकता। प्रेट्रिटेन में त्रिट्रिश आपात शक्ति मधिनियम 1920 के अनुसार अध्यादेश को सासद के समक्ष पौँच दिनों के भीतर रखा जाना चाहिए।’’ घगर सासद उसे अस्वीकृत कर देती है तो सात दिनों के बाद उग्रका अत हो जायगा युद्धकाल में भी विधि का शासन अवश्य रखा जाता है।

इम प्रकार अमरीका और ब्रिटेन में आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग केवल विधायिका तथा न्यायालिका की शक्ति के अन्तर्गत ही किया जा सकता है। राज्याध्यक्ष अवधि रूप से उनका प्रयोग नहीं कर सकता है तथा व्यक्तियों की स्वतंत्रताम्रों का उनमें हनन नहीं हो सकता है। कनाडा, आयरलैंड, स्विटजरलैंड तथा आस्ट्रेलिया के संविधानों में भी इम प्रकार के उपचर्य नहीं हैं। केवल बाइमर संविधान में राष्ट्रपति को इम प्रकार की शक्तियाँ दी गई थी जिनका प्रयोग कर हिटलर ने, जर्मनी में, नागरिक अधिकारों का दमन किया था। भारतीय राष्ट्रपति को भी इसी प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई है। मौलिक मधिकारों को निलम्बित करने की राष्ट्रपति की शक्ति को न्यायालय में चुनी गई नहीं दी जा सकती है और न ही न्यायालय उसकी वंयता की जांच कर सकते हैं। अतः इन शक्तियों के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रताम्रों का हनन करके विधि-शासन को समाप्त किया जा सकता है। एच. बी. कामय ने भी इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि, “(भारतीय) संविधान मौलिक अधिकारों की ‘योरवपूर्ण स्वीकृति पर आधारित है। उस नीव पर हमने लोकसत्र का भवन खड़ा करने की चेष्टा की है, लेकिन उस भवन पर ‘महादृनका-रात्मकता’ की परत चढ़ी हुई है। अनुच्छेद 259 इस निरकुश प्रतिगामिता की आधारशिला है।.....स्वतंत्रता के निरकुश प्रतिरोधी के रूप में इस अनुच्छेद की तुलना विश्व के अन्य किसी संविधान से नहीं की जा सकती है।”

किन्तु, बास्तव में, इस उपचर्य के व्यावहारिक पहलू पर टूटिपात करने से मालूम पड़ता है कि केवल 1962 के राष्ट्रीय आपात की अवधि में ही मौलिक अधिकारों को निलम्बित किया गया था और उग्रका भी अभाव भास जनता पर नहीं के बराबर पड़ा।

साथ ही राज्य की मुरक्का के कारण इनका होना आवश्यक है। वी एन. शुक्ला के शब्दों में, “उपचर्य कठोर दीख पड़ते हैं, खासकर उस संविधान में जिसका आधार मौलिक अधिकार तथा प्रजातंत्र है। लेकिन इन उपचर्यों का भूतकालीन इतिहास के प्रसग में किया जाना चाहिए। जब कभी भी देश में

दुर्बल रहा, भारत के लिए वह दुदिन सिढ़ हुआ। यह उचित दीख पड़ता है कि संविधान पृथम्भारी शक्तियों से देश की रक्षा करता है। ऐसी घटनाएँ घट सकती हैं जो राज्य के प्रस्तुत्त्व को खतरा पहुँचायें। अगर ऐसी परिस्थितियों से राज्य की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था न रहे तो राज्य का उसके मौलिक तत्वों सहित, विनाश निश्चित है।

आज भी तेलगुना विद्रोह, पश्चिम बंगाल की अध्यवस्थित दशा तथा चंडोगढ़ के लिए किए जाने वाले ग्राम्डोलनों के साथ-साथ भापावाद, प्रादेशिकता तथा सम्प्रदायवाद की भावनाएँ भी विद्यमान हैं। ऐसी दशा में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ विद्य-ज्ञान की विरोधी न होकर सहायक ही प्रतीत होती हैं।

**प्रश्न 15—भारतीय संविधान के इस बखेन से आप कहों तक सहमत हैं कि “यह एक ऐसे संघात्मक राज्य की अपेक्षा जिसमें एकात्मक तत्व गौण है एक ऐसा एकात्मक राज्य है जिसमें संघात्मक सत्त्व गौण है।”**

#### अथवा

भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों पर किये गये नियन्त्रण की प्रकृति विस्तार का बर्णन कीजिये। यथा यह संघवाद के विरुद्ध है?

#### अथवा

भारतीय संघवाद के विभिन्न मूल्यांकनों को आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये।

**उत्तर—भूमिका—**यद्यपि संविधान द्वारा भारत के लिए एक संपादक व्यवस्था को अपनाया गया है किन्तु इसकी संघात्मक प्रकृति के सबंध में विद्वानों के विचार समान नहीं है। विद्वानों ने विभिन्न तथा विरोधी विचार व्यक्त किए हैं क्योंकि इसका ढाँचा संघात्मक है किन्तु भास्त्वा एकात्मक है। इसकी प्रकृति इतनी सचीली है कि सामान्य कान में यह संघात्मक रहता है किन्तु सकटकाल में एकात्मक। यही वजह है कि जहाँ प्रो० व्हीयर ने “मद् सध” कहा, वहाँ डा० कृष्ण पी० मुखर्जी ने इसे ‘प्रसंघात्मक या एकात्मक’ कहकर पुकारा। श्री जी० एन० जोशी का विचार है कि “भारतीय संघ एक सध नहीं बल्कि अद्वैत संघ है जिसमें एकात्मक राज्य की कतियम महत्वपूर्ण विशेषताओं का समावेश है।” स्वयं डा० अम्बेडकर का कहना है कि “संविधान को संघात्मकता के सुनिश्चित ढाँचे में नहीं ढाला गया है।” डा० बी० एम० शर्मा का निश्चित मत है कि “भारतीय शासन-व्यवस्था को एकात्मक ग्रन्थ अद्वैत संघात्मक कहना भास्त्वा है क्योंकि यह पूर्णतः संघात्मक है जिसमें संतुतन केन्द्र की प्रोत्तर भुला हुआ है।” श्री एंड्रेजन्ड्रोविच के अनुसार भी भारत को अद्वैत संघात्मक राज्यों के बगे में रखना किम्भी भी तरह न्याय संगत नहीं है।

भारतीय मंधीय व्यवस्था का परीक्षण करने से पूर्व संघात्मक शासन-व्यवस्था के सदाचारों पर विचार कर लेना युक्ति-सागत होगा।

संघीय शासन के सदाचार—संघीय शासन में निम्नतिवित सदाचार या विशेषताएँ होती हैं—

- (1) दो प्रकार की सरकारों का एक साथ रहना ।
- (2) शक्तियों का विभाजन ।
- (3) संविधान की सर्वोच्चता ।
- (4) स्वतन्त्र न्यायपालिका ।
- (5) दुहरी नागरिकता ।
- (6) निमित्त; एवं दुष्परियतेनशील सविधान ।

(1) दो प्रकार की सरकारों का एक साथ रहना—संघीय शासन में दुहरे शासन-वंश श्रथदा दो प्रकार की सरकारों का अस्तित्व होता है। दोनों का अस्तित्व पृथक् एवं स्वतंत्र होता है। दोनों को शक्ति-सविधान से प्राप्त होती है। दोनों सरकारें एक दूसरे के अधीन नहीं रहतीं। सविधान के मंपातमक स्वरूप को ममाप्त नहीं किया जा सकता और न कोई राज्य संघ से पृथक् हो सकता है। दोनों सरकारों का पृथक्-पृथक् संगठन होता है—दुहरी नागरिकता, दुहरा प्रशासन—यत्र एवं दो न्यायपालिकाएँ।

(2) सवित्यों का विभाजन—संघीय शासन-व्यवस्था में सविधान के द्वारा केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारें दोनों अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं। संघीय शासन में केन्द्र राज्य की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न ही केन्द्र राज्य की शक्तियों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस प्रकार शक्तियों के विभाजन के आधार पर केन्द्र और राज्यों के क्षेत्राधिकार निश्चित कर दिए जाते हैं।

(3) सविधान की सर्वोच्चता—संघीय शासन में संविधान सर्वोच्च होता है और केन्द्रीय व राज्य-सरकार दोनों में किसी के द्वारा सविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सविधान की धाराएँ सभी सरकारों को अनिवार्य रूप से माननी पड़ती हैं और उसकी धाराओं के प्रतिकूल होने पर कोई कानून वैध नहीं माना जाता।

(4) अ-स्वतन्त्र न्यायपालिका—संघीय शासन-व्यवस्था में एक स्वतन्त्र न्यायपालिका का अस्तित्व अपरिहार्य होता है क्योंकि राज्यों एवं केन्द्र के क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवादों का निपटारा एक स्वतन्त्र न्यायपालिका द्वारा ही किया जा सकता है। स्वतन्त्र न्यायपालिका सविधान के सरकार के रूप में कार्य करती है। संघीय एवं राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा पारित कानूनों की वैधानिकता का परीक्षण स्वतन्त्र न्यायपालिका ही करती है।

(4) अ-स्वतन्त्र न्यायपालिका—संघीय शासन-व्यवस्था के समान ही भारतीय संघ में एक स्वतन्त्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। स्वतन्त्र न्यायपालिका को यहाँ सर्वोच्च न्यायालय नाम दिया गया है, जो संघीय संसद या राज्यों की व्यवस्था-पिकाओं द्वारा पारित किसी भी ऐसे कानून की जो सविधान की धाराओं का उल्लंघन करता है, को अवैध घोषित कर सकता है।

(5) लिखित, थ्रेट एवं मुध्यपरिवर्तनशील संविधान—भारतीय संविधान एक लिखित प्रलेख है और संशोधन की दृष्टि से कठोर भी है। संविधान द्वारा किए गए शक्ति-विभाजन में संघीय सरकार या राज्य सरकारों में से किसी एक के द्वारा ही अपनी इच्छा से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वरन् इन प्रावधानोंमें परिवर्तन दोनों की सहमति में ही समव है। भारतीय संविधान में 397 धाराएँ हैं।

संविधान के उपर्युक्त प्रावधानों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है।

(1) भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण—ऊपरी तौर से भारतीय संविधान एक संघात्मक शासन-व्यवस्था की स्थापना करता है किन्तु इसमें अनेक एकात्मक लक्षणों को भी यथास्थान देखा जा सकता है। संविधान के ये एकात्मक लक्षण प्रमुख रूप से निम्नलिखित हैं—

भारतीय संघ में संघीय शासन-व्यवस्था की तरह दुहरा प्रशासन यंत्र है। दोनों सरकारे एक दूसरे में पृथक एवं स्वतन्त्र हैं। भारती एकको की सरकारे स्वतन्त्रता का उपभोग करती हैं। उनकी शक्तियों एवं अधिकारों के बीच में केन्द्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

(2) शक्तियों का विभाजन—संघीय शासन-व्यवस्था के मट्टे भारतीय संविधान द्वारा भी संघ प्रीर राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। संघीय सूची में 97 विधय हैं जिन पर संघीय संसद का एकमेव क्षेत्राधिकार है राज्य सूची के विधयों की संख्या 66 है जो राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के अधिकार में है और समवर्ती सूची में 46 विधयों को संघ प्रीर राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में रखा गया है। संघीय एवं राज्य सरकारों के बीच शक्ति-विभाजन का उल्लेख भारतीय संविधान में अन्य किसी भी संघात्मक संविधान की तुलना में अधिक व्यापक रूप में किया गया है।

(3) संविधान की सर्वोच्चता—भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान ही संघ एवं राज्य सरकारों की शक्तियों का स्रोत है। संविधान की धाराओं का किसी भी सूरत में उल्लंघन नहीं किया जा सकता। संविधान द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्राधिकारों का केन्द्र एवं राज्य की सरकार या किसी प्राधिकारी द्वारा उल्लंघन अवैध समझा जाएगा।

(4) दुहरी नागरिकता—संघीय शासन में दुहरी नागरिकता का अस्तित्व रहता है। प्रत्येक व्यक्ति साधारणतः दो राज्यों का नागरिक होता है। एक तो उस इकाई के राज्य का जिसका कि वह निवासी होता है और दूसरे उस संघ-राज्य का जिसमें वह इकाई सम्मिलित होती है। अतः उसे दोनों ही सरकारों की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। दोनों के प्रति निष्ठा रखते हुए दोनों के द्वारा उपलब्ध कराये गए सुख-सुविधाओं का उपभोग करता है।

(5) लिखित, थ्रेट एवं दुष्परिवर्तनशील संविधान—तू कि सधीय शासन समझौते द्वारा स्थापित शासन होता है, इसलिये उसके स्वरूप को निश्चित और व्यवस्थित करने के लिये एक लिखित थ्रेट और दुष्परिवर्तनशील संविधान की आवश्यकता होती है जिससे केन्द्र और राज्यों को अपने-अपने अधिकारों तथा कार्यक्षेत्र का पूर्ण और स्पष्ट रूप से ज्ञान हो। इसके अतिरिक्त संघ-राज्य का मंविधान कठोर होता है, जिसमें संशोधन संरक्षण से नहीं किया जा सकता।

भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण—यद्यपि भारतीय संविधान में कही पर भी 'संघ-राज्य' ( Federation ) शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बरत् उसके स्थान पर 'राज्यों के संघ' शब्द का प्रयोग नहीं किया है, फिर भी भारत वास्तव में एक संघ राज्य है। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के सभी प्रमुख लक्षण विद्यमान हैं—

### दो प्रकार की सरकारों का अस्तित्व

1. केन्द्रो-मूली शक्ति विभाजन—भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन केन्द्र के पक्ष में किया गया है। संघीय सूनी में 97 विषय हैं, राज्य-मूली में 66 और समवर्ती मूली में 561 समवर्ती मूली के विषयों में कानून बनाने का अधिकार दोनों को है किन्तु इन दोनों द्वारा निर्मित कानून में विरोध की स्थिति में संघीय सरकार के कानून ही मान्य होगे। सुरक्षा थल, जल और वायु-शक्ति, रेलवे, मुद्रा और वैदेशिक सम्बन्ध आदि सभी महत्वपूर्ण विषयों पर संघ का एकमेव अधिकार है। इसके सिवाय अवशिष्ट शक्तियाँ भी केन्द्र को ही दी गई हैं। इस प्रकार संघीय सरकार को राज्य सरकारों की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं।

2. संघ एवं राज्यों के लिए एक ही संविधान—एकात्मक शासन की तरह भारत में संघ एवं राज्यों के लिए ही संविधान की रचना की गई है ( जम्मू एवं कश्मीर को छोड़ कर )। भारतीय संघ की इकाईयों को स. रा. अमेरिका के संघ की इकाईयों की तरह अपने अलग संविधान के निर्माण का अधिकार नहीं है।

3. इकहरी नागरिकता—संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता का होता है। एक संघ सरकार की तथा दूसरो पृथक्-मृथक् राज्यों की। भारत में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है। राज्यों की निजी तथा पृथक् नागरिकता नहीं है। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा सभूर्ण भारतीय क्षेत्र के लिये एक ही नागरिकता की व्यवस्था की गई है।

4. एकीकृत न्याय-व्यवस्था—संघीय व्यवस्था में दुहरी न्याय-व्यवस्था होती है। किन्तु भारतीय संघ में न्याय-पालिका को बहुत अधिक सीमा तक एकीकृत कर दिया गया है। देहली स्थित सर्वोच्च न्यायालय देश की मध्यूर्ण न्याय-व्यवस्था के शिवर पर स्थित है। राज्यों के उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की ही शाखा ए है और सर्वोच्च न्यायालय को इन उच्च न्यायालयों पर व्यापक देवाधिकार प्रदान किया गया है।

5. राज्यों की केन्द्र पर वित्तीय निर्भरता—राज्य वित्तीय हृष्टि से आत्म-निर्भर न होकर केन्द्र पर अवलम्बित है। केन्द्र के द्वारा राज्यों की विभिन्न प्रकार के अनुदान आदि दिये जाते हैं और इस आधिक सहायता के कारण केन्द्र राज्यों पर आया रहता है। वित्तीय क्षेत्र में आत्म-निर्भर न होने के कारण राज्यों की स्वतन्त्रता नाम मात्र की है।

6. द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं—संघीय व्यवस्था में इकाईयों को जनसत्त्वा एवं आवार पर विचार किये विना संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। किन्तु भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों को उनकी जनसत्त्वा के आधार पर राज्य-सभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।

7. राज्यों को संविधान में सशोधन लाने की शक्ति नहीं—संघीय व्यवस्था में प्रबलवी इकाईयों को अपने संविधानों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है किन्तु भारतीय संघात्मक व्यवस्था में राज्यों को स्वतन्त्र हृषि में राज्यों से सम्बन्धित संवैधानिक उपचारों में भी परिवर्तन लाने का अधिकार नहीं है। संवैधानिक संशोधन का अधिकारी मूलतः एवं सरकार को प्रदान किया गया है।

8. संसद राज्य को सीमांद्रों के पुनर्निवारण में समर्थ—ग्रामीय समद किसी भी राज्य के प्रदेश में वृद्धि तथा कमी कर सकती है, राज्यों को सीमा बदल सकती है अथवा राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है। स. रा. अमरीका एवं आस्ट्रेलिया के सध में राज्य की सीमाओं में उनकी सहमति के विना परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और इसे संघात्मक व्यवस्था का एक आवश्यक सिद्धान्त समझा जाता है।

9. ग्रामात्मक में एकात्मक—संघात्मक व्यवस्थाएँ शान्ति एवं सकटकाल में संघात्मक ही बनी रहती है लेकिन भारतीय संविधान को विशेषता यह है कि सामान्यकाल में तो यह संघात्मक बना रहेगा लेकिन राष्ट्रीय संकट के समय इसे विना किसी प्रकार के घोषणारिक संशोधन के एकात्मक व्यवस्था का हृषि दिया जा सकता है। संकटकाल की घोषणा के कियाजील रहने के समय संघीय संसद के द्वारा राज्य तूची के विषयों पर भी कानूनों का निर्माण किया जा सकेगा और राष्ट्रीय भासन के द्वारा राज्य-सरकारों को उनके निश्चित क्षेत्र में भी आवश्यक निर्देश दिये जा सकेंगे।

10. राज्यों के राज्यपाल को नियुक्ति द्वारा—राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उम्मेद प्रसाद पर्यन्त ही वह प्रपत्ते पद पर रहता है। राज्य के राज्यपाल के नीति एवं सरकार के एजेंट के रूप में कामे करते हैं। केन्द्र राज्य-पाल के माध्यम से राज्य गरकार पर किसी प्रकार मंकुश लगा सकता है। यह राज्यपाल के मीतिक सिद्धान्त के विशद है।

11. विधेयक पर केन्द्र का नियन्त्रण—राज्य विधान-मण्डल द्वारा पारित कृतिपय विधेयकों को पारित करने के पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। कुछ विधेयकों की अनिवार्य हृष में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि राज्य के विधान-मण्डल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारायं रक्षित रख सकता है। उस विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति भी दे सकता है और रोक भी सकता है।

12. राज्यों के पारस्परिक भागड़ों का केन्द्र द्वारा निपटारा—राज्य के पारस्परिक भागड़ों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को समन्वयकारी शक्ति प्राप्त है। इस उद्देश्य से राष्ट्रपति आन्तर्राज्यिक परिपदों और क्षेत्रीय परिपदों की स्थापना कर सकता है। परिपद का कत्तव्य राज्यों के बीच उत्तरम् विवादों की जांच करना, उन पर मन्त्रणा देना, पारस्परिक हित से सम्बद्ध विषयों की चर्चा करना और किसी विषय के बारे में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करना होगा।

13. मूलभूत विषयों में एक हृषता—संघ-राज्य विभिन्नताओं से पूर्ण व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था में कानून, शासन, न्याय-पद्धति तथा प्रशासनिक मामलों में काफी भिन्नताएँ पाई जाती हैं। परन्तु भारतीय संघ में इन बारों में पूर्ण एकरूपता लाने की चेष्टा की गई है। वित्तीय मामलों में एकरूपता लाने के लिए महालेखी-परीक्षक की व्यवस्था की गई। प्रशासनिक एकरूपता लाने के लिए अधिक भारतीय सेवान्वयी की व्यवस्था की गई है। न्याय में एकरूपता लाने के लिए एकीकृत न्याय-व्यवस्था की स्थापना की गई है।

14. निर्वाचन आयोग—संविधान में सम्पूर्ण देश के लिए एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यह संसद तथा राज्यों के विधान-मण्डलों के निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण करता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा होती है।

**निष्कर्ष**—इस प्रकार भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक व्यवस्था के पर्याप्त लक्षण विद्यमान हैं किन्तु इन लक्षणों के आधार पर भारतीय संघीय व्यवस्था को संघात्मक न मानना तथ्य से इक्कार करना है क्योंकि भारतीय संविधान में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति पर बल दिया गया है। इसकी भावना एकात्मक व्यवस्था से ओत-प्रोत होते हुए भी ऊपरी तौर से यह पूर्ण संघात्मक राज्य है। एकात्मक के इन लक्षणों के होते हुए भी संघात्मकता को नष्ट नहीं किया गया है। प्रो॰ एलेमजेन्डरो-विच का कथन सत्य के निकट है कि “भारत निस्सदेह एक संघ-राज्य है, जिसमें मंत्रभूता के लक्षण केन्द्र एवं राज्यों में निहित है।”

प्रश्न 16—संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मालोचनात्मक बरंगत कीजिए।

प्रथम  
मूलाधिकारों को व्यवस्था एक पुलिस कांसटेबिल के हॉटिकोए से की गई है, एक स्वतंत्र देश के हॉटिकोए से नहीं। व्याख्या कीजिए।

प्रथम  
“संविधानिक उपचारों का अधिकार सारे संविधान की आस्ता और दिल है।” यह कथन कहाँ तक सत्य है?

प्रथम  
संविधान द्वारा दिए गये मौलिक अधिकार यथा प्रसीमित हैं ?  
उत्तर—भ्रमिष्य—वे अधिकार, जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अपरिहाय हैं और व्यक्ति के जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकार कहलाते हैं।

प्रथम  
मौलिक अधिकार नागरिक के कल्याण, व्याय और उचित व्यवहार की सुरक्षा प्रदान करते हैं और इस तरह राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच सतुलन स्थापित करते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकार, मानव-स्वतंत्रता के मापदण्ड और सरकार दोनों ही हैं। इस कारण उनका अपना वैतानिक महत्व है। आज के युग का कोई राजनीतिक दार्शनिक उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता।

भारतीय संविधान अपने नागरिकों को कुछ विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार मूलाधिकार कहलाते हैं। इसके दो कारण हैं। पहला भारतीय नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए संविधान निर्माताओं ने उन्हें मूल रूप से आवश्यक समझा। दूसरा यह कि अधिकार मूल रूप से भारतीय नागरिक के साथ रहते हैं। इन पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। यह मूल रूप से नागरिकों के अधिकार है और भारतीय सर्वोच्च व्यायालय इनका सरकार है।

भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकारों का 7 बगौं में संध्ययन किया जा सकता है—

1. समानता का अधिकार।
2. स्वतंत्रता का अधिकार।
3. शोपण के विरुद्ध अधिकार।
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
5. संस्कृति तथा जिज्ञासा सम्बन्धी अधिकार।
6. सम्पत्ति का अधिकार।
7. संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

1. समानता का अधिकार—अनु० 14-18 भारतीय संविधान के द्वारा सभी व्यक्तियों को वैधानिक, नागरिक तथा सामाजिक समानता प्रदान की गई है। संविधान के अनु० 14 से 18 समानता के अधिकार से सम्बन्धित है और इनके द्वारा पांच प्रकार में नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है—

(1) कानून के सामने समानता—अनु० 28 के अनुसार “भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को बाहुन के समझ समानता अवश्य कानून के समान सरकार से वचित नहीं करेगा।” बुद्धन चौधरी (1955-1 एम बी आर. 1045, 1048) के मामले में उपर्युक्त अधिकार की वकालत की गई।

(2) धर्म मूल, वश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान आदि के आधार पर भेद-भाव करने की भनाही—अनु० 15 के अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल अपने धर्म, लिंग, जाति या जन्म-स्थान के कारण दुकानों, सार्वजनिक, भौत्रालयों, होटलों एवं सार्वजनिक मनोरजन के स्थानों तथा मरकारी तथा सरकार से प्राप्त सहायता के कुओं, तालाबों, स्नानघरों तथा सार्वजनिक सीर के स्थानों पर जाने से वचित नहीं किया जा सकता।

(3) सार्वजनिक पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता—अनु० 16 के अनुसार “सब नागरिकों के लिए सरकारी पद पर नियुक्ति के लिए समान अवसर उपलब्ध होगे। केवल धर्म, मूल, वश, जाति, लिंग और जन्म-स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए सरकारी नौकरी या पद के लिए अपावृत्ता न होगी और न ही किसी प्रकार का भेद-भाव किया जायेगा।” फिर भी संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि स्त्रियों, बच्चों और पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्नति के लिए विशेष कानून बनाये जा सकते हैं।

(4) अस्तृशक्ति का अन्त—अनु० 17 के अनुसार ‘अस्तृशक्ति का अन्त किया जाता है और उसका विसी शी रूप में आचरण निपिढ़ किया जाता है।’

(5) उपाधियों की समाप्ति—अनु० 28 के अनुसार उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। केवल विद्या एवं सेना सम्बन्धी उपाधियों दी जा सकती हैं।

2. स्वतंत्रता का अधिकार—भारतीय संविधान में व्यक्ति स्वतंत्रता की व्यवसाय अनु० 19 से 22 तक की गई है, इसके द्वारा नागरिकों की सात स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं—

(1) भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है।

(2) अपने विचारों की व्याख्या एवं प्रचार के लिये निरायुध सार्वजनिक सभा का आयोजन किया जा सकता है।

(3) सभी नागरिकों एवं संघों के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

(4) प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी भाग में अवाध मवरण तथा 5  
निवास की स्वतंत्रता दी गई है।

(5) नागरिकों को वैयक्तिक संपत्ति के अंजन, पारण तथा व्यवहार की स्वतंत्रता  
प्रदान की गई है।

(6) नागरिकों को वृत्ति उपजीविका, व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता दी  
गई है।

स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबन्ध—स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी  
प्रकार पूरण नहीं है। इनके ऊपर अनेक प्रतिबन्ध लगे हुये हैं। उदाहरण के लिये  
भारतीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन किसी भी नागरिक की तोत महीने तक और  
गमद रो स्वीकृत मिल जाने पर इससे भी अधिक समय के लिये विना किसी परीक्षण  
के जेल में रखा जा सकता है। आलोचकों का मत है कि यह प्रतिबन्ध स्वतंत्रता और  
जनतंत्र की भावना के विपरीत है।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार—प्रयु० 23-24 में उपचानियत इस अधिकार  
द्वारा किसी भी नागरिक से वेगार नहीं लो जा सकती और न ही उमे बल-बूँदें  
परिश्रम के लिये बाध्य किया जा सकता है। गवियान द्वारा इस बात का भी मादेश  
है कि 14 वर्ष की आयु से कम के वालक को अथवा स्त्रियों की अधिक परिश्रम  
वाली और सकटमय नौकरियों में नहीं लगाया जायगा।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार—भारतीय संविधान की पारा 25 के  
अनुसार नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार रखते हैं। इन  
अपना धर्म मानते, उमका प्रचार व प्रसार करने का अधिकार रखते हैं। इन  
अधिकारों के सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि इनका प्रयोग मार्बंजनिक-ज्यवस्था,  
सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुये किया जाय। संविधान में यह भी निर्धारित  
किया गया है कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में भी प्रकार को  
धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी। किसी भी विद्यार्थी को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने  
अथवा धार्मिक उपासना में सलग्न रहने को बाध्य नहीं किया जायेगा।

धार्मिक स्वतंत्रता से सम्बद्ध उपरोक्त उपचानों से यह नितान्त स्पष्ट है कि  
भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है किन्तु भारत राज्य की इस धर्म निरपेक्षता को धर्म-

5. संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार—भारतीय संविधान की पारा 29  
के अनुसार भारत के नागरिकों के किसी भी विभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा  
लिपि या संस्कृत ही, वनाये रखने का अधिकार होगा और राज्य द्वारा सहायता  
पाने वाली किसी भी शिक्षा-संस्था में धर्म, वैश्य, जाति, भाषा के आधार पर किसी  
भी नागरिक को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। पारा 30 के अनुसार धर्म  
अथवा भाषा पर आधारित सब अल्प-स्वतंत्रक वर्गों की अपनी रुचि को शिक्षा

6. सम्पत्ति का अधिकार—प्रन० 32 घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से उस समय तक बचित नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसा करने के लिए विधि का प्राधिकार' ( Authority of law ) प्राप्त न कर लिया जाये। इसके अधीन किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिये मुआजवा दिये विना नहीं लिया जा सकता। इसके अतावा राज्य की विधान-सभाओं द्वारा पास किया हुया, कोई भी ऐसा कानून जो सम्पत्ति के अनिवार्य रूप से अंजित करने से सम्बन्धित हो तब तक प्रभावशाली नहीं होगा जब तक कि उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति न दिल जाय।

सम्पत्ति के अधिकार की आलोचना—सभाजवादी और साम्यवादी भारतीय संविधान में दिए गए सम्पत्ति के अधिकार की कठोर आलोचना करते हैं। उनका मत है कि इन उपचारों (धारा) के कारण भारतवर्ष में समाजवाद के प्रनिवार्य तत्त्वों से लोकतंत्र की स्थापना का कार्य कठिन हो जाएगा। जमीदार और सरक्तिशाली वर्ग कृषि-सुधार के मार्ग में रोड़े अटका सकते हैं। यह आलोचना निराधार नहीं है। यह इस बात से स्पष्ट है कि राज्य द्वारा पास किए गए जमीदारी के उन्मूलन के कानूनों को वैधानिक करार देने के लिए संविधान को गणोधित करना पड़ा।

7. संवैधानिक उपचारों का अधिकार—भारतीय संविधान की धारा 32 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों के अतिक्रमण होने पर न्यायालयों की शरण ले सकता है। इसके अन्तर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिबेध, अधिकार पृच्छा और उप्रेपण आते हैं।

(i) बन्दी प्रत्यक्षीकरण का लेख (Writ of Habeas Corpus)—यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है, जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप में बंदी बनाया गया है। उसके द्वारा न्यायालय, बन्दीकरण वाले अधिकारी को निश्चित समय और स्थान पर बन्दी वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने की आज्ञा देता है, जिससे न्यायालय बन्दीकरण के कारणों की जांच कर सकें। यह लेख सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त निजी व्यक्तियों तथा सगठनों के विश्वद भी जारी किया जा सकता है।

(ii) परमादेश (Mandamus)—यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय किसी अधिकारी अथवा व्यक्ति को अपना कानूनी कर्तव्य पूरा करने के लिए विवश करना चाहता है। यह प्रायः सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जारी किया जाता है।

(iii) प्रतिबेध लेख (Prohibition)—इस लेख का प्रयोग उच्च न्यायालय, निम्न न्यायालय को उसके अधिकार-क्षेत्र का उल्लंघन करने से रोकने के लिये करता है।

(iv) उप्रेपण का लेख (Certiorari)—यह लेख एक उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है, जिसमें निम्न न्यायालय को उस विवाद के

सम्बन्ध में जो पहले उस न्यायालय में चल रहा था और अब उच्च न्यायालय में चल रहा है तत्संबंधी कार्यवाही तथा कागजात भेजने का आदेश दिया जाता है।

(v) अधिकार पृच्छा का लेख (Quo warrants)—यह लेख तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को पद संबंधी दावे की वैधानिकता की जाँच करनी होती है। यदि यह दावा निराधार होता है तो उस व्यक्ति को अपने पद से हटना पड़ता है।

प्रश्न 17—राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में व्या-  
भन्तर है 2

ग्रन्थवा  
उत्तर—मौलिक अधिकारों की राज्य नीति-निर्देशक तत्वों से तुलना कीजिये।  
मन्तर है—

### नीति-निर्देशक तत्व व मूलाधिकार

(1) मूलाधिकार न्याय विष्ट है नीति निर्देशक तत्व अन्याय विष्ट—मूलाधिकारों को कानूनी वल प्राप्त होता है। न्यायालय सरकार को इन्हें लागू करने के लिए वाध्य कर सकते हैं। यदि कोई कानून किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो उच्चतम न्यायालय उस कानून को व्यवध घोषित कर सकता है। इससे और नीति-निर्देशक तत्वों के पीछे ऐसी कोई वैधानिक अनुशंशित नहीं होती जो इन्हे लागू करना राज्य की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर कोई कानून इनका उल्लंघन करता है तो कोई भी अदालत उस कानून को केवल इसलिए व्यवध घोषित नहीं कर सकती, कि वह नीति निर्देशक सिद्धान्तों का उल्लंघन करता है। श्री जोशी का कथन है कि “निर्देशक सिद्धान्तों से न तो हमको कोई न्याय योग्य अधिकार प्राप्त होते हैं और न संविधान ने उसके अतिकरण पर कोई उपचार मुझाए है”<sup>1</sup>

(2) मूलाधिकार नियेधाजाएँ हैं निर्देशक तत्व सकारात्मक आदेश—मौलिक अधिकार राज्य के लिए कतिपय नियेधाजाएँ (Injunctions) हैं जिनके द्वारा राज्य को कुछ काम न करने का आदेश दिया गया है। इनके विपरीत निर्देशक तत्व राज्य के प्रति कतिपय सकारात्मक (Positive) आदेश हैं और नागरिकों से यह आमा की गई है कि वह राज्य के प्रति अपने कुछ पवित्र दावितों को पूरा करें। ग्लेडहिल के शब्दों में—“मौलिक अधिकार तो कतिपय नियेधाजाएँ” है और इनके द्वारा राज्य को कुछ कार्यों के करने से रोका जाता है। इसके विपरीत राज्य की नीति के निर्देशक तत्व सरकार को कुछ सकारात्मक आदेश हैं, जिन्हें पूरा करना उसका कर्तव्य ठहराया गया है।<sup>2</sup>

1. G. N. Joshi, The Constitution of India P. 103, 4.
2. Gladhill—A The Republic of India P. 16.

(3) मूलाधिकार संसद के क्षेत्राधिकार से बाहर, नीति-निर्देशक क्षेत्राधिकार के अन्दर—संसद मूलाधिकारों के सम्बन्ध में कोई कानून नहीं बना सकती। वह इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, ये प्रधिकार संसद के क्षेत्राधिकार की सीमा से बाहर हैं। नीति-निर्देशक तत्व संसद की सीमा के अन्दर आते हैं इसलिए वह उनसे सम्बन्धित कानूनों का निर्माण कर सकती है।

(4) मूलाधिकारों को लागू करने के लिए कानून जाहरी नहीं निर्देशक सिद्धान्तों के लिए आवश्यक—मूलाधिकारों के विद्यान्वयन के लिए किसी कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है वशोकि वे स्वयं कानून के रूप हैं जिनका उल्लंघन न विधान-मण्डल कर सकता है न कायंगालिका। इसके विपरीत निर्देशक सिद्धान्तों को लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ेगी नहीं तो इनका उल्लंघन अवैध नहीं माना जाएगा।

(5) मूलाधिकार राज्य का अनिवार्य उत्तरदायित्व निर्देशक सिद्धान्त को रा चंक—मौलिक अधिकारों को लागू करना राज्य का विशेष एवं अनिवार्य उत्तरदायित्व माना जाता है। इसके विपरीत निर्देशक मिदान्त को रोचक के सहश हैं जिसके भुगतान का आधार अनिवार्यता नहीं इच्छा है।

(6) मूलाधिकार साध्य हैं निर्देशक सिद्धान्त राधन—निर्देशक सिद्धान्त साधन के रूप में है जो राज्य को नीति निर्धारित करने व उसका पथ-प्रदर्शन करने के लिए सहायक होते हैं जबकि मूलाधिकार उद्देश्य अथवा साध्य हैं जिन तक राज्य व्यक्ति को पहुंचाने का प्रयास करता है।

(7) मूलाधिकार सीमित किए जा सकते हैं, निर्देशक सिद्धान्त महों किए जा सकते—मूलाधिकार राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन घोषणा होने पर मर्यादित, सीमित एवं निलम्बित किए जा सकते हैं। ऐसी अवस्था में इन्हें न्यायालय बाध्यरूप से लागू करने में अशक्य होता है किन्तु नीति-निर्देशक सिद्धान्त किसी भी समय एवं अवस्था में न तो मर्यादित व सीमित ही किए जा सकते हैं और न ही निलम्बित किए जा सकते हैं।

(8) मूलाधिकार का विषय ध्यक्ति है निर्देशक सिद्धान्त का विषय राज्य है—मूलाधिकार व्यक्ति को कुछ अधिकार दिलाता है, उसका विषय एवं क्षेत्र केवल ध्यक्ति है। ध्यक्ति के इंद्र-गिर्द ही वे धूमते हैं किन्तु निर्देशक सिद्धान्त राज्य से सम्बन्धित हैं, वे राज्य को कुछ निश्चित प्रकार का कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं। मूलाधिकारों का राज्य से कोई ताल्लुक या सम्बन्ध नहीं है जबकि निर्देशक सिद्धान्तों का व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं है।

(9) मूलाधिकार ध्यक्ति के विकास से सम्बन्धित है निर्देशक सिद्धान्त सामाजिक कल्याण से सम्बन्धित—धूंकि मूलाधिकारों का विषय ध्यक्ति है अतएव वह ध्यक्ति के विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित है। वह ध्यक्ति के कल्याण के लिए

आवश्यक नहीं। एवं परिस्थितियों वेदा करता है ताकि व्यक्ति भपने व्यक्तिरद का पूर्ण विकास कर सके। निदेशक सिद्धान्त का विषय राज्य होने के नाते वह सामाजिक कल्याण में सहयोग देता है। वह समाज अथवा राज्य के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करता है।

(10) मूलाधिकार राजनीतिक पक्ष पर जोर देते हैं निदेशक सिद्धान्त आधिक और सामाजिक पक्ष पर—मूलाधिकार राजनीतिक पहल पर बल देते हैं। व्यक्ति को राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग रखते हैं। इसके विपरीत निदेशक सिद्धान्त आधिक और सामाजिक पहल पर जोर देते हैं।

(11) मूलाधिकारों के मुकाबले में निदेशक सिद्धान्त कम महत्वपूर्ण है—चूंकि निदेशक सिद्धान्तों के पीछे कोई वैधानिक मनुष्यकृति नहीं है इससे चिठ्ठ होता है कि वे मौलिक अधिकारों की तुलना में कम महत्वपूर्ण होते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लङ्घन करके राज्य-नीति निदेशक सिद्धान्तों को लागू कराने के लिए कोई कानून नहीं बना सकता जैसा कि कुरेजी बनाम विवाहर राज्य नामक मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त मत की पुस्ति की थी।

लेकिन ऐसे भवसर भी आए हैं जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय देने समय राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्तों को पर्याप्त महत्व दिया है। विवाहर राज्य बनाम कामेश्वरसिंह नामक विवाद में न्यायालय ने निर्णय करने के लिए निदेशक सिद्धान्तों का सहारा लिया था।

(12) मौलिक प्रधिकारों एवं नीति निदेशक-सिद्धान्तों में संघर्ष होने की दशा में मौलिक अधिकार ही मात्र होते हैं निदेशक सिद्धान्त नहीं। मनुष्येन 36 द्वारा निर्दिष्ट सिद्धान्तों को स्पष्टतः न्यायालय द्वारा नहीं बनाया गया इसलिए इन्हे सवियान के तृतीय भाग में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की अपेक्षा वरीयता प्रदान नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त यह निश्चयत है कि यद्यपि मौलिक अधिकार तो अति श्रेष्ठ और सर्वोच्च है ही, किन्तु नीति-निदेशक सिद्धान्त भी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं है। सिद्धान्तों को उचित महत्व देना ही चाहिए योकि इनका उद्देश्य समाज की उन्नति और कल्याण है। यास्तविक वात यह है कि मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धान्तों का आपस में घनिष्ठ रावण है और यह सोबता उचित नहीं है कि उनमें किसका महत्व अधिक है और किसका कम। राज्य को उन्हें इस प्रकार लागू कराना चाहिए कि दोनों एक साथ व्यक्ति और समाज की उन्नति के लिए उपयोगी हों।

प्रस्तुत 18—‘भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य-राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व भपने आप में एक भवुत आदर्श है।’ आप इस कथन से कहीं तक सहमत हैं?

### अथवा

संविधान द्वारा उल्लिखित राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का उल्लेख कीजिये।

**उत्तर—नीति-निर्देशक तत्वों की विशेषायें—नीति-निर्देशक तत्व राजनीतिक घोपणा-पथ, नीतिक नियमों की सहित। अथवा राज्यपालों या प्रशासकों को मार्ग दिखाने वाली नीति के समान है। नीति-निर्देशक तत्वों की घोपणा का विचार फांस की राज्य-क्राति में नार्गारिकों के अधिकारों की घोपणा और अमरीकी स्वतंत्रता की घोपणा से प्रभावित है। संविधान के चौथे भाग में अनु. 36 से 51 तक राज्य के पथ-प्रदर्शन हेतु 'राज्य के नीति-निर्देशक तत्व' के नाम से कुछ सिद्धान्तों की व्यवस्था की गई है।**

**राज्यों के निर्देशक—इन नीति-निर्देशक तत्वों का उल्लेख राज्य के निर्देशन के लिए किया गया है जिनका अनुसरण राज्य को करना चाहिए। अनु. 36 के अनुसार "यद्यपि इन निर्देशक मिद्दान्तों को लागू करने के लिए किसी प्रदालत को बाध्य नहीं किया जा सकता, तथापि वे देश के शासन में आधार-भूत हैं और कानून बनाने में उनका अनुसरण करना राज्य का कर्तव्य है।" नीति-निर्देशक तत्वों की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए श्री जी. एन. जोशी लिखते हैं कि "इन निर्देशक तत्वों का विधान-मण्डलों को कानून बनाते समय और कार्य-पालिका को इन कानूनों को लागू करते समय ध्यान रखना चाहिए। मेरे उस नीति की ओर सकेत करते हैं जिसका अनुसरण सध और राज्यों को करना चाहिए।"**

**अन्यायविष्ट—इन तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता परन्तु ये उन नीतियों को निर्देशित करते हैं कि जिन पर संविधान सध और राज्यों को चलाना चाहता है। इन तत्वों का उद्देश्य विधान-मण्डल और कार्य-पालिका के लिए पथ का निर्देशन करना है। संविधान में लिखा है कि—"राज्य सोक-कल्याण के लिए प्रयास करेगा और तदर्थं ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने और उसकी सुरक्षा करने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, तथा राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन को सभी सत्थाओं को अनुप्रेरित करें।**

**एक कार्यक्रम—जी० एन० जोशी के विचार से 'ये सारे निर्देश एक आधुनिक सोक-त्रात्मक राज्य के लिए विस्तृत, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक घोपणा-पथ अथवा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं इस स्पष्ट में वे जनता के अन्दर आदर और स्नेह की भावना उपजाते हैं और उसमें एक थोड़तर सम्माजिक और आर्थिक व्यवस्था की आशा जगाते हैं, ये निर्देश सोक-त्रात्मक गण-राज्य के विकास के लिए एक अनुकूल बातावरण का निर्माण करने के उद्देश्य से दिए गए हैं।'**

**एक आदर्श—भूतपूर्व न्यायाधीश श्री एम० सो० धागला के शब्दों में "यदि इन निर्देशक तत्वों को भली प्रकार कार्य स्पष्ट दिया जाय तो हमारा देश घरती ५**

स्वर्ग बन जाएगा। भारत केवल राजनीतिक हृष्टि से ही लोकतन्त्र न होगा बल्कि एक कल्याणकारी राज्य जिसके नागरिकों में आर्थिक समानता होगी और प्रत्येक धर्म को काम करने, शिक्षा पाने तथा अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने का समान अवसर मिलेगा।”

कार्यपालिका के अनुदेश पत्र—इस प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के उद्देश्य को प्रभावीकृत करते हैं। ये एक लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिये आदर्श प्रस्तुत करते हैं। ये व्यावस्थापिका तथा कार्यपालिका के लिए अनुदेश-पत्र हैं। ये तिदान्त अन्यायाविष्ट हैं। फिर भी, इन्हे देश के शासन के मूलभूत सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया गया है।

आयरलैंड और स्पेन के संविधानों को छोड़कर विश्व के किसी भी संविधान में नीति-निर्देशक तत्वों का उल्लेख नहीं मिलता। आयरलैंड की भाँति राज्य के स्वर्ग को लोक-हितकारी बनाये रखने के लिये ही सम्भवतया संविधान में नीति-निर्देशक तत्वों को निहित किया है।

प्रमुख नीति-निर्देशक तत्व—संविधान में इन सिद्धान्तों का किसी नियमित ढंग से वर्णन नहीं किया गया है तथापि उनमें समाजवादी तत्वों, गांधीवादी तत्वों और उत्तरदार्यां तत्वों का समावेश है।

सामाजिक विकास सम्बन्धी तत्व—राज्य के नीति-निर्देशक तत्व . सामाजिक कल्याण और विकास के लिये राज्य को आदेश देते हैं कि—

1. राज्य की सभी नीतियों एवं कार्यों का तदूप लोकहितकारी समाज का निर्माण करना होगा।

2. राज्य इस प्रकार अपनी नीतियों का निर्माण करेगा जिससे कि जनता का रहन-सहन का स्तर दिन प्रतिदिन कंचा उठता जाय।

3. सामाजिक कल्याण को हृष्टि में रखते हुये मरणान व नशीले पदार्थों का सेवन निषेध करना राज्य का कर्तव्य होगा।

4. राज्य अनुशूचित जातियों के आर्थिक एवं बोद्धिक विकास के लिये पूरी चेष्टा करेगा।

5. स्त्रियों एवं पुरुषों में कोई भेदभाव न होगा और स्त्रियों को पुरुषों के समान ही वेतन मिलेगा तथा प्रमूलि-हाल में उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं भी प्राप्त होंगी।

6. राज्य 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शौपण से बचाने के लिये सभी आधिकारिक साधनों का प्रयोग करेगा।

ग्राम, शिक्षा एवं शासन से सम्बन्धित तत्व—

1. संविधान की धारा 50 के अनुसार राज्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे आधिकारिक साधनों का भलग रखने का प्रयास करें।

2. समस्त नागरिकों को विधिवत् समान न्याय प्राप्त हो और उचनीच का भेदभाव रखकर न्याय में पक्षपात किया जाय ।

3. सभी नागरिकों के लिये एक ही आवार-सहिता की व्यवस्था की जायेगी ।

4. 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को राज्य की ओर से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा की जायेगी ।

5. राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह पिछड़ी जातियों के शैक्षणिक विकास पर पूरा-पूरा ध्यान दे ।

6. प्रजातन्त्र की भावना को विरसित करने के लिये राज्य वह कर्तव्य होगा कि वह ग्राम-पञ्चायतों का योगदान करे, और उन्हें इतनी स्वतन्त्रता दे ताकि वे स्वराज्य की टक्काई के रूप में कार्य कर सकें ।

#### आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी तत्त्व—

1. राज्य यह प्रयत्न करेगा कि सभी व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम प्राप्त हो सके, इसके साथ ही वह बुढापा, बीमारी व वेकारी तथा अन्य ऐसी अवस्था में जबकि व्यक्ति किसी कारण वश ग्रपनी जीविका कराने में असमर्थ हो यदा सम्भव महायता प्रदान करेगा ।

2. देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिये राज्य सम्पत्ति के समान वितरण की व्यवस्था करेगा ।

3. राज्य इस बात की चेष्टा करेगा कि सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों का एक स्थान पर केन्द्रीयकरण न होने पाये ।

4. राज्य घरेलू उद्योग-धन्धों की उन्नति में प्रयत्नशील रहेगा ।

5. राज्य इस बात का पूरा प्रयास करेगा कि गो-हत्या बन्द हो तथा वैज्ञानिक ढग से खेती को प्रोत्साहित किया जाय । पशुओं की नस्ल में सुधार ही तथा दूध देने वाले पशुओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाय ।

#### राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा से सम्बन्धित तत्त्व—

1. सविधान की धारा 48 में लिखा है कि "कलात्मक तथा ऐतिहासिक हृष्टि से महत्वपूर्ण प्रत्येक स्मारक तथा भवन और ससद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के स्थानों के नष्ट होने, कुरुप होने, क्य ग्रयवा हटाए जाने से रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सम्बन्धी तत्त्व—सविधान की धारा 51 के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि—

1. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा का विकास हो ।

2. राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धोंकी स्थापना हो ।

3. राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अन्तर्राष्ट्रीय कानून व संविधानों के प्रति सम्मान की भावना का विकास हो ।

4. अन्तर्राष्ट्रीय भगड़ो को मध्यस्थता द्वारा मिटाये जाने का प्रयत्न किया जाय।

नीति निर्देशक तत्त्वों की आलोचना—नीति निर्देशक तत्त्वों की आलोचना आलोचकों ने बड़ी ही लाक्षणिक भाषा में की है। इन सिद्धान्तों को आलोचकों ने 'योथे वचनो' 'नीतिक उपदेश' 'राजनीतिक घोषणाएं' एवं 'शुभ इच्छाएं' हैं। श्री मसीरुद्दीन ने इन्हे 'नव वर्ष' के प्रथम दिन पास किये गये शुभकामना प्रस्ताव' कहा था। श्री एन० आर० राधाचारी इन्हे 'ललित पदावली' में व्यक्त उच्च व्यनित भावनाओं की ऐसी पक्षिया कहते हैं, जिनका वंधानिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। प्र० द्वीपर ने इन निर्देशक तत्त्वों को 'उद्देश्यो एवं आकाशाओं वा घोषणा-पत्र' कहा है। प्र० के० टी० शाह के शब्दों में 'यह एक ऐसा चैक है जिसका भुगतान बैक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है।' आलोचकों का कहना है कि यदि संविधान में नीतिक उपदेश करना ही अभीष्ट था, तो वाइल की दस पक्षिया आज्ञाओं को संविधान में बयो नहीं लिया गया। इन तत्त्वों की आलोचना निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत की जा सकती है—

1. न्यायिक शक्ति का अभाव—इन तत्त्वों को क्रियान्वित करने के लिये न्यायिक शक्ति राज्य को बाध्य नहीं कर सकती। ये सिद्धान्त कानूनी महत्व से पूर्णत शून्य हैं। सर० बी० एन० राय के शब्दों में 'राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व राज्य के अधिकारियों के लिए नीतिक उपदेश के समान हैं और वे इस आलोचना के पात्र हैं कि संविधान में नीतिक उपदेशों के लिये उचित स्थान नहीं है।' इस प्रकार न तो राज्य ही इन का पातन करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है और न ही न्यायालयों को इन्हें लागू कराने का अधिकार प्राप्त है।

2. अनिश्चित एवं अस्पष्ट विषयों का संग्रह—ये सिद्धान्त अत्यन्त अनिश्चित एवं अस्पष्ट रूप से वर्णित हैं। इनमें कमबद्धता का पूर्ण अभाव है। डॉ० जेनिस के अनुसार 'नीति-निर्देशक तत्त्व किसी निश्चित तथा संगतपूर्ण दर्शन पर आधारित नहीं है। उन्हे न तो उचित रूप से कमबद्ध ही किया गया है और न ताकिं ढग से बर्गीकृत ही। एक ही बात को बार-बार दुहराया गया है।'

3. राजनीतिज्ञों की स्वार्थ-सिद्धि के साधन—इन सिद्धान्तों की व्यवस्था चतुर राजनीतिज्ञों द्वारा अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए की गई है। ये राजनीतिज्ञ अग्रिमत भारतीय जनता को यह विश्वास दिलाकर कि इन सिद्धान्तों द्वारा घोषित व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करेंगे, भले प्राप्त करने हैं और चुनाव में सफल होने के याद अपने बचनों को भूल जाते हैं। इसके साथ ही राज्यों के कुछ सोगों की यह माग थी कि संविधान में शिक्षा सम्बन्धी, विधाम सम्बन्धी और येतारी सम्बन्धी अधिकारों को सम्मिलित कर लिया जाये तथा यथा-सम्बन्ध उन्हे मौलिक अधिकारों में स्थान दिया जाये। ऐसे सोगों के राजनीतिक सन्तोष के लिए अधिकार उनकी इच्छा पूर्ति के लिए भी निर्देशक सिद्धान्तों की व्यवस्था की गई है।

4. एक सार्वभौम राज्य में अप्राकृतिक—एक सार्वभौमिक राज्य में इस प्रकार के सिद्धान्तों को ग्रहण करना अप्राकृतिक भी प्रतीत होता है। एक उच्च सत्ता अधीनस्थ सत्ता को आदेश दे सकती है लेकिन एक सार्वभौम राज्य को इस प्रकार के आदेश देने की आवश्यकता पड़े, यह अस्वाभाविक जान पड़ता है।

5. भविष्य में उन्नति में बाधक—संविधान में वर्णित नीति-निर्देशक तत्त्व भारत की उन्नति के लिए भविष्य में बाधक हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में नीति-निर्देशक तत्त्व, समाज के लिये न केवल अनुपयोगी बरन् विरोधी बन जाएँ।

6. कोरा स्वप्न-जाल—इन तत्वों द्वारा आकाश के झूठे स्वप्नों को सजाया गया है क्योंकि प्रत्येक समझदार व्यक्ति यह जानता है कि संविधान में दिये गये नीति निर्देशक तत्त्व भारत जैसे गरीब और अशिक्षित देश में पूरी तरह लागू नहीं हो सकते।

नीति-निर्देशक तत्वों का महत्त्व—इन आलोचनाओं के बावजूद नीति-निर्देशक तत्त्व पूर्णतः महत्वहीन नहीं हैं। यह संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। श्री टी० के० टोपी के अनुसार “यदि भारतीय जनता और [संविधान-मण्डल] में उनके प्रतिनिधि कार्यकारिणी की गतिविधियों की अच्छी प्रकार निगरानी करे तो निर्देशक सिद्धान्त अवश्य ही सामाजिक, राजनीतिक एवं आधिक सुधारों के लिये एक प्रभावशाली साधन प्रमाणित होगे।

1. ये सिद्धान्त इस घटित से महत्वपूर्ण हैं कि ये भारत के वास्तविक लोकतंत्र के विकास का विश्वास दिलाते हैं।

2. ये सिद्धान्त हमारे समक्ष कल्याणकारी राज्य का मार्गशं प्रस्तुत करते हैं।

3. ये सिद्धान्त सरकार की असफलता को जांचने का मापदण्ड प्रस्तुत करते हैं।

4. ये सिद्धान्त भारतीय न्यायालयों के मार्गदर्शक हैं तथा उपयोगी नीतिक आदर्श हैं।

5. राज्य को नीति निर्धारित करने में सहायता प्रदान करते हैं।

“पुनः एम० सी० छागला के शब्दों में कहा जा सकता है कि “यदि इन निर्देशक तत्वों को भली प्रकार कार्यहारा दिया जाये तो हमारा देश धरती पर स्वर्ग बन जायेगा।”

### (C) सरकार का गठन

प्रश्न 19—वर्षा भारतीय राष्ट्रपति तानामाह बन सकता है ? उसको शक्तियों पर व्या सोमाये हैं ?

### अथवा

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ? वया वह सकट-कालीन शक्तियों के उपभोग द्वारा एक निरंकुश राष्ट्रपति बन सकता है ?

### अथवा

यदा भारतीय राष्ट्रपति हमेशा अपने मन्त्रि-मण्डल के परामर्श के अनुसार कार्य करने को वाध्य है ? यदि ऐसा है तो उसके पद का महत्व किसमें है ?

**उत्तर—भारतीय राष्ट्रपति की अद्भुत विशेषतायें—भारतीय संविधान में एक राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है जो सध कार्यपालिका का प्रधान होगा। राष्ट्रपति संविधान का वैधानिक अध्यक्ष होता है। वह अमेरिका की भाति वैधानिक और वास्तविक दोनों कार्यपालिका नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति इंगलैण्ड के सम्राट् के समान है। यद्यपि कार्यपालिका के प्रधान का यह नामकरण अमरीकी संविधान के समान है, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ अमरीकी राष्ट्रपति के स्थान पर विटिश संविधान के सम्राट् जैसी हैं। संविधान के द्वारा केन्द्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है किन्तु व्यवहार में उनका उपभोग मन्त्रिमण्डल ही करता है। संविधान सभा में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा था। "भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को वही स्थिति प्राप्त है जो विटिश-संविधान में सम्राट् की। वह राज्य का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, वह राष्ट्र पर शासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक है। प्रशासन में उसका स्थान आपचारिक प्रधान का है।"<sup>1</sup>**

**राष्ट्रपति पद को घोषिताएः—भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए भारतीय संविधान ने निम्नलिखित घोषिताएँ निर्धारित की हैं:—**

- (1) वह भारत का नागरिक हो।
- (2) वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- (3) वह लोक-सभा का सदस्य-निर्वाचित होने की घोषिता रखता हो।
- (4) वह किसी सध या राज्य में किसी लाभकारी पद पर न हो।
- (5) वह ससद के या राज्यों के विधान-मण्डल में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, यदि इस प्रकार का कोई सदस्य राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया जाता है तो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसकी सदन की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

**राष्ट्रपति का निर्वाचन—राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है।** अनु० 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक-मण्डल द्वारा होता है। जिसमें (क) ससद के समस्त निर्वाचित सदस्य तथा (ख) राज्य-विधान-मण्डलों के

समस्त निर्वाचित सदस्य होते हैं। यह चुनाव एकल सक्रमणीय मत द्वारा होता है, चुनाव में आगुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली शपनाई जाती है। मतदान गुप्त होता है। निर्वाचिक-मण्डल के प्रत्येक सदस्य को एक-एक मत देने से राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्य बहुमत में होने के कारण सदा ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन सकते हैं जिसे मंसद सदस्य नहीं चुनना चाहते। अतः राज्यों के मध्य एक-रूपता तथा सध और राज्यों के बीच समानता लाने के उद्देश्य से राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक विशेष पद्धति शपनाई गई। चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 'कोटा' (Quota) प्राप्त करना आवश्यक होगा। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए निम्नांकित सूत्र शपनाया जाता है:—

$$\text{न्यूनतम कोटा} = \frac{\text{दिए गए मतों की संख्या}}{\text{निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या}} + 1$$

न्यूनतम कोटा की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि साप्ट बहुमत प्राप्त होने पर ही एक व्यक्ति को राष्ट्रपति पद प्राप्त हो सके।

किसी राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की मतसंख्या— किमी राज्य की जन-संख्या को उग राज्य की विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देते हैं, जो भागफल आता है उसको फिर से 1000 का भाग दिया जाता है। इस प्रकार जो भागफल आता है उतने ही मत देने का उस राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को अधिकार होगा। इसको फार्मूले के रूप में इस प्रकार रखा जा सकता है:—

$$\text{राज्य की कुल जनसंख्या} \quad \div 1000 \\ \text{राज्य विधान-सभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या}$$

उदाहरणार्थ मान लीजिए किमी राज्य की जन-संख्या 3600502 है और विधान-सभा के निर्वाचित-सदस्यों की संख्या 180 है तो एक सदस्य के मतों की संख्या होगी—  $\frac{3600502}{180} \div 1000$

3600502 में 180 का भाग देने से भजनफल 20002 आता है जिसमें भाग देने से—

$$1000 ) 20002 ( 20 \\ 20000 \\ \hline \\ \times 2$$

इस प्रकार यह जात हुआ किसी प्रदेश की विधान-सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत राष्ट्रपति के चुनाव में 20 मतों के बराबर होगा। इससे विधि के 180 सदस्यों के मत का मूल्य (180 × 20), 3600 हुआ।

यह ध्यान रखना चाहिए कि 1000 के भाग देने के बाद जो शेष बचता है वह यदि 500 से कम हुआ तो वह घोड़ दिया जाता है, परन्तु यदि 500 से अधिक हुआ तो प्रत्येक सदस्यों के मत में एक और जोड़ दिया जाएगा।

संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की मत संख्या—संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की मत संख्या निश्चित करने के लिए राष्ट्र राज्यों की विधान-सभाओं के निर्वाचित-सदस्यों के कुल मतों की संख्या संसद की दोनों सभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे दिया जावे। जो योगफल आयेगा। उसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जायेगा, तथा अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जायेगी। फार्मूले के स्थान में इस प्रकार रखा जा सकता है—

राज्य-विधान-सभाओं के सभी सदस्यों के कुल मतों की संख्या—संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित-सदस्यों की संख्या। उदाहरण स्वरूप 1967 के राष्ट्रपतीय चुनाव में समस्त राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्यों की प्राप्त कुल मत संख्या 4,30,851 थी। संसद के निर्वाचित-सदस्यों की संख्या 748 थी। प्रत्येक राज्य-विधान-सभाओं के सभी सदस्यों की संख्या

$$= \frac{430,851}{748} = 576\frac{3}{4}$$

तू कि शेष भाजक के आधे से कम है, इसलिए प्रत्येक राज्य-विधान-सभाओं की मत संख्या 576 थी।

एकल संकरणीय मत पढ़ति—राष्ट्रपति का चुनाव एकल संकरणीय मत पढ़ति द्वारा होता है। उदाहरण स्वरूप, यदि राष्ट्रपति पद के लिए चार प्रत्याशी हैं तो प्रत्येक निर्वाचक घरपाने मत-पत्र में प्रत्याशियों के नाम के आगे 1, 2, 3, 4 चिन्ह लगाकर अपनी पसंद (Preference) प्रकट करेगा। यदि किसी एक प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों को मिले कुल मतों से अधिक मत प्राप्त हो जाते हैं तो वह निर्वाचित घोषित किया जाएगा। यदि कोई प्रत्याशी प्रथम चरण में नहीं निर्वाचित होता है तो न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को निकाल दिया जाता है। इस अन्तिम प्रत्याशी के द्वितीय पसंद (second preference) के मत अन्य प्रत्याशियों में विभाजित कर दिये जाते हैं। यदि इस पर भी किसी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो पुनः न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को निकाल दिया जाता है और इसे प्रथम पसंद प्रदान करने वाले निर्वाचकों की द्वितीय पसंद को अन्य शेष प्रत्याशियों में विभाजित कर दिया जाता है। इस दशा में अधिक तम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया जाता है।

बेतन और भत्ते एवं अन्य उपलब्धियाँ—राष्ट्रपति को 10,000 रुपए प्रति-माह बेतन मिलता है। उसे विना किराए को एक सरकारी आवास उपलब्ध होगा । ‘राष्ट्रपति भवन’ कहते हैं। इसके अलावा उसे गिमला में ‘राज-भवन’ तथा

हेदरावाद के निकट बोलाराम में 'निलायम' भी उपलब्ध होगा। जब तक संसद इस सबध में किसी विधि का निर्माण नहीं करती तब-तक उसके बेतन, भर्ते तथा अन्य विशेषाधिकारों में उसके कार्य-काल में कम नहीं किए जा सकते। अवकाश प्राप्ति के बाद जीवन-पर्यन्त उसे 15,000 रुपए पेशन तथा 12,000 रुपए व्यक्तिगत सचिवालय के लिए वार्षिक मिलते हैं।

**उम्मुक्तियाँ—राष्ट्रपति अपने पद के अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो कोई भी कार्य करे उसके सबध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता।** यद्यपि भारतीय सघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन उन कार्यों के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। जब-तक राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन है, तब-तक उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई भी मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता। उसकी गिरफ्तारी के लिए न तो कोई वारन्ट जारी किया जा सकता है और न ही उसे कैद किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का उस पर किसी प्रकार का दावा (Claim) हो तो दो महीने का नोटिस देने के बाद ही किसी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है।

**कार्यकाल—राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है।** वह इस समय से पहले भी अपने पद का त्याग कर सकता है। त्यागपत्र में उसे अपने हस्ताक्षर सहित उपराष्ट्रपति को सम्बोधन करना होगा। उपराष्ट्रपति इस त्यागपत्र को तुरन्त लोकसभा में भेजेगा। यदि राष्ट्रपति सविधान का उल्लंघन करता है तो उसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पुनर्निवाचित हो सकता है।

**महाभियोग—संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है।** ऐसे प्रस्ताव पर उस सदन के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस प्रस्ताव का नियित नोटिस कम से कम 14 दिन पूर्व होना चाहिए। यदि यह प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरा सदन इस सबध में जाच-पड़ताल करके अपने कुल सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को पारित कर दे तो राष्ट्रपति को अपने पद से विमुक्त होना पड़ता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सदन से स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा महाभियोग की जांच में हिस्सा ले सकता है।

मृत्यु, महाभियोग या त्यागपत्र के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथा संभव 6 माह के अन्दर-अन्दर नया नियचित हो जाना चाहिए। जब तक उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति पद प्रहण नहीं करता है तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर निश्चित अवधि की समाप्ति के उपरांत भी अपने पद पर आसीन रहेगा। नए राष्ट्रपति की अवधि भी 5 वर्ष होगी।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ—भारतीय राष्ट्रपति की संविधान के द्वारा अनेक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जो निम्नलिखित हैं—

1. कार्य-पालिका संबंधी शक्तियाँ।
2. ध्यवस्थापिका-संबंधी शक्तियाँ।
3. न्यायपालिका-संबंधी शक्तियाँ।
4. वित्त-संबंधी शक्तियाँ।
5. गठन-कालीन शक्तियाँ।

1. कार्य-पालिका-संबंधी शक्तियाँ—संविधान के अनु. 53 के मनुमार “मध्य की कार्य-पालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रबोग संविधान के मनुमार या तो स्थय धर्यवा अपने धर्यीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करेगा।” इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त-महत्वपूर्ण नियंत्रण उसके माने जाएंगे। वह घट-जल और बायु-मेना का नायक है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों को चुनेगा। राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च-न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियन्त्रण महालेखा परीक्षक, विदेशी के दूत, संघ लोक-मेया धार्यों के समाप्ति एवं दूसरे मरम्यों, राज्यों में गवर्नरों तथा भारत के महा-न्यायवादी छोटी नियुक्ति करता है। निर्वाचित तथा वित्त-माध्यों को राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। यदि कभी एक राज्य और दूसरे राज्य में कोई विरोध हो जाए तो उनके निवारण के लिए अन्तर्राज्य कौसिल राष्ट्रहित के द्वारा ही नियुक्त होगी। वही उस कौसिल को भी बनाएगा जो संघ और राज्यों के बीच योजनाओं और नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी।

राष्ट्रपति केन्द्रीय सरकार की कार्यविधि के बारे में नियम बनाता है और मंत्रियों के बीच कार्य-विभाजन करता है। केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र के प्रशासन का उत्तरदायित्व उस पर होता है।

वह मनि-परिषद के कार्यों या शासन से संबंध रखने वाली हूसरी सूचनाएँ प्रधानमंत्री से प्राप्त कर सकता है। वह ऐसे मामलों को मनि-परिषद के सामने भेज सकता है जिन पर विभाग के मंत्रियों ने नियंत्रण कर लिया है, लेकिन जिन्हे वह मनि-परिषद के विचार के लायक मान भलता है। राष्ट्रपति की राज्य-सरकारों की निर्देशित, नियंत्रित तथा समन्वित करने का ध्यानिकार प्राप्त है।

2. ध्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ—अनु. 79 के मनुमार “मध्य के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति दोनों संसदों-राज्य-सभा एवं लोकसभा से मिलकर बनेगी।” भारत का राष्ट्रपति संसद का धर्य होगा। संसद का सदस्य न होते हुए भी राष्ट्रपति को व्यापक ध्यवस्थापिका संबंधी-शक्तियाँ प्राप्त हैं।

राष्ट्रपति संसद के मत्रों को आहूत करता है तथा संवादसामन करता है। उसे कन-सभा को विधिटित करने का ध्यानिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति-संसद के किसी एक

सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभावण देता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकती है।

संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वह विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है अथवा स्वीकृति देने से इन्कार कर सकता है। वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के माध्यम पुनर्विचारार्थ संसद को लौटा सकता है। प्रगत विधेयक पुनः संशोधन या बिना संशोधन के संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार स्वीकृति देनी पड़ेगी।

राष्ट्रपति को संसद के विरामकाल (Recess) में अध्या-देश जारी करने की महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति राज्य-सभा के लिए ऐसे 12 राज्यों को मनोनीत करता है जिन्हें, साहित्य, विज्ञान, कला या सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान हो।

3. न्याय-पालिका संबंधी शक्तियाँ—भारतीय-राष्ट्रपति को न्यायालयों द्वारा दण्डित व्यक्तियों को शमा करने, उनकी मजा कम करने का अधिकार है। निम्न-लिखित प्रकार से मजा पाए हुए व्यक्तियों के सबध में राष्ट्रपति उपरोक्त शक्ति का प्रयोग कर सकता है—

1. उन सब बातों में जहाँ दण्ड संनिकन्यायालय द्वारा दिया गया हो।
2. उन बातों में जहाँ गृत्यु-दण्ड दिया गया हो।
3. यदि उसे सध के कानून का उल्लंघन करने के लिए दण्ड दिया गया हो।

किन्तु राष्ट्रपति की शमादान-शक्ति का राज्यों के राज्य-पालों और संनिक न्यायालय के संनिक अधिकारियों की शमादान संबंधी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति अपने शमादान के अधिकार का प्रयोग अपने मंत्रियों की भंत्वणा के आधार पर ही करता है।

4. वित्तीय शक्तियाँ—राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में संसद के दोनों के समक्ष भारत भरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखा जाएगा। उसकी अनुमति के बिना वित्त-विधेयक और अनुदान की मांगें लोक-सभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। भारत की आकस्मिक-निधि पर भी उसका नियन्त्रण होता है। उसे एक वित्तीय आयोग नियुक्त करने का अधिकार है। आयकर की राशि को केन्द्रीय और राज्य सरकारों में बाटने तथा पटसन से होने वाली आय के बदले पश्चिम बंगाल, बिहार और उडीमा को आयिक सहायता देने का कार्य भी वही करता है।

5. संकट-फालीन शक्तियाँ—संकट-काल का समना करने के लिए राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। ऐसी अवस्था में समस्त शक्तियाँ उसी में सिफट जाती हैं। संविधान में तीन अवस्थाओं के उत्पन्न होने पर उसे ये शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं—

1. युद्ध, वाह्य आक्रमण व आंतरिक असांति से उत्पन्न संकट—यदि राष्ट्रपति को यह अनुभव हो कि युद्ध, वाह्य आक्रमण या आंतरिक असांति के कारण भारत-वर्ष में ज्ञाति तथा सुध्यवस्था नष्ट होने का भय है तो ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति संकट-काल की घोषणा कर सकता है। इस घोषणा को शीघ्र से शीघ्र ससद के समने उपरित्थित होना चाहिये। घोषणा की अवधि दो महीने से अधिक नहीं रखी गई है। इस अवधि को ससद अपने निरांय से बढ़ा सकती है। किन्तु एक बारे में इसकी अवधि दो महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। कुल मिलाकर तीन वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती।

इस अवस्था में सध के हाथ में राज्यों की सारी शक्ति आ जाती है। नागरिकों के मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं तथा राष्ट्रपति सध और राज्यों के बीच हुए धन व बटवारे में भी परिवर्तन कर सकता है।

2. राज्यों में सर्वधानिक तंत्र विफल होने से उत्पन्न संकट—यदि राष्ट्रपति को किसी भी राज्यपाल इस बात की सूचना दे कि अमुक राज्य में सविधान के द्वंग से शासन चलना कठिन है तो ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति उस राज्य में संकट-काल की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के समय राष्ट्रपति राज्य के गवर्नर की की सारी शक्ति अपने हाथ में ले सकता है और विधान-मण्डल की शक्तियों का स्थानांतरण संध-ससद में कर सकता है। राज्य के विधान-मण्डल के कानून बनाने का अधिकार ससद राष्ट्रपति को या उसके कहने पर अन्य किसी को दे सकती है।

आर्थिक संकट—यदि राष्ट्रपति यह अनुभव करे कि पूरी भारत सीमा या उसके किसी भाग की आर्थिक सास या व्यवस्था घरते भें है तो वह आर्थिक संकट की घोषणा कर गयी है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को राज्यों की गरकारों पर पूर्ण रूप से अंकुश रखने की शक्ति मिल जायगी। वह उनके लिए आवश्यक आदेश जारी कर सकता है और सरकारी सेवकों के वेतन आदि घटा सकता है। ऐसे काल में विधान-मण्डल से पास सभी धन-विधेयक राष्ट्रपति को अनुमति के लिए भेजे जाएंगे क्योंकि संकट की घोषणा के बाद राज्य-पाल की शक्तियाँ काम नहीं करेंगी।

राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति—सविधान की धाराओं पर दृष्टि-पात करने से ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय राष्ट्रपति अत्यन्त शक्तिशाली है। किन्तु व्यवहार में वह इतना शक्तिशाली नहीं है जितना सविधान की धाराओं से प्रतीत होता है। व्योंगि उमकी शक्तियों पाए प्रयोग व्यवहार में मन्त्रिमण्डल के हारा किया जाता है। वह तो वेवल मात्र एक सर्वधानिक प्रधान है जिसके नाम से ममत्त कार्य होते हैं। चूंकि मन्त्रिमण्डल लोकमत्ता के प्रति उत्तरदायी है और राष्ट्रपति किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है अतः स्वाभाविक है कि जहाँ उत्तरदायित्व रहेगा वहाँ गत्ता एवं शक्ति का प्रस्तुत्व भी प्रवर्श्य रहेगा। इस प्रकार राष्ट्रपति के बल मात्र राज्य का

मुखिया है, संवैधानिक प्रधान है जो राज्य करता है शासन नहीं। संविधान सभा के अध्यक्ष डा० अम्बेडकर ने इस सम्बन्ध में कहा था, “राष्ट्रपति की वही स्थिति है, ब्रिटिश संविधान में सम्राट् की है। वह राष्ट्र का प्रधान है कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसका निर्माण नहीं। वह साधारणतया मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। वह न तो उनके परामर्श के विरुद्ध कुछ कर सकता है और न उनके परामर्श के बिना ही।”

**प्रश्न 20—भारतीय संसद के गठन, शक्तियों एवं अधिकारों की विवेचना कीजिए।**

#### अथवा

बप्या संसद मौलिक अधिकारों में सशोधन कर सकती है? इस आधार पर संसद के कार्यों का उल्लेख कीजिए।

#### अथवा

“भारतीय संसद की लोकसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है।” यह कथन कहाँ तक तथ्यगत है?

#### अथवा

भारतीय संसद का गठन जनत्रात्मक आधार पर किया जाता है। दोनों सदन कहाँ तक जनता के प्रति उत्तरदायी हैं?

उत्तर—संसद का गठन—भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्य-सभा और लोक-सभा से मिलकर बनी है। यह व्यवस्था संसदीय पद्धति की परम्परा के अनुकूल ही है। इंग्लैण्ड में भी संसद सम्राट् तथा दो सदनों-लाईं सभा तथा कॉमन-सभा से मिलकर बनी है। इसके विपरीत अमरीका में, जहाँ शासन का आधार शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का अंग नहीं है। किन्तु संसदीय पद्धति का आधारभूत सिद्धान्त शक्तियों का सम्बन्ध है अतः इसके लिए कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में सम्बन्ध अनिवार्य है।

किन्तु इस सम्बन्ध में इंग्लैण्ड की संसद के अधिक समीप होते हुए भी यह ब्रिटेन की संसद की भाँति पूर्णतया प्रभुसत्ता-सम्पन्न विधान-मण्डल नहीं है। सामान्य काल में इसकी विधि-निर्माण की शक्तियाँ संघीय तथा समर्वत्ता सूचियों द्वारा सीमित रहती हैं। इसके अतावा इसकी सर्वोच्च सत्ता उन मूल अधिकारों द्वारा सीमित रहती है जिनकी नागरिकों को गारन्टी की गई है। राज्य को कोई ऐसा कानून बनाने की अनुमति नहीं है, जिससे किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता हो, या वह कम होता हो। यदि वह ऐसा कोई कानून बनाए तो न्यायालय उसे निष्कर्ष कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालायों को यह निर्णय करने की शक्ति प्रदान की गई है कि संसद द्वारा पास किया गया कोई विशिष्ट कानून संविधान के अनुकूल है या नहीं। इस प्रकार भारत में अमरीका की भाँति संसद की सर्वोच्चता को

वरन् सविधान की सर्वोच्चता को (न्यायपालिका को उसका अभिभावक व मंरकार बनाकर) स्वीकार किया गया है। इस प्रकार दुर्गदास वसु के शब्दों में “भारतीय सविधान में अद्भुत ढंग से अमरीकी न्यायालय की सर्वोच्चता के सिद्धान्त एवं इन्हें की संसदीय प्रभुसभा के द्वीच का मार्ग अपनाया गया है।”

किन्तु, यद्यपि संसद का प्राधिकार सीमित है, फिर भी यह थीक ही कहा गया है कि यही यह धूरी है जिम पर सरकार का सारा यत्रजाल धूमता है। आपात-काल में संसद इसके विधि-निर्माण हट जाते हैं। इसे विपुल शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं और राष्ट्रपति तथा मणिपरिषद् के साथ गिलाकर यह भारतीय राज्य के सर्वोच्च प्रभु की भूमिका अदा करती है।

**राज्य-सभा का संगठन—सविधान के अनुमार राज्यसभा की अधिक से अधिक सदस्य संख्या 250 होगी जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जायंगे। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान और समाज-सेवा के क्षेत्र में स्वाति प्राप्त की हो। शेष सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। वे उन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार निर्वाचित होते हैं। केन्द्र-शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि उम रीति से चुने जाते हैं, जो उनके लिए संसद ने कानून बनाकर नियत की हो। अन्य राज्यों के विपरीत, राज्यसभा में, भारतीय संघ की इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। सविधान निर्माताओं के राज्यों की समानता के प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को अप्रजातात्रिक करार दिया। अतः राज्यों के वीच प्रतिनिधित्व के वितरण का युक्त आधार उनकी जनसंख्या है। लेकिन छोटे राज्यों को इस सम्बन्ध में कुछ प्रभार दिया गया है। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर किसी राज्य को एक स्थान दिया जाता है, किन्तु इस प्रकार 50 लाख जनसंख्या तक 5 प्रतिनिधि उक्त राज्य से आ सकते हैं और यदि किसी राज्य की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती तो 50 लाख से ऊपर प्रत्येक 20 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भेजा जा सकेगा। इस प्रकार यह भारतीय राज्य-सभा की एक असामान्य विशेषता है। सभी संघों में सामान्यता प्रतिनिधित्व की समानता रखी गई है। अमरीकी सीनेट में 100 सदस्य होते हैं जिनमें प्रत्येक राज्य के दो-दो प्रतिनिधि होते हैं। आस्ट्रेलिया की सीनेट की सदस्य संख्या 70 है, प्रत्येक इकाई 7 प्रतिनिधियों को भेजती है। स्विट्जरलैण्ड की राज्य-सभा में 44 सदस्य हैं, प्रत्येक पूर्ण केन्टन से दो तथा प्रत्येक अद्भुत केन्टन से एक। यहाँ तक कि कनाडा की सीनेट की रचना में भी इस सिद्धान्त को ध्यान में रखा गया है। सधीय एककों समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, लेकिन सम्पूर्ण उपनिवेश को चार क्षेत्रों में बांट कर प्रत्येक क्षेत्र को 24 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है।**

इस समय राज्य-सभा की कुल सदस्य संख्या 238 है। इसमें 227 निर्वाचित सदस्य हैं 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। 226 निर्वाचित सदस्य राज्यों से निम्न

प्रकार हैं—भार्या प्रदेश 18, असम 7, बिहार 22, केरल 9, गुजरात 11, मध्य-प्रदेश 16, पंजाब 7, हरियाणा 5, राजस्थान 10, उत्तर-प्रदेश 34, पश्चिमी चंगाल 16, जम्मू कश्मीर 24, मद्रास 18, महाराष्ट्र 19, मेघांशु 12, उड़ीसा 10, दिल्ली 3, हिमाचल-प्रदेश 3, मणिपुर 1, त्रिपुरा 1।

द्वितीय सदन में सदस्यों के नामांकन को आलोचक ग्रन्तजातांविक बताते हैं, किन्तु भारत में इस प्रणाली को आवारलैड के गणतंत्रीय संविधान से लिया गया है जिसका उद्देश्य विशेष भान, सेवा तथा अनुभव-प्राप्ति लोगों से लाभ उठाना है।

राज्य-सभा एक स्थाई सदन है, इसका विधटन नहीं होता। इसके सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन लगभग एक तिहाई सदस्य हर प्रति दो वर्षों पर कार्य निवृत्त हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर नये सदस्यों का निर्वाचन होता है। कोरम के लिये इसकी सदस्य-संख्या का दसवां भाग उपस्थित रहना आवश्यक है।

भारत का उपराष्ट्रपति राज्य-सभा का प्रधान सभापति होता है। उप-सभापति पद के लिए राज्य-सभा अपने किसी सदस्य को बहुमत से चुन सकती है। अमरीका में भी उपराष्ट्रपति इसी प्रकार सीनेट का पदेन सभापति होता है।

राज्य-सभा के कार्य—राज्य-सभा के कार्यों को निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है—

1. ध्यवस्थापिका सम्बन्धी कार्य—राज्य-सभा और लोक-सभा सह-कर्मी कानून निर्माणी सदन है। विस्त-विधेयक को धोइकर अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में दोनों सदनों को लगभग समान अधिकार प्राप्त है। साधारण विधेयक लोक-सभा के सदृश राज्य-सभा में भी पुर स्थापित हो सकता है। कोई भी विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकृत होने के बाद दूसरे सदन में विचारार्थ भेजा जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने पर उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है।

अगर किसी विधेयक के सम्बन्ध में दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाये तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की समुक्त बैठक गुटाकर बहुमत द्वारा अन्तिम निर्णय कराता है।

निष्कर्षतः राज्य-सभा किसी साधारण विधेयक के पारित होने में अधिक से अधिक 6 महीने की देरी लगा सकती है। विधेयक को सदा के लिये समाप्त करने का अधिकार इसे प्राप्त नहीं है।

2. वित्तीय कार्य—वित्तीय मामलों में राज्य-सभा की स्थिति कमज़ोर है। वित्त विधेयक इस सदन में पुर स्थापित नहीं किये जा सकते हैं। लोक-सभा द्वारा पारित होने के बाद वित्त विधेयक राज्य-सभा में भेजा जाता है, जिसे राज्य-सभा की 14 दिनों के अन्दर अपने सुझावों के साथ लीटा देना पड़ता है। उसके सुझावों को मानना या न मानना, लोक-सभा पर निर्भर होता है। अगर राज्य-सभा 14 दिन अन्दर वित्त-विधेयक को नहीं लोटाती है, या अगर उसके सुझावों की सो-

स्वीकृत नहीं करती है तो विधेयक को उसी रूप में पारित समझा जायेगा जिस रूप में लोक-सभा ने मूलतः पारित किया हो। वित्तीय मामलों पर मन देने का अधिकार एकमात्र लोक-सभा को है।

3. प्रशासनिक कार्य—संविधान में मन्त्रि-परिषद् को लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी ठहराया है। राज्य-सभा का मन्त्रि-परिषद् पर कोई नियंत्रण नहीं है किन्तु यह उसे प्रभावित भवश्य करती है। राज्य-सभा के सदस्य सरकार की भालोबाना कर उसे सजग कर सकते हैं प्रश्न तथा पूरक प्रश्न द्वारा कार्यपालिका से कोई भी सूचना मांगी जा सकती है। अनिवार्य प्रशासनिक विषयों पर वाद-विवाद करने के लिए काम रोको प्रस्ताव लाया जा सकता है। मंत्री राज्य-सभा के सदस्य न रहते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।

4. संविधान सम्बन्धी अधिकार—राज्य-सभा संविधान के मंशोधन में भाग लेती है। संशोधन विधेयक के लिए यह भावश्यक है कि वह संसद के प्रत्येक सदन की सम्पूर्ण सदस्य-संस्था के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित होने पर संविधान में संशोधन हो सकता है।

5. विविध कार्य—(i) राज्य-सभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं।

(ii) राष्ट्रपति पर महाभियोग के सम्बन्ध में भी राज्य-सभा को लोक-सभा के समन्तरीय अधिकार प्राप्त हैं। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पुरः स्थापित किया जा सकता है। उस सदन के दो तिहाई सदस्यों द्वारा स्वीकृत होने के बाद दूसरा सदन न्यायाधिकरण के रूप में आरोपों की जांच करता है। अगर इस सदन में भी दो तिहाई बहुमत द्वारा आरोपों को स्वीकृत कर लिया जाता है तो राष्ट्रपति को पद से हटाना पड़ता है।

(iii) अगर राज्य-सभा सम्पूर्ण सदस्य सभ्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करे कि राज्य-सूची में उपस्थित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस पर कानून बना सकती है। ऐसा प्रस्ताव एक बर्पे से अधिक प्रकरण नहीं रहता।

(iv) दो मास में अधिक की अवधि तक प्रवतित रहने के लिए आपात उद्घोषण का अनुमोदन राज्य-सभा तथा लोक-सभा द्वारा आवश्यक है। लोक-सभा के विधायित की स्थिति में केवल राज्य-सभा का अनुमोदन ही आवश्यक है, जब तक कि नव निर्वाचित लोक-सभा द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है। आपातकाल में भौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए दिए गए आदेश को यथा शीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए।

(v) सर्वोच्च न्यायालय या किसी न्यायाधीश को सिद्ध सदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित समावेदन पर राष्ट्रपति

द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसा समावेदन भी प्रत्येक सदन की समस्त संस्था के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई के बहुमत द्वारा स्वीकृत होना चाहिए।

(vi) उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की समुक्त बैठक में होता है। उसे राज्य-सभा के एक प्रस्ताव द्वारा, जिसे लोक-सभा ने स्वीकार कर लिया हो, हटाया जा सकता है।

(vii) राज्य-सभा को एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएँ निमित्त करने का अधिकार प्राप्त है। इसके लिए सदन में उपस्थित और मत-दान करने वाले कम-से-कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में यह घोषित किया जाये कि ऐसा किया जाना देश के हित में आवश्यक है।

इस प्रकार लोकसभा से अपेक्षाकृत महत्वहीन होते हुए भी राज्यसभा अनेक कार्य संपन्न करती है।

लोकसभा का संगठन—लोकसभा भारतीय संसद का 'प्रथम' अथवा 'निम्न' सदन है। यह जनता का प्रतिनिधि सदन है। इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से होता है। अनु. 332 के अनुसार राष्ट्रपति दो आंग्ल-भारतीय सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। अगर उसके विचार में इस समुदाय को अन्य प्रकार से समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न हुआ हो। साथ ही एक सदस्य उत्तर-पूर्वी सीमा एजेंसी को भी मनोनीत किया जाता है। कुछ स्थान अनुसूचित आदिम जातियों के लिए भी सुरक्षित रखे गए हैं।

सदस्यों के निर्वाचन के लिए राज्य को नियन्त्रित क्षेत्रों में वॉट दिया जाता है। पहले यह व्यवस्था थी कि साडे सात लाख जनसंख्या पर कम से कम एक सदस्य तथा पांच लाख जनसंख्या पर अधिक से अधिक एक सदस्य होगा। किन्तु 1952 तथा 1956 के सशोधन अधिनियम द्वारा अब इन प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया गया है। केन्द्र प्रशासित प्रतिनिधियों का चुनाव संसद के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा होता है।

सदन का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जो उसका प्रथम अधिवेशन होने की तिथि से गिना जाता है। लेकिन राष्ट्रपति इसे इस प्रबंधि से पहले भी भंग कर सकता है। परन्तु जिस समय ग्रामात् घोषणा लागू हो, उस समय संसद कानून बनाकर इस सदन का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है परन्तु उस समय ग्रामात् घोषणा की समाप्ति के बाद छँ महीने के अन्दर यह सदन भंग कर दिया जाना चाहिए।

लोकसभा का सभापतित्व अध्यक्ष करता है जो लोकसभा द्वारा ग्रप्ते सदस्यों में से ही चुना जाता है। यदि वह सदन का सदस्य न रहे, तो वह ग्रप्ते पद को साली कर देता है। उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी उसी रीति से होता है जिससे सदन ग्रप्ते अध्यक्ष का निर्वाचन करता है।

लोकसभा का कोरम भी इसकी सदस्य संख्या का दसवाँ भाग है।

लोकसभा का कार्य—संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थाविका का निम्न सदन लोकप्रिय सप्रभुता की वास्तविकता प्रतिनिधिक सत्या होती है अतः इसके कार्यों का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है—

1. व्यवस्थाविक कृत्य—संसद को विधि-निर्णय का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अवित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में लोकसभा की स्थिति राज्य-सभा के लगभग समान ही है। किन्तु दोनों में गतिरोध होने पर समुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। इस बैठक में साधारण बहुमत द्वारा विधेयक को पारित किया जाता है। राज्य सभा की तुलना में लगभग दुगुनी सदस्य संख्या के कारण व्यवहारतः अंतिम निर्णय लोकसभा द्वारा ही होता है। लोकसभा की इच्छा के विरुद्ध निर्णय उभी संभव है जबकि सदनी का दलीय गठन ऐसा हो कि लोकसभा तथा राज्य सभा को मिलाकर विरोधी सदस्यों की संख्या अधिक हो जाये। अतः लोकसभा को इस संवेदन में कुछ सर्वोपरिता प्राप्त हो जाती है।

2. वित्तीय कृत्य—मेडिन ने कहा था जिसके हाथ में धन होता है, उसी के हाथों में शक्ति केन्द्रित रहती है। यह शक्ति साधारणतः व्यवस्थाविका के लोकप्रिय सदनों को प्राप्त होती है। भारत में भी लोकसभा का धन पर नियंत्रण है जो अविवादास्पद तथ्य है। धन विधेयक को लोकसभा में ही पुरः स्थापित किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद धन-विधेयक राज्य सभा में जाता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं इसका निर्णय भी लोकसभा स्वीकार करती है। लोकसभा को समस्त व्यय की स्वीकृति देने का एकाधिकार प्राप्त है। अनुदान सम्बन्धी माँगें केवल लोकसभा के समक्ष रखी जाती हैं।

3. कार्यकारी कृत्य—संसदीय प्रणाली में व्यवस्थाविका का एक प्रमुख कार्य ‘कार्यपालिका का नियन्त्रण’ करना है। लेकिन यह अधिकार मुख्यतः लोकप्रिय सदनों में निहित रहता है। भारत में भी लोकसभा को यह अधिकार प्राप्त है। कि भनु. 75 (3) के अनुसार मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तात्पर्य यह है कि भगवर लोकसभा अविश्वास का प्रत्यावर्त पास कर दे तो मंत्रिपरिषद् को अपदस्य होना पड़ता है। यद्यपि जब तक सत्तारूढ़ दल का लोकसभा में बहुमत है तब तक उसके विरुद्ध अविश्वास पास करना अत्यन्त कठिन है।

लेकिन इसके अतिरिक्त कार्यपालिका को नियन्त्रित करने के अन्य अनेक साधन भी लोकसभा के पास हैं। सांवेदनिक महत्व की बातों पर सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न द्योटी-द्योटी बातों से लेकर नीति सम्बन्धी बड़ी-बड़ी बातों से संबंधित हो सकते हैं। आवश्यकता होने पर पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।

लोक सभा किसी सरकारी विधेयक या प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सरकार को नियन्त्रित कर सकती है तथा ये सरकारी सदस्य द्वारा ताए गए किसी प्रस्ताव को

स्वीकार करके लोकसभा सरकार को एक विशेष नीति को मानने के लिए बाध्य कर सकती है।

काम रोको प्रस्ताव द्वारा भी सरकार पर नियन्त्रण रखा जा सकता है। सरकार द्वारा अनुदान की मांग को ग्रस्वीकृत कर लोकसभा मंत्रिमण्डल की नीतियों के प्रति असन्तोष प्रकट करती है। सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट की माँगी में कटौती करके भी लोकसभा मंत्रिमण्डल को नियन्त्रित करती है तभा उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अविश्वास प्रकट करती है।

सरकार का यह कर्तव्य है कि संसद द्वारा निर्धारित नीतियों को वह लागू करे। इसको देख-भाल तथा जांच के लिए संसदीय समितियाँ नियुक्त की जाती हैं। समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर सदन में वाद-विवाद होता है तथा सरकार की आलोचना की जाती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर भी सरकार की आलोचना की जाती है।

(4) निर्वाचन सम्बन्धी कार्य—अनु. 54 संसद को निर्वाचन सम्बन्धी अधिकार देता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संगठित निर्वाचक-मंडल के अंग हैं। अनु. 66 के अनुसार संसद सदस्य दोनों के संयुक्त अविवेशन में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं।

(5) जनता की शिकायतों का निवारण—लोकसभा के सदस्य जनता के प्रतिनिधि हैं। उनका कर्तव्य है कि जनता की शिकायत को सरकार तक पहुँचाना। विरोधी दल इस कार्य को पूरा करता है। जेनिंग्स के शब्दों में “यह ज्ञात करने के लिए कि जनता स्वतंत्र है, केवल यही ज्ञात करना आवश्यक है कि क्या कोई विरोधी दल है और यदि है तो कहाँ।” वापिक बजट, राष्ट्रपति का भाषण तथा अन्य मामलों में विशेषकर विरोधी दल के सदस्य पूरक प्रश्न पूछते हैं। संसद को व्यय के घावलानों, विनियोजन तथा राजस्व विधेयकों पर विचार-विमर्श के समय राज्य के विभिन्न विभागों के द्वारा को समीक्षा है और आलोचना करने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार की आलोचना तथा समीक्षा द्वारा सदन के सदस्य अपनी शिकायतों को दूर करवा सकते हैं।

#### (6) विविध कार्य

(i) राज्य-सभा के समान ही संविधान का संशोधन करती है।

(ii) लोकसभा राज्यसभा के समान ही स्थायाधीशों को पदब्धुत कर सकती है।

(iii) उसी की भाँति राष्ट्रपति के महाभियोग की शिया में भाग लेती है।

(iv) उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

(v) संकटकालीन घोषणा की ग्रवधि बढ़ाने के लिए राज्यसभा के साथ लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है।

(vi) भन्ते में, लोकसभा सार्वजनिक विवाद-स्थल का कार्य करती है। गोरिरा जौनस के बनुसार "सार्वजनिक विवाद-स्थल के दो युए हैं। प्रथम, यह दोनों को सामान्यित करता है तथा उसमें भाग लेने वालों को विकसित करता है।" यह सदन लोकप्रिय भावना का दर्पण तथा गिरावट है।

इस प्रकार स्थाट है कि विधि-निर्माण के दोनों में इधरा प्रधिक प्रमुखता है भीर धित की तो एकमात्र स्वामी यही है। कार्यपालिका दोनों के विश्वास पर्यन्त पदार्थ रहती है। अपनी भनुदान देने की शक्ति को कारण यह सप के रामूचे प्रशासन का नियन्त्रण करने में समर्थ होती है। करोड़ों जनता के प्रतिनिधि के रूप में यह उनको प्रमुख प्रवक्ता तथा उनके हितों की संरक्षक है। इसीलिए एम० पी० शमा० ने कहा है—  
‘यग्न रागद राज्य का सर्वोच्च धर्म है तो लोकसभा सदन का सर्वोच्च धर्म है। ध्ययहारतः यही सदन है।’

दोनों सदनों के मध्य सम्बन्ध—इस तथ्य से इन्हाँ नहीं किया जा सकता कि सदन के दोनों सदनों का भाग लेना भीर दोनों का सहयोग होना सब विधि-निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों के लिए भवित्वार्थ है, किंतु भी गतिविधान ने कुछ महत्वपूर्ण पहुंचों को हटाया है। लोकसभा को राज्यसभा की भवेश और चाला माना है—

(1) मनिपरियद सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यद्यपि राज्यसभा को मन्दिर-परियद को प्रभावित करने के अनेक साधन प्राप्त हैं, लेकिन मनिपरियद को घविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाने का उचे अधिकार नहीं है वयोंकि डॉ० एम० बी० पामली के शब्दों में, “सदन के विश्वास का धर्म है, लोकसभा का विश्वास तथा कार्यपालिका के विश्वास का तात्पर्य लोकसभा के प्रति विश्वास से है।”

(2) धन-विधेयक के सम्बन्ध में राज्यसभा की स्थिति महत्वहीन है। इस सम्बन्ध में निराधिक शक्ति लोकसभा को प्राप्त है। राज्यसभा की शक्ति के बल परामर्शदात्री है। वह केवल उसमें 14 दिनों की देरी लगा सकती है।

(3) साधारण विधेयक के सम्बन्ध में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। यहीं तक कि संवैधानिक संशोधन के संबंध में भी दोनों सदनों को समान शक्ति दी गई है। गत्यावरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा अतिम निराधिक किया जाता है। बहुसंस्थल सदस्यता के कारण बस्तुतः लोकसभा की इच्छा ही अन्त में मात्य होती है। “इस प्रकार स. रा. अमरीका में अपने प्रतिरूप धर्मात्मी सीनेट के विपरीत भारत की राज्यसभा को भवेशाकृत कम शक्तियाँ प्राप्त हैं।”

इस प्रकार मूलतः राज्यसभा के ऊपर लोकसभा की सर्वोच्चता स्वीकार की गई है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें राज्यसभा के समान शक्ति दी गई है। उदाहरणार्थ, राज्यसभा की सहमति के बिना लोकसभा संविधान में संशोधन नहीं ला सकती है।

साध ही कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जो सिंक राज्यसभा को ही दिए गए हैं। अनु. 249 के प्रनुसार राज्यसभा को यह शक्ति दी गई है कि वह अपने कुछ सदस्यों के बहुमत और उपस्थित तथा बोट देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पास करके यह घोषणा कर सकती है कि राज्य-सूची में समिलित किया गया अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है और इसलिए संसद को उस विषय के बारे में एक वर्ष के लिए सारे भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है।

अनु. 322 के द्वारा राज्यसभा को यह अनन्य शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी भी अविल भारतीय सेवा को स्थापना के लिए प्रस्ताव पास कर सकती है। संसद कानून द्वारा ऐसी लोक-सेवा की स्थापना करेगी। इन दोनों अधिकारों के सिलसिले में राज्यसभा की पूर्ण अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद ही लोकसभा उनके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर सकती है।

इस प्रकार राज्यसभा केवल एक शोभा की वस्तु या अनावश्यक नहीं है। यह लोकसभा की ही में ही मिलाने के लिए ही नहीं बनाई गई है। वित्तीय मामलों को थोड़कर, दोनों सदनों को मह-समान तथा रामन्वयकारी ग्रस्तित्व प्रदान किया गया है। अधिकाश देशों में प्रथम तथा द्वितीय सदनों के बीच ऐसा ही सबध है। स्विट्जरलैण्ड में दोनों सदनों की समान स्थिति है, लेकिन प्रथम सदन अधिक प्रभावशाली हो गया है। सोवियत रूस में दोनों सदन व्यवहारतः भी समान हैं। प्रचलित सर्वधानिक परम्पराओं के प्रतिकूल अमेरिका में रीनेट को प्रथम सदन से उच्च स्थान प्राप्त है।

व्यवस्थापिका का सफल कार्यकरण दोनों सदनों के सहयोग पर निर्भर करता है। लेकिन द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में दोनों सदनों के बीच सधर्ष की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बराबर बनी रहती है। मोरिस जोन्स ने भी लिखा है कि 'संस्थाओं का यह स्वभाव होता है कि वे निष्ठाओं को जन्म देती हैं और जब दो संस्थाओं की स्थिति प्राप्त: समान होती है उनमें मतभेदों का उत्पन्न हो जाना सर्वथा स्वाभाविक है।'

यद्यपि दोनों के संगठन तथा शक्ति में बहुत कुछ समानता है, फिर भी राज्य-सभा प्रारम्भ से ही अपनी हीम स्थिति के प्रति सजग है। प्रथम बार 1953 में दोनों सदनों में सधर्ष हुआ। आयकर (संशोधन) अधिनियम 1952 के प्रसार में राज्य-सभा ने अपने सदस्य विधि मंत्री श्री विश्वास को आदेश दिया कि वे लोकसभा के समक्ष उपस्थित न हो। लेकिन लोकसभा के सदस्यों में तक दिया कि चू कि मत्रिगण लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी हैं, इस लिए इन्हें उसके समक्ष उपस्थित होना लोकसभा के अधिकार-क्षेत्र में आता है। सधर्ष बढ़ने के पहले ही प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के कारण दब गया। 1953 में ही दूसरी घटना लोक-लेखा-समिति के संगठन के बारे में थी। राज्य-सभा ने सुझाव दिया कि इसकी अपनी लोक-लेखा-समिति हो या

मदस्यों द्वा॒रा समिति कर सोरगभा की सोक-सेता-समिति को हो दीनों सदनों भी एक मदुक समिति में परिवर्तित कर दिया जाये। सोरगभा ने मदस्यों ने इस मुभाय का विरोप दिया तथा इने प्रगवेषानिक बनाया। सेविन प्रधान-मन्त्री ने राज्य-सभा के मुभाय द्वा॒रा मतोपिधा भा॒र में व्योरात्र कर निशा तथा राज्य सभा द्वारा गा॒रा नामीही मदस्यों द्वा॒रा इन समिति में स्थान देने तथा प्रादेशिक दिया। प्रधान मन्त्री के प्रदान वा॒र्ता भी सोरगभा में वार्ता विरोप किया गया और इन द्वारा प्राप्तवान पर हि राज्य-सभा के मदस्य मर्फिरा के मदस्य नहीं होंगे, यहिंक उन्हें किसी गृहोंग देने, सोरगभा ने प्रतिश्लोक में मदस्य दी। चट्टर्जी वाड के मध्यस्थ में दीनों में घोर भी उष्ण मंसर्व है। श्री एन. श्री. चट्टर्जी ने, जो सोरगभा के मदस्य में, राज्य-सभा द्वा॒रा एक वा॒र्ता-उनिह मभा में प्रदुषणदायी बनाया। राज्य-सभा ने श्री चट्टर्जी के बापा पर आत्मि प्रश्न दी घोर उन्हें इन मध्य में पूछा गए द्वी पर्द। सोरगभा ने इन प्रते गद्यों के विवरणिकार का प्रतिपादा गमभा। यांत्र में यह निर्णय हुआ कि ऐसे विवादों का विवारण दीनों गद्यों की वाड गुरुरा मर्फिरा द्वारा हो।

इस गद्यर्थ का गमालिके नियंत्रण में गृहोंग की भावना का हीना विषया प्राप्तवान है। गाय ही गविष्यानः दीनों गद्यों के विवार-वेता वाया वापारात्मि गद्य वा वाड द्वारा दीनों भावित है। वर्तोरि “दह निर्विवा है ति विवर दीनों गद्य एवं में ही विवेकानन्द वाले हैं तो वातिलुक्तं गह विवित विज्ञ है। विवर के वालों द्वा॒रा विविवा वर्ती दिया जाता तो वालों विविविता घोर वर्णनी।”

**प्राप्त 21—भारतीय सविसाहम् दे सदृश, पवित्र एवं वर्तीयों पर प्रसाद वापिये।**

संविधान ने मन्त्रिपरिषद के सम्बन्ध में कुछ साधारण उपबन्धों का ही उल्लेख किया है जो केवल उसके निर्माण तथा मन्त्रियों से सम्बन्धित बातों पर प्रकाश ढालते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि संसदीय शासन-व्यवस्था में रीति-रिवाजों और परम्पराओं का विशेष महत्व होता है।

मंत्रिपरिषद का गठन—संविधान के अनु. 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी तथा अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाएगी। संविधानतः राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्ति करता है लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति संसद में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्ति करता है। अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति के संबंध में सर्वधानिक स्थिति यह है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करेगा लेकिन व्यवहारतः राष्ट्रपति का परामर्श मानने के लिए बाध्य है। मंत्रि-परिषद का सदस्य होने के लिए प्रत्येक मंत्री को संसद का सदस्य होना आवश्यक है। यदि नियुक्ति के समय वह संसद का सदस्य नहीं है तो नियुक्ति होने के 6 माह के अन्दर ही उसके लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है।

संविधान ने मन्त्रियों की सल्ला निश्चित नहीं की है। यह प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर है। मन्त्रियों की नियुक्ति करने के उपरांत प्रधानमंत्री उत्तमे विभिन्न विभागों का विभाजन करता है। विभागों के विभाजन का कार्य राष्ट्रपति का नहीं, प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री द्वारा अन्य सभी मंत्री निश्चित विभागों के अध्यक्ष होते हैं। उन्हें विभाग के नाम से ही पुकारा जाता है।

मंत्रियों का वेतन तथा भत्ता एवं कार्यकाल—मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते को निश्चित करने का अधिकार संविधान ने भारतीय संसद को दिया है। जब-तक भारतीय संसद किसी विधि द्वारा इनका निर्णय नहीं करती है उस समय तक मन्त्रियों को 300 रु. मासिक वेतन तथा 500 रु. मासिक भत्ता मिलता रहेगा। 2250 रु. मासिक राज्य-मंत्रियों को 500 रु. भत्ता तथा 1750 रु. मासिक उप-मंत्रियों को प्राप्त होगा। उनको निवास के लिए एक बिना किराए का मकान भी होगा।

मंत्रि-परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है किन्तु लोकसभा का विश्वास भग होने पर उसे इस अवधि से पूर्व भी पदत्वाग करना पड़ता है।

मंत्रि-परिषद के कार्य—संविधान के द्वारा भारतीय मंत्रि-परिषद का कार्य राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता तथा परामर्श देना है किन्तु संविधान में ऐसा कही भी लिखा हुआ नहीं है कि राष्ट्रपति इस परामर्श को कहाँ तक माने। किन्तु वास्तविकता यह है कि शासन का समस्त कार्य मंत्रि-परिषद करेगों और राष्ट्रपति उसको परामर्श देगा, क्योंकि संघ की वास्तविक कार्य-पालिका मंत्रि-परिषद ही है।

भारत की मंत्रि-परिषद के विम्लिति कार्य हैं—

1. नीति-निधारण सबंधी कार्य—मंत्रि-परिषद् राष्ट्र की नीति का निधारण करती है। आन्तरिक एवं वाह्य क्षेत्र में किस की नीति का अवलंघन किया जाएगा इसका निश्चय मंत्रि-परिषद् ही करती है। दूसरे देशों से व्यावहारिक तथा राजनीतिक संघि स्थापित करना तथा युद्ध में मुलह करना मंत्रि-परिषद् का कार्य है। मंत्रि-परिषद् सरकारी योजना तंयार करती है।

2. विधि-निर्माण सबंधी कार्य—विधि-निर्माण संबंधी कार्यक्रम को निश्चित करना मंत्रि-परिषद् का कार्य है। कोन से विल संसद में पेश किए जाय, इसका निश्चय मंत्रि-परिषद् ही करती है। मुख्य सरकारी विल मंत्रियों द्वारा ही संसद में पेश किए जाते हैं।

3. शासन का उत्तरदायित्व—मंत्रि-परिषद् समस्त-शासन के कार्यों के लिए उत्तरदायी है। वह इसके लिए संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। संसद की बैठकों में मंत्रि-परिषद् ही कार्य-कारिणी का प्रतिनिधित्व करता है। सभूएं निश्चय मंत्रि-परिषद् ही करती है। समस्त वित्त तंयार करती है। समस्त वित्त विधेयकों को संसद में मंत्रि-परिषद् ही प्रस्ताव करती है।

4. वित्तीय कार्य—वित्तीय-नीतिका निश्चय मंत्रि-परिषद् करती है। मंत्रि-परिषद् मिलकर सरकार का वापिक बजट तंयार करती है। समस्त विधेयकों को संसद में मंत्रि-परिषद् ही प्रस्ताव करती है। समस्त महत्वपूर्ण तथा सरकारी विधेयक व गंगेर सरकारी विधेयक संपन्न किए जाते हैं। समस्त महत्वपूर्ण तथा सरकारी विधेयक व गंगेर सरकारी विधेयक भी प्रस्तावित किये जाते हैं।

5. नियुक्ति सबंधी कार्य—संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रि-परिषद् के द्वारा ही की जाती है। मंत्रि परिषद् के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों के परिषद् के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालयके न्यायधीश, महाधिवलकर्ता, महालेखावाल और सेना के सेनापतियों की नियुक्ति मंत्रि-परिषद् के परामर्श से की जाती है।

वास्तव में मंत्रि-परिषद् उन समस्त कार्यों को करती है जिनके करने का अधिकार संविधान ने राष्ट्रपति को दिया है। यह बहुत शक्तिशाली है और देश की समस्त राजनीतिक घटवस्था पर उसका अधिकार है। इसीलिए मेरियट ने कहा है कि “वह ऐसा बिन्दु है जिसके चारों ओर राजनीतिक मशीन घूमती है।” रेझो-म्पोर ने उसे “राज्य रूपी जहाज को चलाने वाला पहिया कहा है।”

प्रश्न 22—सर्वोच्च न्यायालय के गठन का बर्णन कीजिए तथा संविधान को सुरक्षा एवं मूल अधिकारों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उसके कार्यों की विवेचना कीजिए।

सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन को शक्ति कहा तक प्राप्त है?

उत्तर—सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता—संघीय शासन-व्यवस्था में स्वतन्त्र और उच्चतम न्यायालय अत्यन्त अनिवार्य होता है। संघ-राज्य में संघीय एवं राज्य सरकारों के बीच स्पष्ट एवं लिखित रूप में शक्ति विभाजन किया जाता है किन्तु फिर भी ग्रनेक विषयों पर संघीय और राज्य सरकारों के बीच या राज्य-सरकारों में ही परस्पर विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिनका निवटारा एक सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जा सकता है। चूंकि संघ एवं इकाई की सरकारों के सेनाधिकार-संविधान में मुनिश्चित कर दिये जाते हैं किन्तु संविधान की भाषा प्रायः भ्रष्ट रहती है, जिसके फलस्वरूप सेनाधिकार के सम्बन्ध में केन्द्रीय एवं राज्य-सरकारों के बीच विवाद पैदा हो सकता है। चूंकि संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, इसलिए ऐसे विवादों का निर्णय संविधान के उपर्योगों के अनुसार ही होगा। अतः यह आवश्यकता है कि इस प्रकार के किसी भी विवाद का निर्णय एक निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र मध्यस्थ निकाय द्वारा हो। एक संघीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय इस उत्तरदायित्व को निभा सकता है। अतः इस हिटिकोण से मंघ-राज्य में एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायालय का संगठन—संविधान की धारा 124 में सर्वोच्च न्यायालय के संगठन का वर्णन किया गया है। संविधान में यह स्पष्ट रूप से लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और सात अन्य न्यायाधीश होंगे। 1960 में किये गये संशोधन के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 14 न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वह मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। विशेष अवस्था उत्पन्न होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है।

**योग्यताएँ**—सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है—

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. वह किसी उच्च न्यायालय अधिका ऐसे दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो।
3. किसी उच्च न्यायालय अधिका न्यायालयों में लगातार दस वर्ष तक अधिकारा ( Advocate ) रह चुका हो।
4. या राष्ट्रपति की राष्ट्र में पारंपर विधिवेत्ता हो।

बेतन और भत्ते—सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का बेतन 500 रुपये मासिक और अन्य न्यायाधीशों का बेतन 4000 रुपये मासिक होंगा। उनको बिना किरण का निवास-स्थान और ग्रनेक प्रकार के भत्ते आदि दिये जाएंगे।

उनकी नियुक्ति के बाद उनके बेतन, भतो आदि में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

**कार्य-काल तथा पदचयुति—** सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। इस ग्रवस्था से पूर्व वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है। सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के कारण संसद के द्वारा न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदन अलग-अलग अपनी कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित और भत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई भत से उसको अयोग्य तथा आपत्तिजनक आचरण करने वाला प्रमाणित कर देते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति को उस न्यायाधीश को उसके पद से हटाना होगा। न्यायाधीश को हटाने वाला प्रस्ताव संसद के एक ही सत्र में स्वीकृत होना चाहिये। न्यायाधीश को अपने पद का समर्थन तथा उसकी पैरवी का पूरा अवसर प्रदान किया जायेगा।

### सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

भारत के सर्वोच्च न्यायालय को काफी विस्तृत क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यहाँ तक कि विश्व के ग्रन्थ किसी भी न्यायालय का क्षेत्राधिकार शायद ही इतना व्यापक हो।

**1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार—** निम्नलिखित तीन प्रकार के मामले सर्वोच्च न्यायालय में प्रारम्भ होगे—

(1) भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच।

(2) अथवा एक और भारत सरकार और कोई राज्य या राज्यों तथा दूसरी और एक या अधिक राज्यों के बीच।

(3) दो या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाय। किन्तु विवाद ऐसा होना चाहिए जिससे कानून के तथ्य का ऐसा प्रश्न हो जिस पर कोई कानूनी अधिकार निर्भर हो, यानी विवाद संवैधानिक हो।

**2. अपीलीय क्षेत्राधिकार—** इसमें में निम्न चार तरह के मामले मात्र गए हैं—

(1) ऐसे मामले जिनमें हाईकोर्ट प्रमाणित करे कि विवाद सविधान की व्याख्या का है।

(2) हाईकोर्ट प्रमाणित करे तो भी संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता समझ कर सर्वोच्च न्यायालय अपील की आज्ञा दे दे।

(3) एक दीवानी का मुकदमा जिसमें पच्चीस हजार की जापदाद पर विवाद हो, या हाईकोर्ट प्रमाणित करे कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाने योग्य है।

(4) कोजदारी मामलों की अपील हाईकोर्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय के सामने की जा सकती है, यदि मामला ऐसा हो जिसमें हाईकोर्ट के नीचे की अदालत

को रद्द करके अभियुक्त को फाँसी की सजा दी हो या हाईकोर्ट यह प्रमाण-पत्र दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाने योग्य है।

3. परामर्शीय क्षेत्राधिकार—सर्वोच्च न्यायालय ऐसी अवस्था में, जब राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है, जो सार्वजनिक महत्व का है, तो उसे परामर्श दे सकता है। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विधेयक पर निर्भर होगा। अभी तक राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से तीन बार मरामर्श मांगा है।

### सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ

1. संसद कानून बनाकर हाईकोर्ट के फौजदारी के किन्हीं भी मामलों में किए गए निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दे सकता है। इसी प्रकार संघ-सूची में प्रकाशित किन्हीं भी विधयों पर मुकदमा चलने पर उनकी सुनवाई की शक्ति उन्हें दे सकता है।

(2) सर्वोच्च न्याय को यह शक्ति प्राप्त है कि हाईकोर्ट से आने वाले किसी भी फौजदारी के मामले के लिए अपील सुने।

(3) सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपनी इच्छानुसार किसी भी न्यायालय के विरुद्ध अपील सुने।

(4) सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारतीय मामलों में अन्तिम निर्णय होगा। भारत के सभी न्यायालयों ने इसके निर्णय को मानना पड़ेगा।

(5) उमेर एक सामूहिक रूप से कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो अन्य, किसी प्रकार से नष्ट नहीं किए जा सकते। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, संविधान की व्याख्या के सम्बन्ध में मुकदमे के निर्णय के सम्बन्ध में अन्य किसी अपील योग्य मामले के सम्बन्ध में, अन्तिम होता।

न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति—सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षण का कार्य भी करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों की वैधानिकता की जांच करने की शक्ति प्राप्त है।

मतः यदि संसद अथवा राज्यों की विधान-सभाओं ने कानून का निर्भाग कर दे जो संविधान की धाराओं के प्रतिकूल हो, अथवा नामिकों के मौलिक प्रधिकारों का हनन करता हो तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानून को घटेध घोषित कर सकता है। इसी शक्ति को 'न्यायिक पुनराविलोकन (Judicial Review)' की शक्ति भी जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा पारित कानून वैकों के राष्ट्रीयकरण विधा प्रविष्ट समाप्ति सम्बन्धी राष्ट्रपति के अध्यादेश को अवैध घोषित कर दिया था।

प्रन 23—सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के सापार पर उसकी शक्ति-परोक्षण कीजिए।

### अथवा

“पिछले कुछ वर्षों से यह देखा गया है कि संसद की अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालय अधिक शक्तिशाली जनता जा रहा है।” यह उमित कहीं तक सत्य है?

### अथवा

सर्वोच्च न्यायालय संसद के फैसलों को अवैध करार देकर कहीं तक भारतीय संविधान की रक्षा की है?

उत्तर—भूमिका—सर्वोच्च न्यायालय के 26 फरवरी 1967 के निर्णय से पुनः यह उभर कर मामने आया कि वया संसद भूलाधिकारों पर केवल कुछ न्यायाधीशों का ही अधिष्ठय माना जाए और संसद जो कि जनता का प्रतिनिधि सदन है कि इस सम्बन्ध में न्यायापालिका की ही कृपा पर निर्भर हो?

संविधान में प्रावधान—इन प्रश्नों का उत्तर संविधान में ही सोजना चाहिए। अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संविधान के संशोधन का सूत्रपात उस प्रयोजन के लिए विधेयक को संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा तथा जब प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की समस्त सदस्य-संसद्या के बहुमत से तथा उस सदन के उपस्थित और मतदात करने वाले सदस्यों के दो तिहाई अन्यून बहुमत में वह विधेयक पारित हो जाता है तब वह, राष्ट्रपति के समझ उसकी अनुमति के लिए रखा जाएगा तथा विधेयक को ऐसी अनुमति दी जाने के पश्चात् विधेयक के निवन्धनों के अनुसार संविधान संशोधित हो जाएगा।

अनुच्छेद 13 (2) के अनुसार-राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनायेगा जो इस भाग (भाग 3) द्वारा दिये अधिकारों को छीनतो या अन्यून करती हो और इस संषड के उल्लंघन में कोई प्रत्येक विधि उल्लंघन की माना जाए तक शून्य होगी।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय—27 फरवरी 1967 को सर्वोच्च न्यायालय ने 6-5 के बहुमत से अपने पुराने निर्णयों को गतत बताते हुए यह घोषित किया कि अनु० 368 तो केवल संविधान में संशोधन करने को प्रक्रिया विहित करता है, यह स्पष्ट है में नहीं बहता कि संसद को संविधान में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है। सर्वोच्च-न्यायालय ने आगे कहा कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया अन्य विधि-निर्माण से भिन्न नहीं है। अर्थात् मंविधानिक विधि और साधारण विधि में कोई अन्तर नहीं है। यदि संशोधन भी साधारण विधि है तो यह अनु० 13 (2) के अन्तर्गत था जाता है, जो कि राज्य को मंविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल-अधिकार को छीनते या उनमें कमी करने को मना ही करता है। सब 1962 और 1965 में दिये गये अपने निर्णयों में सर्वोच्च-न्यायालय ने गंविधान के संशोधन को साधारण विधि से भिन्न माना था।

बहुमत दो निर्णयों द्वारा घटत किया गया। एक मुख्य-न्यायाधीश के० सुव्याप्त तथा अन्य न्यायाधीशों के बदले में और दूसरा न्यायाधीश हिंदामतरत्वा रा।

मुद्वाराद का मत—भूतपूर्व-न्यायाधीश सुन्दराराव ने इस शत पर और दिन कि भारत में संविदान-सर्वोच्च है और गंविदान द्वारा निर्दित भास्य प्राचीनतर्मादी को इस भौतिक कानून के स्पष्टवर्णों के प्रतिमार बनाना होगा। बहुमत न्यायाधीशों द्वारा की गई मंविदान की व्याख्या ने मौलिक अधिकारों को प्रवृत्तशास्त्रिक (Transcendental) स्थिति प्रदान की है और उन्हें मंगड़ की फूंक में छारा रखा है। न्यायाधीशों ने बहा कि “मौलिक स्वतन्त्रताओं की महत्ता इनसे प्रभुता नहीं है कि दोनों सदनों के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वेगम्भीरि में पारित विषेश भी उनसे दर्जों को निष्प्रभाव नहीं कर सकता है। न्यायाधीशों ने आगे कहा कि “स्वातन्त्र्य का दापरा मौलिक अधिकार अध्याय द्वारा घोषित मंस्तक पर निर्भर करता है न रि फॉर्मलियानेट द्वारा इस बात के निष्पराण पर कि गावंवनिर्द इन के विष् या हितकारी है।”

अन्य मत—दूसरा कोई भी हिटिकोण अपनाने का परिणाम यह होता कि समद किसी भी लाए समस्त मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकती है। मगाहड दल इस कार्य को स्वयं अकेले या अन्य दलों के सहयोग से कर गढ़ता है। हेमी संभावना के परिणाम स्वरूप मंविदान का समूह बीचा जो उन साक्षी पर आधारित है, एक गलत कदम से तहमन्हृहस हो सकता है।

पंजाब परिवार का आवेदन पत्र—सर्वोच्च-न्यायालय ने घरना विचार पंजाब के एक परिवार के आवेदन-पत्र पर विचार प्रकट करते हुये घोषित किया। यह आवेदन-पत्र भूमि-सुधार मुकदमे के विरुद्ध था।

न्यायालय के समझ यह प्रश्न विचाराधीन था कि क्या गंसद-पारा 13 के मदर्म में भौतिक अधिकारों को सीमित या समाप्त कर सकती है। इसके पूर्व भी दो अद्यतरों पर न्यायालय के समझ यह प्रश्न उठा था कि क्या मंविदानिक मंगोवन एवं किसी साधारण विषेश की स्थिति यातन है? अर्थात् प्रश्न है कि संसद-न्यायारण विधि की प्रक्रिया से भौतिक अधिकारों में परिवर्तन ला सकती है या नहीं? पहला अवसर 1951 में शक्ति प्रमान बनाय विहारी राज्य के मुकदमे के अवसर पर न्याया या जो प्रथम संघोधन के विरुद्ध न्यायालय में अपील की गई थी। न्यायालय ने घरना विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि मंविदानिक संघोधन-संसद द्वारा अपनी विधायिका शक्ति के अन्तर्गत बनाया गया ‘कानून’ नहीं है। बल्कि यह उसकी मंविदानिक शक्ति का परिणाम है। अतः उन्हें निरुद्योग दिया कि संविधानिक संघोधन अनु० 13 (2) द्वारा लगाये गये प्रतिवर्ण के अन्तर्गत नहीं आते हैं और फलतः जब तक संघोधन शक्ति का अनुसरण किया जाता है तब तक वे वेध हैं। दूसरा अवसर 1965 में न्याया जद्विकि 17 संघोधन के विरुद्ध को गई अपील पर सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया। बहुमत न्यायाधीशों ने 1951 के निरुद्योग का समर्थन किया। केवल दो न्यायाधीशों, श्री हितशयनुराज और श्री यथोक्त ने विपक्ष में मत दिया। सर्वोच्च न्यायालय के बनेमान निरुद्योग ने प्रथम, चतुर्थ और सबहद्वये संघोधन को अवैध कर दिया होता, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने व्यावहारिक दिव्योंग अपनाया

और निर्णय को पूर्वव्यापी मान्यता (Doctrine of Retroactivity) देने से इकार कर दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने प्रप्रत्यागित सिद्धांत (Doctrine of Prospective Overuling) का अनुकरण किया। पूर्वव्यापी मान्यता न देने के कारणों पर न्यायालय ने प्रकाश दाला। यमीं तक 24 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं और उनके अनुसार विधान-सभाओं ने अनेक पालन भी बनाए हैं। पूर्वव्यापी मान्यता देने का यह मह होता है कि भभी तक विधान-सभाओं ने अनेक अवैध कानून बनाए हैं और उन प्रवैध कानूनों को संशोधन द्वारा मरकार प्राप्त हुआ है। लेकिन न्यायालय ने 1951 में स्वतः यह निर्णय लिया था कि संसद को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। इसी आधार पर संविधान में प्रथम, चतुर्थ और तत्त्वरहबैं संशोधन लाए गए। अतः इन संशोधनों के अन्तर्गत निर्मित सभी कानून वैध माने जाने चाहिए। 1950 से 1967 के बीच में कृषि राम्बन्धी आति लाने के लिए अनेक कानून बनाए गए, जैसे जमीदारी, इनाम तथा आन्ध्र भव्यवतीं जानीरे रामाप्त कर दी गईं। इस प्रकार अनेक आतिकारी कानूनों का निर्माण किया गया। ये सभी कानून न्यायालय के निर्णय के अन्तर्गत पारित किए गए। अतः पूर्वव्यापी प्रभाव के सिद्धांत को अपनाकर इन्हे गलत बता देना न्याय-सगत नहीं होता। यदि इस सिद्धांत को मान्यता दे दी जाए तो पहले के सभी कानून अवैधानिक हो जाएंगे तथा देश में भव्यवस्था और धाराजकता फैल जाएंगी। अतः यह आवश्यक था कि न्यायालय अपने निर्णय को पूर्वव्यापी मान्यता न दे।

इस प्रकार उपर्युक्त निर्णय के अनुसार संसद की संशोधन शक्ति का आधार अनु. 245, 246 और 248 है न कि केवल अनु. 368 है जो कि संशोधन प्रक्रिया की चर्चा करता है। मंशोधन अनु. 23 के अन्तर्गत एक 'कानून' है और यदि यह मौलिक अधिकारों को छीनता है तो अवैध होगा। न्यायालय ने कहा, "हम लोग घोषित करते हैं कि इस निर्णय के बाद संसद को संविधान के भाग 3 के किसी उपवंश में इस तरह से संशोधन करने का अधिकार प्राप्त न होगा जिससे कि मौलिक अधिकार छिन जाएं या सीमित हो जाएं।"

सर्वोच्च न्यू० के निर्णय संसद के विरुद्ध—सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने संसद की मर्वर्पित सत्ता को गहरा धबका पहुंचाया। उसका अधिकार क्षेत्र तथा सावंभौमिकता सीमित हो गयी है। साथ ही इसके द्वारा समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में कठिनाई होगी क्योंकि विधानसभा० सावंजनिक हित के ट्रिप्टिकोण से सम्पत्ति के अधिकार को सीमित नहीं कर सकती है। किन्तु न्यायपालिका के समर्थकों के अनुसार इससे मौलिक अधिकारों को अनुभवातीत स्थिति प्रदान कर नागरिक स्वतन्त्रता को विशेष सुरक्षित बना दिया है। क० संयानम ने कहा है, "यह भी तक दिया जाता है कि प्रमुखपूर्ण संसद के संविधान में संशोधन के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं छीना जाना चाहिए। यह तक गलत है क्योंकि भारत में संसद सर्वोपरि नहीं है। संविधान तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी शक्तियाँ सीमित

है।” सो थे ही जेब न्यायालय को ही उसको व्याख्या व रक्षा का अधिकार है तो धारा 13 के अन्तर्गत ‘कानून’ की वह ‘संवैधानिक कानून’ के रूप में भी व्याख्या करता है तो उसे मानना चाहिए। इसके पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जा सकता है कि संसद की अपेक्षा न्यायालय में जनता का अधिक विश्वास होता है तथा इसकी निष्पक्षता में संदेह नहीं किया जाता। अतः अल्पमत अपने आपको न्यायालय के हाथों में अधिक मुरक्षित अनुभव करता है।

किन्तु वास्तव में देखा जाए तो यह निर्णय संविधान को इतना दुस्तंशोध्य बना देगा कि जन-इच्छा द्वारा कोई भी मुगम परिवर्तन न किया जा सकेगा और यह प्रणतिशील विधायन के मार्ग में बाधक सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त धारा 368 में कहा गया है कि एक विशेष प्रक्रिया द्वारा संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है कि संविधान का संशोधन संसद के अतिरिक्त कौन करेगा। अतः यह कहता कि संसद को संशोधन का अधिकार नहीं है प्रजातन्त्र की अवज्ञा तो है ही इसके बिना धारा 368 का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। संविधान निर्माणी सभा यदि संसद को यह अधिकार नहीं देना चाहती तो वह इसका स्पष्ट उल्लेख कर सकती थी।

संसद के समर्थकों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को और भी कई कारणों से अनुचित ठहराया है—

(1) राजनीतिक दृष्टि से कोई भी ऐसा पग जो कि संसद को प्रभुता को कम करने वाला हो, स्वीकार नहीं किया जा सकता। संसद जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान और कानूनों को सामाजिक परिवर्तनों और समुदाय की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के प्रनुसार बदलना चाहिए। व्यक्ति के मूल अधिकार उसी सीमा तक मूल है जब तक कि ने सामान्य हित के अनुकूल रहे।

(2) सम्पत्ति के अधिकार पर नियन्त्रण ‘अधिनायकवादी शासन’ का दोतक नहीं है वरन् इसका एकमात्र उद्देश्य न्यायपूर्ण समाजवादी समाज की स्थापना है।

(3) उपर्युक्त निर्णय इस गलत धारणा पर आधारित है कि मौलिक अधिकारों व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किसी प्रकार का विरोध पैदा होना असम्भव है। लेकिन वस्तुस्थित यह है कि संविधान के इन दोनों भागों में विवाद पैदा होने के कारण ही पहला, चौथा और गांडिजी संशोधन लाया गया।

(4) स्वयं संविधान में यह व्यवस्था है कि कुछ मूल अधिकारों को विशिष्ट परिस्थितियों में निलम्बित किया जा सकता है। इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मूल अधिकार अनुभवातीन हैं या अपरिवर्तनशील हैं।

(5) साथ ही यह सुझाव देना कि जब कभी मूल अधिकारों में संशोधन करना आवश्यक हो संविधान-सभा को आहूत किया जाए, व्यावहारिक नहीं है। यद्

उल्लेखनीय है कि यदि कभी इस विधि को अपनाया भी जाय तो ही सकता है कि इस प्रकार से बनाए गए कानून को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया जाए कि कोई निकाय (संसद) किसी ऐसे दूसरे निकाय (संविधान-सभा) की रचना नहीं कर सकता जिसकी शक्तियाँ रचना करने वाले निकाय से अधिक हों। यदि संसद को कुछ वातों में संविधान का संशोधन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, तो वह किसी ऐसे दूसरे निकाय की कैसे रचना कर सकती है जिसे उन वातों के बारे में संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी जावे। यदि संविधान निर्माता ऐसा विचार रखते तो वे संविधान में ही इस प्रकार की व्यवस्था कर देते। इस प्रकार मूल अधिकारों में संशोधन करने की कोई विधि न रह जाती।

(6) इसके अलावा साधारण कानून तथा संवैधानिक कानून में अन्तर है। प्रायः सभी राज्यों के संविधानों में संविधान से सम्बन्धित कानून व संशोधन पास करने के लिए विशेष व्युत्पत्ति या प्रक्रिया की व्यवस्था होती है। (सिवाय ब्रिटेन को छोड़ कर जहाँ कि संविधान अधिकारातः अलिखित हैं।) स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वगमी निण्यों में इस अतर को स्वीकार किया गया है। सं ० रा० अ० के संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था ही संविधान के प्रथम दस संशोधनों द्वारा हुई है। वहाँ की काँप्रेस उनमें आवश्यकतानुसार संशोधन भी कर सकती है, अन्य राज्यों में भी लगभग ऐसी ही व्यवस्था है।

(7) अन्त में, किसी भी सावं-भीम राज्य में संविधान निर्माताओं की इच्छा से उनके उत्तराधिकारी सदा के लिए वधी नहीं रह सकते हैं। निस्सदेह संविधान को स्थाई तथा अपरिवर्तनशील होना चाहिए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि भविष्य की जनता तथा शासकों को उसमें परिवर्तन करने का अधिकार ही न हो। यह कानूनतः अथवा व्यवहारतः गलत होगा। इससे संविधान का स्वाभाविक विकास एक जाएगा। कलतः सामाजिक प्रगति के लिए एक ही विकल्प रह जाता है, वह है वर्तमान व्यवस्था को हिंसा द्वारा उत्थाप केन्द्रना। यार हृषि मे सन् 1966 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए कन्हैयालाल मिथा के तर्क उल्लेखनीय हैं—

“अनुच्छेद 368 मे दी गई शक्ति का स्वरूप प्रभुत्व जैसा है, अतः उस पर कोई निहित सीमाएँ नहीं लगाई जा सकती। संशोधन कानून से भिन्न है। मेरा बहना यह है कि संविधान का निर्वंचन इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि उसका एकमात्र विकल्प भाँति रह जाए। ऐसी स्थिति पैदा न की जाए कि देश की प्रगति एक जाए और प्रगति में बाधा ही बाधा की ग्रेक बन जाये। जो बात आज मूल-भूत है वह कल अथवा दस वर्ष बाद मूल-भूत न रहे, ऐसा गंभीर है, तो कठिनाईयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। यदि जनता की आवश्यकता सच्ची है, तो क्या न्यायाधीशों को संविधान का निर्वंचन इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि यह प्रयोनन पूरा हो ?

नित्यपूर्ण स्वयं में संसद का पक्ष प्रबल है और यह आवश्यक है कि मूलाधिकारों की व्यवस्था कुछ गिने चुने न्यायाधीशों पर न घोड़ी जाए।

**प्रश्न 24—राज्यों के प्रशासन में राज्यपाल की क्या स्थिति है ? राज्य की विधान-सभा व मंत्रिपरिषद् के साथ इसके बया सम्बन्ध हैं ?**

#### अथवा

**राज्यपाल कोन्द्र एवं राज्य के बीच एक कड़ी है जो दोनों के बीच सतुलन बनाये रखता है ।**

#### अथवा

**राज्यपाल की नियुक्ति एवं शासितयों का वर्तमान संदर्भ में उदाहरण सहित विवेचन कोजिये ।**

**उत्तर—**सूमिका—संविधान के अनुसार राज्यों की समस्त कार्यपालिका शक्ति तथा अधिकार राज्यपाल में निहित हैं । राज्य का समस्त कार्य उसके नाम से होता है । वह लोकप्रिय तथा उत्तरदायी मंत्रिपरिषद् की सहायता से शासन करता है । वास्तव में राज्यपाल, राज्य की कार्य-पालिका का आपचारिक प्रधान होता है, जबकि मंत्रि-परिषद् राज्य की कार्य-पालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है । राज्य में राज्यपाल की स्थिति लगभग उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार कि सघ में राष्ट्रपति की । राज्यपाल वह कड़ी भी है जो केन्द्र और राज्य के शासन को जोड़ती है ।

**राज्यपाल की नियुक्ति एवं कार्यकाल—**राज्यपाल की नियुक्ति केन्द्रीय मंत्रि-परिषद् के परामर्श से राष्ट्रपति करता है । वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहकर कार्य करता है अर्थात् वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त ही पद धारण करता है । संविधान के अनुसार उसकी नियुक्ति पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए की जाती है । लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रह सकता है । राज्यपाल के द्वारा इस अवधि से पूर्व भी त्यागपत्र दिया जा सकता है । संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है ।

**योग्यताएँ—**राज्यपाल होने वाले व्यक्ति में निम्नतिवित योग्यताएँ होनी आवश्यक है—

1. वह भारत का नागरिक हो ।

2. उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो ।

3. जो सधीय सदस्य और किसी राज्य के विधान-मण्डल का सदस्य न हो । यदि कोई ऐसा व्यक्ति राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो जाता है जो विधान-मण्डल या संसद का सदस्य है तो उसे अपनी नियुक्ति की तिथि से इसका त्याग करना होगा ।

4. वह लाभ के किसी भ्रन्य पद को ग्रहण नहीं करेगा ।

**राज्यपाल का वेतन, भत्ते एवं उन्मुक्तियाँ—**जब तक संसद के द्वारा राज्य-पाल के वेतन के सम्बन्ध में कुछ निश्चित नहीं किया जाता उसे 5500) ^

तथा ऐसे मत्ते दिए जायेंगे जो भारत के भूतपूर्व गवर्नरों को इस संविधान से ठीक पहले दिए जाते थे। उसकी पदावधि में उसकी उपलब्धियाँ तथा भर्ते हृटाए नहीं जा सकते। उसे यिना किराए का सरकारी निवास, सावारी, सामान, मनोरंजन, सजावट तथा कमंचारी प्राप्त हैं।

संविधान के अनु० 361 के अनुसार राज्यपाल अपने यद के निर्वहन में जो काम करता है अथवा अपने अधिकारों एवं कानूनों के निर्वहन में जो कार्य करता है, उसकी पदावधि के अन्तर उसके विश्वद किसी भी न्यायालय में फौजदारी कानून के अनुमार कार्यवाही नहीं की जा सकती।

### राज्यपाल की शक्तियाँ

1. कार्य-पालिका-शक्तियाँ—राज्यपाल ही कार्य-पालिका का अध्यक्ष है। सम्पूर्ण कार्य-पालिका शक्ति उसमें निहित है जिसका भोग वह स्वयं या अपने अधीन पदाधिकारियों द्वारा कर सकता है। संविधान द्वारा जो विषय राज्य-भूमि के अन्तर्गत रखे गए हैं उनके सम्बन्ध में उसको सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है। शासन के समस्त कार्य उसी के नाम से होते हैं। कार्य-पालिका के अध्यक्ष के हांग में वह राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्ति करता है। राज्यपाल लोक-सेवा यायोग तथा उच्च सदन के सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है। वह मत्रियों के कामों का वटवारा करता है तथा शासन को मुकाबले से चलाने के लिए नियम बनाता है। इसके सिवाय वह राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति करता है तथा राज्य की विधान-सभा में एक ए ख्लो इविडियन को भी मनोनीत करता है तथा राज्य की विधान-विधियद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है।

यदि वह अनुभव करता है कि राज्य पर कोई विधानिक सकट या राज्य में आंतरिक-शाति भेंग होने की समावना है तो वह भारत के राष्ट्रपति को इसकी तुरंत सूचना देता है। यदि उसके कहने पर राष्ट्रपति साकृतात्मीन उद्घोषणा करदे तो (क) वह राष्ट्रपति के आदेशानुसार शासन का समस्त भार अपने हाथ में ले सकता है। (प) उसका राज्य के प्रध्यक्ष होने के नाते विधान-मण्डल को भेंग करने, विषट्टि करने तथा उसकी शक्ति बढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त है।

2. विधायकी शक्तियाँ—राज्यपाल की विधान-मण्डल की बुलाने, यैठक स्थगित करने तथा विषट्टि करने की शक्ति प्राप्त है। उसे विधान-मण्डल में भापण देने व संदेश भेजने की भी शक्ति प्राप्त है। वह विधान-मण्डल की शक्ति में वृद्धि कर सकता है। उसे मयुसत-प्रधिवेशन घाहूत करने की भी शक्ति प्राप्त है। विधान-मण्डल के द्वारा पास हुए कोई विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना यानून नहीं बना सकता। उसे विधेयक को रघीहृत करने, संशोधित करने तथा राष्ट्रपति के विचारार्पणों को रक्षणा करने का अधिकार है। वित्त-विधेयक के सिवाय अन्य विधेयक को वह विधान-मण्डल में पुराविवार के लिए भेज सकता है, किन्तु यदि विधान-मण्डल पुनः उसको

पास कर देता है तो राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। विधान-मण्डल को यह अधिकार है कि वह राज्यपाल के सशोधनों को स्वीकार करे या न करे। जब विधान-मण्डल का अधिवेशन न हो रहा हो उसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। उन अध्यादेशों का विधान-मण्डल के कानून के समान ही प्रभाव होगा। प्रत्येक अध्यादेश का राज्य के विधान-मण्डल के सामने अगले अधिवेशन में रखा जाना चाहश्यक है। यदि विधान-मण्डल उसे पास कर देता है तो वह कानून का स्व पारण कर लेगा। विधान-मण्डल उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। इस अध्यादेश का जीवन 6 सप्ताह से अधिक न होगा। विधान-मण्डल इस समय से पूर्व भी उसका अन्त कर सकता है।

3. वित्तीय शक्तियाँ—राज्य-विधान-सभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी वित्त-विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह विधान-मण्डल के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत कराता है तथा उसकी सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। राज्यपाल विधान-मण्डल से पूरक, मतिरिक्त तथा अधिक अनुदानों की भी मांग कर सकता है। राज्य मचित निधि राज्यपाल के ही अधिकार में रहती है तथा विधान-मण्डल से स्वीकृति की उपेक्षा में वह इस निधि से किसी भी प्रकार के व्यय की अनुमति दे सकता है।

4. न्यायिक शक्तियाँ—संविधान के अनु० 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्य-पालिका-शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों सम्बन्धी किसी विधि के विशद अपराध करने वाले व्यक्तियों के दण्ड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है, तथा क्षमा भी कर सकता है।

राज्यपाल को स्थिति—उपर्युक्त विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान द्वारा राज्यपाल को वहुमुखी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इससे ऐसा लगता है कि उसको स्थिति बड़ी भयावह है। किन्तु वास्तविकता यह है कि वह इन समस्त अधिकारों का प्रयोग स्वयं नहीं करता। इन समस्त शक्तियों का प्रयोग मन्त्रि-परिषद् करती है जो विधान-मण्डल के प्रति अपने समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी है। उसका पद-शक्ति का पद न होकर सम्मान का पद है। सध के राष्ट्रपति के समान राज्य का राज्यपाल भी वैधानिक शासक है।

इतना होते हुए भी उसको पूर्ण रूपेण शक्ति-हीन नहीं कहा जा सकता। वह शासन न करते हुए भी राज्य के विषयों में पर्याप्त प्रभाव रखता है। अपने निर्दलीय व्यक्तित्व के आधार पर राज्यपाल राज्यशासन की ढुलमुल व परिवर्तनशील राजनीति में स्थायित्व और स्थिरता लाने की स्थिति में होता है। यदि राज्यपाल प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला हो और कार्यशील व्यक्ति हो तो वह विरोधी पक्ष और मन्त्रि-मण्डल के बीच अनेक भत्तेदों को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। एम० वी० पायली के अनुसार “राज्यपाल मन्त्रि-मण्डल का सुझ वाला परामर्शदाता है, जो राज्य

की ग्रन्थात् राजनीति में शान्त वातावरण पैदा कर सकता है।" और बी० जी० से ने संविधान-सभा में कहा था, "एक अच्छा राज्यपाल वहुत लाभ पहुंचा सकता है और एक बुरा राज्यपाल दुष्टता भी कर सकता है, यद्यपि संविधान में उसको वहुत कम शक्ति दी गई है।"

राज्यपाल चर्तमान सम्बर्थ में—संविधान के अनुसार राज्यपाल की स्थिति द्विस्वरूपात्मक है। एक तरफ वह राज्य में राष्ट्रपति का एजेंट है तथा दूसरी तरफ वह राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। चूंकि उसकी स्थिति द्वि-स्वरूपात्मक है इसलिए उसका कार्य भी दोहरा है। संविधान के तिदान्तों के अनुसार उसे सभी मामलों में मंत्रि-परिषद् की गलाह माननी होती है। फिर भी यदि संविधान का सूक्ष्म अध्ययन किया जाय तो मालूम होता है कि उसे कुछ स्वविवेकी गतिविधि भी प्राप्त हैं। राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जा सकता है—

1. मुख्य-मंत्री का चुनाव।
2. मंत्रि-परिषद् की घरास्तीय।
3. विधान-सभा को भंग करना।
4. राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देना।

चतुर्थ आम चुनाव से पूर्व कुछ राज्यों को अपवाद स्वरूप छोड़कर, अपने कार्य के मम्बन्ध में राज्यपाल को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता या और न ही उसे किसी प्रकार की आलोचना का लक्ष्य बनाया जाता या। इसका मुख्य कारण यह था कि केन्द्र और राज्यों में एक ही पार्टी का प्रभुत्व था।

किन्तु भारतीय राजनीतिक दृश्य चतुर्थ आम चुनाव में बदल गया। चुनाव के परिणाम स्वरूप काँग्रेस पार्टी का प्रभुत्व राज्यों एवं केन्द्र दोनों ही स्थानों पर समाप्त हो गया। आठ राज्यों में कांग्रेस-पार्टी का प्रभुत्व समाप्त हो गया। इस परिवर्तन में राज्यपाल की भूमिका को वहुत प्रभावित किया। इसके साथ ही इसके कई परिणाम निकले—

**प्रथम—**राज्यों में एकदलीय सरकार की स्थापना असंभव हो गई और संयुक्त दलों की सरकारों का निर्माण हुआ किन्तु ये सरकारें स्थाई शासन प्रदान करने में असफल रहीं।

**द्वितीय—**दल बदल की राजनीति ने उप-रूप धारण कर लिया जिससे भारतीय राजनीति अत्यन्त दूषित हो गई। दल-बदल के कारण संयुक्त सरकारें स्थाई रूप से न टिक सकीं।

**तृतीय—**राज्यों में तीव्रोधी-दलों की सरकारें वनों किन्तु केन्द्र में काँग्रेस की सरकार ही रही। इसने राज्य के प्रति केन्द्र के हाईकोर्ट में, राज्यपाल की भूमिका को लेकर सन्देह उत्पन्न किया।

इन घटनाओं के उत्तरान्तर राज्यपाल वर्तमने युरुदूर कि वह संविधान राज्यन्यवस्था के निष्ठानों का पालन नहीं कर रहा है। संविधान्यवस्था के निष्ठानों के अनुकान नस्कार तभी तब बाबन रह सकते हैं बल्कि तब ही उन्हें विवाद-नामा में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। विवाद-नामा में यह समर्थन जहरी नहीं कि विषय पार्टी की सरकार ही उसी पार्टी का नवाँ भी उन्हें निवेदि। वह समर्थन अन्य दलों का भी हो सकता है जैसा कि विश्व-दिव्यावान है बल्कि इतिहास गांधी को प्राप्त था। इन्हुंनी विवाद-नामा में राज्यपाल ने जो भल भरा दिया वह संविधान्यवस्था के अनुकूल न था। राज्यपाल ने केवल के निवेदि एवं दखील नावन को प्रमुखता दी। विरोधी-दलों की सरकारों के प्रति के निवेदि उन्होंने महत्वपूर्ण नुसिका निभाई। तब कि राज्यपाल को देखे गार्ही जा या। उन राज्यों में थोड़े बहुत परिवर्तन के उत्तरान्तर भी उक्ते कर्मी विवाद-नामा को भल बर दिया और उन्होंने राष्ट्रान्तरि-शासन के सिए पश्चातपूर्ण रिपोर्ट भेजी।

दरअर्थीक घटनाओं के बारण राज्यपाल आलोचना एवं विवाद का विषय बन गया। राजनीतिक का घटनावक स्पष्ट है गे इंगित करता है कि याने याते समय में अधिकांगतः संयुक्त सरकारों का ही निर्माण होगा। यदि राज्यपाल ने निष्पत्ति एवं निर्भीकता से कार्य न किया तो राज्य तथा समूचे देश के लिए एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। वास्तव में गवर्नर की स्थिति निर्णयक या एक पंच की भी है। उसे यह देखना होता है कि ऐसा न केवल नियामों के मनुसार सेवा जा रहा ही बल्कि वह सही भावना के मनुसार भी सेवा जाना चाहिए उसे एग प्रकार से कार्य करना चाहिए कि वह दलीय भक्ति से बचा रहे। उसे राजनीति के बातावरण से ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, तथा उसका चरित्र भी सम्बेदन-भन्न नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्यपाल के पद पर ऐसे अक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो शिक्षा, संस्कृति एवं विज्ञान तथा सामाजिक सेवा में उच्च स्थान प्राप्त किये हुए हों तो जिसकी निष्ठा-दल के प्रति इतनी गहरी न हो कि वह दसगत राजनीति से प्रभावित होकर कार्य करे।

सार रूप में हम कह सकते हैं कि संविधान के मनुसार राज्यपाल के पास वास्तविक एवं प्रभावशाली शासन करने की शक्ति नहीं है। उसमें भिन्न शक्तियों का प्रयोग मंत्रि-परिषद् करती है। सेक्रिय इसका गतिवय यह नहीं है कि यह राज्यों के राजनीतिक जीवन में 'मुग्हरे जीरो' के गठन है। यिनके राजा की तरह यह भी राज्य-प्रशासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखते थे स्थिति में होता है। यह प्रभाव बहुत कुछ उसे राज्य के अध्यक्ष होने के नाते प्राप्त होता है तथा कुछ प्रश्नों में उसके व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। यदि राज्यपाल-उच्च, चरितवाद एवं गति व्यक्तित्व वाला होगा, जो कि उसकी स्वामं रहित सेवा से निपित्त होता राजनीतिक एवं संवैधानिक दोनों ही हाइटियों से राज्यों की राजनीति इतः।



तक प्रथमा 65 वर्ष की आयु तक जो भी इन से पहले हो आने पद पर बना रहता है। राज्य आयोग या समूहन-राज्य आयोग का सदस्य पदप्राप्ति की तारीख में 6 वर्ष की अवधि तक या 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी इनसे पहले हो, अपने पद पर बना रहता है। लोकसेवा आयोग के किसी सदस्य द्वारा आपनी पदाधिकार से पूर्व भी त्याग-नश दिया जा सकता है। एक बार अवधि समाप्त होने पर पुनः उस पद पर नियुक्ति दिया जा सकता है। गण्डप्रति अधिका राज्यपाल भी उनके दुर्घटव्हार के कारण पदच्युत कर सकता है। किन्तु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसके आरोपों की जांच करेगा तथा उनसी सत्यता बतलाने पर ही उसे हटाया जा सकता है। निम्न वातों के आवार पर राष्ट्रपति को आयोग के सदस्य अधिका भभापति को पदच्युत करने का अधिकार प्राप्त है—

1. यदि यह दिवालिया हो।

2. यदि यह अपने पद के अतिरिक्त कोई वेतन भोगी कार्य करता हो।

सधीय आयोग के अध्यक्ष एवं वेतन तथा उनकी सेवा-शर्ते राष्ट्रपति द्वारा विनियमित की जाती है। नियुक्ति के बाद उनकी सेवा-शर्तों में उनके हित के लिए किसी भी प्रशार का परिवर्तन नहीं दिया जा सकता है। इस समय सधीय आयोग के अध्यक्ष का वेतन 4000 व अन्य सदस्यों का वेतन 3000 रु० प्रतिमास है। इनके वेतन भर्ती पर विद्यान-मण्डल में गत नहीं निया जाता। इस प्रकार वे विद्यान-मण्डल के हस्तक्षेप से मुक्त हैं।

लोकसेवा आयोग के कार्य—गविधान के अनु० 320 के अनुसार लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य है—

1. मध्य तथा राज्यों की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कर अवित्यों को चयन करना।

2. दो या अधिक राज्यों के साम्राज्य पर लोक सेवा आयोग द्वारा गयुक्त नियोजन भ्रष्टवा भर्ती के लिए राज्यों की सहायता करना।

3. सधीय या राज्य लोक सेवा आयोग निम्नलिखित विषयों में सध तथा राज्य-सरकारों को परामर्श देता है—

(क) असेनिक सेवाओं में तथा असेनिक पदों के लिए भर्ती की रीतियों से सम्बद्ध विचारों पर।

“ असेनिक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्ति, पदोन्नति अधिका स्थानान्तरण वारे में अनुमरण किए जाने वाले सिद्धान्तों पर।

ज्यों के सरकारी कर्मचारियों पर प्रभाव डालने वाली सभी औं के विषय पर।

1. राज्य के कर्मचारी के विश्व की गई कानूनी कार्य-में।

द्वितीय स्तर की न होगी। इसमें राज्यों की संघीय-व्यवस्था का भविष्य उत्तरत होगा।

**प्रश्न 25 - लोक-सेवा आयोग के संगठन उसके कार्यों य शक्तियों पर प्रकाश दालिये।**

### धर्मवा

लोकसेवा आयोग के गठन य एवं यों की संक्षिप्त व्यपरेता देते हुए एम. ए. मुतालिब के लोकसेवा आयोग को धर्मिक प्रभावशाली धर्मानि के लिए दिये गये सुझावों का उल्लेख कीजिये।

### धर्मवा

केन्द्रीय लोकसेवा आयोग पर एम. ए. मुतालिब के मतों की विवेचना कीजिये।

**उत्तर—आवश्यकता**—देश का मारा प्रशासनिक भार सरकारी कर्मचारियों पर होता है जबकि मन्त्रिपरिषद् एव अन्य नियोंचित सदस्य तो उन पर नियन्त्रण रख रहते हैं। अर्थात् यह आवश्यकता है कि इन कर्मचारियों में योग्यता, नियुलता और ईमानदारी हो। देश का कितना ही अच्छा सविधान हो, भवी कितने ही आदर्शवादी य देश-भक्त हों, परन्तु जब तक दैनिक प्रशासनिक कार्यों को करने वाले सार्वजनिक गेड़ी कर्मचारी योग्यता, ईमानदारी एव नियन्त्रण गे कार्य न करें तब तक शासन उत्तम नहीं हो सकता। विधानमण्डल या मन्त्रिपरिषद् प्रशासन का कार्य स्वयं और प्रत्यक्ष हृषि ने नहीं करते हैं बरत प्रत्यक्ष हृषि से प्रशासनिक कार्य स्वर्वाई कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

इन सारी वातों के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत के सविधान पक्षपात रहित और योग्य व्यक्तियों का राजकीय सेवा के लिये चुनाव करने की व्यवस्था की है। यह मारी व्यवस्था जिस गगड़न के द्वारा की जाती है उसे संघीय-लोक सेवा आयोग कहते हैं। सभी प्रगतिशील देशों में सरकारी-कर्मचारियों की नियुक्ति वहाँ के लोकसेवा आयोग द्वारा की जाती है। इससे प्रशासन में शुद्धता, निष्पक्षता एवं कार्य-कुशलता रहनी है।

**लोकसेवा आयोग का निर्माण—आयोग का एक आवश्यकता सात सदस्य होते हैं।** सर्व लोकसेवा आयोग या संयुक्त तथा राज्यों के सदस्यों की संख्या एवं उनकी सेवा की शर्तों का निर्णय राष्ट्रपति करेंगे तथा राज्यों के लोक सेवा आयोग से सम्बन्धित इन विषयों का निर्णय राज्य के राज्यपाल करेंगे।

**सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि—**आयोग के प्रब्लेम तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक है कि इनमें से आधे व्यक्ति तो कम से कम दस वर्ष तक राज्य-सेवा में रह चुके हों। संघीय लोक सेवा आयोग का सदस्य अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि

तक अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी इन से पहले हो ग्राने पद पर बना रहता है। राज्य आयोग या संयुक्त-राज्य आयोग का सदस्य पदग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी इनसे पहले हो, अपने पद पर बना रहता है। लोकसेवा आयोग के किसी सदस्य द्वारा अपनी पदावधि से पूर्व भी त्याग-पत्र दिया जा सकता है। एक बार अवधि समाप्त होने पर पुनः उस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल भी उनके दुर्घटवाहार के कारण पदच्युत कर सकता है। किन्तु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसके आरोपी की जांच करेगा तथा उनकी सत्यता बतलाने पर ही उसे हटाया जा सकता है। निम्न वातों के आधार पर राष्ट्रपति को आयोग के सदस्य अथवा सभापति को पदच्युत करने का अधिकार प्राप्त है—

1. यदि वह दिवालिया हो।

2. यदि वह अपने पद के अतिरिक्त कोई वेतन भोगी कार्य करता हो।

संघीय आयोग के अध्यक्ष एवं वेतन तथा उनकी सेवा-शर्तों राष्ट्रपति द्वारा विनियमित हो जाती है। नियुक्ति के बाद उनकी सेवा-शर्तों में उनके हित के विरुद्ध किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस समय संघीय आयोग के अध्यक्ष का वेतन 4000 व अन्य सदस्यों का वेतन 3000 रु. प्रतिमास है। इनके वेतन भत्तों पर विधान-मण्डल में मत नहीं लिया जाता। इस प्रकार वे विधान-मण्डल के हस्तक्षेप से मुक्त हैं।

लोकसेवा आयोग के कार्य—संविधान के अनु० 320 के अनुसार लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य हैं—

1. सघ तथा राज्यों की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कर व्यक्तियों को चयन करना।

2. दो या अधिक राज्यों के आग्रह पर लोक सेवा आयोग द्वारा गयुक्त नियोजन अथवा भर्ती के लिए राज्यों की सहायता करना।

3. संघीय या राज्य लोक सेवा आयोग निम्नलिखित विषयों में सघ तथा राज्य-सरकारों को परामर्श देता है—

(क) असंनिक सेवाओं में तथा असंनिक पदों के लिए भर्ती की रीतियों संबद्ध विचारों पर।

(ख) असंनिक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त, पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण की उपयुक्ता के बारे में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धान्तों पर।

(ग) संघ या राज्यों के सरकारी कर्मचारियों पर प्रभाव डालने वाली सभी अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के विषय पर।

(घ) किसी संघीय अथवा राज्य के कर्मचारी के विरुद्ध कोई गई कानूनी कार्य-वाही में खर्च के दावों के सम्बन्ध में।

(८) किसी सधीय अथवा राज्य के कर्मचारी द्वारा असंनिक हैसियत से सेवा करते समय किसी व्यक्ति को क्षति के बारे में निवृत्त वेतन ( Pension ) दिये जाने के लिए किसी दावे पर तथा दी जाने वाली रकम के विषय पर ।

(९) राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट अन्य किसी भी विषय पर ।

इस प्रकार लोक सेवा आयोग सधीय तथा राज्यों की सेवाओं की भर्ती, पदों में उन्नति, बदली, पेशन, अनुशासन आदि के सम्बन्ध में संघ तथा राज्य-सरकारों को परामर्श देते हैं । यह एक परामर्शदात्री निकाय है । यह केवल परामर्श देता है कि किस पद या स्थान के लिए कौन प्रत्याशी उपयुक्त है । इसके परामर्श को मानना राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए आवश्यक नहीं है । किन्तु साथ ही संविधान ने राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को यह प्रधिकार दिया है कि वे कुछ विषयों पर ऐसे विनियम बना सकेंगे और निर्धारित कर सकेंगे कि कितिपय विशिष्ट परिस्थितियों में लोक सेवा आयोगों से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा । उदाहरणार्थ इस सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग से परामर्श मांगना आवश्यक नहीं कि पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कितने पद या स्थान सुरक्षित रखे जायें । राष्ट्रपति एवं राज्यपाल कुछ विषयों पर परामर्श लेना आवश्यक कर सकते हैं ।

अनु० 321 के अनुसार सदसय या सम्बन्धित राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा लोक सेवा आयोग के कार्य-क्षेत्र का विस्तार कर सकता है ।

**वार्षिक रिपोर्ट**—लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष आनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति या गवर्नर को अपने कार्यों के बारे में देता है । इसमें यह स्पष्ट करना पड़ता है कि सरकार ने रिपोर्ट के अनुसार क्या कार्यवाही की और किन घातों में सरकार की सिफारिश नहीं मानी । राष्ट्रपति उन रिपोर्ट की प्रतिलिपि केन्द्रीय विधान-मण्डल के दोनों सदनों तथा राज्यपाल विधान-मण्डल के एक या दोनों सदनों के समक्ष रखवादा है और रिपोर्ट के साथ अपनी ओर से एक जापन भी जोड़ता है जिसमें उन मामलों का पूर्ण विवरण रहता है जिन पर राष्ट्रपति ने संबीय लोकसेवा आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया ।

लोक सेवा आयोग के सदस्यों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये संविधान में निम्नस्तिखित प्रावधान रखे गये हैं—

1. आयोग के सदस्यों की कार्यविधि निश्चित है । कोई भी सदस्य द्वारा अपने पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता ।

2. आयोग के किसी सदस्य को संविधान द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया या निलम्बित किया जा सकता है ।

3. आयोग के सदस्यों के लिये पर्याप्त वेतन और भत्तों की व्यवस्था की गई है ।

4. नियुक्ति के उपरान्त सदस्यों की सेवा शर्तों में किसी प्रकार का अलाभ-कारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

5. आयोग पर हुप्रा व्यव संघ अथवा राज्य की संचित निधि पर भारित है।

6. आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल की समाप्ति के बाद किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं किये जा सकते, केवल आयोगों में ही पदोन्तति के रूप में उनकी पुनः नियुक्ति हो सकती है।

6 उनकी कार्यविधि को 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक निर्धारित कर दिया गया है जिससे वे निष्पक्षता तथा स्वतन्त्रता के साथ कार्य कर सकें।

भारत में लोक सेवा आयोगों को सर्वेधानिक स्थिति प्रदान की गई है, जबकि इंग्लैण्ड एवं अमेरिका में सरकारी विधियों की देन है। इस दृष्टि से भारत में लोक सेवा आयोगों की स्थिति अधिक ढढ है।

**प्रश्न 26—भारत में प्रवायत राज के सिद्धान्त और ध्यवहार के सन्दर्भ में स्थानीय स्वशासन पर प्रकाश डालिये।**

#### अथवा

भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना के सम्बन्ध में उल्लेख कीजिये।

#### अथवा

लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए भारत में कहाँ तक का सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया है?

उत्तर—विकेन्द्रीकरण का अर्थ, आवश्यकता—देश में लोकतन्त्र को सफल बनाने तथा मंविधान में उल्लिखित आदर्शों की पूर्ति के लिये यह आवश्यक था कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो क्योंकि ऊपरी स्तर तक लोकतंत्र उस समय तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसे नीचे से सुदृढ़ आधार न मिले। अतः मंविधान के अनुच्छेद 40 के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की गई कि 'ग्रामीण लोकों में स्वायत्त-शासन को सुविधा देने' के लिए सरकार ऐसी गतियों और अधिकारों से युक्त ग्राम-पञ्चायत बनायेगी, जो उनको स्वायत्त-शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।"

मोटिग्यू हैरिस्ट के अनुसार स्थानीय शासन का अभिप्राय उन स्थानीय सम्बाधों द्वारा शासन से होता है जो जनता द्वारा निर्याचित की गई हों और जिन्हे राष्ट्रीय अथवा राज्य-सरकार के नियंत्रण में रहते हुए भी कुछ मामलों में अधिकार और उत्तरदायित्व प्राप्त हैं तथा उन अधिकारों का उपयोग वे किसी उच्चतर अधिकारी के नियन्त्रण के बिना ही अपने विवेक ने कर सके।

#### भारत में स्थानीय शासन का ढांचा

भारत में स्थानीय शासन का वर्तमान ढांचा विटिश-शासन की देन है। भारत सरकार ने यही भी स्थानीय शासन को वही रूप दिया जो विटेन में प्राप्त है।

भारत में स्थानीय शासन के दो पृथक् क्षेत्र और दो पृथक् प्रणालियाँ हैं—एक शहरी क्षेत्र के लिए और दूसरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए।

भारत में शहरी क्षेत्रों में चार मुख्य प्रकार की सम्बन्धायें पाई जाती हैं—

1. निगम।
2. नगरपालिकाएँ।
3. इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एवं पोर्ट-ट्रस्ट।
4. वाद्यनीय बोर्ड।

**1. निगम**—शहरी क्षेत्रों में स्थानीय-प्रशासन की सर्वोच्च इकाई नगर निगम होती है। जिसकी स्थापना बड़े-बड़े शहरों और राजधानी-क्षेत्रों में की जाती है। भारत में विभिन्न शहरों में कुल मिलाकर एक दर्जन से भी अधिक नगर निगम हैं। पटना, अहमदाबाद, नागपुर, पूना, हैदराबाद, कलकत्ता, वस्वई, मद्रास एवं दिल्ली आदि। बड़े नगरों में स्थानीय प्रशासन का सचालन नगर-निगमों द्वारा किया जाता है। नगर-निगम के कार्यों एवं शक्तियों का क्षेत्र नगर-पालिकाओं की तुलना में बड़ा व्यापक होता है। इन्हें कर-संप्रह की अधिक शक्तियाँ तो प्राप्त होती ही हैं, साथ ही बजट बनाने और विभिन्न कार्य सम्पन्न करने में भी नगरपालिकाओं की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्रता मिली होती है।

नगर नियम में एक परिषद्, कुछ स्थाई समीतियाँ होती हैं जिनमें कुछ को अंतिम निर्णय लेने की वैधानिक शक्ति भी प्राप्त होती है। राज्य-सरकार द्वारा एक मुख्य कार्य-पालिका अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जिसे मेंपर अथवा अन्य कोई नाम दिया जाता है। विषय के महत्व के आधार पर शक्तियों को विभिन्न सत्ताओं के मध्य विभाजित किया जाता है।

निगम का कार्यकाल चार वर्ष है और उसके सदस्य मेंपर को स्वयं चुनते हैं। पुलिस कमिशनर, पोर्ट-ट्रस्ट का चेयरमैन और एकेजेक्यूटिव इंजीनियर अपने पदों के कारण निगम के सदस्य होते हैं। बंदुसंरक्षक नगरों में कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं जिन्हें जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य चुनते हैं और जिन्हें एल्डरमैन (Aldermen) कहते हैं।

**2. नगर-पालिकाएँ**—राज्य-सरकार किसी भी ऐसे कस्ते में नगर-पालिका का समठन करा देती है जो इन शर्तों को पूरा करता हो—वस्ते की जन-संख्या कम से कम 5 हजार हो, तीन चौथाई प्रौढ़-पुरुष जन-संख्या कृपि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय पर निर्भर रहती हो एवं कस्ते के प्रति-वर्ग मील क्षेत्र पर एक हजार व्यक्ति रहते हों।

प्रत्येक नगर-पालिका में एक परिषद् होती है जिसकी सदस्य-संख्या का निर्णय वहाँ की जन-संख्या के आधार पर राज्य-सरकार द्वारा किया जाता है। नगर-परिषद् में प्रायः 10 से 50 तक सदस्य होते हैं। परिषद् के 8 सदस्य वयस्क मता-पिकार के आधार पर जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। जेप सदस्यों को राज्य

सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है ताकि वे अल्प-संख्यकों और विशेष हितों का प्रतिनिधित्व कर सकें।

नगर-परिषद् के सदस्यों का कार्य-काल 5 वर्ष है। किसी-किसी राज्य में इसका कार्य-काल केवल 3 वर्ष ही रखा गया है। नगरपालिका-परिषद् आपने क्षेत्र में प्रायः सर्वोच्च होती है। नगरपालिका का एक गम्भापति (Chairman) और एक उप-गम्भापति (Vice Chairman) होता है।

नगरपालिका के प्रमुख-कार्य ये हैं—सड़क, पुल, चौराहे, बगीचे, तालाब, घाट, कुएँ, नहर व नालियों आदि को रचना, सुरक्षा और सुधार-जल का वितरण तथा सड़कों पर पानी और प्रकाश की व्यवस्था अम्पताल, चिकित्सालय, धर्मशाला, आदि का निर्माण, टीका नगाने वालों की नियुक्ति, स्वास्थ्य-अधिकारियों, सफाई निरीक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

नगरपालिका के राजस्व के स्रोतों को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है—जैसे प्रप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, सेवा के लिए जाने वाला कर, सरकारी अनुदान, जुर्माने, नुंगी, टर्मीनल टैक्स, जमीन व सपत्ति कर, व्यापार पर कर, बाजार कर आदि हैं। सेवा सर्वधी करों में पानी, प्रकाश आदि सेवाओं से होने वाली आमदनी को लिया जा सकता है।

3. इम्प्रू बूमेंट एवं पोर्ट-ट्रस्ट—इम्प्रू बूमेंट ट्रस्टों की स्थापना मुख्यतः नगरों में रहने वाली जनता की सफाई, स्वास्थ्य और गम्य मुविधाओं में सुधार करने के लिए की जाती है। ये ट्रस्ट इमारतों को अव्यवस्थित हूप से घनने से रोककर नगर का व्यवस्थित हूप से विकास करते हैं। नगर में युले स्थानों, पाकों, चौड़ी गड़कों, बाजारों, सार्वजनिक शौचालयों आदि की व्यवस्था करना इन ट्रस्टों का काम है।

बैड़े-बैड़े बन्दरगाहों के लिए बन्दरगाह ट्रस्ट (Port trust) है। उदाहरणार्थ कलकत्ता, बंबई, मद्रास और विशाखा-पट्टनम् में स्थानीय संस्थाओं के हूप में बन्दरगाह ट्रस्ट हैं। इन ट्रस्टों के सदस्य बाणिज्य और व्यापार की सत्त्याओं द्वारा चुने जाते हैं। सरकार भी सदस्यों को गनोनीत करती है। इन ट्रस्टों का बन्दरगाहों पर अधिकार होता है। ये बन्दरगाह की डाक, याड़ों एवं गोदामों का नियन्त्रण करते हैं। बन्दरगाह की रक्षा, भाल का प्रबन्ध, समान उतारना व चढ़ाना, यात्रियों को सुविधाएँ प्रदान करना आदि इनके मुख्य काम है।

4. बांधुनीय बोर्ड—सैनिक स्थानों के प्रबन्ध के लिए छावनी बोर्ड हैं। पर सरकार के सैनिक-विभाग का नियन्त्रण इन पर रहता है। इन बोर्डों का काम छावनी की देख-भाल करना है। इनके सदस्य आमतौर पर चुने हुए होते हैं पर योर्ड का अध्यक्ष सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी होता है। छावनी बोर्डों का नियन्त्रण और नियवण सैनिक नियमों के अनुसार किया जाता है।

भारत में देहाती क्षेत्रों के लिए पचाष्ठी राज वी व्यवस्था लागू की गई जिसकी तीन मुख्य इकाईयाँ हैं—

1. ग्राम-पंचायत ।
2. पंचायत-समिति ।
3. जिला-परिषद् ।

**1. ग्राम-पंचायत—**ग्राम-पंचायत एक गाँव या कुछ गाँवों के समूह को मिलाकर बनाई जाती है। पंचायत-क्षेत्र की आवादी निश्चित कर दी जाती है और फिर उस आधार पर एक अथवा एक से अधिक गाँवों को मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है जिसे ग्राम-पंचायत कहते हैं। प्रत्येक पंचायत-क्षेत्र को बाड़ों में बौट दिया जाता है और प्रत्येक बाड़ से वयस्क मताधिकार के आधार पर एक प्रतिनिधि नागरिकों द्वारा चुना जाता है जिसे पंच कहते हैं। ग्राम-पंचायत का अध्यक्ष सरपंच होता है जिसे पंचायत-क्षेत्र के सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं।

पंचायत का कार्यकाल 3 से 5 वर्ष तक होता है और यह अपने क्षेत्र के लिए विकास की योजनाएँ बनाती तथा आने वाले वर्ष के लिए बजट मजूर करती है। ग्राम-पंचायत के मर्यादार्थी निम्नलिखित हैं—स्वास्थ्य व सफाई, सड़क बनवाना, शिक्षा का प्रसार करना, भूमि-सुधार, सहकारी आदिलत और परिवार-नियोजन को बढ़ावा देना, कृषिवन सरकारण तथा नस्ल सुधार संबंधी कार्य करना। ग्राम-पंचायत की आय के साधन निम्नांकित होते हैं—मकान कर, वाहन कर, चुंगी कर, यात्री कर, राज्य-सरकार व अन्य स्रोतों से प्राप्त सहायता।

**2. पंचायत-समिति—**ग्राम-पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण करने तथा उनके मंगठन को प्रभावशाली बनाने के लिए तहसील स्तर पर समितिया बनाई जाती हैं, जिन्हे पंचायत-समिति कहते हैं। समिति के सदस्यों का निर्वाचन परोक्ष रूप से ग्राम-पंचायतों द्वारा होता है। पंचायत-समिति के अध्यक्ष को प्रधान कहा जाता है। पंचायत समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं—(1) खण्ड की समस्त पंचायतों के सरपंच। (2) कृषि-पद्धित, (3) दो महिलाएँ, (4) अनुसूचित अथवा आदिम-आति से एक प्रतिनिधि, (5) सहकारी-समिति की प्रबन्धकारी-समिति का एक सदस्य (6) दो ऐसे ध्यक्ति जिन्हे प्रशासन, जन-स्वास्थ्य अथवा ग्राम-विकास का अनुभव हो। इसके अतिरिक्त सहयोगी के रूप में राज्य विधानसभा का सदस्य होता है।

पंचायत-समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होता है। पंचायत-समिति के निम्नलिखित कार्य होते हैं—सामुदायिक-विकास, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य-रक्षा, शिक्षा-संचार-व्यवस्था, सहकारिता, कुटीर-उद्योग, पिछड़े वर्ग के लिए कार्य, आंकड़ों का संग्रह, व्याय, वन, गाम, भवन-निर्माण व प्रचार आदि।

पंचायत-समिति की आय के साधन निम्नलिखित हैं—राज्य-सरकार द्वारा प्राप्त हुए अनुदान, ऋण, भूराजस्व का कुद्य अंश, पंचायत-समिति के करों व फीस से प्राप्त आय।

**3. जिला-परिषद्—**प्रत्येक राज्य के हर जिले में एक जिला-परिषद् होती

है। परिपद में जिले की पंचायत-समितियों के अध्यक्ष होते हैं। संसद तथा विधान-सभा के सदस्य भी इसमें हो सकते हैं। जिलाधीश परिपद का अध्यक्ष होता है।

जिला-परिपद का कार्य-क्षेत्र जिले का सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र होता है। जिला-परिपद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं—जिले की संपूर्ण पंचायत-समितियों के प्रधान, एक महिला, एक सदस्य अनुमूलिक अध्यक्ष आदि से।

जिला-परिपद के निम्नलिखित कार्य होते हैं—(1) विभिन्न-पंचायत समितियों के कार्य में समर्थन स्थापित करना, (2) पंचायत-समितियों का निरीक्षण करना और उनके बजट की जांच करना, (3) ग्राम-पंचायतों व पंचायत-समितियों के विषय में सरकार को राय देना, (4) जिलों में सारे विकास कार्यों का संपादन करना तथा राज्य-सरकार को विकास-कार्यों के संबंध में परामर्श देना है।

जिला-परिपद के आय के साधन राज्य-सरकार द्वारा अनुदान, जनता तथा पंचायत-समितियों की दी हुई सहायता आदि हैं।

इस प्रकार पंचायत-राज द्वारा सर्वसाधारण जनता से लेकर केन्द्रीय-सरकार तक पारस्परिक सम्पर्क का एक सूत्र बैठाने का प्रयास किया गया है और यह चेष्टा की गई है कि मामूली से मामूली आदमी की आवाज को भी उचित-शक्ति और समर्थन प्राप्त हो सके। श्री चतुर्वेदी ने लिखा है कि “पंचायती राज की संस्थाओं का निर्माण असल में जनतंत्र को सुहङ्ग बनाने और जनता को किस प्रकार राहत मिले इस उद्देश्य से किया गया है।”

## (D) भारतीय राजनीति में विभिन्न संस्थाओं का स्थान

प्रश्न 27—भारत में दलगत राजनीति (Party Politics) का क्या स्पष्ट है ?

अध्यवा

भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों का उल्लेख करते हुए अताइये कि इन्होंने भारतीय राजनीति को कहां तक प्रभावित किया है ?

क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि भारतीय दलगत राजनीति दिनो-दिन विहृत होती जा रही है ?

उत्तर—अभिभावः—दलीय व्यवस्था जनतंत्र की आत्मा है। दलों की प्रकृति और उनका संगठन जनतंत्र की सफलता व विफलता का निर्धारण करता है। जनतंत्र को साकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व अपरिहार्य है। जहाँ राजनीतिक दलों के निर्माण व संगठन की स्वतन्त्रता न हो वहाँ जनतंत्र का होना असंभव है। शासन-सत्ता हस्तगत करने, उसे स्थिर रखने, सरकार के दोप बताने और शासन में आवश्यक सुधारों के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। इतना ही नहीं संसदीय जनतंत्र में कुछ मूल्य, उद्देश्य और सिद्धान्त सभी दलों के हों।

हैं। सभी राजनीतिक दलों के लिए यह आवश्यक होता है कि संसदीय सिद्धान्तों में उनकी आस्था, हिंसा और शक्ति प्रयोग के विपरीत वे संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखते हों, अबसर मिलने पर सरकार बनाने की उनमें क्षमता हो अन्यथा या तं संसदीय जनतन्त्र का स्थान एकत्र ले लेगा अथवा राज्य दुर्गति और अराजकता का शिकार हो जाएगा।

भारत की दलीय-व्यवस्था का स्वरूप इतना अवस्थ्य और गंदा है तथा देश वे सभी दलों की स्थिति ऐसी है कि जनता सर्व असमंजस में रहती है कि किस दल को बोट दिया जाए। अधिकांश जनता के सामने केवल यही विकल्प रहता है कि सशक्त श्रीम समृद्ध विरोधी दल के अभाव में कांग्रेस को ही बोट दिए जाएं जो अपनी निरन्तर गिरती हुई अवस्था में भी देश के शासन वो संभालने में अन्य दलों की अपेक्षा अधिक समृद्ध है और साथ ही जिसका संगठन भी अन्य सभी दलों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित है।

भारत के वर्तमान दल निम्नलिखित हैं—

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस—स्वतन्त्र भारत का सर्वाधिक संगठित और राष्ट्र-च्यापी दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीन अवस्थाओं से गुजरकर अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचा है। अपनी प्रथम अवस्था में यह एक दबाव गुट था; दूसरी अवस्था में राष्ट्रीय आन्दोलन का एक मात्र संगठन, तीसरी व वर्तमान अवस्था में यह आधुनिक भारत का राजनीतिक दल है। उसकी स्थापना 1885 ई० में हुई थी। 1885 से 1920 तक यह एक गुट मात्र या जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता के कष्टों को त्रिटिश सरकार के समक्ष उपस्थित करना था। प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति के बाद इसका विश्वास अंग्रेजों की ध्याय-प्रियता से उठ गया। इगने अब भारतीय जनता की मार्म मनवाने के लिए आंदोलन करने प्रारम्भ किए। प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति से लेकर भारत के स्वतन्त्र होने तक यह स्वतन्त्रता-संग्राम का प्रमुख राष्ट्रीय संगठन रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात् महात्मा गांधी ने इसके विघटन कर दिए जाने की सलाह दी वर्षोंकि यह अपने लक्ष्य, भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त कर चुका था। किन्तु गांधीजी के परामर्श को ठुकराकर इस दल ने स्वतंत्र भारत की राजनीति में प्रवेश करने का निश्चय लिया परिणामस्वरूप यह राष्ट्रीय आन्दोलन के संगठन से बदलकर एक राजनीतिक दल गया।

कांग्रेस का कार्यक्रम स्पष्ट है। इस दल का लक्ष्य-भारत में धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है। यह धार्मिक, जातीय, धर्मी व प्रावेशिक भेदभावों को दूर कर राष्ट्र को विप्रित्ति करने वाली प्रवृत्तियों-प्रान्तीयता और जातीयता को मिटाना चाहता है। कृपि के देश में यह सहकारी नेतृत्व का पदापाती है जोकारी दूर करना, देशहित में योजनाएँ बनाना, नागरिकों के सोनन, वस्थ-मकान आदि की व्यवस्था करना, अल्प-मतों, हरिजनों और आदिवासियों के हितों पर ध्यान देना, भूदान और संपत्ति दान को प्रोत्तस्ताहित करना आदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लक्ष्य हैं।

इसका आर्थिक कार्यक्रम आधुनिक भारतीय चिन्तन की तीन धाराओं का संगम है जिसमें पहली है गांधी के सर्वोदय समाज की विचारधारा जो समाज-कल्याण, विकेन्द्रीकरण कुटीर-उद्योग, ग्राम-आत्म-निर्भरता व मुक्त साहस की समर्थक है। दूसरी है समाजवादी राज्य में 'मुक्त-साहस' व्यवस्था बनाए रखना क्योंकि 90% उत्पादन निजी क्षेत्र के हाथ में है, और तीसरी है उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार व नियन्त्रण तथा अन्य मार्कर्सवादी व गैर मार्कर्सवादी सामाजिक विचार। इन सबका परिणाम है कि यह दल मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का पक्षपाती है। मार्खनिक व निजी दोनों क्षेत्रों को साथ-साथ कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और आर्थिक विकास के लिए विदेशी पूँजी का स्वागत करता है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह शांति-पूर्ण सह-ग्रन्थितत्व, असंलग्नता, निःस्त्रीकरण और विश्व-शांति का समर्थक है। रंग-भेद की नीति व उपनिवेशवाद का विरोधी है और इसे विश्वास है कि संयुक्त-राष्ट्र के माध्यम से विश्व में शांति संभव है। पाकिस्तान व चीन द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने की प्रतिज्ञा भी करता है।

सन् 1967 के पूर्व तक इस दल का एकच्छत्र शासन राज्यों एवं केन्द्र में रहा है किन्तु 1967 के आम चुनावों में आठ राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें बनी, किन्तु केन्द्र में सत्ता इसी के हाथ में रही। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव के पश्चात् कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके भी दो गुट हो गए प्रथम-पुरानी कांग्रेस कहलाती है जिसके समर्थक निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई, अनुल धोय आदि हैं तथा द्वितीय-नई कांग्रेस कहलाती है जिसके समर्थक जगजीवन राम व श्रीमती इन्दिरा गांधी आदि हैं। प्रत्येक राज्य में भी कांग्रेस दो गुटों में बंट गई। इस विभाजन का परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के दोनों गुटों को अन्य दलों के साथ समझौता करना पड़ा। केन्द्र में इन्दिरा कांग्रेस को सरकार कायम रखने के लिए साम्यवादी दलों, अकाली दल, डी० एम० के०, प्र. स. दल आदि दलों का समर्थन लेना पड़ा। इस मुविधा से बचने के लिए इन्दिरा गांधी ने लोकसभा की अवधि के 14 महीने पूर्व 27 दिसम्बर 1972 को लोकसभा भग फर मध्यावधि चुनाव करवाए जिनमें नई कांग्रेस को 420 में से 350 सीटें प्राप्त हुईं। इस प्रकार पुनः यह स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई है। पुरानी कांग्रेस के सदस्य एक-एक करके नई कांग्रेस में मिल रहे हैं और इस प्रकार पुरानी कांग्रेस अपनी अंतिम सांसें गिन रही है।

**स्वतन्त्र दल—** अपनी आर्थिक और सामाजिक नीतियों की हाप्ति से स्वतंत्र दल है। यह साम्यवाद विरोधी है। तथा दांप्रेस की अनेक समाजवादी नीतियों के विरुद्ध है। सन् 1959 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अपने नागपुर अधिवेशन में 'सहकारी येती' के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के प्रतिक्रिया स्वरूप इसका हुआ। इस दल की स्थापना वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ श्री राजगोपलाचार्य ने की अन्य प्रमुख नेता प्रो० रंगा, भीनु मसानी आदि हैं। स्वतन्त्र दल की

ग्रीचित्य को सिद्ध करते हुए चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने कहा है, "गांधीजी की मृत्यु के बाद हमारे सामने समाजवाद आया है। समाजवाद का खब प्रचार किया जाता है वर्षोंकि इसका उत्तर देने के लिए गांधी जीवित नहीं है। मैं वे बातें ही कहता हूँ जो गांधी ने कही थी".....यदि गांधी या पटेल जीवित होते तो मुझे यह कार्य नहीं करना पड़ता।" राजगोपालाचार्य ने काशेस पर यह ग्रन्थियोग लगाया है कि उसने वास्तव में साम्यवादी सिद्धान्तों को अपना लिया है। अतः स्वतंत्र दल का उद्देश्य "ग्रन्थिनायक-वादिता के संभावित संकट से भारत की रक्षा करना" है।

यह दल गुट निरपेक्षता की नीति में विश्वास नहीं करता, संनिक संघियों के करने का पक्षपाती है। कृपि, व्यापार और उद्योग को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त करना चाहता है। योजना आयोग को बन्द करना चाहता है, सरकारी व गैर सरकारी एकाधिकार को भी समाप्त करना चाहता है, प्रजातात्त्विक विकेन्द्रीकरण का पक्षपाती है, यह वैक-राष्ट्रीयकरण की नीति का विरोधी है। स्वरांग-नियन्त्रण के कानून को समाप्त करना चाहता है व बार-बार के सशोधन के लिताक है।

स्वतंत्र पार्टी की सफलता का मूल्याङ्कन इसी से किया जा सकता है कि 1962 के आम चुनावों में पहली बार ही इस दल ने लोक-सभा में 18 तथा राज्य विधान-सभाओं में 160 स्थान प्राप्त किए। 1967 में लोकसभा में 43 स्थान व राज्य-विधान-सभा में 255 स्थान मिले। 1971 के मध्यावधि चुनाव में चार दलों य मोर्चों में समिलित होने के फलस्वरूप इसे 8 स्थान ही प्राप्त हो सके हैं। राजस्थान, गुजरात, मद्रास, उडीसा व आन्ध्र-प्रदेश में यह पार्टी लोकप्रिय हुई।

**भारतीय जनसंघ—**भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉ० श्याम प्रसाद मुखर्जी ने गांधी की मृत्यु के उपरांत हिन्दू महासभा से त्याग-पत्र देने के बाद, सन् 1951 में की थी। जनसंघ दक्षिणपथी राजनीतिक दल है। यह दल हिन्दू राष्ट्रवाद में से विश्वास करता है और हिन्दू संस्कृति का भक्त है। इस दल का प्रमुख लक्ष्य अहिंसात्मक साधनों द्वारा व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर आधारित लोकतन्त्र की स्थापना है। वैदेशिक भागीदारी से यह तटस्थिता की नीति में विश्वास करता है। इसकी नीतियों अखड़ भारत की स्थापना, राष्ट्र-मण्डल में भारत के स्थान पर पुनर्विचार, पाकिस्तान में अल्प-संस्थानों की सुरक्षा की उचित व्यवस्था तथा कश्मीर समस्या को स० रा० संघ से बापिस लेना है। इसका नारा निकी कर थी समान्ति, राष्ट्रीय वेतन थोड़ी की स्थापना, निजी उद्योग को प्रोत्साहन, विदेशी पूँजी का स्वागत, खानों, चाय बगानों काफी, खड़ आदि उद्योगों का भारतीयकरण। एकात्मक सरकार की स्थापना, विकेन्द्रीकरण व राष्ट्र-भाषा के रूप में हिन्दी का प्रसार और प्रचार है।

जनसंघ की स्थापना के बाद इस की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। प्रथम आम चुनाव में लोक-सभा में जनसंघ को 3, द्वितीय में 4 और तृतीय में 24 व चतुर्थ में 35 स्थान प्राप्त हुए हालांकि वंचम महानिर्वाचन में इसे केवल 22 स्थान ही मिल सके हैं किन्तु इसका प्रभाव धीर बढ़ता जा रहा है। उत्तरी-भारत के उत्तर-प्रदेश,

मध्य-प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब आदि राज्यों में इसका ग्राहिक प्रभाव देखने को मिलता है। कई राज्यों में इसने सरकार बनाने में सामेदार का काम किया। आलोचकों का कहना है कि जनसंघ का उग्र राष्ट्रवाद इसे एक फासिस्ट वादी संगठन बना देता है।

साम्यवादी दल—भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना सन् 1924 में हुई थी। सन् 1943 तक इस पर प्रतिवन्ध लगा रहा। स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद इस दल में तीन गुट बन गए दक्षिण पंथी, वामपंथी व मध्यम गुट। दक्षिण पंथ का नेतृत्व पी० सी० जोशी ने किया जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थक था। वामपंथियों के नेता रणदिवे थे, जो कांग्रेस-विरोधी और हिंसक उपायों के समर्थक थे। मध्यम गुट के नेता अजय धोप थे जो दल की खाई को पाटने की सदैव चेष्टा करते थे।

अन्य देशों के साम्यवादी दलों की भाँति भारतीय साम्यवादी दल भी श्रमिक वर्ग तथा कृषकों का रक्षक है। यद्यपि दल की नीपियाँ तथा कार्यक्रम काफी सन्तोष-जनक मालूम होते हैं किन्तु इसके इतिहास से पता चलता है कि इसने सदा ही एक राष्ट्र विरोधी दल के रूप में कार्य किया है।

प्रथम आम चुनाव में इसने लोकसभा की 26 और राज्य-विधान-सभाओं की 173 सीटें जीती। द्वितीय आम चुनाव में लोक-सभा में 29 और विधान-सभाओं में 162 स्थान प्राप्त किए। तृतीय आम चुनाव में इसने लोक-सभा में 29 और विधान-सभाओं में 197 स्थान प्राप्त किए। सन् 1967 के आम चुनाव में दक्षिण पंथी साम्यवादी दल ने लोकसभा में 22 और विधानसभाओं में 121 स्थान व वामपंथी साम्यवादी दल ने लोकसभा में 19 और विधान-सभाओं में 128 स्थान प्राप्त किये।

समाजवादी दल—1971 के मध्यावधि चुनाव में प्रजा समाजवादी दल व संयुक्त समाजवादी दल के बुरी तरह हार जाने के परिणाम स्वरूप दोनों दलों को भिसाकर एक नए समाजवादी दल का निर्माण किया गया है। 1971 के चुनाव में सप्तोषा को 3 व प्रसोषा को दो स्थान प्राप्त हुए थे। यह दल कांग्रेस का विरोधी है। राष्ट्रीयकरण का पक्ष पोषक, विकेन्द्रित प्रजातन्त्र का पक्षपाती है। यह राष्ट्र-मंडल से सम्बन्ध विच्छेद करना चाहता है।

### प्रादेशिक एवं स्थानीय दल

उपर्युक्त राजनीतिक दलों के अतिरिक्त भारत में ऐसे अनेक राजनीतिक दल हैं जिन का प्रभाव कुछ राज्यों तक सीमित एवं महत्वपूर्ण है। इन राजनीतिक दलों ने अपने क्षेत्र में गहरी जड़ें जमा रखी हैं। इनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—

द्रविड मुनेम कड़घम—ग्रन्थादुरै हारा स्थापित यह दल मद्रास राज्य तक सीमित है। यह दल प्रतिक्रियावादी, जातिवादी, सम्प्रदायवादी तथा ८०

दृष्टिकोण का है। इस दल के पास अपनी कोई सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक योजना नहीं है। चौथे आम चुनाव में इस दल ने घरमानता, शोपण, भ्रष्टाचार आदि के विरुद्ध जिहाद की आड़ में नये नारे लगाये। यह दल सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता में आस्था रखता है। वह देश के थीचोमीकरण का समर्थक है। चतुर्थ आम चुनाव में इसने लोकसभा में 25 व मद्रासा राज्य विधान-सभा में 234 में से 138 स्थान प्राप्त किए। 1971 के चुनाव में लोकसभा में रख विधान-सभा में भी अच्छे स्थान प्राप्त किए।

**अकाली दल—अकाली दल** पंजाब में सिख समुदाय का एक राजनीतिक संगठन है। यद्यपि इसकी प्रमुख मौग पंजाबी सूवे की स्थापना हो चुकी है, लेकिन किर भी यह एक राजनीतिक संगठन के रूप में क्रियाशील है। तीसरे आम चुनाव में इसे लोक-सभा में 3 तथा पंजाब विधान-सभा में 19 स्थान प्राप्त हुए। चौथे आम चुनाव में लोक-सभा में 3 तथा विधान-सभा में 26 स्थान प्राप्त हुए।

उपरोक्त दलों के अतिरिक्त मुस्लिम तीग, हिन्दू महासभा, रिपब्लिकन दल, कृषक मजदूर दल, अनुसूचित जाति संघ, जमीयत उल उलेमाए, हिन्दू फीरवड व्हाँक, रेडिकल डिमोक्रेटिक पार्टी और भारतण्ड दल जैसे स्थानीय और वर्गीय दल भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं। समय वीतने के साथ-साथ इन स्थानीय और वर्गीय दलों का प्रभाव कम होता जा रहा है। राजनीतिक दलों की राज्य के स्तर पर बाढ़ सी आ गई है। यदि केवल ऐसे राजीतिक दलों की गिनती की जाए जो शाने को रामायादी कहते हैं तो एक लम्बी सूची बन जाएगी। दुर्भाग्य से भारत में इस प्रकार के निर्माण की प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, वरन् जहाँ कही भी चुनाव होने को होते हैं वहाँ ऐसे नए दल खड़े हो ही जाते हैं। इस प्रवृत्ति को लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए घातक ही कहा जा सकता है।

**प्रश्न 28—भारत में दबाव रामूह अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं। यदा आप इस कथन से सहमत हैं ?**

#### अथवा

भारत के विभिन्न दबाव रामूहों का घरेंन करते हुए उनकी कार्यपद्धति पर प्रकाश डालिये।

#### अथवा

“भारतीय दबाव समूहों को कार्यप्रणाली घपने आप में अनुयोदी है”, घरेंन की गिए।

**उत्तर—धर्म—दबाव समूह स्थियों एवं पुरुणों के बीच समूद्र होते हैं जो कि जनता के रामने निर्वाचन के समय कोई कार्यक्रम नहीं रखते बल्कि ये विशेष प्रश्नों से सम्बन्धित होते हैं। वे न को पूर्णतः राजनीतिक संगठन होते हैं और न निर्वाचन के लिए घपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। दबाव समूह व माध्यम है जिसके द्वारा एक रो**

हितों से सम्बन्धित व्यक्ति सार्वजनिक कार्यों की गति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार, कोई भी सामाजिक समूह, जो सरकार पर बिना औपचारिक नियन्त्रण किए राजनीतिक अधिकारियों के व्यवहार को प्रभावित करता है, दबाव समूह कहलाता है। मेजर बीनर ने दबाव समूह की परिभाषा देते हुए लिखा है कि "दबाव-समूह से हमारा तात्पर्य ऐसे किसी ऐच्छिक रूप में संगठित समूह से होता है जो सरकार के मागठन में बाहर रहकर सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, सरकार की नीति, इसका प्रशासन तथा इसके निर्णय को प्रभावित करने का यत्न करता हो।" इन समूहों का निर्माण विशेष हितों की सुरक्षा के लिए होता है इसलिए इन्हे हित समूह कहा जाता है। ये सरकार पर ऐसी किसी नीति को न अपनाने के लिए जो उनके हितों के प्रतिकूल हो, प्रचार समाचार-पत्र, पत्रों, पुस्तकों तथा रेडियो आदि माध्यमों द्वारा दबाव डालते हैं। अत ये दबाव-गुट कहलाते हैं।

### दबाव समूहों के कार्य करने का ढंग

वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्यतः इन तरीकों का प्रयोग करते हैं—

(1) जनसत और सरकार की नीति को प्रभावित करने के लिए वे प्रचार कार्य करते हैं।

(2) वे चुनावों में भाग लेते हैं, जिससे कि वह दल अथवा वे उम्मीदवार विजयी हों जो उनके हितों को बढ़ाने में सहयोग दे सकें।

(3) उनके प्रतिनिधि तथा सक्रिय कार्यकर्ता दलों में सम्मिलित हो जाते हैं या उनके कार्यों में सक्रिय भाग लेते हैं।

(4) वे विधायकों से मिलकर उन पर अपने हित में प्रभाव डालने के प्रयत्न करते हैं, जिन्हे लाम्बी में प्रभावित करना (Lobying) कहते हैं।

(5) वे बहुधा हड़ताल व प्रदर्शन संगठित करते हैं और कभी-कभी हिंसक कार्य भी करते हैं।

आस्ट्रिन रेनी के मतानुसार दबाव समूहों के शस्त्र अथवा साधन निम्न-लिखित हैं—

(1) सगठन—दबाव समूहों के सगठनों के वार्षिक सम्मेलन होते हैं, जिनमें विभिन्न इकाईयों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं और जो बहुमत से अपनी नीति व कार्यक्रम का नियन्त्रण करते हैं।

(2) लॉबिङ (Lobying)—'लॉबिङ' से तात्पर्य दबाव हित समूहों द्वारा सधीय विधायकों तथा राज्यों के विधायकों को किसी विधेयक के पक्ष अथवा विपक्ष में बोट डालने के लिए राजी करने की नीति होती है। ये दबाव हित समूह अपने वैतनिक प्रतिनिधियों द्वारा 'लॉबिङ' के कार्यों को करते हैं। ये लोग विधायकों साथ व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करते हैं तथा उन्हें विभिन्न विधेयकों के पक्ष विपक्ष में बोट डालने के लिए राजी करने का प्रयत्न करते हैं।

(3) व्यापक प्रचार—ये लोकमत को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रचार-साहित्य वितरण तथा सभाओं आदि द्वारा करते हैं और इस कार्य पर काफी व्यय करते हैं।

(4) हड़ताल और प्रदर्शन—समय-समय पर वे हड़तालों और प्रदर्शनों का आयोजन करके जनमत को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं।

(5) ये सक्रिय राजनीति से अलग रहते हैं, किन्तु चुनाव अभियान आदि में भाग लेते हैं। राजनीतिक दलों को आधिक सहायता तथा कार्यकर्ता देते हैं।

### दबाव गुटों के लाभ व हानियाँ

1. लाभ—जनता में साहित्य का वितरण करके जनमत को शिक्षित करते हैं।

2. इन हित समूहों के अपने संगठन होते हैं जो उपयोगी सूचना एवं ग्राहकों को एकत्र करते हैं।

3. इन समूहों के माध्यम से विभिन्न वर्गों के लोगों के हितों में अभिवृद्धि होती है एवं वे सुरक्षित रहते हैं।

विधायकों तथा प्रशासकों को भी इन समूहों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रणा तथा परामर्श करने में सुविधा रहती है।

हानियाँ 1. कभी-कभी इन समूहों के हितों में आपस में टकराव उत्पन्न हो जाता है जिससे सामान्य हित को हानि पहुँचने की सम्भावना नहीं रहती।

2. इनसे राजनीतिक जीवन की पवित्रता तथा स्वच्छता को खतरा है।

3. ये विधायकों को विभिन्न उचित एवं अनुचित उपायों द्वारा न्याय के मार्ग से विचलित करने का प्रयत्न करते हैं।

4. जो शक्तिशाली तथा सावन-सम्पन्न समूह होते हैं वे सरकार से अपनी बात मनवाने में सफल हो जाते हैं।

### भारत में दबाव समूह

भारत में दबाव समूहों का उतना प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता जितना कि पश्चिम के जनतीव्य देशों में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरम्भ ही एक दबाव समूह के रूप में हुआ और उसे प्रभावित करने का प्रयास किया। भारत में दबाव समूह मुख्यतः चार प्रकार के हैं:—

1. विशेष हितों वाले समूह।

2. साम्प्रदायिक समूह व धार्मिक संगठन।

3. जाति एवं भाषा पर भाषारित समूह।

4. गांधीवादी विचारधारा पर भाषारित संगठन।

1. विशेष हितों वाले समूह—भारत में इस प्रकार के समूहों का उदय पश्चिम के भाषार पर ही हुआ है। इस ऐरी के समूहों की संस्था में यही द्रुतगति

से वृद्धि हो रही है। इम प्रकार के हित समूहों पर बुद्धिजीवों द्वारा का नियन्त्रण है तथा इनका भुकाव राजनीति की ओर है। इनमें से बहुत से संगठन किसी न किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध है। इनमें मजदूर सघ, विद्यार्थी सघ, तथा साम्प्रदायिक संगठन हैं।

2. साम्प्रदायिक एवं धार्मिक समूह—इस थेएमी में हम ऐसे समूहों को सम्मिलित कर सकते हैं जो किसी विशेष सम्प्रदाय अथवा धर्म के हितों को प्रोत्साहन देते हैं। कुछ ऐसे भी समूह हैं जिनका स्वरूप राजनीतिक है, परन्तु जिनका आधार विशुद्ध धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक है। इनमें रिपब्लिकन दल, जम्मैयते उलेमा, अकाली दल, हिन्दू महासभा के नाम उल्लेखनीय हैं। कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो विशेष धार्मिक समूहों के हितों के लिए कार्य करते हैं। इनमें ईसाईयों का अखिल भारतीय सम्मेलन, पारसियों की एसोसिएशन, आगल-भारतीय एसोसिएशन, आर्य प्रतिनिधि सभा, सनातन धर्म दक्षिणी सभा उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त भारत में जाति समूह भी वड़ी सह्या में पाए जाते हैं जिनका उद्देश्य विशिष्ट जातियों के हितों का संवर्द्धन करना है। मारवाड़ी एसोसिएशन, वैश्य महासभा, हरिजन सेवक सघ इसके उदाहरण हैं।

3. जाति एवं भाषा पर आधारित समूह—कुछ अन्य संगठन ऐसे होते हैं जो कि जातीय तथा प्रादेशिक आधार पर संगठित हैं। अनेक शिक्षण संस्थाएँ तथा छात्रावास जातियों द्वारा ही चलाए जाते हैं। कुछ जातियों तो इननी सुसंगठित हैं कि उनकी संस्थाओं में बाहर के व्यक्ति की नियुक्ति भारत में वैवाहिक सम्बन्ध भी जातियों में ही होते हैं। विश्व-विद्यालयों में अनेक पदक तथा छात्रवृत्तिया जातियों द्वारा अपनी जाति के छात्रों के लिए दी जाती है।

4. गांधीवादी विचारधारा पर आधारित संगठन—भारत में कुछ हित समूह ऐसे भी हैं जो गांधीजी के सिद्धान्तों एवं आदर्शों का प्रचार करते हैं। इनका कार्य किसी समूह विशेष तक सीमित नहीं है। ये अन्य दबाव समूहों की भाँति सरकार पर दबाव नहीं ढालते, वरन् लोगों के नैतिक, मनोवैज्ञानिक व चेतना जागृत करके समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। सर्वोदय समाज, ग्रामीण उद्योग सघ, गौ-सेवा संघ, हिंदुस्तानी प्रचार सभा इसके उदाहरण हैं। ये समूह किसी समूह विशेष के हित का नहीं, वरन् सबके कल्याण एवं समृद्धि के लिए कार्य करते हैं अतः इन्हें अन्य हित समूहों या दबाव-गुटों से पृथक रखना चाहिए।

#### भारत में दबाव-गुटों का भविष्य

भारत में दबाव-गुटों के विकास, उनकी कार्य-प्रणाली तथा उनकी सक्रियता को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि पश्चिमी देशों की तुलना में भारत के दबाव गुट न तो उतने सक्रिय हैं और न उन की उतनी महत्वपूर्ण भूमिका ही है। इसका मुख्य कारण यह है कि दबाव गुटों के स्वतन्त्र अस्तित्व का न होगा। अधिक दबाव-गुट अथवा हित समूह किसी न किसी राजनीतिक दलों के पिछलागू बनकर रह गए हैं।

प्रश्न 29.—भारतीय विदेशनीति के आधारभूत लक्षणों को आत्मोचनात्मक दर्शाएं।

### अथवा

“भारतीय विदेशनीति अत्यधिक सच्चीली होने के कारण परिस्थितियों के अनुसार जहाँ फायदा होता है वहाँ भुक जाती है।” यदा यह कथन तथ्य पुष्ट है ?

उत्तर—गूमिका—भारत की विदेश-नीति एक मधुर विवाद का विषय रही है। एक तरफ तो इसकी प्रशंसा के पुल बौधने वालों की कमी नहीं है जो इसका यशोगान करते नहीं यकते, दूसरी ओर ऐसे कितने ही महारथी मिलेंगे, जो नित्य-प्रति ही विदेश-नीति पर तक सहित आत्मोचना करते हैं। एक और तो भारत की विदेश-नीति को पूर्णतया सफल घोषित करके उसके जम्मदाता जवाहर लाल नेहरू को ‘शांति के देवता’ सिद्ध करने के दावे किये जाते हैं तो दूसरी ओर विदेश-नीति को पूर्णतया असफल मानकर जवाहर लाल नेहरू को ‘त्रौम्यता आदर्शवाद का दूत’ सिद्ध करने के प्रयत्न किये जाते हैं। एक और स्वर्गीय गोपाल स्वरमी अर्थात् गंगा के शब्दों में कहा जाता है “पठित नेहरू के नेतृत्व में भारत की विदेश-नीति काँग्रेस-शासन की सबसे बड़ी निधि है तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति के बल थी नेहरू के सिद्धान्तों पर चलाने से ही प्राप्त हो सकती है और दूसरी तरफ थी वो पी. पी. मेनन के शब्दों में कहा जाता है “हमारी विदेश-नीति के क्या परिणाम निकले ? हमारे देश पर आक्रमण किया गया और आक्रमक आज भी हमारी धरती पर विद्यमान है।”

भारतीय विदेश-नीति की निम्न विशेषताएँ हैं—

1. असंलग्नता ( Non-alignment )—भारतीय विदेश-नीति की सबसे प्रमुख विशेषता असंलग्नता को नीति है। इसका सरल शब्दों में अर्थ है गुढ़ों से पृथक् रहने की नीति अर्थात् गुटबन्दी में न मिलकर न्याय की ओर बोलना। इस नीति को एक जागरूक, सत्रिय व स्वतन्त्र नीति कह सकते हैं। यद्योकि इस नीति के द्वारा भारत किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या या गतिविधि को परखने व उसके बारे में कोई भी रुप अपनाने में पश्चिमी अधधा साम्यवादी ढोर से बधा नहीं है। वह किसी भी समस्या पर कोई भी निर्णय देने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र है। इस सिद्धान्त के अनुसार भारत किसी भी रामस्य का निर्णय उसके गुण-दोष के आधार पर करेगा, त कि किसी अन्य रिश्ते-नाते के आधार पर। इस प्रकार किसी गुट का पिछलगू व दुम्छलना नहीं है। किसी भी स्वार्थ के कारण किसी अन्य ताकत के इशारों पर नाचना उसे पसंद नहीं है। यही कारण है कि भारत ने एक ओर मिश्र पर एंग्लो-फ्रैंच आक्रमण का विरोध किया तो दूसरी ओर उसने हँगरी पर सोवियत टैको की गड़गड़ाहट के बिछुड़ अपना रोप प्रकट किया। हाल में भारत ने सोवियत रूस से जो संधि की है इससे भारत की गुट निरपेक्षता की नीति के परित्याग के लांछन लगाए गये कि भारत ने असंलग्नता की नीति को त्याग दिया है। किन्तु वास्तव में भारत ने

आनंदी नीति का परिव्याप्ति नहीं किया है क्योंकि वह सन्धि न तो कोई संनिक सन्धि है और न ही किसी के विरुद्ध तो मात्र केवल शान्ति व सहयोग की सन्धि है।

2. शान्तिवाद का अवलम्बन—भारतीय विदेश-नीति शान्ति की प्रबल समर्थक है। पाकिस्तान द्वारा अपने का बार उत्तेजित होने पर भी भारत के शान्त रहने का यही महत्व है। भारत की विदेश नीति के प्रनुसार युद्ध अथवा आक्रमण किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अतः उसे हर हालत में टाला जाना चाहिए। भारत का विश्वास है कि संसार की सभी समस्याएं शान्ति के बातावरण में तथा शान्ति-पूर्ण उपायों द्वारा गुलझाई जा सकती हैं। भारत की शान्ति-प्रियता का इससे बड़ा प्रसारण और क्या हो सकता है कि चीन द्वारा भारत पर शर्मनाक आक्रमण के बावजूद भी श्री नेहरू जीन से सम्मानपूर्ण शर्तों पर बातचीत करने को तैयार रहे हैं। निम्नला जिसर वार्ता भी भारत के शान्तिपूर्ण रवैए की द्योतक है।

3. पंचशील—एक जमाने में पंचशील भारत की विदेश-नीति का एक बहुत बड़ा आदर्श माना जाता था। वह भारत की प्रत्येक नीति की आधार गिना था। यद्यपि पंचशील का रिढ़ान्त अन्तर्राष्ट्रीय मध्य पर ढीला पड़ चुका है किन्तु भारत मध्य भी पंचशील की नीति का अनुगरण अपनी विदेश-नीति में कार रहा है।

4. उप-निवेशवाद का विरोध—भारत हर प्रकार के उप-निवेशवाद का विरोध करता है। सभी उप-निवेशों की राजनीतिक स्वतन्त्रता भारत का एकमात्र सद्य रही है। भारत उप-निवेशवाद को शान्ति का शब्द मानता है। यही कारण है कि विश्व में जहाँ कही भी राष्ट्रवादी प्राद्योत्तर विदेशी सत्ता गे मुक्ति पाने के लिए हुए हैं भारत ने मुक्तकर उनका समर्थन किया। इगका ज्वलन्त उदाहरण स्वतन्त्र बगला देग है। भारत म. रा. संघ में उप-निवेशवाद के विरुद्ध बराबर प्रावान उठाना रहा है।

5. जातिगत भेद वा विरोध—उप-निवेशवाद के अन्त के साथ-गाय भारत हर प्रकार के जातिगत तथा धर्मगत भेद वा भी विरोधी रहा है। यही कारण है कि सामय-समय पर भारत ने दक्षिणी घकीका में रग के प्राधार किए जाने याते भेद-भाव की ओर निर्दा की। भारत ने ग. रा. संघ में भी यही प्रस्ताव रखा था कि दक्षिणी घकीका से जाति-भेद समाप्त किया जाए और ग. रा. संघ ने इग हेतु प्रस्ताव भी पास किया था।

6. सभी से मिशना—भारतीय विदेश-नीति श्री एक विजेता यह भी है कि वह सभी राष्ट्रों के साथ मिशना बनाए रखना चाहता है। भारत श्री दोस्ती वा हाथ सभी के सिए बड़ा रहता है, परन्तु इसाए पर्दे यह नहीं कि जो हमारा प्रारम्भ कर हम पर आक्रमण करे, उगमे भी हम मिशना करें। श्री नेहरू ने इग विषय में कहा था “दरनुकः मेरा विचार है कि इस विभाव विषय में ऐसा कोई देश नहीं है, जिसके साथ हमारे सम्बन्ध मधुतापूर्ण वा विरोधी हो। स्वभावितः हम प्रसन्न मानिक्तम्

व्यापारिक सम्बन्ध के कारण कुछ देशों की ओर अधिक आकृष्ट होगे, किन्तु इसमें सदैह नहीं कि हम सबके मित्र हैं।

7. संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्ण आस्था—भारत की स. रा. संघ में पूर्ण आस्था व श्रद्धा है। उसे संयुक्त राष्ट्र घोपणा-पत्र के सभी नियम व विद्वान्त मान्य हैं। इन सिद्धान्तों के प्रति-पूर्ण आदर की भावना व्यक्त करना तथा प्रत्येक हृष्टि से स. रा. के हाथ मजबूत करना, भारत की विदेश-नीति का प्रमुख लक्ष्य है। भारत हर तरह से स. रा. संघ के हर कार्य में यथायोग्य सहायता व सहयोग देता है।

8. राष्ट्र-मण्डल की सदस्यता—विटिंश राष्ट्र-मण्डल में भारत की सदस्यता भी विदेश-नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त बन गया है। यद्यपि इसकी काफी श्रातोचता की गई है। किन्तु श्री नेहरू राष्ट्र-मण्डल की सदस्यता के पूर्ण व कठुर हामी रहे। 23 जुलाई 1957 को श्री नेहरू ने लोक-सभा में कहा था—“मैं यह जानना चाहूँ गा कि राष्ट्र-मण्डल में हमारे सम्मिलित होने से किस प्रकार हमारी नीति या जिसे हम अच्छा समझते हैं, उस बात की हानि होती है। उसने कई अन्य मामलों में दूसरों को प्रभावित करने में काफी सहायता दी है। स्पष्ट कहा जाय मे किसी भी प्रकार के राष्ट्रों के सघ को तोड़ने का विरोधी हूँ। मैं अधिक सघ चाहता हूँ, कम नहीं।”

नेहरू का मत था कि जब तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है तथा जब विघटनकारी शक्तियाँ सर उठाए दुए हैं, तब संघटनकारी शक्तियों की अत्यत आवश्यकता है। ऐसे में राष्ट्र-संघ की सदस्यता आवश्यक हो जाती है।

9. भावात्मकता—भारतीय विदेशनीति की एक विशेषता इसका भावात्मक होना है। प्रायः इसे तटस्थता की नीति का अनुदायी कहा जाता है। किन्तु यह ठीक नहीं है। तटस्थता अभावात्मक होती है। वह किसी पक्ष में सम्मिलित नहीं होती, पूर्णरूप में शांतिवादी और पार्थक्यवादी होती है। भारत की विदेश-नीति ऐसी नहीं है। वह भावात्मक व गतिशील है। तटस्थता की भावति निष्क्रिय नहीं, किन्तु पूर्णरूप से सक्रिय है। यह पहले से अपने को किसी पक्ष से बांधना नहीं चाहती, किन्तु समय पड़ने पर चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वाली नहीं है। वह जिन शक्तियों व सत्त्वों को उत्तम समझती है, उनकी सहायता करने के लिए सदा तैयार है, ऐसे समय में तटस्थता के नाम पर नपुंसकता नहीं प्रदर्शित करेगी। सितम्बर 1949 में स. रा. अमेरिका की कार्पोरेस के समक्ष भी नेहरू ने कहा था—“जहाँ स्वाधीनता राकट में हो, न्याय खतरे में हो, ग्राक्रमण की घटना हुई हो, हम वहाँ न तटस्थ रह सकते हैं और न स्टॅटस रहेंगे।”

भारत की असलगता की नीति तटस्थता से इस अंश में भिज है कि वह आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करने तथा विभिन्न गुटों से संनिक सहायता लेने में संकोच

नहीं करती। अक्टूबर 1962 में चीन का विश्वासाधाती हमता होमे पर भारत ने मातृ-भूमि की रक्षा के लिए पश्चिम के सब बड़े देशों से सीनिक सहायता प्राप्त की थी।

उपर्युक्त विशेषताएं भारतीय विदेश-नीति की रही हैं। हालांकि जगत् से यह प्रारंभ हुई है तब से लेकर इसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। भारतीय विदेश-नीति में न तो चीन ने अमरीका जैसी तरार सुन्दरि को विकसित करने की चिन्ता का सकेत है और न उगे 'चिरंवेति' 'चरंवेति' गण से सुरूत करने की ही ज़रूरत महसूस की जा रही है। सारा-मरकता जैसे 23-24 साल पहले शुरू हुआ था, उसी बैठंगी गति से चल रहा है। विदेश-नीति की गाढ़ी गही पाईंगों में पताती है। माइस्टों में नहीं। किन्तु फिर भी भारतीय विदेश-नीति में भीरौ-भीरे हड़ा भाटी जा रही है।

### राजनीतिक पार्टियाँ और विदेश-नीति

1967 के आम-चुनाव उन दो मुद्दों के पश्चात् हुआ जिन्हें भारत की पाकिस्तान और चीन के विषय लड़ा पड़ा था। स्वभावतः उग गमय राजनीतिक दलों का चितन उन घटनाओं से प्रभावित था। प्रथेक देश को अपने निकट पाठीयी देश के साथ संबंधों में सर्वाधिक रुचि रखनी पड़ती है और भारत भी इसका आवाय नहीं है। पिछली घटनाओं के कारण भारत के राजनीतिक दलों का भारत के पाठीयी देशों के प्रति रुचि दिलचस्पी का विषय बना हुआ है। हाल के महीनों में गारा के सोवियत-संघ के माथ मवंधों की ओर लोगों का काफी ध्यान आकर्षित हुआ है। श्रीमती गांधी की सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह सोवियत-गार्ड की नीति का अनुमरण कर रही है। भारत-सोवियत मवंधों का मूल-कारण की मंथि है। भारत के राजनीतिक दल इन विवादास्पद प्रम्नों पर जो गत ध्यानांत है उग पर ध्यान देना दिलचस्प होता।

चीन के प्रति दस्त—चीन के बारे में दोनों कम्युनिट गार्डी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मानवनेतावादी कम्युनिस्ट पार्टी के रूप गृहान्वित गयाएँ हैं। विभी चाहती है कि चीन के माथ नामान्व नंदंदेव कायम करने के लिए भारतस्थाना पूर्ण करे। प्रद्वा मानवनेतावादी दल का रुच है कि यह दक्ष और शक्ति भूमिका संघों को नामों न कर दे तब उन्हें माय गमयाना बाहर रखा जाएगा। इन्हीं गृहान्वित हित नें न होता। प्रनोग्या यह दिग्वास है कि "भारत की वीर्य के गृहान्वित के विषय प्रशिद्ध देशों ने नहीं कायम करते थे।" १९६४ में १३१.७ लाख रुपये के अकाउन्ट के दिग्वास देशों के नवीनता गृहान्वित रुपये हैं। वहाँ ने इस गृहान्वित के संदर्भ में दिग्वास का ग्राहीनक उद्देश्य नहीं था। वीर्य, वीर वीर वीर को लकड़ी रक्षा करने के लिए उपयोग किया गया था। दूसरी गृहान्वित देशों के दूसरी गृहान्वित देशों द्वारा दूसरी गृहान्वित की गयी रक्षा करने के लिए उपयोग किया गया था।

जन-संघ ने कहा है कि 'यह चीन तथा पाकिस्तान के दोहरे धारकमण्डु को गमाप्त करने को छुत-नकल्प है। किन्तु जन-संघ ने 1967 के चुनाव घोपणा-पत्र में सिवाय और निवृत्त के स्वतन्त्र दर्जे को स्वीकार किया था और यदि ताइवान सरकार भारतीय क्षेत्रीय सीमाओं को स्वीकार बारे तो वह उसे मान्यता देने को तंपार था।'

धर्मभाजित कांग्रेस ने अपने 1967 के चुनाव घोपणा-पत्र में स्पष्ट है कि घोपणा की थी कि गढ़ परने क्षेत्रों में किए गए हमलों को खटक करने को छुत-नकल्प है और कांग्रेस उस मंकल्प को पूरा करने के लिए वचन-बद्ध है।' नई कांग्रेस ने कुछ लचीली नीति घोषनाई है। उसने 1971 के चुनाव घोपणा-पत्र में कहा कि हम प्रभुत्वाता और क्षेत्रीय आराहता के परत्तर गम्भान तथा एक दूसरे के प्रांतरिक मामलों में हरतदोष न करने के आधार पर चीन से अपना सामान्य-मवध बनाने का प्रयास करेंगे।' पुरानी कांग्रेस ने अपने चुनाव घोपणा-पत्र या गत जून 1970 में स्वीकृत अपने नीति-मंवधी वक्तव्य में चीन का कोई उल्लेख नहीं किया।

**पाकिस्तान से सम्बन्ध—पाकिस्तान के सम्बन्ध में प्रायः सभी पार्टियाँ सम्बन्धों को मामान्य बनाना चाहती हैं।** परन्तु केवल संसोधा विपरीत दिशा में और भागे जाना चाहती है। यह कहती है कि भारत और पाकिस्तान के लोग एक ही राष्ट्र के हैं और कृतिम विभाजन ने एक दूसरे को विदेशी बना दिया है। संसोधा को इस बात में प्रसन्नता है कि गत चुनाव में जनतांत्रिक शक्तियों को काफी सफलता मिली है। जनसंघ ने 1967 के चुनाव घोपणा-पत्र में कहा था कि उसे अंततोगत्वा 'भारत और पाकिस्तान की एकता में विश्वास है और वह दोनों राज्यों को निकट लाने के प्रयास का रवागत करेगा। जनसंघ ने 1972 के चुनाव घोपणा-पत्र में इम एकता का उल्लेख नहीं किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों को गुधारने के सम्बन्ध में ताशकन्द घोपणा का उल्लेख किया है और उसने ताशकद में सोवियत संघ की भूमिका के प्रति अप्रत्यक्ष हृष्ट से आभार प्रकट किया है। परन्तु मावर्संवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो संघ को परमं नहीं करती सोवियत संघ का उल्लेख किये बिना भारत और पाकिस्तान के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध कायम करने की जोरदार अपील की है। जनसंघ ने अपने चुनाव घोपणा-पत्र में अपने को एक उग्र राष्ट्रीय पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया है। यह चाहती है कि भारत स्वतन्त्र विदेश-नीति अपनाए। स्वतन्त्र पार्टी और पुरानी कांग्रेस की तरह वह श्रीमती इन्दिरा गांधी पर यह आरोप लगाती है कि उसने भारत को सो. संघ की कठपुतली बना दिया है।

**सोवियत संघ के प्रति रुख—**नई कांग्रेस का सोवियत संघ के प्रति रुख मैत्री-पूर्ण व सद्भावनापूर्ण है। यह भारत रुस सम्बन्धों की घनिष्ठता में विश्वास करती है। उसकी इसी नीति का परिणाम 'भारत-रुस मैत्री संधि है।' जनसंघ ने भारतीय क्षेत्रों को चीनी क्षेत्र दिखाने वाले नक्शों के प्रकाशन, रेडियो प्रसारणों में भारतीय

पाटियों और नेताओं की आलोचना करने और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हस्तक्षेप के विरुद्ध सों संघ की आलोचना की है। घोषणापत्र में कहा गया है कि जनसंघ कम्युनिस्ट देशों के साथ आयात-निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर देगा।

बेबल जनसंघ एवं प्रमोपा ऐसी पाटियाँ हैं जो चाहती हैं कि भारत अगुवाम बनाए। जनसंघ व स्वतंत्र पार्टी इससे सहमत है कि भ्रष्ट देशों में मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम रखने के साथ-साथ इजराईल के साथ भी ऐसे ही सम्बन्ध कायम करने चाहिये।

परन्तु किसी भी पार्टी के चुनाव-प्रचार में विदेश-नीति के प्रश्न को नहीं उठाया। पुरानी कांग्रेसी, जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी नई कांग्रेस पर कम्युनिस्ट समर्थन पर आधित रहने और देश को तानाशाही की ओर ले जाने का आरोप लगाती है परन्तु कोई भी पार्टी किसी अन्य देश का नाम बीच में नहीं घमोटती। वह तभी ऐसा करेगी जब पाकिस्तान यी तरह कोई देश भारत के हितों को छोट पहुँचते हुए हस्तक्षेप करेगा।

**प्रश्न 30—भारतीय राजनीति में व्याप्त उन दोषों की चर्चा कीजिये जिनसे कुलश प्रशासन और राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति सम्भव नहीं हो पाती।**

#### अथवा

“भारतीय राजनीति में चुनाव का आधार दलों का कार्यक्रम या उम्मीदवारों की योग्यता नहीं होता, बरन् जातियाद, भाषावाद या क्षेत्रवाद होता है।” इस कथन की व्याख्या कीजिए।

#### अथवा

भाषावाद जातिवादी और क्षेत्रवाद भारतीय राजनीतिक जीवन के तीन कोड़ हैं। इनके स्वरूप और इनसे निदान का तरीका बताइए।

**उत्तर—जातियाद—जाति** भारत में एक ऐसी शक्तिशाली तत्व है। जिसने भारतीय राजनीति को विभिन्न रूपों में विभिन्न दृष्टिकोणों से आप्लावित कर रखा है। जातियाद ने भारतीय राजनीति को जितना धेर रखा है उतना अन्यत्र नहीं दियाई देता। पिछले पांच चुनावों का अनुभव यह बताता है कि जातीयता राजनीतिक क्षेत्र में पैर जमाती रही है। मतदान बहुत कुछ जाति के आधार पर होता है। ममी दलों के प्रचारक चाहे वे जातिवाद को कितना भी गलत बतावें, अन्ये दल के उम्मीदवारों के लिए जाति का उपयोग करने से नहीं हिचकते। चुनाव में यहां होने वाला प्रत्याशी प्रायः जातीय आधार पर अपील करता है। राजस्थान में यह कहावत सी प्रचलित हो गई है कि ‘जाट की बेटी जाट को, जाट का बोट जाट को’ अनेक बार चुनाव परिणाम जातीयता से प्रभावित रहे हैं। सरकार बनाते समय भी जातीयता को गोल नहीं समझा जाता वयोंकि बहुमत दल में भी जातीयता पुमी रहती है। जातीय हितों को प्राप्तः विशेष महत्व दिया जाता है और मंत्रियों के निरुपय अनेक बार जातीय

आधार पर लिए जाते हैं। जातीय आधार पर ही दलों का निर्माण किया जाता है। इसका ज्वलत उदाहरण तमिलनाडु का डी० म० के० दल है, जो तमिल जातियों का राजनीतिक संगठन है। पजाव में अकाली दल भी जातिवाद से प्रभावित एक राजनीतिक थर्मिक दल है जो जातिवाद के उन्माद से प्रभावित होकर, भाषायी थेव्रवाद की आड़ में सिख राज्य की माँग करता रहा है। इस दल के कारण ही पंजाब का विभाजन हुआ है। वास्तव में भारत की राजकीय नीति राजनीति जातिवाद से बड़ी प्रभावित है। कहीं पर सिखों का कहीं पर जाटों का, कहीं पर राजपूतों का, कहीं पर गौर ब्राह्मणों का, कहीं पर भूमिहरों का प्रमुख विशेष रूप से दिखाई देता है। दक्षिण के राज्यों में जातिवादी और उत्तर के राज्यों की अपेक्षा अधिक सक्रिय रहा है।

राजनीति ही नहीं जातिवाद से आज भारतीय जीवन का प्रत्येक पहलू प्रभावित है। भारतीय मतदाता राजनीतिक समस्याओं पर बहुत कुछ जातीय हृष्टिकोण से सोचता है। 'जनता का राज्य जनता द्वारा तथा जनता के लिए' के स्थान पर अनेक हृष्टि से 'जाति का राज्य, जाति द्वारा तथा जाति के लिए' हो गई है। जातीय हितों को सर्वत्र महत्व दिया जाता है। जातीय आधार पर बनी हुई सरकार देश के हितों को ध्यान में रख कर जातीय हितों की वृद्धि के लिए कियाजील रहती है।

जातियाँ भी अपने आप में अनेक उपजातियों में बंटी हुई हैं। यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र में किसी जाति विशेष का बहुमत होता है तो प्रत्येक दल का यही प्रयास होता है उसी जाति का व्यक्ति उस क्षेत्र से चुनाव में खड़ा किया जाय। पिछले चुनावों में पार्टियों ने उम्मीदवारों को टिकट इसी आधार पर दिए। व्यवस्थापिका में जो दल-व्यवस्था होती है, उसमें भी दलों के अन्तर्गत जातीय गुट बन जाते हैं। राज्य के हितों को गौण समझा जाता है और जातीय गुटों में सत्ता के लिए खुली होड़ लगी रहती है। राजनीति में जातीय प्रभाव लगभग कम या अधिक अंशों में सभी राज्यों में मिलता है। जिला बोर्ड, नगरपालिकाओं एवं पचायतों के चुनावों में भी मतदान का आधार जातीयता ही होता है।

जिस प्रकार देश की राजनीति एवं प्रशासन में जातिवाद-व्यापक होता जा रहा है, उससे ऐसा समता है जैसे लोकत्तरीय प्रसाद किसी दिन ताश के महल की तरह लड़खड़ा कर गिर जायेगा। प्रजातन्त्र को सबसे बड़ा सतरा है। जातिवाद से अनेकानेक विघ्टनकारी प्रवृत्तियाँ देश में सक्रिय हो रही हैं। इसलिए राजनीति से हमें जातिवाद हटा देना चाहिये। चुनावों में जाति के नाम पर मत न डाले जायें। एक विद्वान् के अनुसार "चुनावों में जाति-निष्ठा दलीय भावना तथा दल की विचारधारा से पहने हैं।" कहने का अभिप्राय यह है कि भारत में समाज का जातीय आधार होने के कारण 'सम्पूर्ण राजनीति' का भी आधार जातीय बन गया है जो सोकतश्रीय परम्पराओं के लिए धातक है।

**2. भाषावाद—जातिवाद** के साथ ही भाषावाद भी भारतीय-राजनीति के प्राधार हृप में रही है। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया। इस पुनर्गठन के बाद देश में जो दंगे हुये थे किसी भी सम्म देश के लिये शर्म की बात हो सकती है। बम्बई में गुजराती व मराठी दंगे हुए जिसमें सैकड़ों शक्ति मारे गये। तेलगु भाषा-भाषी क्षेत्र के लिये थी रामलु ने उपवास किये। राष्ट्र-भाषा के प्रश्न को लेकर तामिलनाडु में जो दंगे हुये उनसे यही लगता है कि राष्ट्रीय एकता की हृष्टि में हम बहुत पिछड़े हुये हैं। और यदि भाषावाद, जातिवाद, संप्रदायवाद आदि अवांछित तत्वों पर कावृ नहीं पाया गया तो भारत का राजनीतिक और प्रजातांत्रिक भविष्य अन्धकार में पड़ सकता है।

**भाषा का विवाद वस्तुतः** भारतमें से ही भारतीय राजनीति का सिर दर्द रहा है। राष्ट्र-भाषा के प्रश्न को लेकर उत्तर-प्रदेश में अंग्रेजी विरोधी एवं तमिलनाडु में हिन्दी-विरोधी आन्दोलन समय-समय पर ग्रपना उपर रूप धारण कर लेते हैं।

इस भाषा-आन्दोलन ने उत्तर-प्रदेश और दिल्ली में 'हिन्दी सेन्ट' को जन्म दिया जिसने अंग्रेजी में लिखे तत्वों, सकेतों आदि को कोलतार से मिटाने, अंग्रेजी अखबारों के बहिष्कार करने, कार्यसी भविष्यों के पैराव करने आदि की दिशा में एक व्यापक आन्दोलन चलाया। अहिन्दी-भाषी राज्य भी इससे पीछे न रहे। हिन्दी-भाषी राज्यों का आन्दोलन ज्योंही समाप्त हुआ, अहिन्दी-भाषी राज्यों में हिन्दी के विरोध में आन्दोलन शुरू हो गया और सरकार द्वारा पारित राज्य-भाषा संशोधन विधेयक की भूत्संना की जाने लगी। इस आन्दोलन का केन्द्र तमिलनाडु रहा और अन्नादुर्घं की सरकार का इने पूरा समर्थन प्राप्त हुआ।

**3. धर्म—भारतीय राजनीति के आधार के हृप में धर्म भी एक शक्तिशाली तत्व के हृप में रहा है।** धर्म ने भारतीय राजनीति पर विपरीत प्रभाव डाला है। धर्मान्ध भावनाओं के कारण देश की राजनीतिक एकता पर भीषण आघात हुआ है। जो धर्म देश को एकता के बन्धन में धांधने वाली संयोजक शक्ति का काम कर मकते हैं वही धार्ज विभेदक शक्ति के हृप में नजर आ रहे हैं। जिस धर्म के समीरुं और अनुदार हृप ने भारत का विभाजन करवाया है, वह धार्ज भी सिर उठाता रहता है। धर्म के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एक समुदाय का दूसरे समुदाय से, एक वर्ग का दूसरे वर्ग से और एक जाति का दूसरी जाति से मनमुटाव चलता रहता है। परिणामस्वरूप राजनीतिक बातावरण निरन्तर दूषित होता रहता है और अनेक गम्भीर राजनीतिक समस्याओं का मौकेष्योंके प्रादुर्भाव होता रहता है।

भारत में धार्मिक मत-भेद राजनीतिक एकता और अस्वस्य सामाजिक प्रतियोगिता के आधार बने हुये हैं। भारत वी राजनीति का बहुत मुख्य निर्धारण हिन्दू और मुसलमानों के धार्मिक मत-भेदों और तत्त्वों से हुआ है।

धर्मन्यता ही वह विषय-बोग था जिसने भारत का विभाजन किया। भारत में विभिन्न धर्मविनाशी रहने हैं जिसके कारण वह विभिन्न स्तरों में राजनीति का

आधार बना हुआ है। विभिन्न धर्मावलम्बी अपना-प्रपना राजनीतिक वर्चस्व जमाना चाहते हैं तथा एक दूसरे के प्रति प्रसहिष्णुता की भावना रखते हैं। इसके सलाहा वे अपना राजनीतिक अस्तित्व कायम रखना चाहते हैं। हिन्दू अधिकारी हिन्दू-धर्मावलम्बियों को मुस्लिम अधिकारी मुस्लिम धर्मावलम्बियों को संरक्षण देते हैं।

भारत में धर्म इतना प्रभावशाली तरव बना हुआ है कि कतिपय राजनीतिक दलों का निर्माण भी वस्तुतः विशुद्ध धर्म के आधार पर हुआ है। द्रविड़ मुनेश कप-धम तमिलनाडु के भद्राहमणों का दल है। पंजाब में ग्राकाली दल सिखों के एक वर्ग का राजनीतिक धार्मिक दल है। यह दल भाषाई क्षेत्रवाद के द्वृत्व वेप में धार्मिक सामाजिक वाद का ज्वलन उदाहरण है। हिन्दू-महासभा, हिन्दू-राष्ट्र, हिन्दू-संस्कृति और हिन्दू-राजनीति की स्थापना करती है।

धर्म के आधार पर भारत में समय-समय पर राजनीतिक संघर्ष और विवाद होते रहे हैं। 1956 से 1960 के मध्य बम्बई नगर पर नियन्त्रण के लिए मराठी-गुजराती संघर्ष का जो दौर चला वह धार्मिक उद्धवादी राजनीति का ज्वलन्त प्रमाण है। भारत के एक सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल पर राजनीतिक प्रभुसत्ता के लिए हिन्दुओं, मुसलमानों और ईसाइयों में निरन्तर खीचा-तानी चलती रहती है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजनीति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धर्म आज भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। यह धर्मनिधता की भावना भारतीय संसदीय लोकतंत्र को खोदला कर रही है तथा राष्ट्रीय एकता को छिन्न-भिन्न कर रही है। राजनीति एवं धर्मनिधता के इस मेल ने भारतीय राजनीति को साम्राज्यिक राजनीति बना रखा है।

**क्षेत्रवाद**—भारतीय राजनीति का एक अन्य आधार क्षेत्रवाद है। भारतीय आज भी अपने को भारतीय नागरिक न समझकर अपने को वंगाली, बिहारी, गुजराती, मद्रासी, राजस्थानी व पंजाबी समझते हैं। यद्यपि संविधान में एक नागरिकता की घोषणा की गई है तथापि प्रान्तीयता की भावना ने तोरों पर इस तरह कठज्ञ जमा रखा है कि वे प्रान्त के सकुचित हितों के लिए राष्ट्रीय भावना को पीछे धकेल देते हैं। उदाहरणार्थ—भाषा व राज्यों के पुनर्गठन के समय से ही मैसूर और महाराष्ट्र के बीच सीमा-विवाद ऐसी की जांति को भेंग करता आ रहा है।

पहाड़ी क्षेत्र भी क्षेत्रवाद के अखाड़े हैं। खासी, जयन्तियाँ, गारो, मिकिर, उत्तर कछार, मिजो, पहाड़ियों आदि में गैर असमियों कबीले रहते हैं। पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रवाद की भावनाएँ उप्र हिस्तक रूप से चुकी हैं। भारतीय संविधान के अनुमार इन क्षेत्रों का प्रशासन जिला-परिषदों के अधीन होता है जिन्हे अधिकार दिया गया है कि वे खेती, स्थानीय प्रशासन और सामाजिक रीति-रिवाजों के बारे में कानून बनायें जब 1960 में असम भाषा-विवाद की लेकर दंगे हुए तो पहाड़ी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने अलग पहाड़ी राज्य की माग उठा दी। 5 अक्टूबर 1963 को प्रतिनिधियों

ने स्वर्गीय श्री नेहरू से मुलाकात की। श्री नेहरू ने आश्वासन दिया कि पहाड़ी क्षेत्रों को असम के राज्य के अन्तर्गत पूर्ण स्वाधीनता दी जाएगी। इसके बाद भी पहाड़ी क्षेत्रों की मांग शान्त न हुई।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति के उपर्युक्त आधार राजनीति को दूषित किए हुए हैं तथा भारतीय संसदीय लोकतंत्र की सफलता के मार्ग में भीयण चट्टान के संहर अड़े हुए हैं जिन्हें हटाए बिना भारत में न तो संसदीय लोकतंत्र सफल हो सकता है और न ही राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सकती है। भारतीय राजनीति की प्रकृति इन आधारों के कारण अन्य देशों की अपेक्षा भिन्न प्रकार की हो गई है।

यह भी एक तथ्य है कि इन तत्वों को अशुद्ध रूप में उभारते के हृषकण्डे आज के राजनीतिज्ञों के हैं। आज के राजनीतिश चुनाव जीतने के नाम पर कभी जातिवाद, कभी भाषावाद और कभी साम्राज्यिकता एवं प्रान्तीयता को उभारते हैं। आज देश में जो भाई-भतीजावाद वड रहा है वह आज के राजनीतिज्ञों को उपज है।

इतना सब होते हुए भी भारतीय राजनीति में धर्म, जाति, प्रान्तीयता व भाषा का जो मार्ग है वह समूल रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये चीजें भारतीय समाज में पुरों से घर किए हुए हैं। भारतीय लोकतंत्र में दल होंगे, जातियाँ होंगी, विभिन्न धर्म होंगे लेकिन सबको अपने-अपने स्थान पर कायम रखते हुए भी राष्ट्रीय हितों के प्रश्नों पर सभी को एक हृषिक से सोचना होगा। जैसे चुनाव आदि में जहाँ तक हो सके जातिवाद, भाषावाद व क्षेत्रवाद का सहारा न ले तभी भारतीय राजनीति शुद्धिकरण की ओर उन्मुख होकर दूषित राजनीति का चोला छोड़ेगी।

**प्रश्न 31—भारत को राष्ट्रीय एकता की समस्या पर प्रकाश डालिए। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए जातिवाद, भाषावाद और प्रावेशिकतावाद कहाँ तक वाधक हैं?**

### अथवा

भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की स्थापना कैसे की जा सकती है? इसके वाधक तत्वों का उल्लेख कीजिए।

**उत्तर—पर्यं व आवश्यकता—आजादों की सुरक्षा के लिए, देश को आधिक प्रगति के लिए तथा भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकता की धारा प्रवाहित हो। राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकता के विकास में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर किया जाए। उन विघटनकारी और पृथक्तावादी तात्कालिकों का विनाश किया जाए, जो भारत के अस्तित्व के लिए भय का कारण हैं। विघटनकारी एवं पृथक्तावादी प्रवृत्तियों को जाति तथा उपजाति, भाषात्मक विविधता, क्षेत्रीय भावना व दावों आदि से पर्याप्त दब मिला है और देश अधिक विघटित होता गया है।**

एस० हैरिसन ने यही निष्कर्ष निकाला है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विषटनकारी शक्तियाँ निरन्तर प्रबल होती गई हैं। सम्पूर्ण देश भाषा, जाति, धर्म, प्रान्त और सम्प्रदायों के चक्र-ध्यूह में लिपटता चला गया। देश में विषटन की तीव्र हवाएँ चलने लगी हैं और शोध ही यदि इन विनाशकारी हवाओं पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये हवाएँ प्रलयकारी शक्तियों का रूप पारगु कर लेंगी। तब हमारी आजादी का नहां पौधा उनके सम्मुख टिक न सकेगा।

राष्ट्रीय एकता कोई इमारत नहीं है जो ईंट और पत्थरों, चूने और पानी, लकड़ी और ओजारो से बड़ी की जा सके, यह न कोई ऐसा तत्व है जिसे कानून के आधार पर स्थापित किया जा सके या राजनीतिक समझीतों से दृढ़ किया जा सके। सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय एकता तो एक आन्तरिक प्रतिष्ठिति है जिसमें लोगों के हृदयों और मस्तिष्कों में बड़ी शांति के साथ विकसित करना होगा। इसके लिए हमें अपने हृदय य मस्तिष्क को विशाल हृष्टि को व्यापक और बुद्धि को सहिष्णु बनाना होगा। किसी संकटकाल में यदि हम सामयिक रूप से एक हो जाएं तो सच्चे मायने में एकता नहीं कही जा सकती। बाह्य दबाव से तो रेत के भी लड्डू बनाए जा सकते हैं तेकिन बाह्य दबाव जब तक है तब तक ही ऐसे लड्डू का आकार कायम रहेगा। दबाव हट जाने पर रेत तितर-वितर हो जाएगी। अतः हमें कष्ट, त्याग और बलिदान में अर्जित स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। यदि एक मजबूत भारत तथा सफल भारतीय जनतन्त्र देखना है तो देश की राष्ट्रीय एकता के आधार पर एकसूत्रता में बीधने के प्रयत्न करने ही होंगे। डा० राधाकृष्णन् ने कहा था, “हमारे देश को भय बाहर से नहीं भीतर से है। हमारे शशु हमसे दूर नहीं, बल्कि हमसे और हमारे देश में ही हैं। यदि हमें एक आधुनिक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विकास करना है तो हमें इनसे लड़ना होगा।”

### राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व

भारत की राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व एक नहीं है वरन् अनेक हैं जो निम्नलिखित हैं—

1. **जातिवाद**—जातिवाद समय-समय पर अपने बीमत्स रूप में प्रदर्शित करके देश की एकता को आधार पहुँचाता है। सामाजिक सेत्र में जाति सम्बन्धी भेदभाव कायम है। यद्यपि जाति का महत्व कम होता जा रहा है, परन्तु राजनीतिक अवसर-वादिता को बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण हाथ है। आज भी हमारे देश में मतदान जाति के आधार पर होते हैं। सभी दलों के प्रचारक अपने दलीय उम्मीदवारों के लिए जाति का उपयोग करने से नहीं हिचकते और प्रशासनिक भधिकारों में भी यह प्रवृत्ति हृष्टिगोचर होती है कि वे अपनी जाति को प्राथमिकता देते हैं।

2. **भाषावाद**—भाषा सम्बन्धी विविधता के कारण भी विषटनकारी शक्तियाँ प्रबल हुई हैं। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद इसी कारण भाषा पर आधारित प्रान्तों की

मांग शुल्क हुई । नगा महाराष्ट्र बन गया । पंजाबी मूरे की माँग अकाली करने लगे । भावायी सम्बन्धी वाद-विवादों के कारण देश में भावायी दंगे हुए जो कहीं-कहीं तो इतने लज्जास्पद रूप धारणा कर गए कि एक सम्म देश के लिए उसे जर्म की बात कहीं जानी चाहिए । देश स्वतन्त्र होने के बाद से ही भावा के आधार पर अलग-अलग क्षेत्र निर्धारित करने वालों की संख्या बढ़ती गई । क्षेत्रीय भावाओं की राज-भावा हिन्दी के मुकाबले में अधिक प्राथमिकता दी जाने लगी है ।

**3. साम्प्रदायिक दल—**साम्प्रदायिक दलों की दूषित नीति और धृणित प्रचार के ही कारण भारत का विभाजन हुआ । इन्हीं दलों की कृपा से विभाजन के समय दोनों देशों के बीच पाश्चात्यता का नगर-मृत्यु हुआ । भारत-विभाजन के पश्चात् ऐसा लगने लगा कि साम्प्रदायिकता अपनी मौत मर जाएगी, किन्तु ऐसा नहीं हुआ । पंजाब ने भावा की आड़ लेकर एक साम्प्रदायिक राज्य बनाने के स्वर्ण देखे और उसके लिए आन्दोलन भी चला दिया । दूसरे सम्प्रदाय ने इसका विरोध किया । पंजाब साम्प्रदायिक तनाव का अंताढा बन गया । केरल में साम्प्रदायिक दल को पराजित करने के लिए काँग्रेस ने मुस्लिम लीग के गढ़ मुद्दे में प्राण कूके । मुस्लिम साम्प्रदायिकता सम्पूर्ण देश में सिर उठाने लगी । 'हिन्दू-राष्ट्र' का तारा लगाने वालों सम्माएँ 'हिन्दू' का अर्थ न समझकर हिन्दुओं का एक सम्प्रदाय बना बैठी हैं । भारत के में दो सम्प्रदाय एक दूसरे के प्रति सहिष्णु नहीं हो पाए हैं । भारतीय मुसलमान आज तक प्राचीन भारतीय महापुरुषों के प्रति आस्था व्यक्त नहीं कर पाया है । कितने ही मुस्लिम आज भारत की अपेक्षा पाकिस्तान से अधिक सहानुभूति रखते हैं ।

**4. क्षेत्रीय भवित—**क्षेत्रवाद और प्राचीनता की भावना ने लोगों पर इस तरह कब्जा जमा रखा है कि प्रान्त के संकुचित हितों के लिए राष्ट्रीय भावना को पीछे धकेल देते हैं । राजनीतिक क्षेत्र में भी इस क्षेत्रीय भवित की धूसरेंठ कम नहीं हैं । चुनावों में क्षेत्रीय भवित खुलकर रग लाती है । लोग भारत में अपने को भारतीय नागरिक न समझकर बगाली, बिहारी, गुजराती, पंजाबी आदि समझते हैं ।

**5. धर्मधिता—**राष्ट्रीय एकता में धर्मान्धिता भी एक बड़ी समस्या है । यद्यपि धर्म नैतिक-शक्ति प्रदान करता है किन्तु भारत में विभिन्न क्षेत्रों में धर्म का कुरुप स्वरूप विद्यमान है । आज भी भारत में हिन्दू-मुस्लिम समस्या अपना सिर उठाए हुए है । दोनों जातियों के लोगों की बड़ी संख्या में आज भी धार्मिक कट्टरता अपना कल्पित प्रभाव जमाए हुए हैं । एक धर्मविलम्बी अधिकारी अपने ही धर्म के मानने वालों को अधिकारिक सहायता देता है । ये बातें राष्ट्रीय एकता को आघात पहुँचाती हैं ।

**6. निर्घनता य आधिक असमानता—**निर्घनता एवं आधिक असमानता रामाज में असतोष को जन्म देती है । यह असतोष समाज और सामाजिक व्यवस्था एवं शासन सभी के प्रति अविश्वास के भाव में वृद्धि करती है । इस से हिंसात्मक प्रवृत्तियों को बह लिलता है ।

7. राजनीतिक दलों का नीतिक पतन—भारतीय राजनीतिक दल राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा दलगत स्वार्थों को अधिक महत्व देते हैं। राजनीतिक दल स्वयं जातीयता, क्षेत्रीयता, व सम्प्रदायिकता को प्रथम देते हैं। वे जाति, धर्म, भाषा आदि के बल पर घोट जीतने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देते। इससे राष्ट्रीय एकता में व्यवधान पड़ता है।

8. समाचार-पत्रों को गलत जीति—देश के कितने ही समाचार-पत्रों ने ही राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य को भुला दिया है। कितने ही पत्र तो जीवित ही जाति, संप्रदाय और क्षेत्रीय भावना के कारण हैं। इन भावनाओं को उभाड़कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना—यही इन पत्रों का उद्देश्य रह गया है।

9. एक आदर्श का अभाव—समाज में विषटनकारी तत्त्वों के सिर उठाने का महत्वपूर्ण कारण जनता के सामने एक आदर्श का अभाव है। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय जनता के समक्ष भारत की स्वतन्त्रता का सामान्य उद्देश्य था। देश का निर्माण एवं विकास इसका विकल्प नहीं हो पाया है।

10. शासन की शिथिलता—शासन ने कभी राष्ट्रीय एकता के प्रश्न को महत्व नहीं दिया। शासक वर्ग जनता के सम्मुख अपने व्यवहार से किसी आदर्श को प्रतिष्ठा नहीं कर पाया। कौटिल्य व गौधीजी की रीति को, कि शासक वर्ग त्याग और वलिदान से जनता में आदर्श का निर्माण करे, शासन भूल गया।

11. राहीं शिक्षा का अभाव—शिक्षा-प्रणाली भी राष्ट्रीय एकता के न्यायालय में अपराधी है। देश में जातियों, धर्मों, और संप्रदायों के नाम पर इन्हीं के हित के लिए शिक्षा-संस्थाओं का दुरुपयोग होने लगा। विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति सम्प्रदाय के आधार पर होने लगी जिससे शिक्षण-संस्थाओं में राष्ट्रीय एकता का चातावरण नहीं पनप सका।

12. शासकीय भाषा का प्रश्न—भारत में सपूर्ण देश के लिए एक शासकीय भाषा का पूर्णतया अभाव है। शासकीय भाषा देश की जनता को एक सूच में बांधती है किन्तु दुर्भाग्य है कि हिन्दी भाषा अमेरिकी का व अहिन्दी भाषी हिन्दी का पूरा विरोध करते हैं। इससे राष्ट्रीय एकता को बड़ा व्याधात लगता है।

### राष्ट्रीय एकता के उपाय

निम्न उपायों के द्वारा राष्ट्रीय एकता कायम की जा सकती है—

1. सांप्रदायिकता को भावना न पनपने देना—सांप्रदायिक भावना को नहीं पनपने देना चाहिए। यह आवश्यक है कि देश के सभी क्षेत्रों में हिन्दू, मुसलमान और अन्य सम्प्रदाय के लोग साथ-साथ कार्य करें। प्रशासन के क्षेत्र में भी सेवार्थों का अधिकाधिक लाभ उठाया जाय ताकि उनमें भारत के लिए कार्य करने की भावना बढ़े। पिछली ही जातियों और कबीलों की अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जाए वहोंकि एक पुरानी कहावत के अनुसार किसी भी चेन की शक्ति उसके सबसे कमजोर जोड़ में होती है।

2. विभिन्न प्रान्तों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान—राष्ट्रीय एकता के लिए विभिन्न प्रान्तों के बीच अधिकाधिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान हो। हमें अपने देश की एकता के लिए क्षेत्रवाद की भावनाओं को मिटाने के लिए चाहिए कि हम एक दूसरे को अपने-प्रपने मेलों, त्योहारों और धर्म-सभ्व अपने धार्मिक व्यवहारों पर आमत्रित फरे। इसके अतिरिक्त देश भर में ऐसे अध्ययन केन्द्र स्थापित किए जाएं जहाँ निष्ठ रूप से सामाजिक रीति-रिवाजों और संस्थाओं के अध्ययन की व्यवस्था हो।

3. धार्मिक सहित्याता का विकास—जब तक देश में धार्मिक सहित्याता का विकास नहीं होगा, तब तक धार्मिक कठुरता तो बनी रहेगी और धर्मान्तिता देश की एकता में बाधक बनी रहेगी। यह भी आवश्यक है कि धार्मिक नामों को लेकर चलाने वाली संस्थाओं को समाप्त कर दिया जाए। इस बात पर प्रत्येक संभव प्रयत्न करने चाहिए कि धार्मिक अल्प-समूहों में सुरक्षा और संतोष की भावना बनी रहे।

4. शिक्षा-क्षेत्र में सुधार—शिक्षा-क्षेत्र में सुधार के लिए आवश्यक है कि वे सभी विद्यालय जहाँ पर फिसी भी प्रकार का साम्प्रदायिक वातावरण स्थापित हो रहा हो वहाँ विद्यालय में राष्ट्रीय प्रार्थना, एकता, का सचार करने वाली सभा, एक वैष्ण-भूषा तथा भारतीय संस्कृति का गोरव दर्शने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम अवश्य होने चाहिए। योग्य एवं चरित्रवान् अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए तथा शिक्षा के क्षेत्र को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए।

5. आर्थिक प्रगति व असमानता की समाप्ति—पिछले एवं निर्धन वर्ग में व्याप्त असतोष को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक आर्थिक समानता की स्थापना की जाए एवं आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की जाए। जब तक इन्सान और इन्सान के बीच धन की दीवार गिरा नहीं दी जाती तब तक हमारा समाज बहुत स्थौरता है।

6. प्रशासकों द्वारा एक आदर्श की स्थापना—प्रशासकों को जनता के सम्मुख त्याग, वलिदान, चरित्र एवं ईमानदारी का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। वे अपना ध्येय जनता की सेवा बनाएँ तथा चुनाव में चाहे उनकी विजय हो, चाहे पराजय, वे जातिवाद, संप्रदायवाद, प्रान्तीयता आदि का सहारा न लें।

7. आचार-संहिता—राजनीतिक दलों, नेताओं, समाचार-पत्रों तथा विद्यालियों के लिए आचार-संहिता का निर्धारण किया जाए। न केवल आचार-संहिता का निर्धारण किया जाए, प्रयितु यह भी देखा जाए कि उस आचार-संहिता का पालन हो।

8. भाषा-समस्या का समघात—भाषा-समस्या के समाधान से राष्ट्रीय एकता के मार्ग को बहुत बड़ी बाधा समाप्त हो जाएगी। हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान क्रमशः राष्ट्रीय तथा भन्तराष्ट्रीय भाषा के रूप में प्राप्त किया जाय तथा भाष्ट्री भाषों क्षेत्र हिन्दी के अतिरिक्त किसी भन्य भारतीय भाषा का ज्ञान अवश्य उपलब्ध करें। सभी भारती

भाषाधों की लिपि देव नागरी हो। इसके लिए योजना-बद्ध रूप से कार्य प्रारम्भ किया जाए।

निष्कर्ष रूप में यह कहना होगा कि भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए समाज की भावनात्मक समृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि हम प्रेम, सहानुभूति और सद-भावनाओं के द्वारा धैर-विरोध के कारणों का नाग करें। हम उदार मतोवृत्तियों को धरना और अपनी पर्यवेक्षण-शक्ति को न भवाएँ। हम विभक्त करने वाली प्रवृत्तियों का दमन करें और सदियों की गुलामी के बाद प्राप्त हुई स्वतन्त्रता तथा धरने आधिक व सामाजिक पुनरुत्थान के अवसर न खोदें।

**प्रश्न 32—भारतीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के सबल और निवेल सत्त्वों की व्याख्या कीजिए। यह कहीं तक सफल हुई है?**

अथवा

भारत की जनतान्त्रिक व्यवस्था में यथा कमियां हैं? इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है?

अथवा

विश्व में भारत सबसे बड़ा जनतन्त्रीय देश है। यथा यहाँ जनतन्त्रीय पद्धति सफल हुई है? यदि नहीं तो वर्णों?

**उत्तर—याहु परिस्थितियां—**भारत के सभी पड़ोसी देशों के जनतन्त्र के असफल होने, एक-एक कार एशिया के नवोदित राष्ट्रों के अधिनायकतन्त्र की गोद में जाने, बाह्य एव आन्तरिक दोनों क्षेत्रों से साम्यवाद के बढ़ते हुए संकट, राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित प्रापत्तिकालीन परिस्थिति तथा देश में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई महांगाई और अष्टाचार ने इस प्रश्न को उड़े-लित किया है कि यथा भारत में प्रजातन्त्र का पोषा पहलवित होता रहेगा। चीन, हिन्दैशिया, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान भादि तम्भी एशिया के देशों में प्रजातन्त्र के शब पर तानाशाही की जिस अट्टातिका का निर्माण किया गया, उसकी कहानी यथा भारत में भी दोहराई जाएगी? यथा भारत में भी प्रजातन्त्र का प्रयोग समर्फन हो जायेगा? प्रश्न का महत्व भारत की हाप्टि से तो है ही, परन्तु रासार की से भी है। संसार में द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् लगभग 50 नये राष्ट्रों में जन्म लिया। ये सभी राष्ट्र यही उत्तमता से भारत में हो रहे प्रजातन्त्र के प्रयोग को देख रहे हैं। यदि भारत में प्रजातन्त्र का प्रयोग समर्फन हुआ तो इन नए राष्ट्रों का प्रजातन्त्र पर मे विश्वास उठ जाएगा। तथा ये हिंगी भी प्रकार के अधिनायकवाद के चागुल में फौस जाएंगे। याहु वे स्वयं का दिन बढ़ताने के लिए या गंसार को धोता देने के लिए अपनी जासन-प्रणाली को Guided Democracy या Basic Democracy कहें।

भारतीय जनतन्त्र के बारे में दो मत—यास्त्रय में, भारत में प्रजातन्त्र का भविष्य यथा है, इस विषय में दो प्रकार के मत हैं: एक ओर तो प्राशादादी है औ दूसरे है कि भारत में प्रजातन्त्र उत्तरोत्तर विकास की सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा है।

उनका तर्क है कि भारत में पांच आम चुनाव हो जुके हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि प्रजातन्त्र के प्रति जनता की कितनी आस्था है। भारत में पंचायत-राज योजना के अन्तर्गत राजनीतिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण कर देश के गांवों में प्रजातन्त्र की लहर दौड़ाई जा रही है। क्या यह सब सिद्ध नहीं करता कि भारत में प्रजातन्त्र की जड़ें जगती जा रही हैं। इस प्रकार इस बात का भविष्य उज्ज्वल है।

परन्तु दूसरी ओर कितने ही विद्वान् भारत में प्रजातन्त्र के भविष्य के बारे में चिन्मिति है। संसद-सदस्य एच० धी० कामय का मत है—“हमारे देश एवं एशिया में अन्यथा वस्तमान प्रवृत्ति से ऐसा लगता है कि संसदात्मक संस्थाएं पतन की ओर जा रही हैं। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आठवीं दशाबदी तक, यदि उससे पहले नहीं, संसदीय शासन-प्रणाली तो रह सकती है, परन्तु उसकी आस्था समाप्त हो जाएगी।” धी धी० पी० भेनन ने कहा—“10 वर्ष के कार्यकाल के बावजूद अभी भी नेहरू के बाद कौन? यह पुकार सुनाई पड़ी। यह अकेला तथ्य इस बात का प्रमाण है कि प्रजातन्त्र अभी तक सफल नहीं हम्रा है। यदि प्रजातन्त्र स्वस्य और मजबूत हो तो लोग यह प्रश्न नहीं पूछेंगे।”

**भारतीय संसदीय जनतन्त्र में निम्नलिखित कमियाँ हैं—**

1. सशक्त विरोधी दल का अभाय—संसदीय सोक्तन्त्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि देश में सशक्त विरोधी दल विद्यमान हो ताकि सत्ताहृष्ट दल अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहकर जनता में शासन-व्यवस्था के प्रति विक्षेप पैदा न करे। दुर्भाग्यवश भारत में स्वतन्त्रता के 23 वर्ष बाद भी आज कोई सशक्त विरोधी दल नहीं है। सामवंश विरोधी दल के न होने से ही अब तक सत्ताहृष्ट कांग्रेस दल अपने कर्तव्यों के प्रति एक बड़ी सीमा तक उदासीन रहा है।

किसी भी देश में प्रजातन्त्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ एक सशक्त विरोधी दल हो जो आवश्यकता पड़ने पर सत्ताधारी दल का स्थान प्रहरण कर सके। एक समक्ष विरोध दल दल के अभाव में सत्ताधारी दल पर कोई अंकुश नहीं रहने से वह निपक्ष अप्ट एवं अनुत्तरदायी हो जाता है। वास्तव में यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है कि 23 वर्ष पश्चात् भी देश में सशक्त विरोधी दल के उभरने के रांकेत नहीं मिले हैं। पौर्वों आम चुनाव ने भी इस चिन्ता की ओर बढ़ा दिया है।

भारत में सोक्तन्त्र के प्रति आस्था इसलिए भी घटने लगी है कि एक तो देश में पहले से ही बहुत प्रधिक राजनीतिक दल हैं और दूसरे किर भी दल बरमाती मेड़कों की भाँति संख्या में बढ़ते चले आ रहे हैं। राजनीतिक दलों को इस घरसात से देश में विघटनकारी तत्वों को बल मिला है और अपनी-अपनी डफनी, अपना-प्रपना राग जैसी अवस्था पैदा हो गई है।

2. निरस्तरता एवं दोषपूर्ण निधा-पद्धति—प्रजातन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि वहाँ की जनता शिक्षित हो। प्रजातन्त्र की नीव इसी आधार

टिकी हुई है। आवश्यक है कि प्रजातन्त्र को नींव टड़ हो—इसीलिए सफल प्रजातन्त्र के लिए यह आवश्यक है कि जनता सुशिक्षित हो। मरकार के प्रनेक वर्षों के अक्यनीय परिश्रम के बावजूद भारत में केवल 20 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जो लिखना और पढ़ना जानते हैं। जब तक कि भारतीय नागरिक शिक्षित न हो जायें, उनमें उच्च कोटि की राजनीतिक जाप्रति न उत्पन्न हो जाये और वे नागरिकों के उत्तरदायित्व व प्रपने अधिकारों को यही रूप में न समझने लगे तब तक उन्हें कपटपूर्ण मिथ्या प्रचार द्वारा युमराह किये जाने की सम्भावना बनी रहेगी। हमारी शिक्षा-पढ़ति भी परित अवस्था में है। हमारे पड़ीसी देश पाकिस्तान में प्रजातन्त्र की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण वहाँ की जनता का अशिक्षित होना था।

3. राष्ट्रीय एकता का धमाव—राष्ट्रीय एकता के अभाव में प्रजातन्त्र तो यह कोई भी शासन-प्रणाली नहीं टिक सकती। परन्तु प्रजातन्त्र तो विशेष रूप से राष्ट्रीय एकता की माँग करता है। भारत में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता इसलिये भी अत्यधिक है कि यहाँ प्रजातन्त्र अभी तक शेषवादस्वा में है। किन्तु भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद विधटनकारी प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। चारों ओर से शिशु प्रजातन्त्र पर विधटनकारी दानव आक्रमण करना चाहते हैं। स्वतन्त्रता-संग्राम के दिनों में भारत में राष्ट्रीय एकता की जो लहर व्याप्त थी, आज वह ढूँढ़े से भी नहीं मिलती है। जातिवाद, भाषावाद, धर्मनिष्ठता, क्षेत्रवाद व साम्प्रदायिक भावना के कीड़े भारतीय राष्ट्रीय एकता रूपी वृक्ष की जड़ को कुनर रहे हैं। प्रजातन्त्र में समानता व भ्रातृत्व का नारा भारत में भाई-भतीजावाद के नारे के अन्दर दब गया है। जातिगत हित के लिए राष्ट्रीय हित का बलिदान किया जा रहा है। इस प्रकार प्रान्तीयता, जातीयता, भाषा-विवाद भारतीय जनतन्त्र को उन्नीसी दे रहे हैं, इनकी चुनौती स्वीकार न करने से प्रजातन्त्र को भीपण आघात लगने का भय है।

4. आर्थिक असमानता—प्रजातन्त्र की सफलता के लिये आर्थिक समानता होनी अत्यन्त आवश्यक है। भारत की जनता गरीब, दलित व धर्म-विरुद्धित है, वहाँ प्रजातन्त्र नहीं टिक सकता। इस प्रकार कोई भी देश, जहा इन्सान और इन्सान के बीच आर्थिक असमानता की खाई गहरी हो, क्रान्ति का आह्वान करता है। लास्की के अनुसार आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता व प्रजातन्त्र एक ढोंग है, वह घनूर्ण है। इस दृष्टि से यदि भारत की आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करें तो एक बार किर निराशा ही हाय लगेगी। आचार्य फुपतानी के गद्दों में “मेरे दिमाग के अनुसार भारत में प्रजातन्त्र को सबसे बड़ा खतरा जन-साधारण की गरीबी और व्यापक बेरोजगारी से है।”

आर्थिक दृष्टि से भी देश की बतंसान परिस्थितियाँ एक भारी असन्तोष को जन्म देती हैं। इस असन्तोष में एक क्रान्ति के आह्वान के लक्षण दियाई देते हैं। वह आन्ति प्रजातन्त्र के विशद भी हो सकती है और साम्यवाद व फासीवाद के समर्थन में भी।

5. व्यक्तिगत चरित्र एवं सामाजिक अनेतृत्वा—प्रजातन्त्र को सबसे बड़ी दुर्लक्षण सामाजिक अनेतृत्वा तथा राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है। किन्तु दुर्भाग्यवश भारत में अनेतृत्वा, चरित्रहीनता और भट्टाचार चरम सौमा पर पहुँच चुके हैं। भट्टाचार प्रशासन के मध्य ये गोत्या समाज के सभी दोनों में प्रवेश कर प्रजातन्त्र की जड़ों पर प्रहार कर रहा है। सामाजिक अनेतृत्वा के कारण समाज में खुले आम दिव्यत तोरी या फाना वाजारी का बोलबाला है। राष्ट्रीय पन की ओर राष्ट्रीय चरित्र वी चिन्ता किये बगेर चारों ओर धन-सोनुपता वी होड़ लगी है। गीतिकावद का शिकार होकर मिट्टी का पुतला यह इन्सान अपने स्वाधीन के कारण राष्ट्रीय-हित पर वज्जपात फरता जा रहा है।

व्यक्तिगत चरित्रहीनता, सामाजिक अनेतृत्वा तथा दलयत स्वार्थ हमें सामाजिक हृषि से एक अराजकता की ओर अग्रसर कर रहे हैं। हम अनजाने ही उस अवस्था की ओर बढ़े चले जा रहे हैं, जो किसी राष्ट्र की मौत का भद्रेश हो सकती है। सप्तदशदश्य श्री कामय ने 28 मार्च 1963 को लोक-सभा में बोलते हुए ठीक ही कहा कि ‘यदि शीघ्र ही इस भट्टाचार की रोकने के प्रयत्न न किये गये तो भारत में प्रजातंत्र की वही दशा होगी, जो चीन में च्याग काई शेक की हुई।’

शासन के प्रति असंतोष—स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनता ने जो बड़ी-बड़ी आशाएँ की, वे दुर्भाग्यवश पूरी नहीं हो सकी हैं। जनता के बहुत से यर्दों में निराशा बड़ी है। नव स्वतंत्र भारत के सामने जो विभिन्न राजनीतिक, ग्राम्यक और सामाजिक समस्याएँ उपस्थित होती रही हैं, उन्होंने जनता में सप्तदश्य लोकतन्त्र की सफलता के प्रति निराशा में वृद्धि की है।

शासन के प्रति अविश्वास—ग्राज आम जनता को सरकारी अधिकारियों की राज्याई और ईमानदारी में विश्वास नहीं है। अविश्वास की परिधि में अफसर, मणिगण, विभायकगण राभों आ जाते हैं। जनता इन में सच्चाई और ईमानदारी का अभाव पाती है। भट्टाचार कार्य निवाने में विलम्ब आदि से जनता परेशान है और शासन के प्रति जनता के विश्वास की नीव हिल सी रही है।

नेताओं व जनता के बीच सम्पर्क का अभाव—भारत के सप्तदश्य लोकतन्त्र सफलता में इसलिए भी विश्वास नहीं जम रहा है कि नेताओं और जनता के बीच सीधे सम्पर्क का अभाव सा है। संकटों, वायायों और परेशानियों का जनता को सामना करना पड़ रहा है और उसे आगनी शिकायत-अपने नेताओं से करने का आमान्यतया अवसर नहीं मिलता। जनता यह महसूस कर रही है कि नेता अपने कर्तव्यों को भूल गये हैं और जनता के प्रति उपेक्षा-भाव रखे हुए हैं। जब जनता ही स्वयं को उपेक्षित महसूस करती है तो शासन-व्यवस्था के प्रति उसके अर्थात् देश में संसदीय लोकतन्त्र के प्रति उसके विश्वास में कभी आ जाना स्वाभाविक है।

भारतीय जनतंत्र की उपर्युक्त कमियों ने यह सोचने के लिए विवेष कर दिया है कि भारत ने एक विशाल रूपर पर जनतंत्र का प्रयोग किया है तथा यह दावा करना मूर्खतापूर्ण होगा कि भारत में जनतंत्र का भविष्य सुरक्षित है और यह हमारी सामाजिक व राजनीतिक दुराइयों को दूर करने में सफल होगा।

## (E) भारतीय राजनीति का वर्तमान स्वरूप

प्रश्न 33—“कांग्रेस-विभाजन संद्वाग्निक न होकर सत्ता के लिए संघर्ष था”  
इस कथन की विवेचना कीजिए।

### अथवा

प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी का उभरता ध्यक्तित्व ही कांग्रेस-विभाजन का मुख्य कारण था। श्रीमती गांधी की भारतीय राजनीति में द्वया भूमिका है ?

उत्तर—प्रारम्भ—अनर्टिंड टायनबी ने अपनी पुस्तक 'East and West' में इस सत्य का उद्घाटन किया कि विटिश सत्ता की समाप्ति के उपरान्त भारत में सत्ता का संघर्ष उसी भाँति शुरू हुआ जिस भाँति मुगल-साम्राज्य के पतन के बाद हुआ। 20 वर्षों का कांग्रेसी एकाधिकार अपने अस्तित्व के सकट से गुजर चुका है। सत्ता का संघर्ष कांग्रेस के भीतर भी विद्यमान है। बगलीर अधिवेशन में नेतृत्व और स्वार्थों का जैसा संघर्ष हुआ जैसा भारतीय इतिहास में देखने को नहीं मिलता।

राष्ट्रपति का चुनाव और कांग्रेस में फूट—कांग्रेस संसदीय दल ने जब राष्ट्रपति पद के लिए श्री नीलम सज्जीव रेड्डी का नाम प्रस्तावित किया था तबसे ही कांग्रेस का विभाजन प्रारम्भ हो गया था। केन्द्र एवं राज्य में कांग्रेस का बहुमत कम हो जाने के कारण राष्ट्रपति अस्त्यधिक शक्तिशाली हो गया था इसलिए सिण्डीकेट के सीन कर्णधारों—निजलिंगप्पा, कामराज व पाटिल ने निश्चय किया कि वे प्रधानमंत्री का इच्छित राष्ट्रपति नहीं बनने देंगे। अन्त में राष्ट्रपति का चुनाव कांग्रेस के दो भीतरी गुटों के अस्तित्व का झगड़ा बन गया।

सिण्डीकेट की भावी योजना—सिण्डीकेट ने अपना मनोवादित उम्मीदवार घोषित कर सोचा कि श्रीमती गांधी का राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया है। सिण्डीकेट ने भीतर ही भीतर अगले प्रधान मंत्री का भी फैसला कर लिया। परन्तु श्रीमती गांधी ने अपनी सत्ता के प्रयोग द्वारा इस हवाई योजना को विफल कर दिया। मोरार जी देसाई को वित्त-मंत्रालय से प्रलग कर प्रधानमंत्री ने सिण्डीकेट के विरुद्ध लड़ाई देहड़ी दी। सिण्डीकेट के उदयराम ने श्रीमती गांधी से बहुत प्रार्थना की कि मोरार जी को पुनः वित्त मंत्रालय दे दिया जाय। पर श्रीमती गांधी ने मोरारजी से उपप्रधान मंत्री बने रहने को कहा जो उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए अस्वीकार कर दिया।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण—19 जुलाई 1969 को श्रीमती गांधी द्वारा 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा सिण्डीकेट पर बज की तरह गिरा। इन जनतांत्रिक

निर्णयों द्वारा श्रीमती गांधी ने राजनीति की दुनिया में अपना अद्वितीय स्थान बना लिया। सत्ता संघर्ष का वर्णन दिनमान में इस प्रकार किया गया है “अगस्त भारतीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण महीना है। अगस्त से ही भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। अगस्त में ही काप्रेस के दोनों शिविरों ने एक दूसरे के लिए काप्रेस छोड़ी की ऐतिहासिक घोषणा की। राष्ट्रपति के चुनाव ने काप्रेस पार्टी के एक भीतरी विभाजन को एक संद्वात्तिक आधार दे दिया। राजनीतिक व्याख्याकारों के अनुसार बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस आधार की पहली कढ़ी है। यह सही है कि काप्रेस दल के दोनों शिविर अब तक सिद्धान्त रहित आधारों पर चल रहे हैं। सत्ता के संघर्ष ने उनको वहाँ पर ला पटका जाहाँ कि उनके पास अपने संघर्ष को राजनीतिक घर्थ देने तथा अपनी आकांक्षा को विचारधारा से जोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया। बास्तविकता यह है कि बैंक में मिली-जुली सरकार की राजनीति ने 1969 में जाम लिया है।

स्वतन्त्र मतदान की माँग, गिरि की जीत—श्रीमती गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव में स्वतन्त्र मतदान की माँग की और इसलिये ही उन्होंने Party-Whips जारी करने को मना कर दिया। फल यह निकला 17 राज्यों में से 11 राज्यों ने श्री बी० बी० गिरि को मत दिया। यह श्रीमती गांधी की सिण्डीकेट पर एक और विजय थी। ब्रिटिश पत्र इकानोमिस्ट ने लिखा कि “सत्ता के लिए जारी वर्तमान संघर्ष में श्रीमती गांधी ने 75 वर्ष के श्री गिरि को भारत के राष्ट्रपति पद पर विजयी बनाकर अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर ली है।” इस पर वाटिल व मोरार जी ने बदला लेने के लिए श्रीमती गांधी को नेता पद से हटाने की घमकी दी पर असफल रहे। अब यह भगड़ा सत्ता के स्थान पर संस्था के नेतृत्व का हो गया। निर्जितगण्या ने मंत्रि-परिषद में अपनी टाँग अड़ानी चाही पर श्रीमती गांधी ने कहा कि इच्छानुसार मंत्रिपरिषद बनाने का अधिकार मंत्री का है।

राज्यों में कांग्रेस में फूट—केन्द्र की इस फूट का असर राज्यों पर भी पड़ा। यू० पी० में सी० थी० गुरुत का नेतृत्व सकट में पड़ गया जिससे चरणसिंह की सरकार बनी। एम० पी० में श्यामाचरण शुक्त तथा द्वारिका प्रसाद मिश्र का विरोध उग्र हो गया, बगाल एवं बिहार भी इससे अद्यूते न रहे। राज्यों में भी काप्रेस का विभाजन हो गया। सिण्डीकेट ने राज्यों में श्रीमती गांधी के समर्थकों को हटाना प्रारम्भ किया। सी० सुब्रमण्यम् को कार्यकारिणी ममिति से, कमलापति त्रिपाठी को यू० पी० कांग्रेस के अध्यक्ष पद से तथा वेकटारमण को आन्ध्रप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से दूर किया। इसके जवाब में श्रीमती गांधी ने चार कनिष्ठ ममियों—एम० एस० गुरुपद स्वामी, परिमल धोप, जगन्नाथ पट्टाड़िया और जे० बी० मधुलराव—को पद त्यागने को कहा।

महासमिति के अधिवेशन व कार्यकारिणी समिति में परिवर्तन जी गानी के समर्थनों ने महासमिति का अधिवेशन बुलाने का निश्चय किया।

नित्यनिधान के प्रधान परमों गणक उत्तम हुआ और युवा यथावत बनने की गमानता गणार्दम्भ में ही हो गई। 25 प्रधान को श्रीमती गांधी के पास में प्रवेश लाना चाहो वे एकाग्र अभ्यास करते रहे। इरिचाना, एम. डी., विकार, मानाम, गणगान्धी, गांधीदेव, जन्म एवं कर्मों में दरिचा के गमनेंद्रों का बहुप्राप्त था। उठीगा बांधिंग, और एकाग्र अभ्यास करते हुए अधिकारी भी इत्याहार अभियान में व्यवस्थी था। गांधी ने जो गंगारा में पर कांचीराजी कीमिति ने इसे दारीहार कर दिया। 21 नवम्बर को कांचीराजीराजी गंगीरा के 11 गदर्यों ने श्रीमती गांधी को कांचीराजीराजी वर्षों की घोषणा कर दी। बांधिंग गणगान्धी-दल की पंडित में द१० गांधीनगरियाँ को सोराप्रा और इत्याहार युवत की गांधीनगरा एवं चुनाव वेत्ताएँ वे रेसाई को गणगान्धी-दल की प्रधानप्राणी गंगीरा। बांधिंग के इस बद्दले में घनाघणा में गोंदों के बालराज भी राज्यालय की घुणिया दिया हि श्रीमती गांधी की नेतृता पर में हुआ दिया गया है। परम्परा दिल्ली में हुए श्रीमती गांधी के गमर्चन कांधिंग-प्रधिवेशन में उनके प्रभाव एवं व्याप्ति गया। इसमें सुविधालय को नित्यनिधान के इवान पर कांधिंग का व्याप्ति दिया गया। कांचीराजीराजी नमिति में उन 9 गदर्यों को ग्राहित कर दिया गया। इन्हें नित्यनिधान ने हृदयाया था। जगन्नीयन राम को कांधिंग का नया यशस्वी चुनाव गया। ततारपाणी दोनों ओर से प्रवेशों में कांधिंग-गमितियों व गदर्यों को मुख्यालय करने का अम चाना।

प्रधिवेशनों में परस्पर घासोंगता—20 दिसम्बर में यहमदावाद के पास गांधीनगर में कांधिंग (गंगठन-गृह) का प्रधिवेशन हुआ जिसमें श्रीमती गांधी को गरकार घरताने के घरोंमें और स्वं प्रेमी बनाया गया। सत्तार्ह कांधिंग ने भी दिसम्बर के अन्तिम मध्याह्न में भ्रष्टवृद्धि में प्रधिवेशन चुनावों की घोषणा। नहीं की गई। प्रधान-मन्त्री गंगीराजपनी जक्कि के बारे में भ्रष्टवृद्धि नहीं थी प्रति, मध्यावधि चुनाव की घोषणा की गई। दोनों कांधिंगों-पक्ष कांधिंग का पुराना चुनाव-चिह्न प्राप्त करना चाहते थे। दोनों ने घयने-घयने परा में तके दिये। नई कांधिंग ने गाय-बछड़े के चुनाव चिह्न द्वारा जब यहुमत प्राप्त कर निया तो पहले वाला चुनाव-चिह्न भिलते पर भी यह घरना नया चुनाव-चिह्न ही रहने दिया। मध्यावधि चुनाव तथा प्रान्तों में हुए विधान-सभाओं के चुनावों में नई कांधिंग ने ही सफलता पाई। इस प्रकार कांधिंग-विभाजन के सिद्धान्तों की टकराहट न होकर अस्तित्व व नेतृत्व का संघर्ष था।

मूहूर्यांकन—निष्पक्ष रूप से देखा जाये तो कांधिंग-विभाजन विचारधारा एवं अस्तित्व दोनों का संघर्ष था। एक ओर समाजवाद को शोध साने का जोश था तो दूसरी ओर दक्षिण पंथी इसमें वाधक थे। एक ओर श्रीमती गांधी के अस्तित्व का प्रश्न था तो दूसरी ओर सोरार जी के अस्तित्व का। विदेशी-पक्षों ने इसे वासपंथी ओर दक्षिण एवं विचार-धाराओं का संघर्ष कहा। श्रीमती गांधी ने भारतीय

राजनीति के इतिहास को एक अपूर्व मोड़ दिया। अब देश की शासन-सत्ता नई कांग्रेस के हाथों में है। स्वतन्त्र बागला देश को पाक आतंक से बचाकर और भारत-पाक युद्ध में श्रीमती गांधी ने देश को सुदृढ़ नेतृत्व देकर सफलता दिलवाई। मुद्रों के साथ शिमला में हुई शिखर बार्टा में भी प्रधानमन्त्री ने देश के उच्च आदर्शों को विश्व के सामने रखा।

**प्रश्न 34—लोक-सभा के मध्यावधि चुनाव भारतीय इतिहास में एक अनुठी घटना क्यों कर है?**

### अथवा

भारत में मध्यावधि चुनाव के कारणों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर—कारण—स्वतन्त्र भारत में पहली बार समय में नगभग 14 मास पूर्व लोक-सभा को भंग कर दिया गया। 27 दिसम्बर 1970 को जब लोक-सभा भग कर मध्यावधि चुनाव की घोषणा की गई तब यह समावना थी कि यह अपने जीवन के 5 वर्ष पूरे कर सकती थी। उस वक्त लोकसभा के 523 स्थानों में से नई कांग्रेस के 220 स्थान थे तथा अन्य कोई विरोधी दल भी अपने बहुमत का दावा नहीं कर सकता था। श्रीमती इन्दिरा गांधी स्पष्ट बहुमत न होने के बावजूद भी प्रधानमन्त्री बनी रही। राज्यों में इस प्रकार का सकट उपस्थित होने पर संविधान की धारा 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है लेकिन बैन्ड में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तब यह प्रश्न उठता है कि क्या राष्ट्रपति तत्कालीन लोकसभा को भंग कर नये चुनाव की घोषणा करने लिए प्रधानमन्त्री की सलाह मानने को बाध्य थे? ऐसी स्थिति में दो विकल्प थे कि राष्ट्रपति या तो प्रधानमन्त्री की सलाह मान कर लोक-सभा के नये चुनाव का आदेश देते या अपने विवेक का प्रयोग कर विषद के नेता को नई सरकार बनाने को आमंत्रित करते। किन्तु परिस्थितियों को देखते हुए लोक-सभा के नये चुनाव का ही विकल्प रह गया था।

कांग्रेस-विभाजन—लोक-सभा का भग होना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। 1969 के कांग्रेस-विभाजन में यह प्रतिया प्रारम्भ हो जाती है। कांग्रेस-विभाजन व्यक्तित्व की टकराहट का प्रश्न बनकर विचार-धारा के मिथित सधर्ण का प्रतीक बन जाता है। यद्यपि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह राजनीतिक नारा लगाया कि जनमत जानने के लिए मध्यावधि चुनाव करवाने जबरी है, किन्तु तथ्य व्या रहे, यह जनमाधारण की नजरों से छिपे रहे।

नई कांग्रेस का अल्पमत—मध्यावधि चुनाव का मुख्य कारण गंसद में नई कांग्रेस का अन्यमत था। प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी को कुर्मा के स्थायित्व के लिए समर्थन पाने हेतु अन्य-दलों की चम्पी करनी पड़ती थी। मुस्लिम लीग जो कि साम्राज्यिक दल के रूप में जाना जाता है। उसके साथ अल्पमत्यकों की रक्षा की दुहाई

देकर उसने गुप्त गठबोड़ किया। साम्यवाद जिसकी कभी Enternitorial loyalty party कहता जाना था और जिस साम्यवादी सरकार को बदलाम करने के लिए कलकत्ता में हुए रवीन्द्र सरोवर काण्ड को इतना बढ़ाकर प्रचारित किया उसी का ममतं पाने के लिए प० वगाल के हिमातमक कार्पों को देखकर भी मुँह मोड़ना पड़ा जश्कि केरल में Central Govt Strike की केवल संभावना पर Reserve Force भेजी जिसका कि वहाँ की राज्य-सरकार ने भी बहिष्कार किया। यह सब DMK, BKD, SSP, PSP आदि का समर्थन पाने के लिए किया। किन्तु श्रीमती गांधी द्वैषदी की सी इस गियति से छुटकारा पाना चाहती थी इसलिए उसने अपनी सत्ता का दाव लगाकर मध्यावधि चुनाव का जुग्रा खेलने का फँसला किया।

गिरी हुई अर्धयवस्था—हमारी गिरती हुई अर्ध-व्यवस्था भी मध्यावधि चुनाव का एक कारण थी। सरकार नेजी से बढ़ती हुई बीमतों पर काढ़ नहीं कर पा रही थी और साथ ही करवारी में बजट पेश करना था। घाटे का बजट रखने पर पर नये कर लगाने पड़ने और सभवतः खुद्ध जनता अगले चुनावों में कार्पोरेस को बहुमत में न भाने देती। जनसाधारण को आर्थिक स्थिति से अतिभित्त 'रथने के लिए पहले कर रहित आर्थिक बजट रखा, फिर पूरक बजट रखा जिसमें करों की भरमार थी। चुनाव के समय भी बढ़ी हुई बीमतों के आँकड़ों पर हटियात करें तो आप और हम दातों तले अंगूली दवाने लगें। आर्थिक कच्चे माल में 11%, बनस्पति में 16%, दूध व दूध से बने पदार्थों में 14·2%, फल एवं सब्जी में 13·8%, काँकी में 40·7%, कपाम में 12·4%, पटसन में 44·2%, मूँगफली में 9·9%, बृद्धि हुई और इसी प्रकार पिछले दस वर्षों में गेहूँ का भाव 40 रु. वि. से 102 रु per. वि., चावल 48 रु. वि. से 106 रु. वि., मनसा 179 रु. वि. से 5056 रु. वि., लाज मिच्च 214 रु. वि. से 700 रु. वि. तथा बनस्पति का दीन 40 रु. से 101 रु. हो गया। चाँदी 183 रु. प्रतिकिलों से 500 रु., प्रति किलो एवं 10 ग्राम सोने का भाव 135 रु. से 199 रु. हो गया। कपड़े धोने का साबुत 1·50 रु. प्रति किलो से 3·50 रु. हो गया एवं नहाने का साबुत 44 नये पैसे प्रति टिकिया से 70 नये पैसे हो गया।

जनता की अज्ञानता—जनता को इसी भ्रमजाल में रखने के लिए श्रीमती गांधी ने मध्यावधि चुनाव का चक्रकर चलाया।

महासंघ की तोड़ना—मध्यावधि चुनाव की घोषणा करवाने में श्रीमती-गांधी का एक उद्देश्य राजनीतिक दलों के (Grand Alliance) बो तोड़ना था। जूँकि गभी दल सत्ता प्राप्त करना चाहते थे और वे अकेले जुनाय लड़कर बहुमत प्राप्त नहीं कर सकते थे इसलिए संगठनात्मक कार्पोरेस के नेतृत्व में "एकता के लिए इंदिया हटाओ" के नाम पर जनसंघ, स्वतंत्र एवं SSP. ने महागहयोग के प्रताव को स्वीकार किया यद्यपि इनमें आन्ध्रिक मतभेद भी था। इससे इन्दिरा सरकार लड़खड़ाई और

डर के मारे साम्यवादी मुस्लिम लीग, B. K. D. D., M. K. आदि से गुप्त समझौते किये। किन्तु फिर भी श्रीमती गांधी को विरोधी दलों का यह गठबंधन गवारा नहीं था इसलिए उसने माध्यावधि चुनाव का जान फेका, जिससे Grand Alliance में भगदड़ मच गई और उनका सहयोग केवल 'कामज़ी-वादा' बन कर रह गया।

**न्यायालय के विरोधी निर्णय**—गोलकनाथ केस के बाद से यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि संसद द्वारा जिन मूलयों का प्रतिनिधित्व होता है उनका न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों से संघर्ष होता है, संघर्ष के फलस्वरूप सामाजिक न्याय की दिशा में किये गये प्रयास विफल हो जाते हैं। वेंक राष्ट्रीयकरण के कानून को दो अपापत्तियों के कारण अर्धें घोषित किया कि इसमें पक्षपात किया गया था और मुम्हावजे का कोई प्रावधान नहीं रखने के कारण भौलिक अधिकारों पर कुठाराधात होता है। यद्यपि नये अध्यादेश के द्वारा इन अपापत्तियों को दूर किया गया परन्तु अपनी ही ओज का राष्ट्रीयकरण करने में कोई तुक नहीं, अगर विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता तो राष्ट्र को कुछ फायदा ही होता।

**प्रिवीपर्स का निर्णय**—आगे चलकर Privy-purse का बिल लोकसभा में तो किसी तरह से पास हो गया पर राज्य-सभा में एक थोट से गिर गया। किन्तु समाजवाद का दंभ भरने वाली इदिरा सरकार ने (de-recognition) आदेश राष्ट्रपति से निकलवाये। किन्तु इसको सर्वोच्च न्यायालय ने असंवेद्यानिक घोषित किया। (Privy-purse) को सम्पत्ति बताकर भौलिक अधिकारों का प्रश्न बना दिया और सरकार भौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। वास्तव में सर्वोच्च-न्यायालय ने अपने अस्तित्व को सिद्धकर दिया पर इन निर्णयोंसे सरकार बौखला उठी व्योकि (Privy-purse) के मतदान के समय भी सरकार की काफी बदनामी हो चुकी थी। राष्ट्रपति V. V. गिरि के चुनाव के समय स्वतंत्र मतदान की रट लगाने वाली प्रधानमंत्री ने इस समय दबाव डालना शुरू किया फलस्वरूप U. P. के भानुप्रतापसिंह ने गुस्से में आकर इस्तीफा तक दे दिया। और तो और (Chief justice) हिदायतुल्ला ने (Privy-purse) का निर्णय अपने (Retirement) के कुछ समय पहले दिया था और उनके बाद इन्दिरा-सरकार अपने ही आदमी कुमार-मङ्गलम को (Chief justice) बनाना चाहती थी पर यहीं भी उसकी एक न चली। इसलिए यह स्वाभाविक था कि Mrs. गांधी को ऐसी चाल चले जिससे जनता उसके पक्ष में हो जाये। यह समय भी उचित या जबकि जन-भावनाओं को समाजवाद के नाम पर उत्तेजित किया जा सकता था। मृह समाजवाद मावर्सं या एंजिल्स द्वारा प्रतिदिन समाजवाद नहीं था। फिर श्रीमती-गांधी ने प्रचार किया कि सरकार के लिए उचित बहुमत के आभाव में कोई विकास का कदम नहीं उठा सकती इसलिए माध्यावधि चुनाव करवाने प्रावश्यक हो जाते हैं।

**राज्यों में रोप—राज्य-विवादों ने उपर स्वरूप धारण कर लिया था और**

सरकार इन राज्य-विवादों को भुलवाना चाहती थी। मैसूर-महाराष्ट्र सीमा-विवाद से सरकार की बहुत बदनामी हो चुकी थी तथा केरल का विवाद भी इसी में शामिल कर लिया था और इधर तेलंगाना संघर्ष-समीति के अध्यक्ष चेन्नाराय-रेडी ने तेलंगाना याने की घोषणा की इससे सरकार के प्रति जनमत संराब हो गया था। जनमत प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने मध्यावधि चुनाव की घोषणा करवाई। जयप्रकाश-नारायण ने नक्सलवाद को समाप्त करने का जिम्मा लिया तो सरकार-विरोधी भावनाएं और उठ खड़ी हुईं।

उपचुनावों में जीत—1967 के बाद जितने उप-चुनाव हुए उसमें कांग्रेस (N) को बहुमत मिला था इसलिए सोचा गया कि अगर मध्यावधि चुनाव हो जाते हैं तो सभवतः किर उनको बहुमत मिल जाये। राज्यों के विधान-मण्डलों के लिए 40 स्थानों में उप-चुनाव हुए उनमें कांग्रेस (N) ने 32 स्थानों पर चुनाव लड़कर 23 स्थान प्राप्त किये। इसी प्रकार लोकसभा के 9 स्थानों पर उप-चुनाव हुए जिसमें 5 स्थान कांग्रेस (N) ने जीते। केरल के विधान-मण्डल में कांग्रेस (N) ने 133 स्थानों पर चुनाव लड़कर 32 स्थान प्राप्त किये जबकि वहने केरल 6 सदस्य कांग्रेस (N) के थे। चूंकि आपसे से अधिक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें थी इसलिए केन्द्रीय-सरकार कोई मनमानी नहीं कर सकती थी इतना होने पर भी गैर-कांग्रेसी सरकार वाले राज्यों को यह शिकायत थी कि केन्द्रीय-सरकार उनके साप सीतेली भाँ का सा व्यवहार करती है इन सब मुमीखतों से छुटकारा पाने का एक-पास उपाय मध्यावधि चुनाव ही रह गया था।

विधान-सभा के चुनावों से अलग—मध्यावधि का एक कारण यह भी था कि अब-तक भारत में विधान-सभाओं एवं लोकसभा में चुनाव साथ-साथ होते थाये थे। अब अगर इनको मध्यावधि चुनाव के द्वारा अलग-अलग करवाये जाये तो कांग्रेस (N) राज्यों पर भी ध्यान दे सकेंगी और इस प्रकार उसके बहुमत के ज्यादा (Chances) हो जायेंगे और हृषा भी यही। केन्द्रीय-सरकार ने यानी सारी शक्ति इस चुनाव पर लगा दी।

राष्ट्रीय स्तर में अन्तर—प्रवत्तन के (Voting behaviour) गे नुस्खे या कि जनता राष्ट्रीय स्तर तथा स्थानीय भूमि के प्रश्नों में अन्तर नहीं कर पाती। जनता के मानम में विषयों घोर भूमि का अन्तर करने हेतु समवतः मध्यावधि चुनाव की घोषणा करवाई गई।

राजनीति का जनतभीकरण—माध्यम चुनाव का एक प्रारंभ भारतीय-राजनीति का जनतभीकरण भी हो सकता है। गतामोजा (Role) पहानी ये गंभीर: महत्वपूर्ण घार मंगठित होकर उभरा। गमस्थान, गुजरात, या M. P. के गढ़ों में मह प्राप्त मद्यपूर्ण हो जाता है कि जनता के लिए इन गतामों ने क्या किया? मह सरकार के लिए एक चुनीरी बन गई और इस चुनीरी को मध्यावधि चुनाव में द्वारा दबाया गया।

प्रधानमंत्री का उभरता अक्षित्य—अन्त में यह कहा जा सकता है कि (Stability for change) इन चुनावों का प्रभिग्राम था। ये (Pragmatic cum preministerial) चुनाव थे जिसमें प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा-गांधी का कुशल नेतृत्व उभर कर सामने पाया।

अन्त 35—नई कांग्रेस की विजय के कारणों का विवेचन कीजिये।

#### प्रथवा।

श्रीमती गांधी का इतिहास ही नई कांग्रेस विजय का कारण रहा।

उत्तर—भूमिका:—मध्यावधि चुनाव से पहले जनसाधारण की यह धारणा बन गई थी कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो अपने प्रधानमंत्री पद का दाव लगाया है उसके परिणाम भयंकर निकल मक्ते हैं और सम्भवतः उनको अभी रहो-सही सत्ता गे भी हाय घोना पड़े। विन्तु राजनीति-शास्त्र में वैज्ञानिक सिद्धान्तों के प्रभाव में कई बार अनुमान एकदम गलत हो जाते हैं। मध्यावधि चुनाव के बारे में भी यही हुआ। जनभावनाओं का सही प्रनाला नहीं तागाया गया परन्तु व्यापक सबकी धारणायें निर्मूल मिछ हुईं और श्रीमती गांधी दो तिहाई बहुमत से भी अधिक मत प्राप्त करने में गम्भीर हो सकी। देश तथा विदेशों में इसे एक मनसनीयेज घटना के रूप में देखा गया। किन्तु तथ्यों तथा वास्तविकनाथों की गहराई में देखें तो नई कांग्रेस की अप्रत्यानित विजय की सौज की जा सकती है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी ही गई थीं कि इन्दिरा गांधी को बहुमत स्वभावित रूप में मिल गया। नई कांग्रेस की जीत के कारणों की विवेचना इस प्रकार से की जा सकती है—

स्थायी गरकार की आवश्यकता—मध्यमे प्रथम कारण तो यह था कि केन्द्र में स्थाई तथा दृढ़ सरकार की आवश्यकता गहरूस की जा रही थी यद्यों सीमाओं पर तनाव बढ़ता जा रहा था। एक ओर चीन भारतीय पंचशील को पचांशुल मारने की उतावला था तो दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी गिरद दृष्टि जमाये था। ऐसी स्थिति में स्थाभाविक है कि जनता देश में एकता व दृढ़ता के लिए कांग्रेस (N) को बोट दे। अधिकांश राज्यों में अन्य राजनीतिक दलों की तथा संयुक्त सरकारे फैल ही चुकी थीं इसलिए जनता इसी अमरकताता को दुहराना नहीं चाहती थी इस कारण नई कांग्रेस की भारी विजय हुई।

महासंघ में फूट—इन्दिरा विजय का सबसे महत्वपूर्ण कारण चार बलों—संगठनात्मक कांग्रेस, जनसंघ, स्वतंत्र य एस. एस. पी. के महाशहपौर्ण की शान्तरिक कमियाँ थीं। कथित राजनीतिक दलों ने केवल “देश की एकता के नाम पर इन्दिरा हृषांगो” नारा लगाया। इस एकसूची वार्यक्रम के अलावा उनके पास कोई Common-Programme नहीं था और न ही कोई नीति या मामाल्य चुनाव घोषणापत्र। और तो और इन दलों के नेताओं में युद्ध में ही फूट थी। निजलिङ्गण के घर जो नेताओं का सम्मेतान हो रहा था उसमें भी भीमसानी उठकर चले गये। हाला

में राजाजी ने किसी प्रकार उन्हें मना भी लिया था। यह चौगुटा जनता के सामने अपने आपको भली-भाँति प्रकट न कर सका और इसका फायदा नई कांग्रेस ने उठाया। उन्होंने इनके सहयोग पर प्रहार किया और लाद्यन लगाया कि जनसंघ तो धार्मिक पार्टी है, स्वतन्त्र दल राजाओं का दल है जो कि जनतंत्र के विरुद्ध है, संगठनात्मक कांग्रेस पुराणापंथी और ऐसे एम. पी. कोई मुख्य दल नहीं है। यह बात जन-भावनाओं को छू गई। परिणामस्वरूप नई कांग्रेस बोट प्राप्त करने में सफल हो गई।

**प्रगतिशील नीतियाँ—** नई कांग्रेस विजय का एक अन्य कारण सरकार की प्रगतिशील नीतियाँ थीं। इन्दिरा सरकार ने बैंक राष्ट्रीयकरण, भूमि विक्री, शाही खेली आदि के बारे में जो निर्णय दिये उनके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिये और इन्हीं की दुहाई देकर श्रीमती गांधी ने जनता में प्रचार किया कि केवल नई कांग्रेस ही प्रगतिशील कदम उठा सकती है। इससे युवा पीढ़ी तो उसके साथ ही गई और बृद्धों को साथ करने के लिए इन्दिरा सरकार ने मंहाराई के नाम पर येशन बड़ा दी। इस प्रकार वह बोट बटोरने में समर्थ हो गई।

**घोषणा-पत्र की आकर्षकता—** नई कांग्रेस का घोषणा-पत्र भी बड़ा आकर्षक था। सभी वर्गों को अपने मायाजाल में फैसाने का श्रीमती गांधी का अच्छा प्रयास था। उसने 'गरीबी हटाओ' 'समाजवाद को लाने', 'विरोजगारी को दूर' करने का राजनीतिक नारा लगाया और शिक्षित वर्ग को आधिक सहायता दी और इस मृगमरीचिका में सब मतदाता भटक गये। शायद श्रीमती गांधी ने ही भारत में समाजवाद लाने का देका ले रखा है। और इसी कारण वह पुनः सत्ता में भी आ सकी।

**सत्ता का प्रयोग—** एक बात यह भी है कि जिसके पास सत्ता होती है यह हर अनुचित कार्य की भी उचित सिद्ध कर सकता है। नई कांग्रेस के सत्ता में होने के कारण चुनावों में एडी-चोटी का जोर लगाया गया और यह प्रयत्न सफल हुआ भी। अधिकाश भरकारी नीकरों ने भी नई कांग्रेस को बोट देना अपना कर्तव्य समझा।

पू. पी. के मनोराम थोड़े से चरणसिंह के हटाये जाने के बाद संगठनात्मक कांग्रेस के विभूतननारायण सिंह को नई कांग्रेस के सदस्य के द्वारा हटाया जाना भी कांग्रेस विजय के लिए महत्वा का कारण बना। महासहयोग के समर्थन के बावजूद भी मुख्यमन्त्री की हार ने नई कांग्रेस के विजय के रास्ते खोल दिये।

**श्रीमती गांधी का व्यवितरण—** वैसे भी कांग्रेस-विभाजन के बाद से इन्दिरा सरकार ने संगठन व प्रशासन दोनों पर अपना अधिकार जमा लिया था, इन्दिरा के विरोध वा मतलब सीट को खोना या भीर तभी लोग अपनी गही में चिपके रहना चाहते थे अतः निम्नस्तर से केन्द्रीयस्तर तक इन्दिरा की जय-जय कार हो गई। नई कांग्रेस ने केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर बोट लिये। लोग उम्मीदवारों को नहीं जानते थे पर इन्दिरा व कांग्रेस के नाम पर बोट दिये।



प्रजा गमाजयादी, गयुक्त समाजवादी तथा द्रविड़ मुसेन कृषगम दलों ने किया। मुह्य विरोध स्वतन्त्र पुरानी कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय शांतिदल आदि ने किया किन्तु फिर भी संसद में यह विधेयक 154 में विफूट 339 मतों से पारित हो गया। इस प्रकार लोकसभा में तु वहूमत विधेयक के पाथ में रहा।

**राज्य-सभा में विधेयक—** 5 अक्टूबर 1970 को जब इसे राज्य-सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तब वहू विधेयक के पाथ में 149 मत प्राप्त तथा उसके विपक्ष में 75 मत पडे। इस प्रकार राज्य-सभा में तु वहूमत पाने में केवल एकमत के अन्तर के बारें यह पारित न हो सका। इनका प्रभाव नई कांग्रेस की प्रतिष्ठा पर फूला ही था और उसकार ने अगले ही दिन राष्ट्रपति द्वारा धारा 366 (22) के अन्तर्गत ही अपनी कार्यपालिका शक्तियों के उपयोग करते हुए एक आदेश द्वारा नरेशों के विशेषाधिकार एवं प्रिवीपर्स की समाप्ति की घोषणा करवा दी।

नरेशों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील-इमों प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भूत-पूर्व राजाओं ने राष्ट्रपति के भारत की वंपता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी और निवेदन किया संविधान को स्थापना में पूर्व चालू नरेशों के प्रिवीपर्स देने सम्बन्धी सरकारी दायित्वों पर भावी सरकार स्थायी रूप से वहूमत करेगी। इस धारा द्वारा संविधान में नरेशों के साथ किये गये समझौतों को सुरक्षा प्रदान की गई थी। नरेशों ने अपनी याचिकाओं में तक दिया कि देशी रियासतों के शासकों द्वारा स्वतन्त्र भारत सरकार के बीच हुए बादों की उपेक्षा नहीं की जा सकी व्योकि देश के एकीकरण का वह आधारभूत तन्त्र है जिस पर राष्ट्र के संविधान की आधारशिला रखी गई है। नरेशों ने कहा कि वर्तमान भारत का 42% भूभाग देशी रियासतों के साथ भारत सरकार के मध्य हुए समझौतों की देन है।

**संविधान का अतिक्रमण—** याचिकाओं में नरेशों द्वारा यह भी निवेदन दिया गया कि राष्ट्रपति ने उनको मान्यता एवं विशेषाधिकारों की समाप्ति की घोषणा करके संविधान का अतिक्रमण किया है एवं संसद के निर्णयों की अवहेलना की है व्योकि जिस कार्य को संसदीय प्रक्रिया द्वारा सरकार करने में ग्रसमर्थ रही, उसे राष्ट्रपति ने अपनी कार्यपालिका शक्तियों का क्षयित उपयोग कर पूरा कर दिया और संसदीय निर्णयों के विपरीत अपना आदेश जारी किया। यह वास्तव में संसदीय जनन्य के भविष्य के लिए खतरनाक परम्परा थी। याचिकाओं में राष्ट्रपति का आदेश जारी करने की नीयत को अनुचित बतलाया। राष्ट्रपति को कम से कम इसके पूर्व कि ऐसा आदेश जारी करें, नरेशों से बार्ता द्वारा न्याय के सामान्य सिद्धान्तों, अनुपालन करने का अभिभाव होना चाहिये था और आगे यह कहा गया “कि राजनीतिक उद्देश्य से निकाला गया राष्ट्रपति का आदेश संविधान की धारा 14 और 53 (1) का स्पष्ट उल्लंघन है।”

**प्रिवीपर्स एक नौलिक अधिकार—** नरेशों ने अपनी याचिकाओं में निवेदन किया कि “कर मुक्त प्रिवीपर्स पाने सम्बन्धी नरेशों का अधिकार सम्पत्ति सम्बन्धी नौलिक

आधार है जिसे विना किसी कानून के नहीं छीना जा सकता। प्रिवीपर्स नरेशों द्वारा भारत सरकार के हस्तान्तरित भारत सम्पत्ति के प्रतिफल मुश्यावजे के तीर पर दी गई प्रतीकात्मक राशि थी जो समझौते के अनुसार दी जाने वाली थी और जिसे संविधान ने सुरक्षा प्रदान की थी।" यह दी गई कि "यदि इस प्रकार संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षा अधिकारों को छीनने का अधिकार कार्यपालिका को दिया तो देश में संसदीय सोकतन्त्र और संविधान के प्रति आस्था समाप्त हो जायगी।"

नीरेन डे का मत—भारत सरकार की ओर से महान्यायवादी नीरेन डे ने मुख्यतः यह दलील दी कि नरेशों की याचिकाएँ पर न्यायालय को विचार करने का अधिकार नहीं है। दलील में यह कहा गया कि "संविधान की धारा 363 में स्पष्ट तीर पर लिखा है कि नरेशों और भारत सरकार के मध्य समाप्त करारों से उत्पन्न विवादों को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता।" महान्यायवादी ने गहर दलील दी कि "नरेशों के साथ सम्पन्न करार राजनीतिक करार था, प्रति राष्ट्रपति को उसे भंग करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा सार्वभौमिक सर्वोच्च शिवितयों का उपयोग किये जाने पर न्यायालय उसके श्रीचित्य अधिकार अनीचित्य पर विचार नहीं कर सकता।"

सरकारी पक्ष—सरकारी पक्ष के समर्थन में कहा गया कि प्रिवीपर्स की समाप्ति में संविधान में वर्णित निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए अत्यावश्यक है। आगे कहा गया कि "नरेशों की मान्यता संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों की पूर्ति के लिए भंग की गई है। किसी भी करार में नरेशों को अन्तकाल तक नरेश बने रहने अथवा प्रिवीपर्स पाने का अधिकार नहीं दिया गया था।" सरकारी पक्ष में आगे कहा गया कि नरेशों की प्रिवीपर्स एक राजनीतिक पेंशन थी जिसे समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति सदम है।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय—सर्वोच्च न्यायालय ने प्रिवीपर्स के मामले पर 14 अक्टूबर से 27 नवम्बर 1970 तक सुनवाई जारी रखी। 15 दिसम्बर को 2 के मुकाबले 9 के बहुमत से नरेशों की मान्यता समाप्त करने सम्बन्धी राष्ट्रपति के भादेश को अवैध घोषित किया। बहुमत न्यायाधीशों का निर्णय कि संविधान सरकार संविधान को निर्देश देता है कि वह अभूतपूर्व राजाएँ को जिन्हें ऐतिहासिक कारणों से विविष्ट अधिकार प्रदान किये गये हैं, प्रिवीपर्स दे। केन्द्रीय सरकार स्वेच्छानुसार उन्हें उन विशेष यन्त्रिकारों से यथित नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट है कि उल्लिखित किया गया है कि—"राष्ट्रपति यह दावा नहीं कर सकता कि उन्हें अपने कार्यों को ग्रालत में चुनीतों दिये जाने की तरफ से संरक्षण प्राप्त है। उन्हें न तो इसे मुगल सम्राट की भाँति सर्वोच्च सत्ता वाला वह अधिकार प्राप्त है जो मानी स्वेच्छानुमार अपने सिपाहीसालारों को मूवेदारी दे सकता था, ना ही उन्हें विटिंग ताज से सर्वोच्च सत्ता वाला अधिकारी मिला है।

थो हिंदायतुल्ला का मत—मुख्य न्यायाधीश थो हिंदायतुल्ला ने राष्ट्रपति पर निर्धारित के पारों को गलत बतलाया और कहा कि "राष्ट्रपति ने 6 सितम्बर 1970

को आदेश जारी करके अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है।" मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि "राजामों के साथ भारत के जो करार हुये थे, वे त्रुटिपूर्ण करार नहीं थे, संविधान ने उनकी गारम्टी दी थी। उन करारों द्वारा नरेशों को जो कुछ भी अधिकार मिले थे, उन्हें न्यायालय दिला सकता है। धारा 366 (22) के अनुसार नरेशों को कायम रखने और उनके निधन के पश्चात् उनका वैधानिक उत्तराधिकारी घोषित करने के साथ सरकार को नरेशों की मान्यता द्वीनने का अधिकार नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के आदेश को अर्थात् मानते हुए इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व-निर्णयों का उद्धरण दिया कि "राज्य की कार्यवाही है जिसका आधार न तो कानून और न कुछ और है तू कि कोई सर्वोच्च सत्ता या राजनीतिक शक्ति नहीं है, इसीलिए संविधान के अन्तर्गत कार्यपालिका की प्रत्येक कार्यवाही का किसी न किसी कानून में कोई भी नियम होना नहीं। धारा 363 का अस्तित्व ही जिसमें सब प्रकार की सर्वोच्च सत्ता या राज्य की कार्यवाही का समावेश वर्तलाया जाता है, यह मूल्यित करता है कि कानून की सीमा के बाहर कोई राजनीतिक सत्ता नहीं है अन्यथा एक अतिरिक्त अंग की आवश्यकता शायद ही पड़ती।

श्री हिंदायतुल्ला ने अपने निर्णय में कहा कि संविधान की धारा 291 के अन्तर्गत सरकार प्रिवीपर्स देने के लिए वाध्य है। किसी राज्य के भारत के संपीडित कोप से दिये जाने के निर्धारण का अर्थ यह व्यवस्था कर देना है कि जिसको यह राज्य मिलती है उसके बारे में सम्बद्ध के निर्णय द्वारा भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता और यह निर्धारण सम्बद्ध धारा के सही अमल का कारण आश्वासन है।

संविधान के बाहर—सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा अपने बहुमत निर्णय में कहा गया कि "भारत में राष्ट्रपति को संविधान से बाहर ऐसा कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है जिसका प्रयोग वह नागरिकों के, जिसमें नरेश भी सम्मिलित हैं, विलोक्य कर सकता है। बहुमत निर्णय में कहा गया कि "न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 366 (22), 291, 362 तथा 363 की व्याख्या करने और उनका सही अर्थ निश्चित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 363 के अन्तर्गत न्यायालयों के संविधान के अन्तर्गत अधिकार मिलते हैं। अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की शक्ति अथवा अनुच्छेद 221 के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों की शक्ति, शक्ति थी। इस प्रधार पर उपेक्षा नहीं की जा सकती कि राष्ट्रपति ने राजनीतिक शक्ति का उपयोग किया गया है।

निर्णय में यह भी कहा गया कि संविधान का अनुच्छेद 366 (22) एक व्याख्यात्मक धारा है जिसके अनुसार राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति को नरेश के रूप में मान्यता देने का अधिकार नहीं है लेकिन यदि यह मान लिया जाये कि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति निजी व्यक्ति को नरेश के रूप से मान्यता समाप्त कर सकता है।

तो इस अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की नरेश के स्थान में ऐसा कोई धर्म नहीं निकलता कि राष्ट्रपति संविधान की महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को भी रद्द कर सकता है।

विधि के शासन के विरुद्ध—राष्ट्रपति के आदेश को मौलिक धारणा के प्रतिकूल बताते हुए निर्णय में यह कहा गया कि भूतपूर्व नरेशों को नागरिकों की एक श्रेणी में मान्यता प्रदान की गई थी एवं उनको विशेषाधिकार इसलिए प्रदान किये गये थे कि उन्होंने अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों, अधिकारों एवं आय के स्रोतों का परिस्ताग किया था। अतः यह कहना कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका के अध्यक्ष होने के नाते नरेशों की मान्यता को समाप्त करने का अधिकार है। कानून के शासन की मौलिक धारणा के विरुद्ध है। निर्णय में यह भी कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 291 की धारा (अ) में स्पष्ट लिया है कि प्रिवीपर्स की राशि भारत की सचित निधि से देयघन की कटीवी करने का संसद की अधिकार नहीं है। अतः इससे सरकार की प्रिवीपर्स देने की वाध्यता का स्पष्ट रूप से पता चलता है।

थी हेगडे का मत—न्याय-भूति थी हेगडे ने कहा कि प्रिवीपर्स असदिग्ध रूप से एक सम्पत्ति है और अमल में लाया जा सकने वाला कानूनी अधिकार है। थी हेगडे ने राष्ट्रपति के आदेश को संविधान की धारा 31 के अन्तर्गत सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने तथा बेचने के अधिकार के प्रतिकूल बतलाया। राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्ति के प्रयोग सम्बन्धी दलील की चर्चा करते हुए कहा कि “कार्यपालिका और नागरिकों के सम्बन्धों के विषय में हमारे संविधान के अन्तर्गत राजनीतिक शक्ति जैसी किसी चीज का मस्तिष्क नहीं है। हमारा संविधान केवल तीन शक्तियों को मान्यता देता है—विधायिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति और कार्यपालिका शक्ति, वह किसी अन्य शक्ति को मान्यता नहीं देता।”

न्यायभूति थी मित्तर ने यह धारणा प्रस्तुत की कि भूतपूर्व नरेशों की मान्यता समाप्त करने के बारे में आदेश जारी करने से पूर्व राष्ट्रपति महोदय को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना राष्ट्रपति का अधिकार नहीं अपितु कर्तव्य है।

विरोधी पक्ष का मत—सर्वोच्च न्यायालय की “न्यायाधीशों की बैठक में 9 न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति के आदेश को संविधान के प्रतिकूल बतलाया किन्तु 2 न्यायाधीशों ने उसको उचित बतलाया। न्यायाधीश थी ए० एन० रे ने कहा कि संविधान की धारा 363 के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश पर न्यायालय को विचार करने का अधिकार नहीं है और यह सम्पत्ति का अधिकार भी नहीं है। थी रे ने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों में भी कहा गया है कि संविधान की धारा 363 के कारण से मिले प्रिवीपर्स विशेषाधिकारों और व्यक्तिगत अधिकारों तथा नरेशों की मान्यता के बारे में अदालत में आवाज नहीं उठाई जा सकती।

न्यायाधीश थी रे ने यह माना कि प्रिवीपर्स अदा करने का समझौता एक राजनीतिक सीदेवाजी है जो देशी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए की-

थी। इसी राजनीतिक सौदेबाजी का जिक्र संविधान की धाराएँ—291, 362 और 366 (22) मे किया गया है। संविधान की धारा 363 के अनुसार इस समझौते का राजनीतिक स्वरूप स्पष्ट है, जिसमे अदालत मे यह रोक लगाई गई है कि वह इन समझौतों के बारे मे उठे विवादों के मामले नहीं देख सकती। श्री रे ने याद दिलाया कि सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों मे यह माना गया है कि “संविधान की धाराएँ 291 और 362 भी धारा 363 के अन्तर्गत आती हैं। यदि पुनरावृत्ति की जाये तो कहता होगा कि धाराएँ 291, 363 और 366(22) प्रत्यप्रतः धारा 363 से सम्बन्धित हैं।

संसद की प्रतिष्ठा को छेस, मध्यावधि चुनाव को घोषणा—इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने 2 के मुकाबले ५ के बहुमत से राष्ट्रपति के आदेश को अवैध करार कर दिया और राजाओं की मान्यता एवं विशेषाधिकारों को बहाल कर दिया किन्तु इसका परिणाम सत्ता आलड मन्त्रिमण्डल पर पड़ना ही था। अतः श्रीमती गांधी ने दृढ़ता से इस सकल्प को दोहराया कि काँप्रेस दृढ़ता से अपने 10 सूची कार्यक्रम को लागू करने के लिए कृतसंकल्प है और दिसम्बर 1970 मे श्रीमती गांधी ने राष्ट्रपति को संसद को भग करने की सलाह दी और प्रिवीपर्स की समाप्ति की घोषणा पर निर्वाचित द्वारा जनता की राय जानने की बात कही। फलस्वरूप मार्च 71 मे लोकसभा में मध्यावधि चुनाव हुए और काँप्रेस को  $\frac{1}{3}$  बहुमत से भी अधिक 350 स्थान प्राप्त हुए।

नई काँप्रेस की जीत, 24वां सशोधन—तुनः सत्तालड होते के पश्चात् श्रीमती गांधी ने प्रिवीपर्स को शीघ्र ही समाप्त करने का निर्णय लिया और ऐसी व्यवस्था से इसकी समाप्ति का मार्ग अपनाने का निश्चय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित न कर सके और इसके लिए शीतकालीन अधिवेशन मे समद के समक्ष प्रथमतः 24वा सशोधन ( संविधान ) विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसमे मोनिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग मे संशोधन का अधिकार संसद को मिल गया और उसके पश्चात् निरन्तर क्रम मे 25वा, 26वाँ तथा 27वां मंविधान सशोधन विधेयक राजाओं के प्रिवीपर्स और विशेषाधिकारों की समाप्ति से सम्बन्धित था।

श्रीमती गांधी की धारणा—2 दिसम्बर, 1971 को श्रीमती गांधी ने संशोधन विधेयक को पेश करते हुए कहा कि “हमने प्रतिज्ञा की थी, जिसे पूरा करने के लिए यह विधेयक सदन के सामने है, उन्होने सदन से इसे स्वीकार करने के लिए कहा और बताया कि यह विधेयक इतिहास की भावना के अनुकूल है।”

प्रधानमन्त्री ने आगे कहा कि “प्रिवीपर्स” के बारे मे उच्चतम न्यायालय ने जिस राष्ट्रपति का आदेश रद्द कर दिया था उसी दिन भीने सदन मे कहा था कि सरकार याही थेंसी समाप्त करने के लिए बचनबद्ध है।

थीमती गांधी ने कहा—“हम जगीदारी समाप्त कर चुके हैं, बड़े उद्योगपतियों पर रोक लगा रहे हैं यह उन्नित ही है कि सामनवादी नरेशों को विरासत में मिले विशेषाधिकार भी समाप्त कर दिये जायें। मुझे आशा है कि नरेश इसे ऐतिहासिक दृष्टि से ही देखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि “संविधान में संशोधन करने के लिए तीनों विधेयकों का उद्देश्य समाज में व्याप्त विषयमताओं को कम करना है। स्वाधीनता के बाद हमने एक-एक कर इन विषयमताओं को हटाने का प्रयत्न किया है। मैं किसी पर दोष नहीं ढात रही तो किन यह समस्या पारस्परिक विचारवार्ता से हल हो सकती तो मुझे खुशी होती।”

**विधेयक का पारित होना—**विधेयक पर मतदान के समय इसके पक्ष में 383 और विपक्ष में 7 भत्त पड़े। राज्य-सभा में भी स्वतंत्र पार्टी के अतिरिक्त सभी दलों ने भी विधेयक का समर्थन किया। राष्ट्रपति श्री गिरि ने 31 दिसम्बर 1971 को इस विधेयक की स्वीकृति प्रदान की तथा 1 जनवरी 1972 से इसे लागू भी कर दिया गया। इस प्रकार विधेयक के अधिनियम बन जाने के पश्चात् भूतपूर्व राजाओं के प्रिवीपर्सं समाप्त हो गये हैं। इस अधिनियम के कलस्वरूप भूतपूर्व राजाओं के प्रिवीपर्सं समाप्त हो गये हैं। इस अधिनियम के कलस्वरूप भूतपूर्व राजाओं के प्रिवीपर्सं सम्बन्धित सभी विशेषाधिकार, उत्तरदायित्य, कर्तव्य एवं विमुक्तिर्थ भी समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार कुछ दिन पूर्व तक नरेश लोग जो एक विशेषाधिकार प्राप्त नागरिक थे अब सामान्य नागरिक के रूप में रह गये हैं।

यद्यपि 1 जनवरी 1972 से राजाओं के विशेषाधिकार एवं प्रिवीपर्सं समाप्त हो चुके हैं तथापि हमें यह देखता है कि जिस प्रश्न को लेकर वार्षिकालिका, व्यवस्यापिका और न्याय-पालिका के मध्य अधिकारों से सम्बन्धित बाद-विवाद एवं थेप्टा का मगला प्रकट हुआ, वया वास्तव में यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण था कि जिसे लागू करने के लिए हमें अपने संविधान की आत्मा में संशोधन करना पड़ा। संविधान के तृतीय भाग को लेकर तथा गोलिक अधिकारों की पवित्रता, अनिवार्यता एवं संसद की शक्ति के बाहर संशोधन द्वारा भी अपरिवर्तनीय रहने की बात कही गई थी। वह धारणा इतनी शीघ्र ही समाप्त कर दी गई, जैसा कि मुख्य न्यायाधीश थी जैसे गुब्बाराव ने गोलिकनाथ बनाम पंजाव राज्य एवं मुकदमे के दौरान तथा हिंदायतुल्ला एवं श्री हेंडे ने इस बात को दोहराया कि संविधान का भाग 3 जिसमें मूल अधिकारों की परिणामना की गई है। संविधान के मंशोधन के बाहर की वस्तु है। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे नागरिकों के मूलाधिकारों का हनन होता है।

किन्तु फिर भी राताहड़ कांप्रेस दल एवं वामपक्षी दल राजाओं के प्रिवीपर्सं एवं विशेषाधिकारों के विरोधी थे, अतः उन्होंने संविधान में प्रथम इस प्रकार का संशोधन किया, जिससे उसे भाग 3 में भी संशोधन का अधिकार प्राप्त हो जाये, तत्पश्चात् 27 वें संशोधन द्वारा विशेषाधिकारों को भी समाप्त कर दिया।

प्रिवीपर्सं व केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल पर खर्च की तुलना—यहाँ तुलनात्मक अध्ययन द्वारा इस बात पर भी प्रकाश ढालना उचित है कि क्या इन नरेशों को दी जाने वाली प्रिवीपर्सं की राशि इतनी अधिक थी जिसे सहन करना सरकारों के लिए बोझ स्वरूप था और यदि यह बात सही है तो राजाओं को तो एक वर्ष में केवल 5 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाता था जबकि आधुनिक महाराजाओं पर जो कि केवल केन्द्र में ही स्थित है, कुल राशि का  $\frac{1}{4}$  वार्षिक ब्यव किया जाता है।

7 जनवरी 1972 को प्रिवीपर्सं के रूप में दी जाने वाली राशि सन् 1950 में 5·8 करोड़ थी जो कि 1970 तक घटकर 4·81 करोड़ हो रह गई। यह सत्य इस बात की ओर इंगित करता है कि यदि इसी दर से इसमें कमी होती रहे तो पूरी एक शताब्दी के उपरान्त अर्थात् 2050 में इसकी देनदारी पूर्णतः समाप्त हो जायेगी। मुख्य रूप से नरेशों को इस राशि का भुगतान इस प्रकार से होता है—

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. मंसूर—27 लाख        | 10. जोधपुर—10 लाख               |
| 2. हैदराबाद—20 लाख     | 11. रवालियर—10 लाख              |
| 3. त्रावनकोर—18 लाख    | 12. कोलहापुर—5 से 10 लाख के बीच |
| 4. पटियाला—17 लाख      | 13. नवाजगर—10 से 45 हजार        |
| 5. बड़ोदा—10 लाख       | 14. रोचा—10 लाख                 |
| 6. जयपुर—10 लाख        | 15. उदयपुर—10 से 26 हजार        |
| 7. बीकानेर—10 लाख      | 16. झूच बिहार—8·5 लाख           |
| 8. भवनगर—10 लाख        | 17. मोरनी—8 लाख से 28000        |
| 9. जम्मू कश्मीर—10 लाख | 18. गोड़ाल—8 लाख से 70 हजार     |
|                        | 19. कच्छ—8 लाख 34 हजार          |
|                        | 20. कोटा—7 लाख                  |
|                        | 21. रायपुर—6·6 लाख              |
|                        | 22. भोपाल—6·2 लाख               |
|                        | 23. अलवर—5·02                   |

रारदार पटेल के विचार—सरदार बलभभाई पटेल ने 2 अक्टूबर 1949 का भारतीय संविधान सभा के समक्ष भाषण देते हुए कहा था—“3 जून 1947 को घोषित योजना का, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, एक अंग यह था कि तथा कथित सर्वोपरि प्रभुतता समाप्त हो जायेगी। हमने इस योजना को भारत के विभाजन की ही तरह स्वीकार किया था। हमने इसलिए स्वीकार किया कि हमारे पास और कोई चारा नहीं था। यदि भारतीय संघ के बाहर रहना ही परम्परा करते तो पहले की तरह ही बहुत बड़ी भाषा में रियामतों के राजकोपों से अपने निजी व्यय के लिए धन निकालते रहते। इसलिए उनके लिए अपने शासन अधिकारों को परित्याग करने के लिए मूल्य के तौर पर बदले में न्यूनतम हम जो कुछ कर सकते थे,

वह मह या कि उन्हें एक उचित और निश्चित भावार पर आही देंती और सुम्म विशेषिकारों को आगंटा दे। राजप्रो ने प्रथमें शासन अधिकारों को हस्तांतरित करके अपनी रियासतों का नवीनरण कर दिया। उत्तरदायित्व निभा दिया है। इन सभीनों के प्रबल दृष्टारे उत्तरदायित्वों का सुन्दर भाग यह है कि हम प्रथमें द्वारा आगंटों को नई आही देंती वेळा देंती को पूर्णतः क्रियान्वित किये जाने की सुनिश्चित व्यवस्था करें। मर्द हम उत्तरदायित्व देंते हैं तो हमारा विश्वास बंग होगा।

मराठा द्वारा समझौता नंग—चिन्ह घन में वही होशर रहा, जिसकी शी पटेत हो गया ही। उसी दन भी मराठा ने बिनाने इन बाददों को पूरा करने की प्रतीक्षा की। 28 दर्द भी दूरे नहीं हुए और घरते बाददों की तीड़ आया। इस प्राप्ति का दोष है कि इसका दर्द बहुत अधिक मराठा समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में सहर इन्हें छानी दरब की दी। लगभग एक दुर्दि है चिन्ह का उने इस बात का नोटहाल है कि यहाँ अन्य दर्दों की अवधित श्रेणी की समाज ही गड़ चिन्ह प्राप्ति के द्वारा बदली दिये गये दर्दों की बदल 278 ही थी, चिन्ह के प्राप्ति के दर्द 1961 में देखा 294 थी, 1970 में बदल 455 ही थी, चिन्ह के दर्द के दौरान इन्हीं 1969-70 के 55 थी।

खण्डनकार्य के ५ वर्षों में अद्यतीत दारा नामांकन से बिन्दीर मतियां दर्शि-  
ये गये हैं जब भी उनका नाम नहीं दर्शि-यह भी तूष्णी गगड़ी का है इसे १९५४  
साल के विदेशी दारा के विदेशी नाम का दुलाह विदेशी दारा है। इसका दुलाह  
विदेशी दारा गिरा जाता है। इसका दुलाह विदेशी तूष्णी विदेशी दारा के  
प्रथमांकन के दृढ़ हि बिन्दीर नामांकन के कुल ५५ संकीर्ण दृढ़ विदेशी है इसके  
पास चौंकों की संख्या ३८६ है। यहाँ से दृढ़ दृढ़ी की दर नामांकन पर के दृ-  
ढ़ी दृढ़ी की दर नामांकन के—

प्राचीन व अधिकारी के द्वारा यह वास्तव में एक अद्वितीय -

| नं                  | 1957-58 | 1958-59 | वृद्धि |
|---------------------|---------|---------|--------|
| 1. देश              | 1240491 | 1233161 | 73320  |
| 2. दिल्ली नगर       | 116747  | 93064   | 23683  |
| 3. योगी बाजार       | 1051063 | 1009301 | 41762  |
| 4. सराहनी चक्रवर्ती | 1141191 | 1174381 | 33290  |
| स. अ. व.            |         |         |        |
| इन                  | 3450491 | 4319907 | 869516 |

१०८ शंखेन द्वा विद्युत् वाचः वाचः—

1957-63 1955-63  
4797733 4797733

इससे स्पष्ट है कि केवल केन्द्रीय-मंत्रियों एवं उपमंत्रियों पर राजाओं पर व्यय का  $\frac{1}{4}$  भाग व्यय किया जाता है और इसमें यदि सभी राज्यों के मंत्रियों एवं उप-मंत्रियों पर किया जाने वाला व्यय सम्मिलित किया जाये तो वह कहीं राजाओं पर व्यय किये जाने वाले व्यय से ही अधिक होगा। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इस और भी कोई आवश्यक कदम उठाने में नहीं हिचकेगी।

**प्रश्न 36—**भारत द्वारा आयोजित शिमला में शिखर बार्टा विश्व-शान्ति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी सम्पुष्टि में अपने विचार प्रकट कीजिये।

### अथवा

बंगला देश के निर्माण, पाक द्वारा दिसम्बर 1972 में किये गये आक्रमण में सफलता रूस के साथ संघिष्ठ और उसके बाद शिमला में श्रीमती राधी और भट्टो की शिखर बार्टा भारतीय विदेशी नीति की सफलता के परिचायक हैं।

**उत्तर—**बंगला देश का आन्दोलन—पाकिस्तान में जनतंत्र की स्वापना हेतु आम चुनाव करवाये गये। शेख मुजीब की आवामी लीग द्वारा बहुमत से अधिक सीटें प्राप्त करने पर भी सत्ता नहीं सौंपी गई तो पूर्वी पाकिस्तान और अब बाँगला देश ने १० पाकिस्तान के ग्रत्याचार भेदभाव और नर-सहार के विषद् आन्दोलन छेड़ दिया। पर मिला क्या? केवल मात्र उनका दमन किया गया। लाखों बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। स्वायत्तता के बदले वहाँ जन-संहार किया गया। वहाँ को मुक्ति-वाहिनी मेना ने आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया।

**भारत और बंगला देश—**भारत अपने हार पर यह सब कुछ होता न देख गका और मानवता को बचाने के लिए उपाय करने प्रारम्भ कर दिये। U.N.O. जो शान्ति स्थापित करने वाली सत्ता है वह भी मौन साध कर बैठ गई। बड़ी शवित्रियों ने अपने हित को लेकर १० पाकिस्तान के इस मामले को घरेलू मामला बताया। रूस ने बंगला देश का पक्ष लिया। प. पाकिस्तान ने बौखला कर ३ दिसम्बर १९७१ को भारत पर अचानक हवाई हमले कर दिये। पर सौभाषण की बात है कि युद्ध में विजयी श्री भारत को मिली। १६ दिसम्बर की शाम ढाका को पाकिस्तानी रेना से खाली करवा लिया। जनरल नियाजी ने आत्म-सम्पर्श कर दिया। भारत के पास एक साथ के लगभग युद्ध-बन्दी पकड़े गये। १७ दिसम्बर को एकपक्षीय युद्ध विराम स्वीकार कर लिया गया।

**भारत व रूस संधि—**भारत ने ९ अगस्त १९७१ को रूस से एक २० वर्षीय पारस्परिक सहायता समिक्षा की १ जिसको अवधि समाप्ति के बाद दोनों पक्षों की महमति से ५-५ वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। इस संधि को लेकर भारत को विदेश-नीति भी असंतुष्टता की नीति की कट्टु-प्रालोचना की गई पर वास्तव में संधि के प्रावधानों को ध्यान में देखा जाये तो ज्ञात होगा कि इससे भारतीयों के हितों

को कोई देश नहीं पहुँचती है। देश के अधिकांश नेताओं ने संधि का स्वागत किया। संधि के अनुसार दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। एक देश पर आक्रमण होने की स्थिति में दोनों देश मिलकर उसके मुकाबले के लिए विचार-विमर्श करेंगे।

**महत्ता—**इस संधि की दोनों देशों के लिए महत्ता है। इस के पास विशाल भू-भाग है और तकनीकी ज्ञान व नवीनतम अस्त्र-शस्त्र हैं परन्तु जन-संख्या की कमी है। वह विश्व के अधिक जन-संख्या वाले देश को अपने पक्ष में करना चाहता है। चीन से उसका संदर्भातिक मतभेद है उसके बाद भारत का नम्बर आता है। इस प्रकार रूस ने विशाल जन-संख्या वाले देश को अपने पक्ष में कर लिया।

भारत के पास जनसंख्या तो अधिक है परन्तु विकास-शील देश होने के कारण तकनीकी ज्ञान का अभाव है जिसकी पूर्ति रूस में कर सकता है। पाकिस्तान यदि अमेरिका को अपना हिमायती बताता है तो भारत भी रूस को अपना मित्र कह सकता है। और रूस में U. N. O में बंगला देश में शांति-स्थापित करने से संबंधित मतदान में भारत का पक्ष भी लिया। इस तरह में रूस से भारत की संधि विदेश-नीति की गतिशीलता एवं सफलता की परिचायक है। इससे विदेश-नीति में कुछ मुशार और हुंड्रा भविष्य में सफल संचालन की ग्राण्डवीं।

**शिमला शिखर वार्ता—**भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव को समाप्त करने के लिए भारत द्वारा शिमला में एक शिखर वार्ता का आयोजन किया गया। इससे पूर्व मरी में प्रथानमंत्री के विशेष द्वच ढी पी घर पाकिस्तान के राष्ट्रपति-जुलिफकार अली भुट्टो से वार्ता कर चुके थे।

यह शिखर वार्ता 29 जून से 1 जुलाई 1972 तक (चार दिन तक) चली। दोनों पक्षों ने वार्ता द्वारा तथ किया कि एशिया में शांति स्थापित करने के लिए दोनों देश (भारत-पाक) मिलकर प्रयास करेंगे। कश्मीर में चिकननेक से भारतीय सेना और अन्य स्थानों में दोनों देश की सेनायें पूर्व स्थिरि की लीट जायेंगी। मचार एवं यातायात के भागों को छुला करने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि-मण्डल आपस में मिलते रहेंगे। भुट्टो ने थीमती गांधी को पाकिस्तान प्राने का निम्रवर्ग दिया जिससे ममत्व है कि दोनों देशों के मध्य मम्बन्ध अधिक मधुर हों।

संक्षेप में, 1970 में भारतीय राजनीति और विदेश-नीति में महत्वपूर्ण भौमि आये जिन्होंने देश को हड्डता, सफलता व आत्मविश्वास प्रदान किया। विकासशील देशों में भारत सबसे आगे है। ऐसी याता है कि अगामी कुछ वर्षों में एशिया का विश्व में नेतृत्व भारत करेगा जो कि भारतीय-गामन व राजनीति की मफलता होगी।



